खण्ड-443, अंक-9
बुधवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(4 सितम्बर, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश की चीनी मिलों से सम्बन्धित प्रकरण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग	1-6
प्रश्नोत्तर	6-34
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	34
जनपद मैनपुरी के किशनी क्षेत्रान्तर्गत नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने व सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	34
आजमगढ़ शहर में विद्युत तारों के जीर्ण होकर टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूंचना	34
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन में चील बाजार से गडगेढ़ी तक मार्ग की जल निकासी, नाली एवं सीवर व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद पीलीभीत में शिक्षा मित्रों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
इलाहाबाद महानगर में सफाई कर्मियों की संख्या में वृद्धि करके सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
जनपद आगरा के पार्कों से अतिक्रमण हटाये जाने तथा सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद बलिया के ग्राम भण्डारी में टेलीफोन तार में हाईवोल्टेज विद्युत आने से एक युवक की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	37
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	37
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 (श्री राजयपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	37
चीनी मिलों के बन्द होने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा (जारी)...	37-38
गन्ना मंत्री द्वारा कुछ समय के लिये सदन से जाने पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा आपत्ति ..	38-42
चीनी मिलों के बन्द होने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा (जारी)...	42-65

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन में अखबार न पढ़े जाने का अनुरोध	65
चीनी मिलों के बन्द होने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा ...	65-69
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर तीन भागों में विभाजित करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने विषयक श्री समरपाल सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	69-81
उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन विषयक नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (जारी)	81
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर तीन भागों में विभाजित करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने विषयक श्री समरपाल सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	81-86
उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन विषयक नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (जारी)	87
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर तीन भागों में विभाजित करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने विषयक श्री समरपाल सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	87-100
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	100
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	101
जनपद आजमगढ़ मेहनगर में बीकापुर राजभर मार्ग पर बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री नल्ली राजभर आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	101
जनपद आजमगढ़ में नोनरा एवं कुआं मतवा मार्ग स्थित लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचन चौहान आदि निवासीगण जनपद-आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	101
जनपद लखनऊ, मलिहाबाद में कन्या डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने विषयक श्री हरी राम यादव आदि निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	101
जनपद फैजाबाद के ग्राम दुर्जन से घोडवल तक सड़क निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज किशोर शुक्ल आदि निवासीगण जनपद-फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	101

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत में आसाम-बस्ती मार्ग को चौड़ीकृत कराये जाने विषयक श्री त्रिलोक सिंह आदि निवासीगण जनपद-पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102
जनपद पीलीभीत में पूरनपुर के अधिकांश ग्रामों में शारदा नदी के कटान से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने विषयक श्री नसीब आदि निवासीगण जनपद-पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	102
मेरठ नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर स्थित पशु वधशाला को बाहर स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री पंकज कतीरा आदि निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	102
मेरठ नगर निगम में कासिमपुर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु ट्यूबवेल बोरिंग एवं टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री संजय त्यागी आदि निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	102
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में रूधौली मार्ग पर खोरिया रघुवीर सिंह आदि सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री जावेद अहमद आदि निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102-103
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज एवं इटवा के सिंगार जोत से जानकी नगर तक राप्ती नदी के किनारे बन्धा निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंगीलाल आदि निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	103
जनपद एटा के धर्मपुर नगला वैस मार्ग पर बटौला बाईपास की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री रुकमंगल सिंह राठौर आदि निवासीगण जनपद-एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	103
जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला ताड़ोवाली बगिया की गली नं0 1 से 20 तक नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अखलाक खां आदि निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	103
जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के ग्राम सुनखेड़ा में मांट ब्रांच नहर के टूटे पुल को बनवाये जाने विषयक श्री नैन सिंह आदि निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	103
जनपद सहारनपुर की दमोला एवं पांवछोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय मल्होत्रा आदि निवासीगण जनपद-सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	104
जनपद मैनपुरी इटावा मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश सिंह आदि निवासीगण जनपद-मैनपुरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	104-107
श्री विजय कुमार मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जान को गम्भीर खतरे के प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	107-108
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित) ...	108-116
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग एवं अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	116-147
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-21, खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृत) ...	147-155
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	156
श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ...	156
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	156-160
जनपद वाराणसी में जल संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं से विधि विरुद्ध अधिभार वसूल किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	160-161
जनपद गोण्डा के मनकापुर में विद्युत व्यवस्था जर्जर होने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	162
प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	162-163
प्रदेश में स्थापित धन्वन्तरि आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	163-164
जनपद लखीमपुर में जनुवारी नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण को तत्काल शुरू कराने के संबंध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	164-165
मेरठ के कंकडखेड़ा में अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से हो रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य ...	165-166
जनपद हरदोई के डी0एफ0ओ0 द्वारा वन प्रभाग में करोड़ों रुपये के सरकारी धन की हेराफेरी के सम्बन्ध में सुश्री ऊषा वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य	167

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रामपुर के रुद्रविलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में श्रीमती बीना भारद्वाज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का वक्तव्य	167-168
प्रदेश के मध्यांचल एवं पश्चिमांचल विकास के लिये धन का पैकेज स्वीकृत किये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	168
विकास कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन और संवैधानिक हकमारी के संबंध में श्री शारदानन्द अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	169-170
जनपद चन्दौली में नक्सलियों द्वारा बसन्त लाल की हत्या तथा एक युवा का अपहरण कर कई अन्य लोगों को फायरिंग कर घायल करने के संबंध में श्री परमेश्वर दयाल, श्री राम किशुन तथा श्री रामजीत राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	170-171
जनपद लखनऊ के थाना नगराम में हुई हत्या के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में श्री आर0 के0 चौधरी व श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	171-172
बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अप्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, शाकिर अली, अनुग्रह नारायण सिंह, राधेश्याम सिंह, डा0 पी0के0 राय व श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	173-175
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस को लोकतंत्र दिवस मनाने के संबंध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	175-176
जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में विद्युत आपूर्ति के संबंध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	176-177
जनपद सहारनपुर के केलेक्ट्रेट अधिष्ठान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	- 177

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज एवं इटवा तहसील के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजन की नहरों के ऊपर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कमाल यूसूफ मलिक एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	178
जनपद हरदोई में प्राथमिक शिक्षक वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों के देयों का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	178-179
जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी का पानी विषैला होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	179-180
एलोपैथिक डिस्पेंसरी सचिवालय, लखनऊ द्वारा सचिवालय कर्मियों को सुचारु रूप से इलाज न करने एवं धन का दुरुपयोग करने के संबंध में श्री रामजीत राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य	180-181
वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 1999-2000 में प्रदेश के 30 कन्या इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों कीं महिला अध्यापिकाओं के वेतन के देयों का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181-182
जनपद ज्योतिबा फुलेनगर के क्षेत्र अमरोहा शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में श्री महबूब अली, मा0 विधान सभा, सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	182-183
उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव संवर्ग में प्रोन्नतियों में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183-184
जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील से जंघई जाने वाली सड़क पर अनुवा गांव के पास वरुणा नदी के जर्जर पुल के निर्माण के संबंध में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	184-185
चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के जल संस्थान में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवा नियमावली न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	185-186

विषय				पृष्ठ-संख्या
विधान सभा सदस्य श्री बीजू पटनायक को, बदमाशों द्वारा जातिसूचक गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	186-187
लखनऊ जल संस्थान एसोसियेशन उ0प्र0 के प्रशिक्षुओं से सोलह घण्टे काम लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...			187
जनपद इलाहाबाद शहर उत्तरी के सलोरी एवं कैलाशपुरी मोहल्लों की आबादी को गंगा नदी की कटान से अविलम्ब बचाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	188
नत्थी	...	...	...	189-190

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अंन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

1-अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	10-मायावती, सुश्री	सहारनपुर
2-अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	11-मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
3-अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	12-यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
4-अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर	13-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
5-कौकब हमीद खां, श्री	बागपत	राजा भैया, श्री	प्रतापगढ़
6-चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	14-राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
7-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		15-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर	16-लुईश खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
8-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	17-संजीव दरियावादी, श्री	कानपुर नगर
9-मदन भैया, श्री	बागपत	18-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्बन्धित प्रकरण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम करन आर्य सहित समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर चीनी मिलों से सम्बन्धित प्रकरण पर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

नत्थी-क, श्री धनन्जय सिंह

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आसन ग्रहण करें। एक-एक सदस्य अपनी बात कहें।

(घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री राम करन आर्य-

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

सदन प्रारम्भ होने से अब तक जो कुछ बोला गया है वह लिखा नहीं जायेगा।

कृपया आसन ग्रहण करें। एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

माननीय उप नेता समाजवादी पार्टी।

(नाम पुकारे जाने पर श्री अम्बिका चौधरी अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जो आप बोल रहे हैं कुछ नहीं लिखा जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कल भी नियमों में समुचित ढंग से माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी कि प्रदेश में गन्ना चीनी मिलों को बन्द करने की गम्भीर साजिश चल रही है। माननीय सदस्य आज उस सूचना को फिर ले आये हैं। माननीय सदस्यों की सूचना बिल्कुल पक्की है कि मिलों को बन्द करने की नोटिस दी गयी है। मान्यवर, पीठ से कल शाम को जब माननीय उपाध्याय जी अधिष्ठाता की कुर्सी पर थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि आप कल सूचना दे दीजिए इस पर चर्चा हो जायेगी आप कार्यवाही दिखवा लेंगे। आज पुनः माननीय सदस्यों ने सूचना दी है आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

नोट-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें सर्वसम्मति से स्वीकार हुई हैं कि आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं ली जायं यह तय हुआ है। कल माननीय अध्यक्ष ने सदन में जिन दो सूचनाओं को आज लिये जाने की बात की थी वह नियम-56 में ली जायेंगी। दो के अतिरिक्त बाकी सूचना नहीं लिए जाने का निर्णय हुआ है। अगर कल इसकी बाबत कहा होगा और दो सूचनाओं में यदि यह हो तो नियम-56 के क्रम पर ये ली जायेगी।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, यह निकम्मी सरकार है कृषकों का जो गन्ना मिलों पर बकाया है वह नहीं दिला पा रही है। मान्यवर, पूर्वांचल की यह ज्वलन्त समस्या है।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, सरकार के निकम्मेपन की वजह से चीनी मिलों को बन्दी की नोटिस हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें। मैं समझता हूं कि आप लोगों की रुचि सदन के माध्यम से अपना विषय रखने की नहीं है किसी अन्य माध्यम से आप रास्ता तलाश रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उन दो सूचनाओं में यह शामिल है कृपया इसकी जानकारी कर लें। यह सूचना आज पुनः दी है इस पर चर्चा अवश्य कराने का कष्ट करें यह अविलम्बनीय है इस पर आप व्यवस्था दें।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय राम लाल जी, माननीय राम विशुन जी कुछ तो संसदीय परम्पराओं का पालन करिये। माननीय त्रिपाठी जी, आसन ग्रहण कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नियमों के तहत अपनी बात नहीं उठाना चाहते हैं। अभी आपके उपनेता जी ने कहा उसका जवाब तो सुन लें।

माननीय अम्बिका जी, अपने सदस्यों को अनुशासन में लायें या मौन बैठकर आपका समर्थन है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी कुछ व्यवस्था आ जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका जी, मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि आपके उपनेता द्वारा जो बात उठायी गयी है मैं उस पर कार्यवाही दिखवा रहा हूं तब तक शांत रहिये। मैं व्यवस्था के लिए कार्यवाही दिखवा रहा हूं। जब तक निर्णय आवे तब तक तो माननीय सदस्य शांत रहें।

(घोर व्यवधान)

श्री बैजनाथ दुबे-

मान्यवर, हमारे यहां मेजापुर चीनी मिल, गोण्डा में गन्ना किसानों का 80 प्रतिशत बकाया है उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है उसका पेमेन्ट कराया जाय और मिल चलवाई जाय।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, गोण्डा की मेजापुर चीनी मिल पर 80 प्रतिशत बकाया है वहां का किसान भुखमरी की कगार पर है, उसका पेमेन्ट नहीं हो रहा है। उसका पेमेन्ट कराया जाय और इस पर चर्चा कराई जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 11.40 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

11 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 11 बजकर 50 मिनट तक और बढ़ा दिया है।

11 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजे तक बढ़ा दिया है।

12 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने आसन से खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आसन ग्रहण करिये। जिन बिन्दुओं पर आपने व्यवस्था मांगी है वह व्यवस्था दे देने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रदेश की इससे महत्वपूर्ण और ज्वलन्त सवाल कोई दूसरा नहीं है और पीठ ने कल आश्वस्त किया था कि नियमों में आप दे दीजिए, उस पर चर्चा होगी। सभी संबंधित माननीय सदस्यों ने नियमों में सूचना दे दी है। अब आपसे प्रार्थना है कि यह घोषित कर दीजिए कि चर्चा स्वीकार की गयी और सबसे पहले इस पर चर्चा करा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

चौधरी जी, कृपया आसन ग्रहण करिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

कल दिनांक 3-9-2002 को नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के बारे में श्री अधिष्ठाता ने यह निदेश दिये थे कि प्रदेश की चीनी मिलों के बन्द होने से मिल मजदूरों के वेतन का [illegible]

होने तथा किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री राधेश्याम सिंह, श्री महबूब अली तथा श्री किरन पाल सिंह की सूचना अगले दिन पुनः लिखकर देने पर उस पर चर्चा करा ली जायेगी। तद्नुसार आज इस संबंध में नियम-56 तथा नियम-311 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं पर नियम-56 के अन्तर्गत चर्चा यथासमय करा ली जायेगी।

इस प्रकार श्री अधिष्ठाता ने कल यह भी निदेश दिये थे कि नियम-56 के अन्तर्गत सूचना देने वाले माननीय श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश में आर्थिक तंगी से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अजीम भाई तथा श्री रामकरन आर्य की मदरसों के शिक्षकों को पेंशन न देने तथा राजकीय अरबी कालेज, रामपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा न देने के संबंध में तथा श्री सीताराम निषाद, श्री अवधेष प्रसाद, श्री आनन्द सेन तथा श्री अब्बास अली उर्फ रूश्दी मियां की जनपद फैजाबाद स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के निकट दिनदहाड़े दो युवकों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आज नियम-56 की मद आने पर चर्चा करायी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष ने श्री पारसनाथ यादव तथा श्री कमाल यूसुफ मलिक की सूचनाओं के बारे में भी यह निदेश दिये थे कि वे उक्त सूचनाओं को अगले दिन लिखकर दे दें। श्री पारसनाथ यादव ने आज नियम-56 में कोई सूचना नहीं दी है और श्री कमाल यूसुफ मलिक ने आज जो सूचना दी है वह दूसरे विषय में है अतः आज इन दोनों सूचनाओं को नहीं सुना जा सकेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी व्यवस्था मैंने सुन ली है वह शिरोधार्य है। श्रीमन कल हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया था और पीठ ने स्वीकार भी कर लिया था कि आज सूचना दे दी इसलिये आपसे यह अनुरोध है कि पीठ ने कल जैसा सदन को आश्वस्त किया था। मान्यवर, गन्ने की समस्या पर तत्काल चर्चा कराने का आदेश देने की कृपा करें।

श्री किरनपाल सिंह-

कल इस पर निर्देश हुआ कि इस पर चर्चा कराई जायेगी लेकिन एजेण्डा आप देख लें कहीं नहीं है। चार दिन से हम लोग रोज गन्ना किसानों के बारे में लिखकर दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है। अब पुनः इस विषय को उठाने का औचित्य नहीं है। जब नियम-56 आएगा उस समय चर्चा हो जायेगी।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कल गन्ने के सवाल पर चर्चा कराए जाने की बात की गई तो पीठ द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि नियमों में इसको लिखकर दे दीजिए चर्चा हो जायेगी। जब माननीय सदस्यों

ने उसके अनुरूप लिखकर दे दिया है तो आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के हित में इस ज्वलन्त सवाल पर जब गन्ना किसानों का भुगतान पूरी तरह से रुका है। चीनी मिलों को बन्द करने की नोटिस दी जा रही है तो इससे किसान पूरी तरह से टूट जाएगा। इस ज्वलन्त प्रश्न पर सबसे पहले चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 'हाउस इज द मास्टर आफ इट्स ओन बिजनेस' कल इस पर चर्चा कराने की बात कही गई थी यह ज्वलन्त प्रश्न है। इस प्रश्न पर सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं एक सी हैं। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भुगतान नहीं हो रहा है व चीनी मिलों को बन्द करने की बात हो रही है। इसलिए इस पर पहले प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करा लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं। मैं तो सबकी बात सुन रहा हूं।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर और ज्वलन्त प्रश्न है। आज की जो समस्या है, इसके प्रति आप माननीय सदस्यों की भावनाओं को देख रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर सदन में बात उठाई गई कि गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया है, उसका भुगतान कराया जाय। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 70 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। इसके बावजूद गन्ने के बकाये का भुगतान किसानों को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में सारे माननीय सदस्य, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों सबकी भावना एक ही है। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि यह उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ी हुई समस्या है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रदेश सूखे से बहुत बुरी तरह से परेशान है किसानों का गन्ना बकाये का भुगतान कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इस पर मान्यवर, आप चर्चा करा लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं। गन्ना के विषय में जब कल सूचना आई थी तो अधिष्ठाता महोदय ने पीठ से यह निर्देश दिया था कि इस पर कल चर्चा होगी। किसी की मंशा ऐसी नहीं है कि चर्चा न हो। सब चाहते हैं कि चर्चा हो जाय। अभी 10 मिनट प्रश्नकाल का बाकी है और मद संख्या 3 और 4 पर सचिव, विधान सभा द्वारा घोषणा होनी है उसमें मुश्किल से आधा-आधा मिनट कुल एक मिनट लगेगा। यह हो जाने दें। गन्ने पर मैं आप सबकी भावनाओं को देखते हुए, हालांकि नियम का उल्लंघन हो रहा है, आपकी भावनाओं को प्रधानता देते हुए 12.25 पर चर्चा प्रारम्भ करा दूंगा। 2 बजे तक गन्ने पर चर्चा कर लीजिये। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, कि आज दो महत्वपूर्ण बजट हैं। इसलिये आज 4 बजे तक जो भी चर्चाएं हैं वह हो जायं और 4 बजे बजट प्रस्तुत किया जा सके। आपकी चर्चा के लिये मैं डेढ़ घंटे का समय दे रहा हूं। 4 बजे बजट जरूर प्रस्तुत करा दीजियेगा और इसमें आप पीठ की सहायता करेंगे यह मेरा अनुरोध है। अब मैं प्रश्नकाल शुरू कर रहा हूं। 10-12 मिनट धैर्य रखिये।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

कृपया बैठ जायं। वह सब बाद में। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया शांत करायें अपने दल के लोगों को। एक व्यवस्था हो गई है। अब सदन चलाने दीजिये। सदन के समक्ष जितने कार्य हैं, सब महत्वपूर्ण हैं। कभी भावनाएं प्रधान होती हैं कभी आवश्यकता प्रधान हो जाती है। यहां पर एक व्यवस्था हो गई है, उसके तहत कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, बलिया में 35 लाख रुपये बकाया है। कल भी कहा था आपने कहा था ले लिया जायेगा। लेकिन लिया नहीं।

श्री अध्यक्ष-

समय आने दीजिये। आप चिन्ता मत करिये। समय आने दीजिये सब कार्य होंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रशासन योजना लागू होने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी

**1-श्री धनन्जय सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में लागू प्रशासन योजना के कारण हजारों विद्यालयों एवं कालेजों में प्रबन्धन संबंधी झगड़े उत्पन्न हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की कमी को दूर करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, मुझे उत्तर सही नहीं लगता है। प्रशानिक योजनाओं के अन्तर्गत अनेकों विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद हुए हैं। मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि वित्तीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रबन्धकीय विवाद काफी गम्भीर स्थिति है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है और सरकार इसमें किसी प्रकार प्रशासनिक या व्यवस्थागत् कमी देखती है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस प्रदेश में 4435 माध्यमिक विद्यालय हैं इसमें से 544 विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद हैं। यह प्रबन्धकीय विवाद नियमों के उल्लंघन के कारण पैदा होते हैं न कि प्रबन्धकीय नियम में कोई कमी होने के कारण।

श्री धनन्जय सिंह-

प्रबन्धकीय विवाद वाले कुल कितने विद्यालयों और महाविद्यालयों को जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रत्यक्ष नियंत्रण और संचालन प्रशासनिक रूप से कर रहे हैं और कितने वर्षों से ? क्या विधि प्रबन्धकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को वर्षों तक सरकारी नियंत्रण द्वारा अवैध, अनैतिक रूप से नियंत्रण की रोक हेतु सरकार कोई कोशिश करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

544 विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद के कारण कन्ट्रोलर हैं। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो विवाद हैं उनको नियमों के अन्दर सुलझाने के लिए शासन की नीति के तहत निर्देश दिये गये हैं। जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्थायें हैं इसलिये यथासमय विवादों को हल करेंगे। जल्द से जल्द चुनाव कराये जायेंगे।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर में पब्लिक इण्टर कालेज में 80-81 में किसी विवाद के कारण रिसीवर बैठा दिया गया था वहां के प्रबन्धक ने उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया । 81 से स्टे पर चल रहे हैं तो क्या मंत्री जी स्टे वैकेट कराने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सूचना तो होगी नहीं विद्यालय विशेष का प्रश्न है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

544 में से एक-एक विद्यालय के बारे में पूछा जायेगा उसमें निश्चित रूप से सूचना की आवश्यकता होगी। इसके लिए आग्रह करूंगा आपके माध्यम से। इसको बाद में बता दिया जायेगा कोई भी प्रकरण किसी कारण से विवादित है तो उसका निस्तारण शीघ्रता से हो जाये इस बात का प्रयास चल रहा है यह शासन की नीति है।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां बुलन्दशहर में गवर्मेन्ट इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य 18 कालेज के प्रशासक हैं। क्या आप इस व्यवस्था में नियम बनाने का कष्ट करेंगे कि जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान का होता हो उसको प्रशासक या संचालक न बनायें ? किसी और व्यक्ति को बनाया ज़ाये 16-18 कालेज को एक व्यक्ति देख रहा है जो शिक्षण संस्था का हेड है। क्या वह अन्य कालेजों में संचालक बनाया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कोई शासकीय व्यक्ति ही प्रशासक बनता है। अगर गैर शासकीय व्यक्ति को बनाया जायेगा तो नई समस्यायें आयेंगी। अगर 18 का प्रशासक एक ही व्यक्ति है और उसके कारण विद्यालय संचालन में बाधा हो रही है तो निश्चित रूप से हम इसको देख लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी विद्यालय हैं हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट के उसमें स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन लागू होता है या अनुदानित विद्यालय हैं उनमें लागू होता है वित्त

विहीन में भी होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो वित्त विहीन मान्यता के स्कूल हैं उसमें स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्जेम्पट करने पर विचार करेंगे ? क्या इस शर्त को लगाना जरूरी है और भविष्य में वित्त विहीन विद्यालय हैं उनको अनुदानित करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अक्टूबर, 1986 से बिना सहायता के विद्यालय को मान्यता दी जा रही है। अगर शासन की स्थिति होती तो हम सभी विद्यालय को आर्थिक सहायता देकर खोलते। लेकिन शिक्षा का विस्तार हो और वित्तीय संकट की कठिनाईयों के कारण वित्तीय सहायता न देनी पड़े एवं वित्त पोषित विद्यालय खोलें नियम सम्मत रहें इसको देखते हुए विद्यालय खोले और प्रशासक योजना लागू की गयी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में प्रबन्धकीय विवाद हैं और इसके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, हाईकोर्ट तो बहुत आसान चीज है, तो इसमें संशोधन करेंगे कि कमेटी बनाकर, ट्राइब्यूनल बनाकर जिले स्तर पर हो जाय, दौड़ना न पड़े ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इसकी व्यवस्था तो है इसीलिए तो निस्तारण हो रहे हैं। मान्यवर, यह विवाद एक किस्म के नहीं हैं कि जो एक बेन्च में खत्म हो जायेंगे। किसी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। हम किसी के अधिकार को नहीं छीन सकते। शासन की एक प्रक्रिया है नीति है निस्तारण के लिए उसी के अनुसार वह काम करता है।

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रबन्धक को जो अधिकार दिये गये हैं वह असिमित हैं इसके सीमित करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसमें संस्कृत छपा है तो संस्कृत कोई विभाग तो है नहीं यह क्या त्रुटिवश छप गया है ?

श्री अध्यक्ष-

यह त्रुटिवश छप गया लगता है।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में भवन अग्रिम निर्माण लेकर भी सरकारी आवासों में रह रहे आई0ए0एस0 अधिकारियों की संख्या

*1-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कितने आई0ए0एस0 अधिकारी हैं, जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम लेकर लखनऊ में मकान बनवा लिये हैं, परन्तु वे सरकारी मकानों में रह रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के सरकारी मकानों का आवंटन निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्यमंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां।

नियुक्ति विभाग द्वारा दी गयी सूचनानुसार लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों में अध्यासित कुल 70 आई0ए0एस0 अधिकारियों को लखनऊ में भवन निर्माण हेतु अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उसके लखनऊ में मकान बनवा लिए जाने की सूचना नियुक्ति विभाग से प्राप्त की जा रही है।

जी नहीं।

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को लखनऊ में आवास आवंटन हेतु बनायी गयी "सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थिति समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली-1980" में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। जिसके अनुसार भवन निर्माण अग्रिम लेकर लखनऊ में आवास बनवाने वाले राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटित न किये जाने की व्यवस्था हो। अतएव उक्त अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवासों को निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छात्रवृत्ति विवरण में अनियमितता एवं गलत तरीके से वितरण को रोकने हेतु कार्य-योजना

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में अनियमितता/विलम्ब तथा गलत तरीके से वितरण किये जाने पर रोक लगाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

छात्रवृत्ति को वितरण में अनियमितता/विलम्ब तथा गलत तरीके से वितरण पर रोक लगाये जाने हेतु शासन द्वारा निम्न निर्णय लेकर आदेश जारी किये गये हैं:--

(क) छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों की सूची प्रवेश के पश्चात् विद्यालयवार एक माह के अन्दर शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त कर ली जाय।

(ख) प्रत्येक लाभार्थी को छात्रवृत्ति का एक ही किश्त में वितरण किया जाय।

(ग) समय-समय पर इसका सत्यापन कराया जाय कि छात्रवृत्ति की पूरी की पूरी धनराशि छात्र/छात्राओं को ही मिले तथा छात्रवृत्ति के वितरण में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय जिसमें वसूली तथा एफ0आई0आर0 दर्ज कराना सम्मिलित है।

(घ) दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु छात्र/छात्राओं का उसी बैंक में खाता खुलवाया जायेगा जिसमें सम्बन्धित संस्था का छात्रवृत्ति खाता खुला हुआ होगा तथा संस्था के छात्रवृत्ति खाते से सम्बन्धित छात्र के बैंक खाते में धनराशि अंतरित कर भुगतान की जायेगी। इस अंतरण की सूचना भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-कुंवर रेवती रमण सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के उद्योगों का स्थानान्तरण रोकने हेतु कार्य-योजना का विवरण

*4-श्री रमेशकान्त लवानिया-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के उद्योगों का स्थानान्तरण रोकने के लिए शासन ने कोई कार्य योजना तैयार की है यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

जी हां।

रु0 39.91 करोड़ की कार्य-योजना तैयार कराई गई, जिसमें 50% पूंजी अनुदान तैयार प्रस्तावित थी। यह योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जानी हैं। प्रथम चरण में 106 इकाइयों को लाभान्वित करने हेतु रु0 10.85 करोड़ अनुदान के रूप में दिया जाना था। इसी के साथ रु0 0.50 करोड़ प्रौद्योगिकी विकास हेतु प्रथम चरण में ही गैस आधरित उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान पर लगाया जाना है।

द्वितीय चरण में 50 इकाइयों के लिये रु0 9.10 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित था। यद्धपि इस योजना पर शासन की सैद्धान्तिक सहमति हुई, लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण वार्षिक बजट में किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं हो सकी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में दुर्घटनाओं में हेड इंजरीज के इलाज आदि हेतु सी0 टी0 स्केन मशीन की प्रस्तावित व्यवस्था

*5-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दुर्घटनाओं में होने वाली हेड इंजरीज के इलाज और आपरेशन की व्यवस्था जिला अस्पतालों में न होने के कारण मरीजों को मेडिकल कालेजों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पतालों के सर्जनों को 3 माह की न्यूरोलाजी की ट्रेनिंग दिलाकर प्रशिक्षित करेगी तथा जिला या मण्डल स्तर पर सी0टी0 स्केन मशीन की व्यवस्था कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी हां।

प्रदेश के 13 जनपदों में सी0टी0 स्केन मशीनों की स्थापना तथा उससे संबंधित प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही वर्ष 2004-2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

समाज कल्याण विभाग के सहायक प्रवक्ताओं/अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनवाने की मांग

*6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के कार्यरत सहायक प्रवक्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित कोई नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसे प्रख्यापित न कराये जाने का क्या कारण है ? उक्त नियमावली कब तक प्रख्यापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमावली बनाये जाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ महिला कल्याण निदेशालय में सम्बद्ध लिपिकों की संख्या एवं उन्हें उनके मूल विभागों में वापस किये जाने की मांग

1-श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ में कितने लिपिक सम्बद्ध हैं और उनकी मूल तैनाती कहां-कहां है ? क्या उनके मूल तैनाती स्थान पर किसी लिपिक की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार निदेशालय में सम्बद्ध किये गये उक्त कर्मियों को उनके मूल विभागों को वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

ग्यारह।

उक्त लिपिकों की तैनाती निम्नवत् है :--

1-राजकीय संरक्षण गृह, लखनऊ-1.

2-राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, लखनऊ-1.

3-जिला प्रोवेशन कार्यालय, बाराबंकी-2.

4-राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ-1.

5-राजकीय उत्तर रक्षा गृह, मेरठ-1.

6-उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय, लखनऊ-1.

7-जिला प्रोवेशन कार्यालय, ललितपुर-1.

8-जिला प्रोवेशन कार्यालय, उन्नाव-1.

9-राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, हरिद्वार-1.

10-जिला प्रोवेशन कार्यालय, सीतापुर-1.

07 स्थानों पर तैनाती की जा चुकी है।

पदधारकों का अभाव है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ए0 एन0 एम0 के प्रशिक्षण संस्थान का विवरण व उसमें प्रशिक्षित बेरोजगारों को सेवा में लिए जाने की मांग

2-श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में ए0एन0एम0 के कितने प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां संचालित हैं ? उक्त प्रशिक्षण संस्थाओं से कितनी ए0एन0एम0 प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होती है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन संस्थाओं से प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0 में से किस वर्ष तक प्रशिक्षित ए0 एन0एम0 को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? वर्तमान में बेरोजगार प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0 की कुल संख्या कितनी है ? इन प्रशिक्षित बेरोजगार ए0एन0एम0 को कब तक सरकारी सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

वर्तमान में प्रदेश में ए0एन0एम0 के 40 प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

इन प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 1056 ए0एन0एम0 प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में प्रशिक्षण स्थगित चल रहा है।

सामान्य वर्ग में मार्च, 1990 बैच के 381 अभ्यर्थी को छोड़कर मार्च, 1990 तक के प्रशिक्षित अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति वर्ग में अगस्त, 1990 बैच के 42 अभ्यर्थी को छोड़कर अगस्त, 1990 तक के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जनजाति जिसमें केवल 01 आवेदन ही प्राप्त हुआ था, के एक अभ्यर्थी को सेवा में लिया जा चुका है। अन्य पिछड़ा वर्ग में मार्च, 1990 के बैच के 15 अभ्यर्थी व अगस्त, 1990 बैच के 214 अभ्यर्थी को छोड़कर मार्च, व अगस्त, 1990 तक के बैच के अभ्यर्थियों को सेवा में लिया जा चुका है।

वर्तमान में कुल 2962 प्रशिक्षित ए0एन0एम0 बेरोजगार हैं।

वर्तमान में आरक्षित वर्ग का बैकलाग भरे जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 189-190 पर।)

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन जनपद गाजीपुर में कराये जाने की मांग

3-श्री रामजीत राजभर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के उ0 प्र0 लखनऊ के स्थानान्तरण आदेश संख्या-4फ/ए258/69 दि0 24-7-2002 के अनुपालन में जनपद गाजीपुर के स्थानान्तरित लिपिकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

महानिदेशालय के आदेश संख्या-4एफ/ए/258/69, दिनांक 24-7-2002 के अनुपालन में श्री महेन्द्र नाथ यादव, वरिष्ठ सहायक को दिनांक 14-8-2002 को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील उन्नाव परगना-सिकन्दरपुर सरोसी के ग्राम शंकरपुर में आवंटित बालू खनन पट्टे की जांच पर कार्यवाही की मांग

4-श्री हाजी मुश्ताक सोलंकी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-उन्नाव के ग्राम-शंकरपुर सरायं परगना सिकन्दरपुर सरोसी तहसील, उन्नाव में श्री मणिदीप सिंह व श्रीमती शकुन सिंह द्वारा जिन किसानों के सहमति-पत्र के आधार पर वर्ष 2001 में बालू खनन पट्टे प्राप्त किए गये हैं वह किसानों की शिकायत पर हुई जांच में फर्जी पाये गये हैं ? यदि हां, तो फर्जी सहमति-पत्र के आधार पर प्राप्त बालू खनन के पट्टे निरस्त किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां, कतिपय सहमति पत्र फर्जी पाये गये।

फर्जी सहमति में निहित भूमि को पट्टे से जिलाधिकारी द्वारा पृथक कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री घनश्याम शुक्ला-

[माननीय न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी के कतिपय ग्रामों में आवंटित बालू खनन पट्टे की जांच पर कार्यवाही

6-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर की दादरी तहसील के ग्राम रायपुर खादर असगरपुर जांगीर व चकबसन्तपुर में बालू खनन पट्टे 7-12-93 को तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिये गये थे ? क्या इससे उ0 प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 व शासनादेश दिनांक 14-2-94 का उल्लंघन हुआ है ? क्या प्रकरण की जांच में इन पट्टों को अवैध कराकर दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त जांच आख्या पर कार्यवाही न होने के कारण प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-3-1999 पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से पुनः जांच कराई जिसे पत्रांक सं0 8700 दिनांक 7 जून, 1999 को शासन को प्रेषित कर उक्त पट्टों को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त करने तथा अवैध खनन के लिए मुआवजा वसूलने की भी सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां, परन्तु जिलाधिकारी की आख्या अपर आयुक्त (प्रशासन) की जांच आख्या पर आधारित होने के कारण शासन स्तर से दिनांक 4-11-99 को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया गया कि वह स्वयं मौके की जांच करें। यदि पट्टे की शर्तो का उल्लंघन हुआ है तो पट्टा निरस्त किये जाने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करें। जिलाधिकारी की जांच आख्या अन्ततः 03 मई, 2002 को शासन को जिलाधिकारी ने प्रेषित की जिसमें यह पाया गया है कि पट्टा धारक द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार देय रायल्टी का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है और खनन क्षेत्रों से अनुबन्ध के अनुरूप खनन कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्यालयों में छात्रों को पुष्टाहार वितरित किये जाने का कथित प्रकरण

7-श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों में छात्रों को वितरित किये जाने वाले पुष्टाहारों की आपूर्ति प्रदेश में किन-किन फर्मों एवं संस्थाओं द्वारा करायी जा रही है ? क्या यह सत्य है कि विद्यालयों में छात्रों में वितरित होने वाले पुष्टाहारों में घटिया स्तर की पंजीरी आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के हित में पंजीरी वितरण को समाप्त करके बिस्कुट अथवा अन्य पुष्टाहार वितरण कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा विद्यालयों में छात्रों को पोषाहार वितरित नहीं कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय समाज कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जनपद शाहजहांपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी को विधवा महिलाओं को पुत्रियों की शादी हेतु प्राप्त धनराशि एवं इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

8-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय समाज कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ से वर्ष 2001-2002 में विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान के मद में कुल कितनी धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुई ? प्राप्त धनराशि में से कितनी विधवा महिलाओं को अपनी पुत्रियों की शादी हेतु धनराशि प्रदान की गई ? क्या सभी लाभार्थियों को प्रदान किये गये चेकों का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर को वर्ष 2001-02 में रुपया-1.00 लाख की धनराशि दी गयी।

10 विधवा महिलाओं को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु कोषागार से जारी चेक दिये गये।

जी नहीं।

कार्यालय स्तर पर दोषी पाये गये दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। समय से भुगतान न प्राप्त करने पर आंशिक दोष लाभार्थी का भी है।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय हजरतगंज, लखनऊ के इमरजेन्सी सेवा में कार्यरत फार्मासिस्ट की संख्या

9-श्री उदयराज-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय हजरतगंज, लखनऊ की इमरजेन्सी सेवा में कुल कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं ? क्या इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-3527/से-21 पांच एल0 94-511/194 दिनांक 10 जनवरी, 1995 का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

इमरजेन्सी सेवा में कुल तीन फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।

जी हां।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय हजरतगंज, लखनऊ के अर्ह/चीफ फार्मासिस्टों को समयमान वेतन एवं उसके एरियर का भुगतान कराये जाने की जानकारी

10-श्री उदयराज-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय हजरतगंज, लखनऊ में कार्यरत अर्ह फार्मासिस्टों/चीफ फार्मासिस्ट को समय मान वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनको एरियर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

फार्मासिस्ट/चीफ फार्मासिस्ट को समयमान वेतनमान नियमानुसार दिया गया है।

जी नहीं।

एरियर भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित किये जाने के निर्देश महानिदेशक को निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रधानाचार्य मण्डलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ को आवंटित आवासीय भवन में नियमों के विरुद्ध रह रहे व्यक्ति का प्रकरण

11-श्री राम प्रसाद चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रधानाचार्य मण्डलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ को आवंटित आवासीय भवन संख्या 504 में नियमों के प्रतिकूल वास्य व्यक्ति डा0 ए0 के0 पाण्डेय विगत तीन वर्षों से रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में निदेशक संस्थान के पत्र दिनांक 26-12-01 के आदेश पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डा0 ए0 के0 पाण्डेय से उक्त आवास का किराया शासनादेशों के अनुसार वास्य व्यक्तियों हेतु निर्धारित मार्केट रेट या राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 2 जनवरी, 1992 व 11 जनवरी, 2002 की दर से किराया लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अनधिकृत अध्यासन से हुई शासकीय धनराशि की क्षति के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पत्र दिनांक 26-12-01 द्वारा उक्त आवास में डा0 ए0 के0 पाण्डेय का अनधिकृत अध्यासन निरस्त कर दिया गया है तथा निदेशक, संस्थान के पत्र दिनांक 8-7-2002 द्वारा उक्त आवास को 30 जुलाई, 2002 तक रिक्त करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी।

उक्त तिथि तक डा0 पाण्डेय द्वारा आवास खाली न करने पर निदेशक, संस्थान के पत्र दिनांक 3-8-2002 द्वारा प्रधानाचार्य मण्डलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ को निर्देश दिये गये कि राजकीय नियमों के अन्तर्गत उक्त आवास को बलपूर्वक खाली कराने की कार्यवाही करें।

राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2002 के अनुसार किराये की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्रकरण की जांच में डा0 ए0 के0 पाण्डेय व डा0 एस0 बी0 एल0 बाजपेयी, प्रधानाचार्य, मण्डलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ को दोषी पाया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या-1219/चि0-3-2002-124 (शिका0)/2001, दिनांक 12 जुलाई, 2002 द्वारा डा0 ए0 के0 पाण्डेय को परिनिन्दा प्रविष्टि तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या'1219-क/चि0-3-2002-124 (शि0)/2002, दिनांक 12 जुलाई, 02 के द्वारा डा0 एस0 बी0 एल0 बाजपेई को चेतावनी निर्गत की गयी।

जनपद इटावा, भरथना नगर में राजकीय अस्पताल में आधुनिक संयंत्र उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

12-श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद के भरथना नगर में राजकीय अस्पताल में जेनरेटर, आक्सीजन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउन्ड मशीन तथा अन्य आवश्यक आधुनिक

संयंत्र उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 में उक्त संयंत्रों को उपलब्ध कराकर अस्पताल का आधुनिकीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यक आधुनिक संयंत्र उपलब्ध है जिसमें प्रश्न में उल्लिखित अल्ट्रासाउण्ड मशीन सम्मिलित नहीं है, अतः उपलब्ध भी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।.

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग में अलिपिकीय सेवा नियमावली प्रख्यापित कर अर्ह क्राफ्ट अनुदेशकों को इसके अनुसार प्रोन्नति वेतनमान के लाभ की जानकारी

13-श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण विभाग में 14 सितम्बर, 1998 को अलिपिकीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई है जिसके नियम-9 के अनुसार क्राफ्ट अनुदेशकों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को चयन समिति के माध्यम से 4500-7000 का प्रोन्नति वेतनमान दिया जायेगा ? यदि हां, तो 30 जून, 2002 तक कितने अर्ह क्राफ्ट अनुदेशकों में से कितनों को सेवा नियमावली के उक्त प्राविधान के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान दिया गया है, शेष को उक्त लाभ कब मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

किसी को नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यशाला पर्यवेक्षक के पद वर्ष 1999 में समाप्त कर दिये गये थे।

जनपद कुशीनगर राजकीय महिला चिकित्सालय छितौनी में विधायक निधि से उपकरण उपलब्ध कराने एवं उसके संचालन की जानकारी

14-श्री बादशाह सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय महिला चिकित्सालय, छितौनी (कुशीनगर) में तात्कालीन स्थानीय विधायक श्री दीप लाल भारती द्वारा विधायक निधि से एक्सरे मशीन व जनरेटर तथा अन्य उपकरण उपलब्ध करा दिया गया था, तथा एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति भी हुई थी ? यदि हां, तो उक्त महिला चिकित्सालय में एक्सरे मशीन चालू हालत में है ? यदि नहीं, तो चालू न करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त मशीन को चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ।

जी नहीं।

जी हां। अन्य स्थान पर उपलब्ध एक्सरे टेक्नीशियन को सप्ताह में दो दिन एक्सरे मशीन के संचालन हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री राम नरेश यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद रायबरेली के ग्राम खजूरगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी जानकारी

16-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खजूर गांव जनपद रायबरेली के "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" को उच्चीकृत किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उच्चीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक मलेरिया अधिकारियों की नियुक्ति करने विषयक महानिदेशक स्वास्थ्य के आदेशों के अनुपालन की जानकारी

17-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सहायक मलेरिया अधिकारियों के पद का परीक्षा परिणाम 6 मई, 2000 को घोषित किया गया था, परन्तु अभी तक इन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है ? क्या कार्मिक विभाग ने 24 सितम्बर, 2001 को अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान करने हेतु महानिदेशक स्वास्थ्य को कोई आदेश भेजा है ? यदि हां, तो आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

चिकित्सा अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-1322/पांच 8-02-32रिट/2000, दिनांक 20-7-02 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया है। तद्क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र, प्रागवृत्त सत्यापन एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा दि0 26-7-02 को पत्र भेजे गये हैं।

जी हां।

नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। इसके बाद नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। आदेशों का पालन न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर (नगर) के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एवं कार्यवाही की मांग

18-श्री शिवपाल सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (नगर) के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि के घोटाला किये जाने के प्रकरण में जांचोपरान्त किन लोगों को दोषी के रूप में चिन्हांकित किया गया है ? क्या उनके विरुद्ध दण्डात्मक एवं वसूली की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद कानपुर (नगर) के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि के घोटाले की जांच में समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के निम्न अधिकारी/कर्मचारी तथा विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य एवं सहखातेदारों को दोषी के रूप में चिन्हित किया गया है :--

समाज कल्याण विभाग	
1-अपर नगर मजिस्ट्रेट/जिला समाज कल्याण अधिकारी	1
2-जिला समाज कल्याण अधिकारी	1
3-वरिष्ठ सहायक	1
4-वरिष्ठ लिपिक	1
5-कनिष्ठ लिपिक	4
	8
शिक्षा विभाग	
1-जिला विद्यालय निरीक्षक	1
2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	1
3-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	4
	6
विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/सहखातेदार	46
योग =	60

जी हां।

एक जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा छः लिपिकों को अगस्त, 2000 में निलम्बित किया गया है, 32 विद्यालयों से धनराशि रु0 1,12,25,832/- की वसूली के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तनों की कला के विकास हेतु कार्यवाही की जानकारी

19-श्री राम नरेश यादव-

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तनों के लिये प्रसिद्ध है ? यदि हां, तो इस कला के विकास के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जी, हां।

काली मिट्टी कला के विकास के लिये पाटरी केन्द्र निजामाबाद की स्थापना की गयी थी, किन्तु उक्त केन्द्र, मजूमदार आयोग के वित्तीय बचत समाधान सुझाव के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया है तथा शेष भवन, भूखण्ड के निस्तारण के अन्तर्गत वहां के पाटरों तथा उद्यमियों को इस कला के विकास के लिये उन्हें औद्योगिक भूखण्ड के रूप में उद्योग लगाने हेतु प्लाट लीज पर आवंटित किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण में आरक्षण कोटा निर्धारित करने सम्बन्धी प्रकरण

20-श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण में दलितों, पिछड़े, आरक्षण कोटा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम् में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने/उनके वेतन भुगतान की मांग

21-श्री रामजीत राजभर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मी बाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में कितने कर्मचारी कितनी अवधि से संविदा पर तैनात हैं ? उनको कब तक स्थाई किया जायेगा ? क्या यह सही है कि गत एक वर्ष से उन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो उनको वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम् में कुल 19 संविदा कर्मी दि0 1 अगस्त, 99 से कार्यरत हैं ।

प्रश्नगत कर्मी राजकीय सेवा में नियुक्त नहीं हैं, अतः स्थाईकरण का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के वेतन का भुगतान संविदा धारक एजेन्सी द्वारा किया जाता हैं संविदा एजेन्सी के लम्बित बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति करने की मांग

22-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग (उ0 प्र0) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो रिक्त पद पर कोटे के अनुसार नियुक्ति करनें पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

रिट याचिका संख्या 1295(एसबी)/1994 में दिनांक 10-2-1995 को मा0 उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी का 01 पद याची के लिये आरक्षित रखने के आदेश पारित किये। दिनांक 21-9-2001 को वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी का पद रिक्त हुआ। अतः न्यायिक परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-2-1995 को वैकेट कराने की कार्यवाही की जाए।

प्रदेश के विभिन्न विभागों के अवर अभियन्ताओं को 16 वर्ष सेवा उपरान्त सहा0 अभियन्ताओं का वेतन एवं उद्योग निदेशालय के सहायक प्रबन्धकों को 14 वर्ष की सेवा उपरान्त उन्हें राजपत्रित घोषित करने सम्बन्धी प्रकरण की कथित जानकारी

23-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या लघु उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि कार्मिक अनुभाग-4, शासनादेश संख्या 1661/47-का-4-44ई0एम0/85, दिनांक 11-3-1991 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे समस्त अवर अभियन्ताओं को सोलह वर्ष की सेवा के उपरान्त जिन्हे सहायक अभियन्ता के पद का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, को राजपत्रित घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उद्योग निदेशालय के अधीन ऐसे ही कार्यरत सहायक प्रबन्धकों को जिन्हें चौदह वर्ष की सेवा के उपरान्त उद्योग सेवा श्रेणी-दो के प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त है को भी राजपत्रित घोषित कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जी नहीं।

प्रोन्नति के पद का समयमान वेतनमान वैयक्तिक रूप में स्वीकृत किया जाता है अतः समयमान वेतनमान प्राप्त सहायक प्रबन्धकों को राजपत्रित घोषित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा एवं औरैया में स्थापित उद्योग एवं उनके विकास का विवरण

24-श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा एवं औरैया जिलों में कौन-कौन से सरकारी उद्योग उपक्रम एवं कारखानें स्थापित हैं ? क्या सरकार इटावा एवं औरैया जिलों का उद्योग शून्य घोषित करके इन जनपदों का औद्योगिक विकास करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योगों का विवरण क्या है ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जनपद इटावा में उ0 प्र0 को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स इटावा इकाई स्थापित है, जो वर्ष 1998 से बन्द पड़ी है।

जनपद इटावा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सरकारी उद्योग, उपक्रम एवं कारखाने स्थापित नहीं हैं ।

जनपद औरैया में सरकारी उद्योग, उपक्रम एवं कारखाने निम्नवत् स्थापित हैं :--

(1) गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, दिवियापुर।

(2) एन0 टी0 पी0 सी0 लि0 दिवियापुर।

(3) यू0 पी0 पैट्रो केमिकल लि0 पाता, दिवियापुर।

(4) एल0 पी0 जी0 प्लान्ट पाता, दिवियापुर।

जी, नहीं।

यह एक नीति विषयक मामला है, इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जिलों को उद्योग शून्य घोषित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इटावा में डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय जिला चिकित्सालय के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की मांग

25-श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा पर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो अवशेष निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ।

अवशेष निर्माण कार्य हेतु रुपया 124.14 लाख की आवश्यकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 में नई मांग के माध्यम से आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रुपये 65.00 लाख से निर्माण

कार्य किया जाना प्रस्तावित है। शेष धनराशि आगामी वर्षों में उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी।

26-श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग-

[4थे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

27-श्री रामजीत राजभर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कौशाम्बी के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण में अनियिमितता हेतु दोषी को स्थानान्तरित करने की मांग

28-श्री राम करन आर्य-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कौशाम्बी में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण में की गयी अनियितताओं के प्रकरण में दिनांक 3 जनवरी, 2002 को उन्हें निलम्बित किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी को बहाल करके पुनः वहीं नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण अन्य जनपद में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

कौशाम्बी से पूर्व में ही इलाहाबाद स्थानान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध आवश्यक संयंत्र की जानकारी

29-श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय जिला चिकित्सालय, इटावा में सभी आवश्यक आधुनिक संयंत्र उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उक्त अस्पताल में अत्याधुनिक आवश्यक संयंत्रों की पूर्ति सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां, मानक के अनुसार आवश्यक संयंत्र उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, बाल विकास परियोजना पाली में आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति में अनियमितता/उनके मानदेय भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

30-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर के बाल विकास परियोजना-पाली में दिनांक 20-1-99 को आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण में

अनियमितता के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा बिन्दुवार आख्या दिनांक 22-4-99 को प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की बिन्दुवार संस्तुति क्या है ? क्या उक्त संस्तुति का अनुपालन न करके दिनांक 20-1-99 को योगदान कराकर मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। यदि हां, तो क्या आंगनबाड़ी केन्द्र-मइला में पत्रांक : 112/बा0मि0परि0/स्था0 आं0 बा0 का0/98-99 दिनांक 20-1-99 द्वारा नियुक्त एवं दिनांक 20-1-99 को योगदानित कार्यकत्री का मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। नियुक्ति में अनियमितता की शिकायतों की जांच आख्या जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर ने मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 22 अप्रैल, 1999 को प्रस्तुत की है।

बिन्दुवार संस्तुति निम्नवत् है :-

(1) श्रीमती गीता सिंह एवं श्रीमती सरस्वती गौड ने समान अंक प्राप्त किये थे लेकिन श्रीमती गीता सिंह की आयु एवं शैक्षिक योग्यता श्रीमती सरस्वती गौड से अधिक थी अतः नियमतः इनका चयन किया जाना अपेक्षित था, चयन श्रीमती गौड का कर लिया गया।

(2) अतः श्रीमती गीता सिंह के प्रकरण में शैक्षिक योग्यता एवं आयु को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लेने की संस्तुति की गयी।

(3) अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रषित आय प्रमाण-पत्र का पुनः जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सत्यापन करके एवं सत्यापन में फर्जी पाये गये आय प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की संस्तुति की गयी। श्रीमती सरस्वती गौड को दिनांक 20-1-99 को योगदान कराया गया था, लेकिन भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

जी नहीं।

दिनांक 20-1-99 से दिनांक 11-5-2001 (कार्यावधि) के मानदेय का भुगतान हेतु दिनांक 29-8-2002 में देयक पत्र कोषागार में प्रस्तुत कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जनपदों में खनन कार्य एवं जनपद सोनभद्र में सर्वेयर के पद की संख्या/असमानता दूर करने सम्बन्धी जानकारी

31-श्री विजय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में बालू, मौरंग, गिट्टी बोल्डर एवं खनिजों का खनन कार्य किया जाता है ? इनमें से किन-किन जनपदों में एक से अधिक सर्वेयर तैनात हैं ? क्या यह सही है कि जनपद-सोनभद्र में सर्वेयर के एक पद के विरुद्ध तीन सर्वेयर नियुक्त हैं तथा कई जनपदों में सर्वेयर के पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकर इस असमानता को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश के सभी जनपदों में उपखनिजों की उपलब्धता के आधार पर खनन किया जाता है।

जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में ही एक से अधिक सर्वेयर तैनात हैं।

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, चिकित्सा अधीक्षक तिलहर द्वारा किये जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

32-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-10-2000 यह इसके आस-पास जो चिकित्सा अधीक्षक तिलहर द्वारा दाईयों का फर्जी ट्रेनिंग सेन्टर चलाये जाने तथा ट्रेनर कुलदीप शर्मा को चिकित्सक का आवास अवैध रूप से आवंटित किये जाने एवं इसमें किराया न जमा करने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्रांक-435 दिनांक 17-10-2000 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां, प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र, दिनांक 14-10-2000 प्राप्त हुआ था।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में शिव प्रसाद राजकीय चिकित्सालय में बर्न यूनिट की विशेष व्यवस्था की जानकारी

33-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिव प्रसाद राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में जल कर चिकित्सा हेतु भर्ती होने वाले मरीजों के लिये अलग से कोई विशेष व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो ऐसे मरीजों की बेहतर चिकित्सा हेतु आधुनिकतम सुविधा, उपकरण युक्त चिकित्सालय में एक "वातानुकूलित बर्न यूनिट" की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

34-डा0 वकार अहमद शाह तथा श्री उदयराज-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में एक्सरे तकनीशियनों को जोखिम भत्ता दिये जाने पर विचार

35-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक्सरे तकनीशियनों के जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए क्या सरकार उन्हें जोखिम भत्ता/रेडियेशन रिस्क एलाउन्स देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग में प्रोन्नति का प्रकरण

36-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में तैनात एक्सरे तकनीशियनों को भी फार्मासिस्टों की भांति प्रोन्नति के अवसर देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

37 व 38-श्री रमेशकान्त लवानिया-

[4थे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-185 के व 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के कस्बे डुमरियागंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द को संयुक्त चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

39-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित चिकित्सालय देवां (डुमरियागंज) को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या उसमें संयुक्त चिकित्सालय स्तर की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में संयुक्त चिकित्सालय स्तर की सभी सुविधायें उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जिसे संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

डुमरियागंज से मात्र छः किलोमीटर की दूरी पर 30 शैय्या वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। वहां पर मानक के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण में भेदभाव अपनाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

40-श्री उदयराज-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण में भेदभाव की नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-2-नं0 779241; दिनांक 13 अगस्त, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ?- यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ।

चिकित्सा विभाग में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण में कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जा रही है। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 16 जून, 1999 के क्रम में 8 समीक्षा अधिकारियों तथा 2 सहायक समीक्षा अधिकारियों का अन्य अनुभागों में स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा एक सहायक समीक्षा अधिकारी को सचिवालय प्रशासन विभाग को समर्पित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर कटौती/दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किये जाने की मांग

41-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में से 2% कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार वर्ष 1991 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 9-1-2001 के अनुसार सभी विभागों के कुल कार्मिकों की संख्या में प्रतिवर्ष 2%की कमी की जानी है। उक्त शासनादेश राज्य सम्पत्ति विभाग पर भी लागू है।

जी हां, वर्ष 1991 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन अतिथि गृह में 8 वर्षों से कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

42-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी एक ही अतिथि गृह में लगभग 8 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। तृतीय श्रेणी के 16 कर्मचारी 8 वर्ष से अधिक समय से एक ही अतिथि गृह में तैनात हैं।

कार्मिक नीति के अनुसार नीति निर्धारित करके स्थानान्तरण नीति में आने वाले कार्मिकों का यथाशीघ्र स्थानन्तरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थापक के रिक्त पदों को विभागों के छटनीशुदा कर्मचारियों से भरे जाने की मांग

43-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थापक के तीन पद रिक्त हैं ? क्या इन पदों पर विभागीय प्रोन्नति न करके अन्य विभागों से छटनी शुदा कर्मचारियों को समायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पदों पर विभागीय वरिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति करेगी ?

सुश्री मायावती-

व्यवस्थापक के कुल 04 पद रिक्त हैं जिनमें दिनांक 10-9-2001 को सृजित 03 पद सम्मिलित हैं ।

उक्त 03 पदों के सृजन आदेश में यह प्रतिबन्ध अंकित है कि ये पद दैनिक वेतन भोगी शिक्षित श्रमिकों के विनियमितीकरण अथवा अन्य विभागों के सरप्लस घोषित कर्मचारियों से भरे जायेंगे। इन्हें भरे जाने की प्रक्रिया पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

जनपद हरदोई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में शौचालय तथा जल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने सम्बन्धी जानकारी

44-श्री राम किशुन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0 पी0 सेन्टर), सण्डीला में शौचालय तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण वार्डों में भर्ती मरीजों तथा वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र में शौचालय एवं जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खाद्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रकरण

45-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन संख्या 1/96-97 दिनांक 17 मार्च, 1996 द्वारा खाद्य निरीक्षक के 526 पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पदों में से 523 पदों पर ही नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

46 व 47-श्री संजय गर्ग-

[माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद चन्दौली, पो0 हिमुतरगढ़ के ग्राम बुद्धपुर के राजस्थान सरहद पर शहीद अज्ञात कुमार सिंह, शहीद सैनिक की पत्नी को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

48-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अज्ञात कुमार सिंह निवासी ग्राम बुद्धपुर, पो0 हिमुतरगढ़, जिला चन्दौली जो सैनिक के रूप में राजस्थान सरहद पर 4 जनवरी, 2002 को शहीद हो गये थे ? यदि हां, तो उनके परिवार को उ0 प्र0 सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सहायता राशि मृतक की पत्नी श्रीमती सरोज सिंह को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां ।

जी नहीं ।

अज्ञात कुमार सिंह कारगिल आपरेशन विजय के शहीद सैनिक नहीं हैं। अतः उनकी पत्नी को एक मुश्त आर्थिक सहायता/पेंशन अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, तहसील पटियाली में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

49-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील पटियाली में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? उनमें कितने पर डाक्टर नियुक्त हैं तथा कितने प्र0 स्वा0 केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं ? चिकित्सकों के रिक्त पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद एटा की तहसील पटियाली में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

उनमें से पांच पर डाक्टर नियुक्त हैं तथा दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर तैनात नहीं हैं।

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, तहसील पटियाली में स्थित प्राइमरी पाठशालाओं/जूनियर हाई स्कूल में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटन की मांग

50-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील पटियाली में स्थित प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 2001-2002 में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु कितनी छात्रवृत्ति आवंटित की गयी तथा उसमें से कितनी छात्रवृत्ति छात्रों में जून, 2002 तक बांटी गयी है ? शेष छात्रवृत्ति के न बंट सकने के क्या कारण हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद एटा की तहसील पटियाली में स्थित प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2001-2002 में कुल 41,17,000/- रुपये की धनराशि विद्यालयों को आवंटित/स्थानान्तरित की गयी। आवंटित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण छात्रों को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक मोहान रोड के विद्युत विच्छेदन की समस्या के निराकरण की मांग

51-श्री उदयराज तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ में कई वर्षों से विद्युत बिलों का भुगतान न होने के कारण विद्युत विच्छेदन हो गया है जिससे उक्त संस्था के छात्रों को प्रयोगशालाओं में अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार वहां विद्युत की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। लम्बित विद्युत बिलों के भुगतान न होने के कारण नवम्बर, 2001 में विद्युत विभाग द्वारा राजकीय गोविन्द बल्लाभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ का विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है ।

लम्बित विद्युत बिलों की धनराशि पिछले कई वर्षों से सम्बन्धित तथा अधिक होने के कारण एक मुश्त भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

जी हां ।

यथाशीघ्र व्यवस्था कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड में प्रधानाचार्य की नियुक्ति किये जाने की मांग

52-श्री उदयराज तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ में इस समय कोई प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं है। क्या लखनऊ मण्डल के उप निदेशक जो नान टेक्निकल हैं, प्रधानाचार्य का कार्य सम्पन्न कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त पालीटेक्निक के सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल तीनों ब्रांचों में कोई विभागाध्यक्ष कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पालीटेक्निक में प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ में नियुक्त प्रवक्ता (यांत्रिक) अभियंत्रण से कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य लिया जा रहा था, परन्तु उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उन्हें निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है, जिसके कारण उप निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ के प्रधानाचार्य का कार्य सौंपा गया है ।

जी हां।

जी हां।

पालीटेक्निक में प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पदों हेतु पात्र प्रवक्ताओं/विभागाध्यक्षों के उपलब्ध होने पर चयनोपरान्त नियुक्तियां की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

53-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में ऐसे कितने राजकीय चिकित्सालय हैं जिनमें चिकित्सक नहीं हैं ? क्या सरकार रिक्त पुरुष एवं महिला चिकित्सकों के पद भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद कन्नौज में चिकित्सकों की कमी है ।

पुरुष चिकित्साधिकारियों के 362 रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजा गया है तथा 404 महिला चिकित्साधिकारियों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही विचाराधीन हैं आयोग से चयनोपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, मोहनलालगंज से सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट मो0 जाबिर मलिक के जी0 पी0 एफ0 एवं पेंशन का भुगतान कराये जाने की मांग

54-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मो0 जाबिर मलिक फर्मासिस्ट के पद पर सी0 एच0 सी0 मोहनलालगंज लखनऊ से सेवा निवृत्त हुए थे ? क्या उनके जी0 पी0 एफ0 तथा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 05-03-2002 का शिकयती पत्र निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ।

मो0 जाबिर मलिक के जी0 पी0 एफ0 तथा पेंशन का आंशिक भुगतान किया जा चुका है तथा अन्तिम भुगतान भी स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रकरण में भुगतान हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिया गया है।

जनपद बलिया के कतिपय प्रा0 स्वास्थ्य केन्दों में मानक के अनुसार चिकित्सक एवं कर्मचारी, दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग

55-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, सोनाडीह, पशुहारी, ककरासों , मालीपुर, खन्दवा, कसौन्डर, किरिहरापुर, भीमपुरा नं0-2 में मानक के अनुसार दवाइयां कर्मचारी तथा चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने एवं कर्मचारी तथा चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर औषधियां मानक के अनुसार उपलब्ध हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, सोनाडीह, खन्दवा में स्वीकृत पद के सापेक्ष चिकित्सक एवं कर्मचारी हैं। पशुहारी एवं मालीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर चिकित्सक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग भेजा गया है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों परं भर्ती हेतु रोक लगी होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ककरासों, कसौन्डर, किरिहरापुर, भीमपुरा नं0-2 में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर रोक लगी होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है। भीमपुरा नं0-2 के फार्मासिस्ट के रिक्त पद पर तैनाती हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर, क्षेत्र पं0 बासी के ग्राम प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण के स्थान पर भवन निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

56-श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, ग्राम व पोस्ट बसन्तपुर क्षे0 पं0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर का पत्र दिनांक 13-05-2002 जो ग्राम प्रधान व ग्राम पं0 वि0 अ0 बसन्तपुर क्षेत्र पं0 बांसी, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा उप जिलाधिकारी, बांसी द्वारा आवंटित आराजी नं0 381 मि0/11 पर आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण न कराकर आराजी नं0 735 पर भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां ।

आवंटित भूमि पर आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान को दिनांक 16-8-2002 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिनांक 16-8-02 में आरोप पत्र निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, बालिका निकेतन के कर्मचारी/शिक्षक को समयमान वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

57-श्री देवकी नन्दन कोरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासकीय कर्मचारियों को 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त समयमान वेतनमान दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो बालिका निकेतन, इलाहाबाद में उक्त प्राविधान से आच्छादित कितने कर्मचारी/शिक्षक हैं जिनको इसका लाभ अब तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं शलाका के आधार पर स्वीकार की गयीं :-इसमें पहली सूचना कु0 सन्ध्या कटेरिया की, दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की, तीसरी सूचना श्री कैलाश चौरसिया की, चौथी सूचना डा0 विनोद तिवारी की, पांचवी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, छठी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की तथा सातवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है। यह सातों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद मैनपुरी के किशनी क्षेत्रान्तर्गत नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने व सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कु0 सन्ध्या कठेरिया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपनी विधान सभा क्षेत्र किशनी जो जनपद मैनपुरी में आता है। वहां नहरों में पानी कभी टेल तक नहीं पहुंचता है और वहां की जनता बहुत इस समस्या से परेशान है इसीलिये किसानों की खेती समय बुआई एवं रोपाई नहीं हो पाती है और किसान त्रस्त हो जाते हैं इस समस्या का समाधान के लिये अपने क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान हेतु निवेदन करती हूं कि मा0 मंत्री जी का ध्यान अपनी विधान सभा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र की नहरों में पानी टेल तक पहुंचाया जाय और सफाई कराये जाने की अति आवश्यकता है। विधान सभा की कई जनपदों से नहरें जुड़ी हुई हैं इसलिये वहां के अधिकारियों से मिलने तथा जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर सरकार से वक्तव्य की मांग करती हूं।]

आजमगढ़ शहर में विद्युत तारों के जीर्ण होकर टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, उक्त लोक महत्व के विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ शहर में विद्युत वितरण में लगे तार 30-40 वर्ष पुराने हो चुके हैं। जो अत्यधिक भार एवं अन्य कारणों से पतले हो गये हैं जो प्रायः टूट कर गिर सकते हैं। जिससे दुघटनायें होती रहती हैं। कई जानवरों एवं अन्य जीवों की मृत्यु हो चुकी है। बिजली कर्मचारी इन्हीं सब दोषों में लगे रहते हैं। मुख्य रूप से इससे प्रभावित मोहल्ले इस प्रकार हैं। पहाड़पुर, तकिया, बाज बहादुर, कोट, जाल धरी, आसिफ, गंज बदरका, पाण्डेय बाजार, मुकेरीगंज, दरसिंगार आदि हैं, इन मुहल्लों में विद्युत तार बदलना अत्यन्त जरूरी है इससे जनता बहुत ही पेरशान है।

अतः इस गम्भीर प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पर विचार हेतु चर्चा कराने की मांग करते हुए सम्बन्धित विभाग को निदेश देने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन में चील्हबाजार से गड़गेड़ी तक मार्ग की जल निकासी, नाली एवं सीवर व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश चौरसिया-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर विधान सभा मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड कोन के तरफ दिलाना चाहता हूं कि विकास खण्ड कोन में चील्ह बाजार से गड़गेड़ी तक जिसकी लम्बाई लगभग 5 किमी0 तक है इस रास्ते से क्षेत्रीय जनता जनपद मुख्यालय की ओर अपनी जीविकोपार्जन एवं अन्य कार्य के लिये रोजाना आते जाते हैं मात्र एक ही रास्ता होने के कारण बरसात के दिनों में और रोजाना पानी लगने से रास्ते में कीचड़ और पानी भरा रहता है। पानी निकासी के लिये तो नाली व सीवर की भी व्यवस्था नहीं है। पूरे सड़क मार्ग तक पानी भरा रहता है इस विषम परिस्थिति में सड़क एवं पानी निकासी के लिये कार्य कराना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा कार्यवाही कराने से क्षेत्र को बहुत बड़ा विकास हो जायेगा जिसस क्षेत्रीय जनता को सुविधा मिल सकती है और आने जाने के लिये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने के लिये सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत में शिक्षामित्रों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[महोदय, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मैं सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद पीलीभीत में कुल 447 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी है किन्तु उनको प्रदान किये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में शासन द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई जा रही हैं उक्त शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वर्ष 2001-2002 में की गयी थी वित्तीय वर्ष 2002-2003 को व्यतीत हुए 6 माह हो चुके हैं किन्तु जनपद पीलीभीत में तैनात शिक्षा मित्रों को अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है । उन लोगों में गम्भीर आर्थिक तंगी आ चुकी है यहां तक कि वे लोग भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं। प्रशासन द्वारा मानदेय न दिये जाने का कारण उन शिक्षा मित्रों द्वारा प्रतिवर्ष 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही मानदेय दिया बताया जाता हैं यहां पर यह प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ है कि उन शिक्षा मित्रों को 15 दिन का प्रशिक्षण कौन अधिकारी अथवा सरकारी प्रतिष्ठान करायेगा।

अस्तु अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त 447 तैनात शिक्षा मित्रों को विषम आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वर्ष 2002-2003 का मानदेय दिलाये जाने के निर्देश जारी कराने की कृपा करें।]

इलाहाबाद महानगर में सफाई कर्मियों की संख्या में वृद्धि करके सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महोदय, इलाहाबाद महानगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या प्रदेश के अन्य नगर निगमों की तुलना में काफी कम है तथा इन कर्मचारियों को कई महीनों से नियमित वेतन भुगतान नहीं हो रहा है जिसके कारण उनको काफी कठिनाई हो रही है। सफाई कर्मचारियों की कमी होने के कारण

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहती है जिसके कारण वहां के निवासियों को कठिनाई होती है तथा जनता में भी असन्तोष व्याप्त रहता है। सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उनके वेतन भुगतान हेतु समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उक्त विषय लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय है अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद आगरा के पार्कों से अतिक्रमण हटाये जाने तथा सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां पर सरकार द्वारा शहर के पार्कों का सौन्दर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है वहीं पर आगरा जनपद में पार्कों की दशा अन्यन्त दयनीय हैं पर्यटन की दृष्टि से आगरा एक ऐतिहासिक नगर है आगरा नगर में पार्क जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, कुछ के तो बाउन्ड्री वाल टूट गये हैं, कुछ पार्कों पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है। पार्कों की शोभा बढ़ाने वाले पौधे तहस-नहस हो गये हैं। जिसमें प्रमुख रूप से बसन्त विहार, कमलानगर, श्रम कालोनी, बलेश्वर, बिल्लोचपुरा व किदवईनगर आदि के पार्क पर अतिक्रमण करके पेड़-पौधों को तहस-नहस कर दिया गया है। जो अब केवल पार्क के नाम मात्र ही है।

अतः मैं लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद-आगिरा के पार्कों पर से अतिक्रमण हटाये जाने तथा उनका सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के ग्राम भण्डारी में टेलीफोन तार में हाईवोल्टेज विद्युत आने से एक युवक की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी-

[महोदय, जनपद-बलिया की तहसील रसड़ा ब्लाक नगरा के ग्राम भण्डारी में दिनांक 19-4-02 को समय 1.30 बजे के लगभग लाल बहादुर यादव के टेलीफोन की घण्टी एकाएक बजने लगी। राम प्रवेश पुत्र श्री सत्यराम ने फोन उठाया, फोन उठाते ही रिसीवर का तार टूटकर सीने में सट गया, वह तत्काल वहीं पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गयी। बाद में देखने से पता चला कि टेलीफोन के तार में विद्युत तार सट गया है जिसके कारण टेलीफोन के तार में 11000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी जिसकी वजह से टेलीफोन की घण्टी भी बजी तथा रिसीवर उठाने वाले युवक राम प्रवेश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इस घटना से लोगों के मन में भय, आतंक, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक युवक राम प्रवेश के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं जो प्रतीक्षा सूची में चयनित हुई हैं, निरस्त की जाती हैं। पहली सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत यू0पी0 प्रोजेक्ट इकाई फैजाबाद द्वारा कथित व्यापक धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की जनपद शाहजहांपुर की सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को विगत दो-तीन वर्षों से वेतन भुगतान न होने के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें भी अस्वीकृत हुईं। पहली डा0 वकार अहमद शाह, दूसरी श्री बाबूलाल कुशवाहा, तीसरी श्री सिद्धगोपाल साहू, चौथी श्री कालीचरण राजभर, पांचवीं श्री मिथिलेश कुमार, छठी श्री शारदानन्द अंचल, सातवीं श्रीमती सुखदेवी वर्मा, आठवीं श्रीमती अरुण कुमारी, नवीं श्री राकेश सचान, दसवीं डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, ग्यारहवीं श्रीमती विद्या चौधरी, बारहवीं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, तेरहवीं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, चौदहवीं श्री चौधरी बाबूलाल, पन्द्रहवीं श्री कोविद कुमार सिंह, सोलहवीं श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, सत्रहवीं श्री रामविशुन आजाद, अठारहवीं श्री उमा शंकर कुशवाहा एवं उन्नीसवीं श्री जियाउद्दीन रिजवी की है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान [illegible]-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 02 सितम्बर, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 03 सितम्बर, 2002 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अगस्त, 2002 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

चीनी मिलों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

गन्ने पर यदि कोई माननीय सदस्य चर्चा करना चाहें।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में आज 500 करोड़ रुपया गन्ने का मिलों पर बकाया है। आज की तारीख में 17 मिलें बन्द हो चुकी हैं और 8 मिलों को बन्द करने का नोटिस है। ऐसी स्थिति में पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान लोग बुरी तरह से परेशान हैं। किसान केवल गन्ने पर ही निर्भर है और अगर यह चीनी मिलें भी बन्द हो जायेंगी तो उसकी रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो जायेगी। इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से

(इस समय 12 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए।)

इस सरकार की बेरहमी की वजह से, इस सरकार की संवेदनहीनता की वजह से पूरे प्रदेश का किसान आज पूरी तरह से परेशान है। इसमें पूर्वांचल की समस्या बड़ी गंभीर है। इस समस्या के निदान का कोई उपाय यह सरकार नहीं कर रही है। आज सूखे की समस्या है उससे निपटने की कोई और योजना इस सरकार की नहीं है। डीजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, पीने व खेत को पानी की समस्या है। किसान बुरी तरह से परेशान है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन चीनी मिलों को चालू किया जाय और उनको जो बन्द करने का नोटिस मिला है वह वापस लिया जाय।

गन्ना मंत्री द्वारा कुछ समय के लिये सदन से जाने पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा आपत्ति

*** श्री किरन पाल सिंह-**

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों की परेशानी पर चर्चा हो रही है और गन्ना मंत्री चर्चा छोड़कर चले गये हैं। यह सदन का अपमान है।

***नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-**

मान्यवर, गन्ने का मामला गंभीर इसलिये है क्योंकि आज सूखा बनाम अकाल है कि अकाल बनाम सूखा है। अगर सत्ता पक्ष को इसका अहसास नहीं है तो इसमें विपक्ष की गलती नहीं है। अभी सदन चलने के 2-3 दिन बाकी हैं और इस सरकार ने पहले दिन से जो वायदा किया वह तकरीबन पूरा नहीं हुआ। यह कहा गया था कि वसूलयाबी रोकी जायेगी, पूरी तरह से नहीं रोकी गई। किसान का बकाया वह अदा होना शुरू भी नहीं हुआ, 2-3 दिन का सत्र बाकी है होना तो यह चाहिये कि नेता सदन हस्बे रिवायत, हस्बे आदर खुद यहां उपस्थित होती लेकिन यह उनकी शान के खिलाफ है। आलमपनाह यहां हों यह हमारी किस्मत में कहां है ? मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री यहां होते, गन्ना विकास मंत्री यहां होते तो अच्छा होता। जब गन्ना मंत्री उठकर जा रहे थे तो हमारे उप नेता ने इशारा किया था कि गन्ना मंत्री को यहां रहना चाहिए लेकिन इस तरह से सरकार की सदन के प्रति उदासीनता का परिचय मिलता है। मेरे ख्याल से सदन उतनी देर रुका रहे और हमारी तरफ से कोई सदस्य भाषण न करे जब तक जो सक्षम मंत्री है, मान्यवर, वैसे तो पूरी सरकार ही अक्षम है जब वे आ जायें तब भाषण शुरू कराया जाय। हम बैठे हैं इन्तजार कर लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, हम कई मंत्री बैठे हैं और संज्ञान लिया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो सदस्य यहां हैं और जो चुनकर आने वाले हैं वह अखबार में पढ़ते हैं कि कोई मंत्री बैठा है तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है लेकिन जो बैठे हैं वह कितने जिम्मेदार हैं ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मात्र अकेले आप ही अपने को जिम्मेदार मानते हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

आप चर्चा जारी रखें माननीय मंत्री जी को बुलाया गया है समाचार भेजा गया है ।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष ने कल कहा था कि 12.25 बजे गन्ने पर चर्चा शुरू हो जायेगी। जब ये निर्देश दिये तब मंत्री जी उठकर जाने लगे। मान्यवर, जो इस सरकार की जवाबदेही है उससे यह सरकार विरत हो गयी है। आठ-आठ गन्ना मिलों को नोटिस दी गयी है। मान्यवर, मंत्री जी का जाना यह सदन की अवमानना है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी भी नहीं हैं अगर कोई मंत्री समर्थ हो उत्तर देने के लिये लेकिन ये लगता है गन्ने के सवाल पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता है यह असहाय हो गये हैं । मान्यवर, गन्ना विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है वे स्वयं आकर उत्तर दें। मान्यवर, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सम्बन्धित मंत्री सदन में ना रहे। मान्यवर, ऐसी स्थिति में सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मान्यवर, आपकी व्यवस्था का सम्मान अगर सरकार और मंत्री परिषद् के लोगों द्वारा नहीं होगा तो हम कौन सी बात कहेंगे ?

(व्यवधान)

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री जी, सम्पूर्ण उत्तर देने के समय उपस्थित रहेंगे उत्तर देने के समय निश्चित रूप से उसका समुचित उत्तर आयेगा इसलिये यह बात कहना समय को बरबाद करना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की मैं इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं लेकिन उनकी बात उनके सदस्य ही नहीं मानते हैं।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

*श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, जिस सरकार के मंत्री सम्वेदनहीन हों जो सरकार इतनी संवेदनहीन हो मान्यवर, जहां लाखों किसान भूखों मर रहा है उन किसानों का परिवार बरबाद हो रहा है चर्चा के समय ऐसे मंत्री का उठ जाना यह साबित करता है कि सरकार संवेदनहीन है, किसान विरोधी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, सदन में आ गये हैं। आप चर्चा प्रारम्भ करें।

*सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मुझे लगता यह है कि किसान की समस्या दर्द के कारण नहीं, कुछ चर्चा हो जाय और कुछ नाम हो जाय ।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह आरोप है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें। माननीय अंचल जी, माननीय राम करन जी कृपया आसन ग्रहण कर लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अगर इस पीठ से यह निर्णय हुआ और गन्ने की चर्चा का समय मुकर्रर हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह गन्ने की चर्चा इस पीठ से मुकर्रर हुई है, न सत्ता पक्ष से और न विपक्ष से। जनभावनाओं को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने, आपने उस पीठ से चर्चा का समय मुकर्रर किया है। गन्ना किसानों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो बन्द चीनी मिलें हैं उनको चलाने के लिये गन्ने का भुगतान कराने के लिये सरकार की क्या नीति है, इस पर चर्चा मंजूर हो गयी। अगर चर्चा मंजूर होने के समय गन्ना मंत्री यहां न होते कदाचित किसी भी कार्य से बाहर गये होते तो शायद जनभावनाएं इतना न व्यक्त करता, तब सामूहिक मंत्रि-परिषद् में संसदीय कार्य मंत्री या कोई भी मंत्री जवाब दे देता लेकिन गन्ना की चर्चा प्रारम्भ हुई और गन्ना मंत्री मौजूद थे। अगर किन्हीं कारणों से दो-चार मिनट के लिये गये भी थे तो इसको कहने के बजाय कि यह जो गन्ना की चर्चा हो रही है यह गन्ने की चर्चा नहीं है बल्कि यह दर्द है कि इस पर राजनीति हो जाये। उनको गन्ने का दर्द क्या मालूम जिनके क्षेत्र में एक गन्ना भी नहीं होता। हमारी जीविका गन्ने से चलती है, खर्चा गन्ने से चलता है, हमारे पास गन्ने की कमाई के सिवाय कोई कमाई नहीं है। हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं आप ट्वायलट जा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं आप कुछ देर के लिये चले गये उसके बाद यह कहें कि चर्चा में इनको गम्भीरता नहीं है, यह चर्चा ये लोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता-

उचित होगा कि हम मंत्री जी की पूरी बात सुन लेते लेकिन एक वाक्य से ही निर्णय निकाल लिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह दर्द की बातें नहीं हैं। मैंने यह कहा कि दर्द नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने 2 बजे तक का समय दिया है। अब तक का समय तो गन्ना मंत्री नहीं हैं, वह आयें न आयें इस बात पर चला गया। कभी तो सामूहिक दायित्व की बात की जाती है, पूरी सरकार जवाब देने के लिये जिम्मेदार है और कभी यह गन्ना मंत्री नहीं हैं इसलिये चर्चा नहीं होगी। इसलिये किसान के दर्द को रोकने के लिये एक-एक मिनट का उपयोग करना चाहिए। हर चीज पर हंगामा नहीं होता, इसमें सत्ता पक्ष का कोई नुकसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि चर्चा सार्थक हो। आप एक-एक मिनट का सदुपयोग करें मैं भी जवाब पूरा दूं। मैंने सुना कि चर्चा होगी तो सोचा कि अधिकारियों को फोन करूं कि आंकड़े लेकर आयें। मैं पूरे समय न होता तब तो बात समझ में आती अब तक 15 मिनट के समय में गन्ना मंत्री के न रहने से हंगामा यह सिद्ध करता है कि जनता की भावनाओं को उठाने में हम कितना नाकाम हैं। ओम प्रकाश सिंह का खर्च कहां से चलता है यह भी मैं जानता हूं और जगदम्बिका पाल का खर्चा कहां से चलता है मैं यह भी जानता हूं। कांग्रेस गन्ना किसानों के सम्बन्ध में कितनी गम्भीर रही है यह भी मैं जानता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिष्ठाता महोदय, गन्ना मंत्री ने जो कुछ कहा, मैं कहूंगा कि टीका-टिप्पणी करने वालों को टीका-टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में मुंह झांक कर देख लेना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, गन्ना मंत्री को अगर उनकी दुश्वारियों का इतना दर्द होता तो इतना गंदगी है कि कहीं डूब कर कुछ लोग मर जाते। गन्ना मंत्री ने यहां न रहने की सफाई देते हुए विपक्ष पर आरोप लगाने का काम किया है मगर मंत्री जी ने विपक्ष के उन जज्बों के अहसास की कद्र नहीं की और उसको इतनी गम्भीरता से नहीं लिया जितनी गम्भीरता से लेना चाहिए था। अगर विपक्ष ने यह चाहा कि इस गम्भीर विषय पर चर्चा के लिये खुद मंत्री जी मौजूद रहें, मंत्री जी तजुर्बेकार हैं, सुलझे आदमी हैं, अच्छे हैं, अच्छी तरह मिलते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं और अच्छी तरह कहते हैं सारी खूबियां हैं इनके अन्दर। मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने हमारी इस मांग को क्यों अदरवाईज लिया, दूसरे ढंग से लिया। हमारा मन करता था आप रहते, आप सुनते, आप अच्छी तरह जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री के न रहते हुए, नेता सदन के न रहते हुए और आप के न रहते हुए इस गम्भीर बहस पर, जो दूसरे मंत्री बैठे थे वो इसमें जवाब नहीं दे पायेंगे। वह हमारी बात को आप तक ठीक से ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। गन्ना मंत्री के रहने से जाहिर है कि आपके सामने सारी बात रखी जाये अगर यह चाह कर शायद गलती की, आपको तरजीह देना चाहा, आपको इस दर्जे में जाना तो शायद हम लोगों की गलती थी। अगर आप किसी काम से गये थे तो बता देना चाहिए था।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि अधिकारियों को फोन करने के लिये गये थे तो मुझे उनके सक्षम होने का अंदाजा है, आपकी ताकत का अंदाजा है, आपकी मजबूती का अंदाजा है और दबदबे का अंदाजा है। आप यहां बैठे रहते तब भी अधिकारी सारी सूचनाएं लेकर आते। आप अपने किसी पी0एस0, पी0 ए0 को पर्ची भेज सकते थे शायद वहां जाना जरूरी नहीं था। बनिस्बत पूरा विपक्ष यह चाहता था कि गन्ना मंत्री यहां रहते। संसदीय कार्य मंत्री भी यहां से उठकर चले गये, लालजी टण्डन भी चले गये और नेता सदन तो यहां रहती ही नहीं हैं। जितने मंत्री यहां पर हैं गन्ने

पर होने वाली चर्चा पर वह कोई उत्तर देंगे या मंत्री जी को बताने की सलाहियत रखते हों, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारी यह जिज्ञासा रही कि सरकार के ऐसे मंत्री जिनका अपना विभाग है, वह रहते शायद जो जवाब दिया है, वह हमारा तो मन दुखाने वाला है प्रदेश की उस जनता जिसको आज पैसे की सख्त जरूरत है, जिसके गन्ने का भुगतान होना है उसके लिये भी दुखद है। फैक्ट्रीज बन्द हो गयी हैं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, निर्णय लेने में बड़ा विलम्ब हो रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्यों देर कर रहे हैं। जिन मिलों को चलाना है उनको चलाइये, जिनको बन्द करना है, बन्द कीजिये। बन्द फैक्ट्रियों के मजदूरों को जो पैसा दिया जा रहा है उससे किसान का भला नहीं होगा क्योंकि यह मंत्री जी की जेब से नहीं दिया जा रहा है सरकार कहती है कि अम्बेडकर उद्यान को हजार करोड़ रुपया देना पड़े तो भी हम देंगे क्योंकि यह उनकी जेब से नहीं जा रहा है और सरकारी खजाने से लुटाया जा रहा है। अगर यह अपनी जाती जेब से देने का एलान करें तो मैं समझूंगा कि ये अम्बेडकर जी के बड़े समर्थक हैं गरीब जनता, अकाल ग्रस्त प्रदेश और लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है किसान गन्ने के बकाये के लिये गुहार लगा रहे हैं और मुख्य मंत्री गन्ना किसानों के लिये एक पैसा भी न दें यह निन्दनीय है इसलिये मान्यवर, यह चाहा गया था, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं मन बहुत दुखी है तो हम उनके दुख पर शब्दों का मरहम रखते हैं ।

(माननीय मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर श्री शारदानन्द अंचल एवं कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अंचल जी आप कृपया बैठ जाइये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, ऐसे चर्चा नहीं होगी। सबको सुनेंगे, जवाब भी देंगे। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कहीं मैं उसको सम्मान सहित स्वीकार करता हूं लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष यहां थे इसलिये हमें बहुत सी उम्मीदें दिखीं कि एक कागज लिखकर चेयर के पास भेज देते कि गन्ना मंत्री को बुलाओ, हम जरूर आते लेकिन हमारी अनुपस्थिति में गन्ना मंत्री के लिये जो कहा गया, मैं अपने चेम्बर से हर चीज सुन रहा था आप जानते हैं कि सदन की कार्यवाही को सुनने के लिये हर मंत्री के यहां लगा रहता है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। गन्ना मंत्री की अनुपस्थिति में और नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में जो काम मात्र एक स्लिप भेज कर किया जा सकता था उसके लिये गन्ना मंत्री को क्या-क्या बातें कही गयीं, क्या इसके लिये नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार नहीं हैं ? क्या वो अपनी पार्टी के लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते ?

(नेता प्रतिपक्ष को पुकारने पर एवं उनके न खड़े होने पर)

चीनी मिलों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

इस चर्चा के लिये जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे, मैं जानकारी चाहता हूं, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, राधेश्याम सिंह, महबूब अली और किरन पाल सिंह। जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं

जिनके नाम हैं उनमें से किसी के द्वारा चर्चा शुरू हो जाये जिनके नाम चर्चा स्वीकार हुई है। बाद में जो माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहेंगे वो रख लेंगे।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, जो मिलें बन्द हो गयी हैं उनको खुलवाया जाये।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी प्रयास के बाद आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों, मिल मजदूरों और बन्द चीनी मिलों के विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। अभी गन्ना मंत्री जी कह रहे थे कि प्रतिपक्ष के लोग अखबार में नाम छपवाने के लिये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं दर्द चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के जो जन-प्रतिनिधि हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बन्द होती चली जा रही हैं। गन्ना किसान परेशान और बेहाल है, मिल मजदूर आत्महत्या करने के लिये तैयार हैं। वह कह दें कि यह बात गलत है, मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिबद्धता है, आप नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई को भी आप छिपा नहीं सकते। माननीय मंत्री जी यह दर्द नाम छपवाने के लिये नहीं बल्कि वास्तव में गन्ना किसान जिसने जन प्रतिनिधियों को भेजा है, वह गन्ना किसान अपनी भूखी और सूखी निगाहों से देख रहा है कि हमारे द्वारा चुना गया जन प्रतिनिधि हमारे सवालों को हमारी समस्याओं को रख रहा है कि नहीं रख रहा है कल नियम-56 में हमने एक नोटिस दिया था, विशेष उल्लेख में हम लोगों ने मांग किया और पीठ ने निर्देश दिया कि आप कल सूचना दीजिये और आज नियम-311 में नोटिस दी गई है।

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर समस्या है, इस समस्या के लिये जितनी याचना करनी पड़े, जितनी लड़ाई लड़ना पड़े, लडूंगा, यह सदन इसी बात के लिये है कि हम जनप्रतिनिधि यहां चर्चा करें किसानों की समस्याओं की, उसकी मजबूरियों की मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्रह चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं, आठ चीनी मिलों को बन्द करने की नोटिस जारी हो चुकी है वह भी बन्द हो जायेंगी। आज पूरा जन मानस कह रहा है, गन्ना किसान परेशान है। इन आठों मिलों के नाम मैं बता दूं, ये हैं देवरिया भटनी, बैतालपुर, रामकोला, लक्ष्मीगंज, पिपराईच, शाहगंज और आपका बुढ़वल जो जिला बाराबंकी में है, इन चीनी मिलों को नोटिस जारी की गई है बन्दी के लिये। आज तक इन चीनी मिलों को एक भी पैसा नहीं भेजा गया तो इसलिये यह लग रहा है कि ये भी चीनी मिलें बन्द हो जायेंगी। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो भारत वर्ष में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक रहा है, गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया वहां के चीनी मिलों पर बकाया है, चाहे वह निजी क्षेत्र की हों या सरकारी क्षेत्र की हों मान्यवर, निजी क्षेत्र सरदारनगर पर किसानों का 824 करोड़ 99 लाख रुपया बाकी है आज गन्ना किसान, मजबूर परेशान और बेहाल है, वह अपने परिवार को रोजी-रोटी नहीं दे पा रहा है, उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं । उसके बच्चों की पढ़ाई के लिये फीस नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं हैं आज मिल मजदूर भी गन्ना किसान के साथ आत्महत्या करने के लिये तैयार है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को जो लाल-पीली पर्चियां मिली हैं वह सब घर में पड़ी हुई हैं जिस पर बाजार में चार आने का नमक देने के लिये कोई दुकानदार तैयार नहीं है। वह कैसे अपनी जवान बेटी की शादी करे, कैसे अपने बेटों

को पढ़ाए-लिखाए ? आज गन्ना किसान व मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पलायन करने की सोच रहे हैं। तमाम लोग मुम्बई, कलकत्ता में जाकर भाइयों के नाम पर अपमानित होते हैं और अगर वह इस अपमान को सह करके दस पैसे कमा करके अपना पेट काट करके कुछ जमीन खरीदता है, वह सोचता है कि उसमें गन्ना पैदा करके अपने परिवार की आवश्यकतायें पूरी करेगा, बेटी की शादी करेगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी सदन में बैठे थे उठ करके चले गये इसको विपंक्ष ने गम्भीरता से लिया है, हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इसे गम्भीरता से लिया हो, लेकिन मजबूरी में कुछ न बोलें। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान आज बदहाल, बेहाल होकर आज भूखा, सूखा और नंगा सा दिख रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में तो हम लोग आपसे याचना नहीं करते। हम बन्द मिलों को चलाते, उसका विस्तारीकरण कराते। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी का एलान था कि बंद चीनी मिलों को चलायेंगे, उसका विस्तारीकरण करायेंगे तथा जो देय बाकी है उसका भुगतान करायेंगे। जो चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों का पैसा समय से नहीं देते हैं उनकी जगह एयरकण्डीशन बंगला नहीं, जेल होगी।

इसलिये मैं अधिष्ठाता जी कहना चाहता हूं कि सरकार को निर्देश दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बदहाल किसानों, मजदूरों को मरने से, पलायन से बचायें। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अपना जीवन-यापन करने के लिये बम्बई, कलकत्ता से लेकर खाड़ी के देशों में भागने के लिये मजबूर है। मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दर्द को नहीं लेकिन उन गरीब किसानों, मजदूरों के दर्द से द्रवित होना चाहिए, उनके लिये आप कुछ करें, अगर करेंगे तो आपकी इज्जत होगी, प्रतिपक्ष भी इज्जत करेगा, चीनी मिल बंद हैं उसको चलाने को आप सोच नहीं रहे हैं, जो पिछले सत्र में चालू थी उसको भी बन्द करने का नोटिस जारी कर दिया है इस बात का गन्ना किसानों को अफसोस है, भय है, वह डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि रोजी-रोटी छिन रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः सरकार से और गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर मामले पर गम्भीरता से विचार करके इसका निराकरण करने का काम करें। धन्यवाद।

(श्री राम बिशुन आजांद के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

नोटिस पर जिस क्रम में माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उसी क्रम से सुना जा रहा है। कृपया बैठें। श्री राधेश्याम सिंह।

श्री राधेश्याम सिंह-

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे नियम-311 की महत्वपूर्ण सूचना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बात आयी कि मुलायम सिंह की सरकार होती तो सारे प्रदेश की चीनी मिलें चल जातीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 1993 में मैं इस सदन की सदस्य थी और मेरे क्षेत्र की बुढ़वल शुगर मिल इनकी सरकार ने बन्द कर दी थी तब उस क्षेत्र के लोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट गये थे उसके बाद मिल चली थी।

(व्यवधान/शोर)

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं भी चाहता हूं कि इस पर चर्चा गम्भीरता से चले। आपने राजलक्ष्मी जी को अनुमति दी तब वह बोलीं। आपकी अनुमति से जो सदस्य बोल रहा है तो निश्चित रूप से अपेक्षा यह की जाती है कि दूसरे सदस्य बीच में न बोलें। अगर कोई गलत बात बोलता है तो जवाब दें लेकिन हंगामा करने से समय नष्ट होता है।

*श्री वसीम अहमद-

अधिष्ठाता जी, इस पर चर्चा करवा दीजिए। मुलायम सिंह जी की जगह अगर बेनी प्रसाद वर्मा जी का नाम लिया गया होता तो बुरा नहीं लगता।.....

श्री अधिष्ठाता-

श्री राधेश्याम सिंह अपनी बात रखें।

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर, नियम-311 की सूचना पर इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।...

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिए। मुलायम सिंह जी के समय में चीनी मिलें बन्द नहीं हुई थीं।

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है, बिना आज्ञा के बोल रहे हैं।

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारी आज बरबादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ बकाया गन्ना मूल्य दिलवाने में सरकार अक्षम है और दूसरी तरफ बन्द चीनी मिलों के हजारों-हजार मजदूर अपने परिवार के साथ भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा है कि लोग अपना नाम छपवाने के लिये चर्चा करवाना चाहते हैं। मान्यवर, बड़ी गम्भीरता के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के पहले हम लोगों के बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों से लड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिये और विकास के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी मिलों को लगवाया था। आजादी के पहले जिन लोगों ने पूर्वान्चल की चीनी मिलों को लगवाया था उनको सरकार ने बन्दी के कगार पर पहुंचाने का काम किया है। 1996-97-2000 में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में चीनी मिलों को बन्द किया गया है। किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बन्द नहीं किया है। माननीय सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो गन्ना इलाके से जीत कर आये हैं और वह किसानों से कहकर आये हैं कि गन्ना मूल्य दिलवायेंगे, चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों का बकाया वेतन दिलवायेंगे लेकिन जब यह मिलें बन्द हो गयीं हैं तो उनको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा।

पूरे उत्तर प्रदेश में 101 चीनी मिलों में पेराई कार्य हुआ हैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनमें से 52 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, 22 निगम की चीनी मिलें हैं, 27 सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। यह जो 101 चीनी मिलें हैं 17 चीनी मिल प्रदेश में बन्द हैं इन मिलों के 17 हजार मजदूर आज सड़कों पर घूम रहे हैं। जो अपने वेतन से जो बच्चों को पढ़ाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे आज उनके पास पैसा नहीं है कि वह अपने परिवार को चला सकें। उनके बच्चे स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 869 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। यह जो पैसा बाकी हुआ है यह वर्ष 2001-2002 का बाकी है। वर्ष 1996-97, 98 का मिलाकर कुल 980 करोड़ रुपया प्रदेश में बाकी है। आज गन्ना किसान जिनके ऊपर 5 हजार का कर्ज है, 10 हजार का कर्ज है उसकी वसूली के लिये उनको हवालात में बन्द कर दिया जाता है। जब गन्ना किसान अपने मूल्य के लिये आन्दोलन करता है तो पडरौना में उन पर गोली चलायी जाती है, रामकोला में गोली चलायी जाती है और उनकी आवाज को गोली के बल पर बन्द किया जाता है।

इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनहीन है। यह सरकार किसान विरोधी है और गन्ना मूल्य के मांगें जाने पर उन पर गोली चलवाने का काम करती है; पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुंडेरवा, खलीलाबाद, गौरी बाजार, छितौनी, आनन्दनगर, धूरिया पार, पडरौना, कठकुइयां मिलें बन्द हैं। यह सरकार चीनी मिलों को और बन्द करने की योजना बना रही है। रामकोला चीनी मिल ने वर्ष 2001 में साढ़े 9 लाख क्विंटल गन्ना पेरा है। लेकिन आज तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार द्वारा सहकारी व निगम की चीनी मिलों पर जो किसानों का बकाया है उसके लिए मुख्य मंत्री ने 130 करोड़ रुपये देने का प्राविधान किया है जबकि बकाया पौने चार सौ करोड़ है। इसमें एक-एक चीनी मिल को 40-40 लाख मिलेंगे उससे कितना आप भुगतान कर पायेंगे। सरकार द्वारा सरकारी चीनी मिलों को बन्द करने के लिये एक लम्बी साजिश रची जा रही है। उन चीनी मिलों को मरम्मत के नाम पर अब तक एक पैसा नहीं दिया गया है1 आप 8 चीनी मिलों को बन्द करने जा रहे हैं। यह है रामकोला, लक्ष्मीगंज, पिपराइच, तैतालपुर, देवरिया, भटनी, बुढ़वल, शाहगंज।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राधेश्याम सिंह-

[×××]

नोट :-(×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

पौने दो बजे मंत्री जी बोलेंगे इसलिए सभी सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री महबूब अली-

अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश की एक ज्वलंत समस्या पर जो किसानों से जुड़ी है उस पर चर्चा कराकर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। आज किसान परेशान है। देश में सबसे ज्यादा किसान 45 प्रतिशत गन्ना बोकर अपना घर चलाने का काम करता है। किसान की नकदी उपज गन्ना है। इस प्रदेश का गन्ना किसान इस समय आंदोलित है। 162 सहकारी समितियों द्वारा 30 लाख किसानों के परिवारों का चूल्हा इस गन्ने के मूल्य पर जलता है। ऐसी समस्या पर ऐसे हालात में मंत्री जी बिल्कुल मूकदर्शक बने हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब सूखे का साल हो, किसान भुखमरी के कगार पर हो, उसके सामने रोजी रोटी की समस्या है ऐसे समय में जबकि उसके पास कोई दूसरा साधन न हो ऐसी स्थिति में भी किसानों का 850 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। इससे पूरे प्रदेश में खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से मैं चुनकर आता हूं किसान आंदोलित हैं। आज भी मेरे क्षेत्र में लगातार बाजार बन्द हैं, रोड बन्द हैं, यहां से टेलीफोन करके मैंने पता किया तो पता चला कि आज भी वहां रेल तक बन्द की जा रही हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा प्रदेश है लेकिन हमारा पश्चिम क्षेत्र पहले स्थान पर है। वहां का किसान सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। मेरे क्षेत्र की चीनी मिल अमरोहा पर 30 करोड़ रुपये बकाया है।

ऐसी हालत में जनता इस तरह से परेशान है किसान आंदोलित है लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी है इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है। अमरोहा मिल पर किसानों का 12.50 करोड़ रुपया दिलाया जाये। 36 हजार बोरी चीनी किराये के गोदामों में खुले में रखी है। खराब हो गई।

मान्यवर, एक गोदाम में 36 हजार बोरियां रखी हैं। जिस गोदाम में रखी हैं, वह किराये पर लिया गया है जबकि मिल के गोदाम खाली पड़े हैं। मान्यवर, उस गोदाम की छत भी नहीं है, टीन भी नहीं है बिना शेड के वहां पर यह 36 हजार बोरियां रखी गई हैं । मान्यवर, यह किसानों की मेहनत की चीनी है। किसानों के दुःख दर्द को यह सरकार समझ नहीं रही है। किसी तरह से इन किसानों का पेमेन्ट जल्दी से जल्दी हो जाय।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने के पेमेन्ट और गन्ना मिल की स्थिति पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज प्रदेश के किसानों का लगभग पौने आठ सौ करोड़ रुपया बकाया है। इतनी भारी रकम बकाया है जबकि सितम्बर का महीना शुरू हो गया है दूसरा सीजन आ गया है। मान्यवर, इतनी बड़ी रकम कभी भी बकाया नहीं रही है । दुःख की बात है कि इसके बावजूद भी गन्ना मंत्री जी का दृष्टिकोण किसानों के प्रति हमदर्दी का नहीं है। उनके वक्तव्य जब भी इस विषय में आते हैं तो यही कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में जब गन्ना मिल की स्थिति ठीक नहीं है, किसानों का पेमेन्ट नहीं हो सकता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरठ गये थे वहां पर सरकिट हाउस में प्रेस कान्फ्रेंस में एक वक्तव्य दिया कि गन्ना मिल मालिकों की स्थिति खराब है। माननीय मंत्री जी ने

कहा कि राजनीति करने के लिये लोग इस तरह की बातें करते हैं। अगर हम गन्ना मिलों से किसानों का पेमेन्ट कर देंगे तो लोगों के ऊपर से मुद्दा हट जायेगा। कोई मुद्दा नहीं रह जायेगा राजनीति करने का।

मान्यवर, यह गन्ना किसानों के प्रति दर्द है, कोई संवेदनशीलता है। यह कहीं से नहीं झलकता है। गन्ना मिलों में गन्ने का दाम तय करते हैं तो मिल मालिकों को बुलाया जाता है। आप उनको बैठाते हैं। अगर आप 5 रुपये बढ़ाते हैं तो मिल वाले उससे ज्यादा आपसे ढुलाई और अन्य सुविधा में ले लेते हैं। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं है । मान्यवर, मंत्री जी के जाने के बाद दो दिन बाद गन्ना कमिश्नर मेरठ गये और उन्होंने बयान दिया कि चूंकि चीनी मिल मालिकों की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत खराब है। गन्ना मिलों से गन्ने का पेमेन्ट जो आज बाजार में चीनी का दाम है उसके अनुपात में होना चाहिये। क्या गन्ना कमिश्नर को अधिकार होना चाहिये कि वह इस तरह के बयान दें। ऐसे बयान जिससे किसान आहत है। गन्ना मंत्री जी से अपेक्षा थी कि वो गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ सख्ती दिखायेंगे लेकिन यह तो उनके प्रति दया का भाव दिखा रहे हैं। गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है आपको उनके प्रति कठोरता दिखानी चाहिये कि जल्दी से जल्दी किसानों को गन्ना का पेमेन्ट मिले। आप कहते हैं कि आपने आर0 सी0 जारी की। कितनों के विरुद्ध आपने की है, बता दें। दूसरा सीजन आने वाला है। आपने कहा था कि 31 अगस्त तक पेमेन्ट हो जायेगा। मैं एक आश्वासन माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी सदन में आश्वस्त करें कि गन्ना पेराई शुरू होने से पहले वह गन्ने के बकाये का भुगतान जो पिछले साल का है, करा देंगे। यह न कहें कि पेराई शुरू हो जाये तब आप करा देंगे। पेराई तब शुरू हो जब पहले का भुगतान हो जाय। बुलन्दशहर में 32 करोड़ रुपये बकाया है। इसके बावजूद क्या किसानों की स्थिति खराब नहीं कही जायेगी। किसान के पास, अगर वह बीमार है तो दवा के लिये पैसा नहीं है लेकिन उससे रिकवरी हो रही है, उसको जेलों में बन्द किया जा रहा है। गन्ने का भुगतान कराया जाय।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने पर आधारित है। गन्ना मूल्य सही समय पर नहीं मिलता है जो हानि है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री जी पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है मान्यवर, मेरे क्षेत्र की सिम्भावली चीनी मिल का सीजन का देय 110 करोड़ रुपया बाकी था, सरकार बनने के पहले 75 करोड़ मिल चुका था, जब से यह सरकार आई है, बहुत आवाज उठाने के बाद, बहुत मशक्कत के बाद चार महीने के अन्दर 40 करोड़ रुपया मिला है जब सरकार नहीं थी तो 75 करोड़ मिला और सरकार बन गई तो चालीस करोड़ मिला। 15 करोड़ रुपया इस सिम्भावली मिल पर बाकी है मैं आरोप लगाना चाहता हूं यह सब मिली भगत है मिल मालिकों के साथ।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

गन्ने से शुगर, शीरा, शराब बनती है किसानों के पास रॉ-मैटीरियल होता है लेकिन किसान परेशान रहता है अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाता है, सूखे की मार अलग पड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मेरी मांग है कि किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान ब्याज सहित किया जाना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

कांग्रेस दल भी भाग लेना चाहता है।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र कुशीनगर जिले में खासतौर से छितौनी शुगर मिल बन्द कर दी गयी है, लक्ष्मीगंज चीनी मिल को बन्द करने की साजिश चल रही है खड्डा चीनी मिल की चीनी को बिकवाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी हैं पडरौना और कठकुइयां चीनी मिलें बन्द हैं। छितौनी चीनी मिल बन्द होने से लाखों किसान परेशान हैं। यह नेपाल के बार्डर पर पड़ती है। मिल मालिकों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। 1989-90 में लक्ष्मीगंज चीनी मिल का विस्तारीकरण होना था कलकत्ता में इसके पार्ट के लिये दो करोड़ का आर्डर भी हो गया था जमीन भी ले ली गयी थी लेकिन उसका विस्तारीकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी आज सदन में घोषणा करें कि जितनी चीनी मिलें घुघली, छितौनी, कठकुइयां, पडरौना को बन्द किया गया है उनको चलाने की व्यवस्था की जायेगी। जिन चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है.....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री पूर्णमासी देहाती-

इसके लिये व्यवस्था कराने का कष्ट करें । खड्डा चीनी मिल में दो लाख चीनी की बोरी पड़ी है उसको बिकवाने की व्यवस्था की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

सभी माननीय सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं देश की आजादी से लेकर देवरिया जिला जो पुराना जिला था, अब तो कुशीनगर जिला बन गया है, उसमें चौदह शुगर फैक्टरियां लगायी गयीं। मान्यवर, यह जो पूर्वी जिला है जितना गन्ना उत्तर

प्रदेश में होता है उसका पचास प्रतिशत गन्ना पैदा करता है। लेकिन एक साजिश के तहत, हम तो गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए, आजादी में पैदा हुए हैं तो गुलामी के समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा नहीं की गयी लेकिन एक साजिश के तहत जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बनी है, एक राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गयी है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया है जिसके कारण जो पुरानी मिलें थी उनके कल पुर्जे खराब हो गये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। अभी दस और माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह-

मान्यवर, मैं कोई बात दोहराना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं दिया गया और यही कारण है कि उन मिल का अधिग्रहण और विस्तारीकरण नहीं किया गया। मुख्य मंत्री ने कहा कि उद्योगीकरण करेंगे। स्पेशल इकोनोमिक जोन बनायेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो को तथा एक भदोही में बनाया गया है.....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह-

[×××]

श्री राकेश सचान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, हमारे इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र और पूरे प्रदेश के आज गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के बारे में और जो सरकार द्वारा चीनी मिल बन्द हैं उनको चालू कराने के सम्बन्ध में या जो बन्द की जा रही हैं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में चर्चा की है। मान्यवर, जनपद कानपुर नगर के फतेहपुर में जो किसानों की चीनी मिल घाटमपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया हैं आज घाटमपुर शुगर मिल बन्दी की कगार पर है। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल के माध्यम से पूछा था कि घाटमपुर शुगर मिल में माननीय मंत्री अवगत करायें यह पांच करोड़ सैंतीस लाख के घाटे में हैं। मैंने मांग की थी कि यह घाटा किसी तरह से पूरा कराकर सरकार उसे पुनर्वास करके इस बंद मिल को चलवाने की व्यवस्था करे। लेकिन जवाब आया "जी नहीं" । आज मैं पुनः मांग करता हूं कि जो घाटे में है इसके पुनर्वास की योजना बनायें । मान्यवर, हमारे घाटमपुर क्षेत्र का कानपुर नगर देहात का फतेहपुर क्षेत्र में किसान पचास प्रतिशत गन्ना बोये हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए चलाने का काम करें। मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान है उसको तत्काल कराये जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए और पूरे प्रदेश में जितनी भी चीनी मिलें चल रही है। इनमें सबसे ज्यादा चीनी का पड़ता हमारी घाटमपुर चीनी मिल में आ रहा है। इतनी अच्छी चीनी मिल है वह । मान्यवर,

---

नोट :- (×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर में इसके बाद कोई चीनी मिल नहीं है। मान्यवर, इसको चलवाया जाना चाहिए और इसके बंद होने से 800 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। वेतन नहीं मिल रहा हैं मैं मांग करता हूं कि उनके वेतन का भुगतान किया जाय। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान सहकारी चीनी मिल, पूरनपुर, सहकारी चीनी मिल मझोला, सहकारी चीनी मिल विवाया, सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, यह गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और यहां के किसान गन्ना मिलें बन्द होने से परेशान हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई गन्ने के भुगतान से होती है, उनकी लड़की के हाथ पीले भी गन्ने की कमाई से होते हैं। मैं चाहता हूं कि इन किसानों का गन्ने का भुगतान तुरन्त किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो पूरनपुर सहकारी चीनी मिल है वहां पर चीनी से सारा गोदाम भरा पड़ा है। 50 हजार रखने की क्षमता है लेकिन 80 हजार बोरी चीनी वहां पर रखी गयी हैं चीनी का मूल्य 1200 रुपये प्रति कुन्तल मिल रहा है इसलिये चीनी नहीं छोड़ी जा रही है। अगले पेराई सत्र की चीनी को कहां रखा जायेगा ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पेराई सत्र शुरू होने से पहले चीनी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए । गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाना चाहिए। वहां के मजदूरों के वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी को इस सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। यह गन्ना विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के बकाये गन्ने का मूल्य का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। जो मिल चल रही हैं उनको बंद करने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। जो बंद पड़ी हैं उनको फिर से चालू करने का काम होना चाहिए। मिलें बंद होने से किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं। आज पूरे प्रदेश में माननीय मंत्री जी के स्लोगन लगे हुए हैं कि गन्ना किसान और चीनी उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। मान्यवर, कितना अच्छा नारा लगता हैं मान्यवर, जब आपका गन्ना किसान और चीनी उद्योग दोनों के हितों के सम्बर्द्धन का लक्ष्य है। मान्यवर, इनकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों के हितों का सम्बर्द्धन करने का लक्ष्य आपने मान लिया है और उनके हितों का आप सम्बर्द्धन करेंगे। मान्यवर, जो किसान अपनी मेहनत से गन्ने का उत्पाद करता है उसकी पिराई सुनिश्चित हो सके यह हम सब चाहते हैं । मान्यवर, यह गन्ना मिलों में पिराई हो जाये और सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है उसका भुगतान उन्हें हो जाये नहीं तो आखिर वह सम्बर्द्धन कैसे होगा ?

मान्यवर, प्रदेश में इस बार रिकवरी गन्ने के उत्पादन की क्या है ? मान्यवर, गन्ने का क्षेत्रफल 55-56 प्रतिशत है। (व्यवधान) मान्यवर, 36 लाख लोग गन्ना कृषक इससे जुड़े हुए हैं यह देश

का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है इसमें कोई विवाद नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यहां नई चीनी मिलों को लगना चाहिए और जो लगी हैं उनको बन्द नहीं होना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश का जो सहकारी संघ चीनी मिल है उसकी जो किताब है उसमें इस वर्ष में एक भी नई चीनी मिल न खुलने की बात कही गयी है। मान्यवर, इनके दो कारपोरेशन हैं एक सहकारी संघ और दूसरा चीनी निगम। यह 1971 में निगम के अन्तर्गत जो प्राइवेट चीनी मिल थी उसमें किसानों को शोषण से बचाने के लिये 12 मिलों का अधिग्रहण किया गया और 35 चीनी मिलें चलाई गयीं। उस समय सरकार ने यह नहीं सोचा था कि अधिकतर घाटे में हैं और प्राइवेट मालिक छोड़कर भाग रहे हैं और गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार ने भुगतान सुनिश्चित कराया और श्रमिकों को देनदारी दी और घाटे से रुग्ण चीनी मिलों को उबारने के लिये चार चीनी मिलों की स्थापना की। मान्यवर, यह मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार किसानों की हितैषी है तो 11 चीनी मिलें किसकी सरकार में बन्द हुई हैं ? मान्यवर, पहले छः बन्द हुई फिर पांच बन्द हुईं।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 1999 में जब आप गन्ना मंत्री नहीं रहे और गौड़ साहब गन्ना मंत्री थे तो कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं हुई लेकिन फिर जब से आप मंत्री हुए हैं फिर नोटिस दी गयी और चलती हुई चीनी मिलों को बन्द करने का काम आप कर रहे है। आप जब-जब मंत्री होते हैं 5-6 चीनी मिलों को बन्द करते हैं। जब गौड़ साहब थे तो बी0 आई0 एफ0 आर0 ने नोटिस नहीं दिया और मुण्डेरवा चीनी मिल आपने बन्द करा दी। यह प्रजातंत्र है और आप तानाशाही में बैठे हुए हैं। मजदूरों ने आपका घेराव किया तो आपने मिल को बन्द करने का फैसला कर दिया। क्या एक व्यक्ति के कारण इस तरह के फैसले होंगे ? सरकार में रहते हुए आपके चलती हुई चीनी मिलें बन्द हो जायें। मान्यवर, 824 करोड़ 99 लाख बाकी हैं अगर किसान के ऊपर बाकी होता है तो रिकवरी होती है और जेल में डाल दिया जाता है तो जो ये चीनी मिलों को बाकी है तो आप उनके खिलाफ आर0 सी0 जारी करेंगे ? कांग्रेस की सरकार में आर0 सी0 जारी की गयी है, हमने जेलों में बन्द किया है तो जो किसानों का पेमेण्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ आर0 सी0 जारी नहीं होगी। मान्यवर, अगर इस तरह से गन्ना किसानों का शोषण होगा, चीनी मिलें बन्द होगी तो प्रदेश का किसान तबाह होगा बरबाद होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार की आंखें खुल जाय और पिछली बार जिस तरह की नीति थी उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है और अगर इसी तरह रहा तो आपके गठबन्धन की सरकार को भी जनता नकार देगी।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, किसानों की समस्याओं पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पूर्वांचल में गन्ना किसानों के भुगतान की सबसे बड़ी समस्या हैं उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें हैं जिसमें से इस सरकार की कृपादृष्टि के कारण 18 चीनी मिलें बन्द हो गयी। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ ऊपर से एक तो प्रकृति की मार पड़ रही है और नीचे सरकार की मार पड़ रही है जिससे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। पूरे पूर्वांचल में त्राहि-त्राहि मची हुई है। गन्ना किसान का भुगतान न होने के कारण पूर्वान्चल के गन्ना किसान पलायन की तैयारी कर रहा है और आत्महत्या को मजबूर है।

मान्यवर, हमारे यहां गोण्डा में मेजापुर शुगर मिल है उसका 10923.37 लाख रुपया बकाया है जिसमें से इस सरकार ने 30-6-02 तक 385.23 लाख रुपया का पेमेण्ट किया है। मान्यवर, चिलवरिया शुगर मिल पर 3616.48 लाख रुपया का बकाया है जिसके विरुद्ध भुगतान किया है 2876.84 और इस समय 739.64 का बकाया है जिससे किसान पूरी तरह से परेशान हो चुका है। बभनान शुगर मिल पर 7 करोड़ रुपये का बकाया है, बलरामपुर शुगर मिल पर पांच करोड़ रुपये का बकाया हैं इस तरह से पूर्वांचल में पूरी तरह से गन्ना किसानों का शुगर मिल पर करोड़ों रुपया बकाया है। भुगतान न होने से गन्ना किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है अगर तत्काल किसान का भुगतान न किया गया तो किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुका है। यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन नहीं है। यह सरकार जानबूझकर चीनी मिलों मिलों को बन्द करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मांग करता हूं कि गन्ना किसानों का भुगतान किया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने गन्ना जैसी चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप अगर समय व्यर्थ करना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, आप समय व्यर्थ करें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। विधायक होने के बाद और इस सदन का सदस्य होने के बाद गन्ने के बारे में सबसे ज्यादा चिन्ता मा0 सदस्यों द्वारा की गई । हम लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां गन्ना सबसे ज्यादा होता है। गन्ना हमारी मुख्य फसल है। माननीय सदस्य भी इसीलिये चिन्तित हैं। पूरे प्रदेश के आधे भू-भाग पर गन्ना पैदा होता है। गन्ना से आम किसान का, मजदूर का, उनके परिवारों का भरण-पोषण होता है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नानौता शुगर मिल, किसान सहकारी चीनी मिल नानौता पिछले 3 वर्षों से लगातार घाटे का कारण बनी हुई है। समस्त किसान उस शुगर मिल की तरफ देखते हैं कि कब गन्ने का भुगतान होगा। नौ करोड़ रुपया नानौता सहकारी मिल के ऊपर बकाया है। बिड़वी शुगर मिल, सहारनपुर में 85 प्रतिशत किसानों का गन्ना भुगतान अवशेष है। लाखों किसान बदहाल हैं उनके घर में दिया भी नहीं जल रहा है। शाकम्बरी शुगर मिल में 65 प्रतिशत से अधिक का भुगतान बकाया है। जब

इतना ज्यादा बकाया है तो किसानों की समस्या को कौन देखेगा। उसका निदान करना सरकार का दायित्व होता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें। अब आप जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कृपा करके बाकी लोगों को बैठा दें। जब मैं यह कह चुका हूं कि जिन माननीय सदस्यों के नाम पीठ पर आये हैं मैं उन सबको बोलने का मौका दूंगा, तो बीच-बीच में खड़े होकर समय को नष्ट करें यह उचित नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन है कि केवल सीधे-सीधे किसी भूमिका में न जाकर अपनी बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। 10 मिनट के बाद मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। राणा जी आपकी बात लिखी नहीं जा रही है कृपा करके आसन ग्रहण कर लें।

श्री मदन गोपाल वर्मा-

मान्यवर, इस चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। पूरे प्रदेश में गन्ने का बकाया 924 करोड़ 99 लाख रुपया है और इसमें पिछला भी जोड़ दिया जाये तो 900 करोड़ के करीब है। किसान तबाह हो चुका है और प्रदेश में 29 मिलें बन्द हो गयी है जिसमें 29-30 हजार मजदूर बेकार हो गया है। मैं अपनी बात घाटमपुर गन्ना मिल के बारे में कहना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि घाटमपुर गन्ना मिल पांच करोड़ 37 लाख के घाटे में जा रहा है। वहां का किसान तबाह है। फतेहपुर, घाटमपुर, हमीरपुर में जो गन्ना खड़ा है अगर मिल बन्द हो गयी तो हम उस गन्ने का क्या करेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस मिल को कोई व्यवस्था करके, पुर्नवास में ला करके उसको चलाने का काम करें और वहां का जो भुगतान है वह पूरा किसान को दिया जाये।

*श्री जगदीश सोनकर-

मान्यवर, हमारी विधान सभा में शाहगंज चीनी मिल, जिस पर 5 करोड़ 73 लाख रुपया बकाया था, इसमें से केवल 43 लाख रुपया किसानों को मिला है और 5 करोड़ 34 लाख रुपया अभी भी बाकी है। जिससे क्षेत्र में गन्ना मिलें न चलने के कारण और पैसा बकाये के कारण जेल जाना पड़ा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगभग 100 किमी0 की दूरी में हमारे यहां और कोई दूसरी चीनी मिल नहीं है, इसलिये अगर सरकार इस चीनी मिल को यदि बन्द करती है तो बड़ी कठिन समस्या पैदा हो जायेगी, क्योंकि हमको जानकारी प्राप्त हुई है, इस मिल को भी नोटिस मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में अकाल और विषम परिस्थिति में बहुत ही बुरा असर इस क्षेत्र पर पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस क्षेत्र के किसानों के बकाये के पैसे समय पर न दिये जा रहे हों तो उस पैसे को जल्दी से जल्दी किसानों को भुगतान कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि दो दिन से हाथ उठाने के बाद आज दो मिनट बोलने का आपने अवसर दिया है। मैं। आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की बात एक मिनट में रख दूंगा। मान्यवर, कुशीनगर जनपद में 9 में से 3 चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। दो मिलें बंद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने जा रही हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित है। वहां पर 10 हजार एकड़ गन्ने की फसल बरबाद हो चुकी है। बजट के समय भी मैंने यह मांग की थी कि विशेष व्यवस्था के तहत उस इलाके के लोगों को गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाय। इस समय सेवरही चीनी मिल पर भी 8 करोड़ रुपया बकाया है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में यह व्यथा बताई थी कि गन्ने की रिकवरी बढ़ायेंगे, अच्छे दर्जे के गन्ने के बीज दिये जायेंगे। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मात्र गन्न अनुसंधान प्रजनन संस्थान गेंदा सिंह के नाम से सेवरही में बना हुआ है, वहां निदेशक का पद जो सृजित हुआ था, वह समाप्त कर दिया गया है, साइन्टिस्ट भाग रहे हैं तो एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि गन्ने की रिकवरी बढ़ायेंगे और दूसरी तरफ संस्थान की दशा ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि बंद होने वाली चीनी मिलों को आप बंद होने से रोंके। आजादी की लड़ाई में पूर्वांचल के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उसको केवल चीनी मिलें ही मिली हैं और एक फर्टीलाइजर कारखाना मिला चीनी मिलें तो एक के बाद एक अब बंद होने जा रही है। मैं चाहूंगा कि गन्ना संस्थान के निदेशक को शासन द्वारा रखा जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री बैजनाथ दुबे-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े प्रयास के बाद जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे गोंडा जनपद में मैजापुर चीनी मिल है, उसने किसी चीज में नं0 1 हासिल किया हो या न किया हों, लेकिन बकाये के मामले में इस समय वह नं0 1 पर है। इस समय इस चीनी मिल पर 16 करोड़ रुपये का बकाया है, करीब 80 प्रतिशत पैसा बाकी है। नियम यह है कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान किया जायेगा यदि इतने समय में नहीं होता है तो ब्याज सहित पैसा दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी मिल है जो ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करती है। पूर्वांचल में इस समय स्थिति बहुत खराब हैं। चीनी मिल बंद होने की कगार पर हैं, रिपेयर अभी तक शुरू नही हुई है, कैसे इनको चलायेंगे, कैसे पैसे देंगे। माननीय मंत्री जी बड़े सक्षम मंत्री हैं, बहुत कठोर दण्ड देने वाले हैं, लेकिन कैसे पैसा दिलवायेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घूरा राम-

आपने गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री राम करन आर्य-

यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है, इसके विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राम करन आर्य को बोलने का अवसर न मिलने पर वे सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता-

राम करन जी, इतनी अधीरता ठीक नहीं है। राधेश्याम जी आप बैठ जाएं, यह ठीक नहीं है। माननीय छोटे लाल जी आपका नाम है, आप भी बैठ जायें। चर्चा में सभी माननीय सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है। आप समय को बरबाद न करें।

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे।)

*कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहूंगा, एक तो यह कि राम करन जी बहिर्गमन करके गये हैं, यह पार्टी का मामला है, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं उनकी उपस्थिति में कोई माननीय सदस्य व्यक्तिगत निर्णय ले, यह उचित नहीं है। दूसरे यह कि यह जान लिया जाय कि बहिर्गमन करने के बाद वह कहां गये हैं ?

श्री घूरा राम-

मान्यवर, खेती से ही हर समस्या हल होती है और गरीब किसानों के लिये गन्ना ही केवल एक साधन है, जब वह गन्ना पैदा करता है, उसको बेच करके अपने बेटे-बेटियों की शादी-ब्याह और पढ़ाई-लिखाई में लगाता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप सीधे समस्या रखिये।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, हमारे यहां रसड़ा चीनी मिल है। वहां पर कई लोग कार्य करते मर गये। नौकरी करते हुये और मृतक आश्रितों को आज तक नौकरी नहीं मिली है, मरने वालों में एक तो पहाड़पुर के मोती चन्द थे और दूसरे साथी थे ...

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, आप सिर्फ गन्ना भुगतान और बन्द चानी मिलों की बात करें। मृतक आश्रितों के सेवायोजन की न करें।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, पहली बार वहां यह स्थिति आई कि उस रसड़ा चीनी मिल को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, माननीय मंत्री उस चीनी मिल को बनाये रखने के लिये धन उपलब्ध करायें, कई सालों से गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा है, उसका भुगतान करा दिया जाय।

श्री छोटे लाल यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने किसानों के गन्ना भुगतान के बकाये के सिलसिले में हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । जनपद बाराबंकी में मेरे विधान सभा क्षेत्र और नवाबगंज में बाराबंकी चीनी मिल के नाम से चीनी मिल चलती थी आज तीन वर्ष हो गये श्रीमन् चीनी मिल को बन्द कर दिया गया उसमें हजारों की संख्या में मजदूरी के लिये श्रमिक दर-दर भटक रहे हैं, उनको रोजी-रोटी के लिये इधर-उधर भागना पड़ रहा है। अधिकारियों के पास तमाम चक्कर लगा चुके हैं, अन्य चीनी मिलों में समायोजित करने की बात का माननीय मंत्री जी की तरफ से आश्वासन आया था और जो किसानों के गन्ने का भुगतान है उसका भुगतान आज तक नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है और एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ ऐसे कठोर निर्णय लेकर इस क्षेत्र के किसानों व मजदूरों को धोखा देने का काम किया है, चीनी मिल बाराबंकी के वादे के मुताबिक श्रमिकों को समायोजित करने का काम किया जाय, वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। मान्यवर, बाराबंकी जनपद की बुढ़वल चीनी मिल को भी बन्द करने की नोटिस हो गई है। वहां पर श्रमिक आन्दोलन कर रहे हैं और अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, कई श्रमिक भूख से मर चुके हैं। यह सरकार किसान मजदूर विरोधी है, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि नवाबगंज सरकार बाराबंकी व बाराबंकी की बुढ़वल चीनी मिल पर किसानों व श्रमिकों के बकाये का भुगतान कराना सुनिश्चित कर और चीनी मिल को पुनः चलाने की व्यवस्था करें।

*श्री कैलाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे जनपद गाजीपुर में केवल एक चीनी मिल नन्दगंज सिहोरी है, उस मिल को बंद कर दिया गया। उस मिल के बंद होने से जो वहां के कर्मचारी हैं वह भूखों मर रहे हैं। मान्यवर, यह गन्ना किसानों के जनजीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आज हमारे यहां का गन्ना दूसरे जनपद में भेजा जा रहा है जिससे बहुत परेशानी हो रही है। उस चीनी मिल को औने-पौने दाम पर बेचने की कोशिश की जा रही है, किसानों का लाखों रुपया बकाया है जिसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। मैं आपके मांध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद में केवल एक चीनी मिल नन्द गंज सिहोरी चीनी मिल है उसकी व्यवस्था ठीक कराकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाये और जो गन्ना मूल्य बकाया है, उसका भुगतान कराया जाये।

*श्रीमती शारदा देवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र चौरी-चौरा के पास मुण्डेरवा बाजार है वहां पर सरदार नगर चीनी मिल है। दो साल पहले यह मिल खुली थी जिसको बंद कर दिया गया था, पिछले साल उसको आन्दोलन करके चालू कराया गया। इस पर 25 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। मान्यवर गरीब किसान मेहनत से गन्ना पैदा करके मिल को गन्ना देता है और यह उम्मीद होती है कि इसके बाद उसे उसका पैसा मिल जायेगा लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पाता है। मान्यवर, इस मिल की करोड़ों की जमीन है जिसे मिल मालिक बेचकर भागना चाहता है। मैंने इस मिल मालिक से कहा कि गरीब किसानों का पहले भुगतान कर दिया जाये लैकिन वह बात मानने को तैयार नहीं है। गन्ना मंत्री जी बैठे हुये हैं, यह पुराने मंत्री हैं इनकी मिल मालिकों से सांठ-गांठ है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं। जो हमरे क्षेत्र में मिल है उसमें जो गरीब आदमी नौकरी करता था उसे मिल मालिक ने बाहर कर दिया और नये लोगो को रखना चाहता है। मान्यवर, अगर किसानों पर कोई बकाया होता है तो उससे मूलधन के साथ ब्याज भी वसूला जाता है लेकिन जो गरीब किसनों की गाढ़ी कमाई का गन्ना मूल्य का पैसा है उसको भी ब्याज के साथ दिलाया जाये, गरीब किसानों का हक न मारा जाये। मान्यवर, मैं भी दलित की बेटी हूं, हमारी नेता सदन भी दलित की बेटी है, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये और गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना चाहिये। यही कहकर अपनी बात खत्म करती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र थाना भवन कस्तूरी चीनी जनपद मुजफ्फरनगर की शुगर मिल पर 17 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया भुगतान के लिये 5 बार बैठकें हो चुकी हैं। पांचों बार कहा गया कि 15 दिन के बाद भुगतान कर दिया जायेगा मिल के मालिक 15 दिन के बाद लखनऊ आते हैं और पता नहीं कौन सी गोली लाते हैं क उनका 15 दिन का समय बढ़ा दिया जाता है। लखनऊ और उनके बीच में क्या बात है यह मेरी समझ में नहीं आती है। मान्यवर, इस संबंध में मैंने सवाल भी लगाया था गन्ने का बकाये का भुगतान कसया जाये। वह मिल कई लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करती है। हमने कई बार कहा है कि किसानों का भुगतान कराया जाय लेकिन किसान को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के किसानों का गन्ना मूल्य न मिलने के कारण उनको अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य जल्दी से जल्दी दिलवाने की व्यवस्था की जाय। एक ओर चीनी मिल किसानों का भुगतान नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कश्यप समाज के लाखों लोगों का रोजगार छीन रहा है। क्योंकि कुटीर उद्योग के रूप में पावर कोल्हू चीनी मिल लगने से बन्द होने के कगार पर है जबकि पावर कोल्हू पर गन्ने लेने वाले कश्यप समाज के लोग डेली भुगतान करते हैं। उसके बाद भी पावर कोल्हू को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है।

*श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, आज जो गन्ने पर चर्चा हो रही है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना प्रदेश के किसानों का हृदय है। मान्यवर, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बिना किसानों के सहयोग से कोई माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं हुआ है। सरकार को सारे कामों को रोककर पहले गन्ना मूल्य का भुगतान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, इन 5 जिलों में एक औराई चीनी मिल है जो बन्द होने की पोजीशन में आ गयी है। औराई मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। किसान बकाया भुगतान के लिये मिल और गन्ना विभाग का चक्कर लगाते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के बच्चों की लिखाई पढ़ाई और उसके सब काम गन्ना मूल्य पर आधारित है। मेरा अनुरोध है कि औराई मिल पर जो किसानों का बकाया है उसका तत्काल भुगतान करवाया जाय।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पूर्वान्चल हमेशा से ही दैवी आपदाओं का शिकार होता रहा हैं कभी सूखा, कभी बाढ़, नेचुरल कैलामिटीज सबसे ज्यादा पूर्वान्चल में होती है। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो सूखा, बरसात, बाढ़ सभी बरदाश्त कर सकती है। बिना सिंचाई के भी पैदा हो जाता हैं इसीलिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें लगायी गयी थीं। अगर वहां भी गन्ना मिलें बन्द हो जायेंगी तो किसान क्या करेंगे। अगर बाढ़ में गन्ना न पैदा करेंगे तो क्या पैदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे ? सूखे में बिना पानी के कौन सी उपज बोने की आप वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? इन्होंने मिल बन्द करने का नोटिस दे दिया। यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात सरकार ने किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन बन्द मिलों को चलाया जाए। रिकवरी खराब हो तो उसको ठीक किया जाए। रिकवरी बढ़ाई जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा का समय समाप्त हुआ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिए।

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, अनुग्रह नारायण सिंह के साथ मेरा नाम भी था। मुझे भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

कल नियम-56 में सूचना पर जिन सदस्यों के नाम थे उन्हीं को बोलने का अवसर दिया गया। कल आपका नाम नहीं था।

श्री शाकिर अली-

[×××] मैं भी मंत्री रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप आसन ग्रहण करें। कमाल साहब आसन ग्रहण करें।

श्री दीना नाथ कुशवाहा-

मान्यवर, देवरिया जनपद की पांच चीनी मिलों में चार बन्द हो गई हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता जी, बड़ी कृपा होगी आज काफी बहस हुई है। काफी समय दिया है। लेकिन बड़ी कृपा होगी। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जहां इतनी देर बैठे हैं 15 मिनट का समय और दे दें। यह मेरी गुजारिश है।

(नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर श्री अधिष्ठाता ने चर्चा का समय 15 मिनट तक बढ़ा दिया)

(श्री दद्दू प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठता-

दद्दू प्रसाद जी यह ठीक नहीं है। मैं क्रम संख्या से नाम बुला रहा हूं। दो-दो मिनट में अपनी बात रख दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट :- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं क्रम से बुला रहा हूं। एक-एक मिनट में अपनी बात कह दें। आप लोगों की तरफ से नाम की सूची आनी चाहिए। जब चर्चा लगभग समाप्ति पर है तो सोच-सोच कर आ रहे हैं पहले पूर्व में मन नहीं बनाया था। मैं अवसर दे रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 15 मिनट का समय बढ़ाने के लिये कहा, मैंने बढ़ा दिया। एक-एक मिनट में अपनी बात कह लें।

मो0 रिजवान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विलारी में गन्ना मिल है उस पर किसानों का बकाया है 12 करोड़ रुपये का। मैंने इसके बारे में माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर दी थी कि किसानों के बकाये का भुगतान किया जाय। मान्यवर, जवाब यह आया कि मिल को नीलाम करके देंगे। मान्यवर, पहले से ही वह मिल गिरवी है । मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि मंत्री जी बकाये का भुगतान कौन से स्रोतों से करेंगे।

*श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मेने निर्वाचन क्षेत्र निघासन लखीमपुर खीरी में कोआपरेटिव की तीन मिलें हैं जिन्होंने 20 फरवरी तक का पेमेन्ट किया है उसके बाद का बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान परेशान हैं भुखमरी की कगार पर है आज मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गन्ने का भुगतान कराया जाय।

*श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा में बोलने का अवसर दियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर में एकमात्र चीनी मिल शाहगंज में हैं जो चार जिलों के ऊपर है जिसकी हालत बहुत जर्जर है इसका आधुनिकीकरण कराये जाने की आवश्यकता है। 5 करोड़ से ज्यादा का इस पर बकाया है इसको शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करें और इनका आधुनिकीकरण करवायें जिससे चारों जनपदों के किसानों को फायदा हो और सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भी भुगतान कराने का कष्ट करें

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ गोगेश भैया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर जरवल रोड और मैजापुर चीनी मिल हैं। जरवल रोड चीनी मिल पर 9 करोड़ का बकाया है जबकि मेजापुर पर 16 करोड़ का बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इसके भुगतान की व्यवस्था करें। मैं माननीय मंत्री जी को दो सुझाव और देना चाहता हूं। मान्यवर, किसान अपनी मर्जी से गन्ना नहीं बेचता है। शासन एवं गन्ना आयुक्त के आदेश से ही देता है तब उसके भुगतान की जिम्मेदारी भी आपकी है। इनके भुगतान की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करायें हमारे यहां उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई में 3 लाख बोरियां शक्कर रखी है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी बिक्री की तत्काल व्यवस्था करें तथा दूसरा सुझाव है जबकि गन्ना मूल्य भुगतान गत वर्ष का प्राप्त न हो । नये सत्र हेतु गन्ना संरक्षण न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। समाप्त करें।

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, जिन गांव के किसानों ने 5 वर्ष के लिये चुनकर यहां भेजा है बहुत जद्दो-जेहद के बाद आपने दो मिनट बोलने का समय दिया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मुझे खुशी है गन्ना बजट पर जब सत्ता पक्ष के मंत्री बोल रहे है, तब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बजट का समर्थन किया जा रहा था। अब चर्चा हो रही है तो सब बेचैन हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, रो क्यों रहे हैं अब तो आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपका बजट आपकी तालियां हैं, आपके मंत्री जी को मैं पूरा समय दे रहा हें वह इसलिये दे रहा हूं कि गन्ना किसानों का पेमेन्ट करायें। बन्द चीनी मिलों को चालू कराया जाए, जो चीनी मिलें चालू हैं उनको बन्द न कराया जाए। गौरीबाजार चीनी मिल है, देवरिया चीनी मिल है, गौरी बाजार चीनी मिल बन्द है। बेतालपुर चीनी मिल में 65 हजार बोरी पड़ी हैं, मजदूरों का भुगतान बाकी नहीं हैं, गन्ना किसानों का 6 करोड़ रुपया बाकी है इसको बन्द कराने की साजिश चल रही है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, जो मिलें बन्द पड़ी हैं उन मिलों को चालू कराया जाये और जो गन्ना किसानों का, मजदूरों का भुगतान बकाया है उसको कराया जाए।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, देवरिया जनपद के विभाजन के बाद नौ चीनी मिल कुशीनगर में और 5 देवरिया जनपद में रह गयी हैं। देवरिया में गौरीबाजार चीनी मिल बन्द हो गई है बेतालपुर, देवरिया भटनी चीनी मिल जो हैं यह बन्द होने के कगार पर हैं। प्रतापपुर चीनी मिल निजी क्षेत्र में है आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गन्ना किसानों की समस्या है गन्ना किसानों का भुगतान नहीं मिला है मिल में जो लोग, जो मजदूर काम करते हैं 8-8 महीने से मिल मालिकों ने वेतन नहीं दिया है। भटनी चीनी मिल के सामने एक माह पहले सदन चलने के एक दिन पहले मजदूरों ने मांग की तो दो महीने का वेतन किसी तरह से मुहैया कराया गया है वह भी तब जब मिल मजदूरों ने आत्मदाह की धमकी दी है और आत्मदाह की धमकी दी । जिला प्रशासन ने किसी तरह से दो माह का वेतन मुहैय्या कराया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

आज कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिये गन्ने का सवाल उठा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका लिखा नहीं जायेगा। आप समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

[×××]

(व्यवधान)

श्री राम हेत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गन्ना किसानों को करोड़ों रुपया बकाया है और इतना ही नहीं जो किसानों का रुपया जब वह गन्ना की आपूर्ति करते हैं वह सोसाइटी में जाता है उसका करोड़ों रुपया जमा है और उसका दुरुपयोग मिल मालिक कर रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सोसाइटी में रुपया जमा है जो निर्माण कार्य हैं उससे निर्माण कराया जाय और गन्ना किसानों का भुगतान कराया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो महौली चीनी मिल है वह बन्द हो गयी हैं उस मिल में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन और वी0 आर0 एस0 का भुगतान अभी तक बकाया है वह नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसका भुगतान कराया जाय।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, आपने मुझे गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आजमगढ़ एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे यहां सठियांव चीनी मिल के ऊपर गन्ना किसान का 6 करोड़ रुपये का बकाया है। आज सूखे की स्थिति है और किसान को पैसा नहीं मिला है। प्रदेश में सूखा है और किसान उससे परेशान है यदि सठियांव चीनी मिल में जो 6 करोड़ का बकाया है वह किसान को नहीं मिल गया होता तो उसकी रोजी रोटी चलती। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान का बकाया है उसका भुगतान करा दें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, आपने मुझे गन्ना किसान की समस्याओं पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, मेरे यहां कई सेन्टर ऐसे हैं जैसे बढ़नी चाफा में वहां करोड़ों रुपया दो स्थानों पर बकाया हैं मैंने सवाल किया तो लिखकर जवाब आया कि उनसठ लाख एक का है। मान्यवर, आज प्रदेश में सूखे की स्थिति है और ऐसी स्थिति में भुगतान नहीं करते हैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसानों का गन्ने का बकाया है उसका भुगतान करा दें।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में कोई नयी चीनी मिल नहीं लगायी जा रही है।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और जो चल रही हैं उनको भी बन्द किया जा रहा है। आज चीनी मिल का मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। किसान भुखमरी की कगार पर है। वह अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है उसका भुगतान तुरन्त किया जाय। हमारे कानपुर की चीनी मिल के मजदूर भुखमरी की कगार पर है उनके वेतन का भुगतान तुरन्त किया जाय तथा किसानों का बकाया मूल्य तुरन्त दिया जाय।

श्री हाजी याकूब-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल है। जनवरी-फरवरी से वहां कि किसानों के गन्ने मूल्य का पेमेन्ट नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में जो किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है। उसका भुगतान किसानों को तुरन्त कराया जाय। वहां पर किसानों का पेमेन्ट नहीं हुआ है। वह तुरन्त कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर जो 15 मिनट का समय और दिया गया था वह पूरा हो चुका है।

(व्यवधान)

(श्री पारसनाथ जी अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अधिष्ठाता-

पारसनाथ जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा। इस पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, या तो यह सदन व्यवस्थित करे या चर्चा समाप्त कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

श्री पारसनाथ जी कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को पुकार चुका हूं। नेता प्रतिपक्ष द्वारा मांगा गया 15 मिनट का समय पूरा हो चुका है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं जो आपसे कह रहा हूं इसमें सब जवाब दे चुका हूं बजट सत्र के क्रम में अगर यह लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो चर्चा बन्द कर दीजिये। मान्यवर, यह किसानों का प्रश्न है यह पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है मान्यवर, जो गन्ना किसान हैं पूरब और पश्चिम के गन्ना किसानों में अन्तर है उनकी समस्याओं में अन्तर है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां माननीय सदस्यों ने किसानों की जो पीड़ा व्यक्त की है वह उससे भी ज्यादा उसकी पीड़ा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि हम इसे पक्ष के लिये प्रश्न बनाकर वर्षों चलने वाली समस्या को केवल सरकार के ऊपर डाल दें और संतुष्ट हो लें और उसके बाद सदन के अन्दर केवल आप अपने दायित्व का निर्वहन कर लें तो बात अलग है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की, वहां के

चीनी मिलों की जो समस्या है वह वर्षों पुरानी है इस पर एक दिन की सार्थक बहस हो। अब केवल गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाये केवल वही बात यहां आ रही है। मान्यवर, जो सबसे बड़ी समस्या है वह निगम की मिलों की है। मान्यवर, जो निजी क्षेत्र में मिलें चलती थी और उन्होंने उसे रुग्ड़ मानकर उसे बन्द कर दिया था फिर निगम में शासन ने लेकर उसे चलाया लेकिन जिस क्षमता में थी वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें उसमें सिसवा बाजार मिल को छोड़कर, उसी क्षमता में आज भी वह मिलें हैं।

मान्यवर, विभिन्न समयों में जो सरकारें आयीं उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया तो एक काम जरूर किया कि अपने लोगों को उसमें रखवा कर के उनकी कमर तोड़ दी और उसे जर्जर कर दिया। मान्यवर, इस सरकार के ऊपर जो यह 4 महीने की सरकार अभी हुई है तो आरोप आपको लगाना है उतना लगा लें यह सदन की परम्परा है कि एक सरकार के ऊपर जिम्मेदारी उतनी डाली जाती है जितना उस सरकार की जीवन हो। मान्यवर, इस समस्याओं का केवल आरोप प्रत्यारोप से संबंध नहीं है।

मान्यवर, यह सही है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य का भुगतान लगभग 9 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। आज की तिथि में यह गन्ना मूल्य 209.35 करोड़ अर्थात कुल गन्ना मूल्य का 5.24 प्रतिशत बाकी था। इस समय यह गन्ना मूल्य 750.55 करोड़ अर्थात् 14.88 प्रतिशत बाकी है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता चूंकि यह सत्य है। मान्यवर, सरकार ने 3-5-2002 से लेकर 4-9-2002 तक 943.18 करोड़ रुपये का भुगतान कराया है चार महीने में। मान्यवर, विषम परिस्थितियों की यहां चर्चा करना आवश्यक नहीं है इसमें अधिकांश सदस्यों के साथ वार्ता भी हो गयी है और आज भी हुई है। मान्यवर, जो वर्तमान चिन्तनीय स्थिति है जो कहा जाता है कि रिकार्ड चीनी उत्पादन हुआ, 52 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जिसमें लगभग 40 लाख टन चीनी का स्टाक आज भी है। अभी तक स्थिति थी कि प्राइवेट वाले बेंच लेते थे और निगम की ओर फेडरेशन की मिले प्रशासनिक व्यवस्था की प्रक्रिया के कारण नहीं बेंच पाती थी लेकिन इस बार सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विषय के कारण, परिस्थितियों के कारण चाहते हुये भी नहीं बेंच पा रहे हैं। यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिनोदिन चीनी का भाव गिर रहा है इसके बावजूद भी जो यह 758 करोड़ बाकी है यह नहीं होना चाहिये था किसान का भुगतान होना चाहिये था और हमने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि मिलें चलने के, सत्र शुरू होने से पहले अधिकांश गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाये उसके पहले 758 करोड़ में से 103 करोड़ का बजट में प्राविधान है उसका भुगतान हो जायेगा। उसके बाद चीनी मिल रफ्तार से बिक रही है उससे भुगतान हो जायेगा। हम तो चाहते हैं कि गन्ना किसान की समस्या ही न उत्पन्न हो और उसका भुगतान समय से हो जाये। भुगतान मिलने में सरकार कोई भी प्रयास में कमी नहीं रख रही है। एक आरोप लगाया गया कि किसान गिरफ्तार हो रहे हैं।

मैंने बजट भाषण में भी कहा था कि आदेश जारी हो गये हैं और जिस किसान के ऊपर गन्ना मूल्य बकाया है तो उसके विरुद्ध जितनी बकाया राशि है उस राशि तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो और मैंने यह भी कहा है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे हुई है तो हमें सूचित कर दे हम निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे लेकिन बजट भाषण के दिन से आज तक मुझे

कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस घोषणा के विरुद्ध यह कार्रवाई की गयी है । आदेश शासन ने जारी किये हैं और शासन सही अर्थों में संवेदनशील है कि गन्ना किसान का उत्पीड़न न हो, अगर बकाया है।

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैंने कहा उस दिन के बाद । आपने एक बात कही थी उसकी जांच भी मैंने कराने का आर्डर किया है। हो सकता है कि गन्ना मूल्य से ज्यादा उस पर बकाया हो। जितना गन्ना मूल्य उस पर बाकी हो उससे ज्यादा बाकी हो। लोग कहते हैं कि संवेदनशील नहीं है मान्यवर, 5093.71 करोड़ का कुल गन्ना मूल्य बाकी है। 2001-2002 में इसमें से 4335.16 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। बहुत से माननीय सदस्य, कुछ ज्यादा उनको पीड़ा रही होगी, कुछ जयादा उत्तेजित हो गये और कहा कि एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ, सब बकाया है। मान्यवर, उस दिन भी मैंने कहा था कि परिस्थितियोंवश इसका भुगतान कराये जाने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों के साथ पूरी गहराई के साथ, यहां केवल पक्ष एवं विपक्ष का सवाल नहीं है बल्कि उस किसान के प्रति सहानुभूति रखकर उसकी समस्या का समाधान रखकर हम बात करना चाहते हैं और मिलजुलकर बात करना चाहते हैं क्योंकि पक्ष विपक्ष लोकतंत्र में सदा स्थायी नहीं रहता है। लेकिन यह समस्या कह दिया स्थायी है मैंने कहा जिन मिलों को बन्द किया गया जो मिलें निगम की चल रही हैं ।

सदन में अखबार न पढ़े जाने का अनुरोध

श्री अधिष्ठाता-

दो माननीय सदस्य पीछे सदन में अखबार पढ़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि सदन में अखबार न पढ़ें। सदन में अखबार नहीं पढ़ा जाता ।

चीनी मिलों के बन्द होने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

एक गम्भीर समस्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने कहा और यह सत्य भी है कि आज गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार है। उसकी खुशहाली उस पर निर्भर कर रही है लेकिन अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनों-दिन गन्ना किसानों की संख्या घटती जा रही है उसका मूल कारण क्या है ? इस बार का नहीं वर्षों का रिकार्ड निकाल कर देख लें। जो भी सरकार रही हो निगम की मिलों का भुगतान देर से हुआ है। समय से भुगतान नहीं हुआ है। बगल के फेडरेशन की मिल का पैसा किसान पा जाता है, प्राइवेट का पैसा पा जाता है। निगम का पैसा तुलनात्मक ज्यादा बकाया रहता है। उसका कारण है निगम की मिलें 850 टी0 सी0 डी0 की हैं, 900 टी0 सी0 डी0 की हैं, 750 टी0 सी0 डी0 की हैं, कोई हजार की है, कोई 1500 की है। कर्मचारियों का बोझ इतना जयादा है जिसके कारण से वहां गन्ना मिल का भुगतान वर्षों से समय से नहीं हो पाया है। परिणाम यह हुआ है कि किसान जो निगम के क्षेत्र में हैं वह हताश हो करके दिनों-दिन गन्ना कम बो रहे हैं ।

समस्या यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ भी ज्यादा है। मिलें बहुत पुरानी हैं, कम क्षमता की हैं। आज किसी भी वित्तीय संस्थान से पैसा लेना चाहे तो कोई भी देने के लिये तैयार नहीं। इसलिये पूरे निगम को वी0 आई0 एफ0 आर0 घोषित किया है। जो परिस्थिति है वह कोई एक समय की उत्पत्ति नहीं है यह एक लम्बे समय की उत्पत्ति है। ऐसे समय में मिल जुलकर ठोस प्रयास करना पड़ेगा। जिससे किसान और मिलें एक दूसरे के पूरक बन सकें, हमारा यह संकल्प है। क्योंकि अगर मिलें नहीं चलेंगी तो इतना बड़ा गन्ना का क्षेत्र कहां जायेगा, गन्ना किसान अगर गन्ना न बोये तो मिलें कैसे चलेंगी। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को संरक्षण दे करके जीवित रखना पड़ेगा। यदि पूछा जाये कि दोनों में किसका हितार्थ जरूरी है तो मैं कहूंगा कि किसान का हित सर्वोपरि है। इसमें गन्ना किसान का भुगतान केवल एक सत्र का नहीं प्रद्विवर्ष हो समय से हो, यह व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। हम पूरब के विधायकों के साथ बात कर भी चुके हैं कि वह कोई विकल्प बनायें। परिस्थितियों में से परिणाम कैसे निकले यह मिल करके डिसकस करें और किसानों के हितों की रक्षा करें।

मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि गन्ना भुगतान के लिये दबाव बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है और अगला सत्र शुरू होने से पहले अधिकाधिक भुगतान हो जाये इसकी हम कोशिश करेंगे। हर मिल का भुगतान हो जाये और जो 130 करोड़ जिन मिलों पर ज्यादा बकाया है उनका प्राथमिकता से ध्यान रखेंगे। इसलिये मान्यवर, गन्ना मूल्य के भुगतान की जो चिन्ता व्यक्त की गयी है पिछले वर्ष की तुलना में इस साल भुगतान ज्यादा बाकी है उसके कारण विमुखता से उनकी मिलों का आर्थिक दृष्टि से पांच सौ रुपये से लेकर ढाई हजार रुपये प्रति क्विंटल का घाटा उन मिलों पर आ रहा है। किसी पर पांच सौ रुपये का, किसी पर एक हजार का, किसी पर डेढ़ हजार का है। एक क्विंटल चीनी बनाने में इतना बड़ा घाटा है तो कोई भी विशेषज्ञ यह कह सकता है कि इतना घाटा उठा करके मिलें कब तक गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करेंगी। निश्चित है वी0 आई0 एफ0 आर0 हस्तक्षेप करेगी जैसा कि उसकी नीति है, जिसके लिये वह बनायी गयी है।

इतना ही नहीं आज जो परिस्थिति है, चीनी की बाजार में, वह निश्चत रूप से खतरे की घण्टी बज रही है यदि यही परिस्थिति पूरे देश में बनी रही तो उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग और गन्ना किसान के हित के लिये कठिन परिस्थिति पैदा होगी इसलिये इसको मिलकर करना चाहेंगे और आपके हर सुझाव का स्वागत करेंगे। हमारी भी इच्छा है, हमारा भी दर्द पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान, जो चीनी मिलें बन्द हो रही हैं, के बारे में है। जहां तक मिलों के बन्द करने की बात आयी, मिलें शासन बन्द करता है कोई विभाग नहीं करता। लोगों ने कहा 8 मिलों को नोटिस दी गयी है लेकिन मुझे अधिकारियों ने बतलाया कि कोई नोटिस नहीं दी गई है। मैंने कहा कि जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं उसकी एक कापी आप दे दें ताकि यह पता लग सके कि आप सही कह रहे हैं कि अधिकारी सही कह रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस कहीं मिली नहीं, सिर्फ एक हौवा खड़ा करके भ्रम पैदा करके लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है परन्तु इससे लाभ नहीं होगा और निश्चित रूप से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिये दोनों बातें जो कही गईं, गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में और चीनी मिल बन्द करने के बारे में, यह बात बजट सत्र में मैंने कही थी आज पुनः दोहरा रहा हूं । निश्चित रूप से अगला सत्र शुरू होने से पहले आज की स्थिति को एक संतोषजनक स्थिति में, और किसान को जैसे पहले सत्र के

समय थोड़ा सा मामूली बाकी रहता था, उस स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहना आज आवश्यक समझता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता महोदय, गन्ना मंत्री जी का आदर्श भाषण सुनने को मिला लेकिन गन्ना के किसानों को बकाया नहीं मिला। बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं और सबसे बुनियादी बात यह कही कि अभी चार महीने से आपकी सरकार है। मैं तो कहना चाहता हूं कि पिछले साढ़े पांच साल में एक साल आप गन्ना मंत्री नहीं रहे, वैसे 1997 से आप लगभग बराबर से मंत्री हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा भुगतान हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

और मान्यवर, बार-बार हमारी गल्तियों को गिनाने से गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो जायेगा, जो मिलें बन्द होने जा रही हैं उन्हें बन्द होने से रोका नहीं जा सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इतने दिन सरकार में रहने के बाद भी कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई तो इसमें विपक्ष की कोई गलती नहीं है। लम्बे अरसे से आप सरकार में हैं आपने अभी तक एक भी मिल के लिये कार्ययोजना नहीं बनायी, किसी एक जिले की मिलों के लिये नहीं बनाई और सिक मिलों को चलाने में कामयाब हो गये होते तो मैं मानता। किसी मिल को आप उसकी मशीन को अपग्रेड करने में कामयाब हो गये होते। जो बकाया है उसे भुगतान कराने में कामयाब हो गये होते तो मैं मानता। हद यह है कि पाकिस्तान से शक्कर खरीदी जा सकती है और सरकार रोना रो रही है आज आपने एक बड़ी अजीब बता कही जिससे दुःख और बढ़ गया। इससे पता चलता है कि आप खुले किसान विरोधी है इस सूखे के आलम में जबकि आपको किसानों के प्रति हमदर्दी की बातें करनी चाहिए थीं, भुगतान पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह आपने बड़ी अजीब बात कह दी यह बातें सदन में कहने की नहीं थीं, कोई रास्ता निकालने, आप तैयारी करते, ट्रेड यूनियन्स को बिठाते जो इसके विशेषज्ञ हैं उन्हें बिठाते और इसके बाद कोई रास्ता निकलता। यह कहना कि मिल मालिक किसानों से गन्ना खरीदकर कितना घाटा उठा रहा है। मान्यवर, गन्ने का रेट हो, कहना चाहता हूं कोई सरकार हो, जो सत्ता में हो, हो सकता है कि गन्ना का यह रेट निकालने में सरकार के सामने कोई जन भावना न होती हो, हो सकता है सरकार के सामने गन्ना का रेट बढ़ाते वक्त किसानों का हित ध्यान में न हो, केवल घटिया शोहरत हासिल करना हो। आज मंत्री जी के मुंह से पहले ही निकल आया कि शुगर के कारखानों का आज इतना घाटा है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस घाटे का जिम्मेदार गन्ना किसान है और उसे उसी गुनाह की सजा दे रहे हैं कि वह गन्ना बोने वाला है। ये तरवीन होगी सरकार को। एक तामील यह किया कि खुशहाली नहीं हुई।

मान्यवर, आज हालत किसानों की खुशहाली के हालात का नहीं है, आज किसानों की जिन्दगी का सवाल है। हम लोग जो इस सदन में खड़े हुए हैं, हमें जनता के कटाक्ष सुनने को मिलते हैं। अभी कुछ सदस्यों ने लिखकर दिया है तनख्वाहें बढ़ाने के लिये, इसकी चर्चा सदन में नहीं हुई, इसकी चर्चा सदन से बाहर हुई है। सदन में बैठे हुए विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग कर सकते हैं और उस सदन में गन्ना मंत्री गन्ना किसानों को दिये जाने वाले

मूल्य के बारे में वकालत करने वाले मिल मालिकान की वकालत नहीं दलाली करने जा रहे हैं, उनका जुबान के तौर पर किसानों का अपमान कर रहे हैं ऐसे हालत में मान्यवर, जब सूखा नहीं अकाल है, ऐसे हालत में मान्यवर, जिस तरह से आपने वैचारिक और सैद्धांतिक भाषण किया है उसमें एक जगह भी न किसी बन्द मिल को चलाने की बात कही है, न किसी मिल को अपग्रेड करने के बारे में कहा है, न कोई कार्य योजना बनाई है और न ही कोई तिथि दी गई है कि किस तिथि तक गन्ने के बकाये का भुगतान करवा देंगे।

मान्यवर, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस सदन में नहीं हो सकी हैं। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, एक हुक्म दिया है पूरे देश के राज्यों को न्याय की खातिर। न्याय मिलना चाहिए न्याय दिलाने में बहुत देर हो रही है, अदालतें बननी चाहिए, जजों को बढ़ाना चाहिए, इसलिये कि सिर्फ क्रिमिनल केसेज ही नहीं होते हैं, दीवानी के मामले भी होते हैं और इन दीवानी के मामलों में भी तीन-तीन, चार-चार साल बीत जाते हैं, लोगों को दौड़ते-दौड़ते लेकिन समय से न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। मान्यवर, चुनावों के दौरान नारा देती है कि हमारी सरकार अन्याय मुक्त सरकार होगी और सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि न्यायालय खोले जायं, अन्याय मुक्त समाज बनाने के लिये लेकिन यह सरकार एक कदम आगे बढ़ने के लिये तैयार नहीं है, जो एक भी नई अदालत खोलने का काम नहीं करती है।

इसलिये मान्यवर, आज कहना पड़ रहा है आपके बीच अदालतें नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और यहां पर मुख्य मंत्री जी का कहना है कि अम्बेडकर उद्यान के लिये; जिसे मैं जेहनी [×××] का अड्डा कहता हूं, एक सौ करोड़ नहीं एक हजार करोड़ रुपया दिया जायेगा। अगर यह रुपया गन्ने के किसानों के बकाये के लिये दिया होता तो मैं समझता कि यह गन्ना किसानों के हितैषी हैं। आपने अपने जेहनी अय्यासी के लिये, अपने नाम के लिये उस जमीन को घेर दिया जिस जमीन पर गन्ना उगाया जा सकता था, वह जमीन गरीबों को दिया जा सकता था लेकिन उन जमीनों को घेरकर अपने नाम की खातिर धन का दुरुपयोग किया है । एक हजार करोड़ रुपया जिसकी यहां घोषणा की है, अगर एक हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों के बकाये के देय के लिये दिया जाता तो यहां पर बैठकर हम मेजें थपथपाने का काम करते। जो मंत्री जी का भाषण हुआ उससे संतुष्टि नहीं कष्ट हुआ है, अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का, अपमान हुआ है गरीबों का, मजदूरों का, मंत्री जी ने किसानों की नहीं मिल मालिकों की वकालत की है। इसलिये मैं और मेरा दल इस सरकार को गन्ना विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी और समाज विरोधी मानता है। इसी नाते मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(मंत्री के कथन से असन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम नरेश यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी शालीनता के साथ गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी है। उससे प्रदेश के गन्ना किसानों को निराशा हाथ लगी है। इस भाषण को सोच करके बहुत तकलीफ होती है। चाहे निगम की मिल हों या सहकारी क्षेत्र की मिल

नोट :-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हों उन पर गन्ना मूल्य बकाया है और यह 906 करोड़ रुपये से ऊपर है हम यह जानना चाहते थे कि जो इतना बकाया है उस बकाये के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? सरकार मिल नहीं चला पायी, एक भी चीनी मिल का विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण नहीं कर पाये चाहे वह निगम की इकाई हो या दूसरी इकाइयां हों या सहकारी क्षेत्र की मिल हों। मान्यवर, किसान क्यों दोषी है, पैसा चाहिए इसलिये ? इस सरकार के चलते गन्ना किसानों का जो शोषण हो रहा है और मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह निराशाजनक है, किसानों के हित में नहीं है। यह सरकार किसान के हितैषी होने का दम्भ जरूर भरती है लेकिन मंत्री जी के बयान से स्पष्ट है कि किसान जो अपेक्षा करता था उनकी सारी आशाओं और अपेक्षाओं पर पानी फेरने का काम हुआ है। इस नाते हम कांग्रेस के लोग भी सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री राम नरेश यादव ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

*श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अधिष्ठता जी, यह सरकार किसानों की हितैषी नहीं है और मंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे असंतुष्ट होकर मैं भी इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री महबूब अली-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरी बातों को गम्भीरता से नहीं लिया। मैंने चर्चा में बोलते हुए कहा था कि 36 हजार बोरियां अमरोहा के अन्दर बरसात के समय में ऐसे पड़ी हैं उन पर टिन भी नहीं है, शायद मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना इसलिये मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

(श्री महबूब अली ने भी सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा समाप्त हुई।

(मद संख्या-5 पुकारे जाने पर)

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये।

उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर तीन भागों में विभाजित करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने विषयक श्री समरपाल सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा †

*श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कल उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करते समय मैंने कहा था कि यह सम्पूर्ण प्रदेश के विकास का मामला है। मान्यवर, आज पूरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 3 सितम्बर, 2002 की कार्यवाही से।

उत्तर प्रदेश के अन्दर इस बात के लिये आन्दोलन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो। आन्दोलन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। पूर्व के लोग पूर्वांचल प्रदेश के लिये आन्दोलन चला रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैंने आगे की मद ले ली है जब यह मद आयेगी तब उसको लिया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, इस सूचना को अभी ले लें, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब कार्य-स्थगन की मद आये तब आपकी बात सुन ली जाय। यह माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है।

श्री समरपाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, पूर्वांचल प्रदेश का आन्दोलन भी जारी है। वहां पर पूर्वांचल प्रदेश बनाने के संबंध में संघर्ष समिति का गठन किया जा चुका है और उसके बैनर के तले प्रदर्शन और आन्दोलन चल रहा है। उनकी मांग है कि पूर्वांचल के 27 जिलों को मिलाकर एक पूर्वांचल प्रदेश बनाया जाय। इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड को अलग राज्य बनाये जाने के संबंध में आन्दोलन चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है जब उनकी बात नहीं सुनी गयी तो वह सड़कों पर उतर आये और धरना और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया अनेकों लोग घायल हुए और उनको जेल भी भेजा गया बुन्देलखण्ड के लोग अपना खून पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक वातावरण बन गया है लोगों को इस बात का अहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश का विकास ठीक से हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, आर्थिक पिछड़ापन दूर हो कर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाये और उत्तर प्रदेश की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश का पुनर्गठन करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश और बुन्देलखण्ड प्रदेश निर्मित किया जाये। यह सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक इकाई है देश के अन्दर इतनी बड़ी प्रजातांत्रिक इकाई नहीं है। 17 करोड़ जनता और 2.50 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल पर बसे प्रदेश को एक जगह से शासित किया जा रहा है। इसलिये सक्षम प्रशासन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिये मैं हरित प्रदेश की बात कर रहा हूं।

हरित प्रदेश की स्थिति बहुत गम्भीर है वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह कल्याणकारी सरकार है और कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक सुविधायें प्रदान करे लेकिन जैसा मैंने बताया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो रहा है और उसको मौलिक सुविधायें नहीं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 23 विश्वविद्यालय है जिसमें से केवल 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। 19 विश्वविद्यालय दूसरे हिस्सों में हैं। वहां पर अड़तालिस स्कूल हैं। जबकि

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 65 स्कूल हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सरकार पढ़ने के बाद नौकरी तो देती नहीं है, यह सरकार किसी नौजवान को रोजगार देने में जब सक्षम नहीं है तो पढ़ने का अधिकार जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि छात्र मारा-मारा फिर रहा है प्रवेश नहीं मिल रहा है यूनीवर्सिटी, महाविद्यालयों व इण्टर कालेजों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर महीनों से बाहर घूम रहे हैं कहीं किसी सिपाही से कहते हैं कि एडमीशन करा दो। मेरे पास आते हैं कि दाखिला करा दो क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय से राजनीति में रहा हूं। आपके पास भी आते होंगे। छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। यह हमारी नई पीढ़ी के भविष्य का सवाल है हमारा क्या दायित्व है भावी पीढ़ी को क्या हम अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पायेगी स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं मिल पायेगा तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य हम अंधकार की ओर ले जा रहे हैं।

स्वास्थ्य का सवाल है सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। अस्पताल की व्यवस्था करे। डिस्पेंसरी की व्यवस्था करे व जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग है उनको फ्री दवाई दे। मैं आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर एलोपैथिक राजकीय चिकित्सालयों की संख्या 4,236 है। जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 795 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। क्या वहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। क्या वहां के लोग बीमार नहीं होते हैं। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं 1342 जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 300 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन लोगों को दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होगा कि मेरठ के अन्दर क्या हो रहा है। बुलन्दशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद के अन्दर क्या हो रहा है। वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर जो इलाज 10 रुपये में होना चाहिए था वह एक हजार रुपये में हो रहा है। लोग अपनी जमीन, गहने आदि बेचकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि राज्य के दूसरे हिस्से में जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं वह उनको उपलब्ध हों। वहां पर अस्पताल नहीं खुल रहे हैं। इसलिये वहां आन्दोलन है। इसलिये वहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहां के लोगों का विश्वास है कि उनका तब तक विकास नहीं हो सकता है जब तक प्रथम हरित प्रदेश राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है। यह वहां के लोगों का विश्वास है। चाहे न्याय का मामला हो अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो जाता है या किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही होती है तो सरकार का यह दायित्व है कि उसे सुलभ न्याय उपलब्ध कराये लेकिन कहां हो रहा है।

उच्च न्यायालय कहां है। हाई कोर्ट इलाहाबाद के अन्दर है, लखनऊ के अन्दर उसकी बेंच है। 20 साल से अधिक समय से यह मांग चल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के बेंच स्थापित की जाय क्योंकि यहां किसी के ऊपर अन्याय हो जाता है तो वह दो किलोमीटर दूर हाई कोर्ट चला जाता है और वहां अपनी बात रख सकता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को हाई कोर्ट जाने के लिये 500, 600, 700 कि0मी0 चलकर जाना होता है। कितना उनका उत्पीड़न हो रहा है यह

आप अच्छी तरह से जानते हैं। इलाहाबाद के वकीलों को आप अच्छी तरह जानते होंगे अगर कोई पूरब का व्यक्ति जाता है तो उससे पांच हजार फीस लेते हैं और अगर पश्चिम का कोई व्यक्ति जाता है तो उससे 15 हजार रुपये फीस लेते हैं। वहां के होटल वाले, रिक्शे वाले यहां तक कि जज का अर्दली भी उनका उत्पीड़न करता है। दूसरे प्रदेशों में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार होई कोर्ट की बेंच हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। वहां कहीं भी मेरठ, आगरा, बरेली में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित कर दें। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कि उन्हें सुलभ न्याय उपलब्ध हो जाये लेकिन नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति राजस्व परिषद् की है। कितनी बार कहा जाय ? पिछले 12 साल से मैं विधायक हूं, कोई सत्र ऐसा नहीं गया है जब मैंने राजस्व परिषद् की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने की मांग न की हो। लखनऊ में हो सकती है, इलाहाबाद में हो सकती है। कौन सा कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है ?

यही स्थिति छात्रों के लिये है, वहां पर आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 के लिये सेन्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है। पिछले वर्ष जब मैंने यहां सवाल उठाया था तो सरकार ने मेरठ के अन्दर एक सेन्टर बनाया लेकिन दुःख की बात है कि इस साल उसको निरस्त कर दिया। मान्यवर यह छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सात आठ सौ किलोमीटर दूर से वह यहां परीक्षा देने आते हैं रहने के लिये कोई स्थान नहीं मिलता है । जिस स्थान पर ठहरते हैं सही तरीके से वहां पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद और लखनऊ के अन्दर सेंटर हो सकता है, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर में क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। यह वहां के नौजवानों के साथ ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज वहां पर नौकरियों का प्रतिशत लगातार घटता चला जा रहा है कारण यह है कि वहां पर पढ़ने का माहौल नहीं, परीक्षा केन्द्र नहीं दे सकते हैं आप।

आप सभी लोग इससे अच्छी तरह से अवगत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपना खून पसीना बहाकर पूरे प्रदेश ही नहीं देश का पेट भरने का काम कर रहा है लेकिन बदले में उसको क्या मिल रहा है । बिजली की स्थिति के बारे में मैंने कल भी बताया था। डेढ़ दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है। सिंचाई का कोई साधन नहीं है। नहरों के अन्दर पानी नहीं है। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि को कवर करती है लेकिन चार साल से उसमें पानी नहीं है। कई बार सवाल उठाया कि पानी नहीं आ रहा है और सिंचाई का कोई दूसरा साधन भी नहीं है तो किसानों का क्या होगा। कहां से वह फसल पैदा करेगा। फसल नहीं होगी तो वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। बच्चों को कहां से पढ़ायेगा, कैसे इलाज करवायेगा, अपने बच्चों के हाथ पीले कैसे करेगा ? पूर्वी यमुना नहर में एक बूंद पानी नहीं है क्या यह दिल्ली जाकर कह नहीं सकते कि यहां पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के अन्दर पानी जा रहा है तो यहां क्यों नहीं आ सकता। लेकिन यह हिम्मत नहीं कर सकते। यह 83-70 जिलों की सरकार चाहे और जिले बढ़ जायें इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई एक जिला वोट न दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान्यवर इसीलिये आज यह मांग की जा रही है कि हरित-प्रदेश का निर्माण हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण हो।

अपर गंगा कैनाल का निर्माण आज से 150 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में हुआ था और इसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिंचित करने का काम किया था। हरित क्रांति लाने में उसका बड़ा योगदान रहा। वह सारा का सारा नेटवर्क खत्म होने वाला है। उसकी सफाई के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। आज सब रजबहे नहरें अटे पड़े हैं। जब तक इनकी सफाई नहीं होती तो पानी कहां से आयेगा। मान्यवर मैं दावा कर सकता हूं कि किसी भी नहर में टेल तक पानी नहीं जा रहा है। सरकार बराबर घोषणा करती है कि टेल तक पानी जा रहा है जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं बता दें कि कोइ माइनर, रजबहा ऐसा हो जहां टेल तक पानी जा रहा हो। सरकार घोषणा पे घोषणा करती जाती है लेकिन हकीकत यही है। सिंचाई के कोई दूसरे साधन भी नहीं हैं। किसान पता नहीं कहां लुटता फिरेगा। किसानों की क्या दुर्गति हो रही है किसानों पर क्या बीत रही है, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गन्ना पैदा हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर गन्ना पैदा हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। मान्यवर, विसंगति यह है जो शुगर केन इन्सटीट्यूशन है वह कानपुर में है। जबकि कानपुर में पूजा करने के लिये भी यदि गन्ने की जरूरत होती है तो उसको भी दूसरी जगह से मंगाया जाता है। हमारे माननीय गन्ना मंत्री जी ऐसे क्षेत्र से हैं वहां गन्ना पैदा नहीं होता है यह तो वही कहावत हो गयी "जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।" वह क्या समझेंगे कि गन्ना किसानों पर क्या बीत रही है उनको एक करोड़पति चीनी मिल मालिक की परेशानी तो पता है कि उसकी फैक्ट्री बन्द हो जायेगी, इण्डस्ट्री बन्द हो जायेगी कहां से किसानों का पेमेण्ट करेगा लेकिन यह नहीं मालूम कि गरीब किसान जिसकी साल भर की आय 2-4 हजार है उसका क्या होगा ? उसकी इनको कोई चिन्ता नहीं है। वह कैसे अपनी बेटियों की शादी करेगा ? फसल तैयार कहां से करेगा ? डीजल पानी की व्यवस्था कहां से करेगा ? इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है।

मान्यवर, यदि गन्ना मंत्री मेरठ, सहारनपुर, आगरा के होते तो उसकी जरूरत नहीं थी कि मिल मालिक पेमेण्ट न करते। चीनी मिल मालिकों की गर्दन ऐंठ कर उनसे किसानों को पेमेण्ट दिला दिया जाता। मिल मालिक का स्क्रू कसा जाता तो किसानों को भुगतान हो जाता यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति है। मेरा प्रस्ताव है अब तक जितने छोटे राज्य हुये हैं उनकी प्रगति बहुत तेजी से हुयी है। पंजाब, संयुक्त प्रान्त था जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो वह बिल्कुल बर्बाद था हमसे बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था वहां कुछ पैदा नहीं होता था, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जमीन भी उपजाऊ नहीं है लेकिन जब पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश का अलग निर्माण हुआ तो हरियाणा ने काफी प्रगति की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 9,323 रुपये है और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपया है जोकि हमसे दुगुनी है। हरियाणा जो हमारे सामने कुछ भी नहीं था वह सम्पन्न होता जा रहा है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 23 हजार रुपया है। जब प्रदेश का विभाजन हुआ तो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। वहां विकास के कार्यों में सम्पन्नता बढ़ी।

इसलिये हम प्रदेश का विभाजन चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा तो विकास की बात होगी। जो लगातार घट रहा है रसातल में जा रहा है ।

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के लिये 150 करोड़, बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये 50 करोड़ लेकिन मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कुछ भी नहीं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, यह तो संविधान में भी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद-15 में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म- स्थान, जाति, धर्म के नाम पर विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है। उनके साथ भेद इसलिये किया जा रहा है क्योंकि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। सरकार कहती है वहां सम्पन्नता है लेकिन अगर वे सम्पन्न हैं तो किसी के रहमोकरम पर सम्पन्न नहीं हैं। अपने पुरुषार्थ के बदौलत हैं। सम्पन्नता का यह मतलब नहीं है कि सड़कें, नहरें, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थायें न बनाओ। हमको हमारे मौलिक सुविधाओं से वंचित रखो। मान्यवर, आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमको विकास निधि नहीं दी गयी। दो साल पहले मैंने यह बात उठायी थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों की एक बैठक बुलायी और सबने मुख्य मंत्री के सामने अपनी पीड़ा को रखा और सबको सुनने के बाद सरकार ने कहा कि विकास निधि तो हम नहीं देंगे लेकिन कुछ न कुछ करेंगे बहुत विचार विमर्श के बाद 1149 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये। मान्यवर, कितना अमल हुआ मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं। उस 1149 करोड़ के विरुद्ध कितना रिलीज हुआ तीन साल बीत गये वह नगण्य है।

मान्यवर, इसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात कही गयी थी लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसमें यह कहा गया कि नहरों, रजबहों की पटरी पक्की होगी जिससे आवागमन के साधन बढ़ेंगे। मान्यवर, महाशिवरात्रि को शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली और हरिद्वार का जो राजमार्ग है, आते हैं। दस दिन तक यातायात बन्द रहा लोग घूमकर गये। आज यदि गंगा नहर की पटरी पक्की हो जाय तो वहां से रास्ता हो जाय और शिव भक्त वहां से चले जायं। इतना महत्वपूर्ण राजमार्ग है, दस दिन तक बन्द रखेंगे तो क्या होगा। मान्यवर, इसी पैकेज में यह कहा गया था कि जो क्षतिग्रस्त तार हैं उनके लिये, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिये खर्च किया जायेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे बिजलीघर ओवर लोडेड हो गये हैं ट्रांसफारमर ओवर लोडेड हो गये हैं। वहां पर 35 साल पहले विद्युतीकरण हुआ था और एक भी तार नहीं बदला गया। यह कहा गया कि हम गांव का विद्युतीकरण करेंगे आप गांव का नाम लिखकर दे दो। लेकिन हमारे यहां चालीस साल पहले ही गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन आज तक उनके तार और खम्भे नहीं बदले गये। उनकी क्या स्थिति है इसको आप देखें। मरम्मत के लिये पैसा नहीं दिया गया है। आपने कहा कि हम विद्युतीकरण के लिये ही दे रहे हैं और इसके लिये आपके पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि

हमारे यहां विद्युतीकरण हो गया है आप इसकी मरम्मत के लिये पैसा दें लेकिन सरकार देती नहीं है । आपने यह भी कहा कि पांच गांव के नाम दे दीजिये उनको सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि हमारे यहां सभी गांव सम्पर्क मार्ग से पहले ही जुड़े हैं। लेकिन आज उन सड़कों का हालत क्या है इसको आप देखें । तीस साल पहले यह सड़क बनी थी उसके अन्दर पैकेज में पैसा दिया गया था। आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिपेयरिंग कराते हैं, जो डी0 आर0 हैं उसकी मेंटीनेंस करते हैं, ओ0 डी0 आर0 की मेंटीनेंस करते हैं लेकिन जो विलेज रोड हैं उसका क्या होगा। इसमें गड्ढे पड़ गये हैं और यातायात अवरुद्ध है। आपको कब उनकी कठिनाइयों का अहसास होगा।

आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग तरस रहे हैं कि हमारे यहां विकास करेंगे लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हरित प्रदेश का निर्माण हो यह चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता हो तब हम अपने यहां का विकास करेंगे।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सुरेन्द पाल वर्मा पीठासीन हुये)

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि प्रदेश के अन्दर जो खजाना है। उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा रेवन्यू उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है लेकिन उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं किसा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। कमायें हम लोग और खाएं दूसरे लोग। अभी एक माननीय सदस्य कहने लगे कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना रहे हैं तो मैंने कहा कि आप भी तो बुन्देलखण्ड बना रहे हैं। तो वह कहने लगे कि ऐसे तो हम भूखों मर जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बर्दाश्त करने की एक सीमा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास का काम नहीं हो रहा है। सारा पैसा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल में जाता है हमारे यहां से हरिद्वार उत्तरांचल में चला गया तो हमसे कहा गया कि हम गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर बनायेंगे ताकि श्रद्धालू वहां पर जाकर गंगा स्नान कर सकें। लेकिन मान्यवर, अभी तक एक पैसा भी वहां पर नहीं दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ जल का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो एक-डेढ़ दशक में यह क्षेत्र रेगिस्तान बन जायेगा।

मान्यवर, हमारे यहां जो मुजफ्फरनगर का हिस्सा है वहां चौगाम क्षेत्र है वहां आज 100 फिट से नीचे पानी है। वहां पर कृष्णा, हिंडन नदी पर चेक डैम बनाने की योजना थी। ताकि जल स्तर बढ़े। मान्यवर, अभी तक तालाब नहीं खुदवाये गये हैं। उन तालाबों में जल संग्रहित करने की योजना थी। किसी भी योजना पर अमल नहीं हो रहा है। वहां पर जलस्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। मान्यवर, जो दिक्कत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जहां से मैं आता हूं वहां पर भी जल स्तर गिरता चला जा रहा है किसी भी गांव में तालाब नहीं खुदवाया गया है। वहां पर जो नलकूप हैं वह भी खराब पड़े हैं । किसी नलकूप की मोटर खराब है, कभी ट्रांसफार्मर खराब हैं यह सभी राजकीय नलकूप आज बन्द पड़े हैं।

मान्यवर, जो किसान मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सरकार के गोदामों को अपनी मेहनत से अन्न उगाकर भरते हैं आज वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान विकास के लिये

तरस रहे हैं। इसलिये मेरी यह मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाय तभी वहां पर विकास के काम होंगे, नलकूप सही होंगे, बिजली की व्यवस्था में सुधार होगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह वहां के लोगों की भावना है, जनता की भावना है। यह जनांदोलन पिछले 3-4 सालों से चल रहा है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण हमारे विकास से जुड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है वहां के लोग कुछ भी करने और मरने के लिये तैयार हैं। मान्यवर, यह मांग अभी की नहीं है यह बहुत दिनों से चली आ रही है। जब कई राज्यों को तोड़ कर नये राज्य बनाने गये थे तो यह बात उठी थी कि उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन किया जाये। मान्यवर, यह विश्व का विशाल प्रदेश है। मान्यवर, एक फजल अली कमीशन बना था उसमें यह रखा गया था कि प्रदेश का विभाजन किया जायें उसमें 97 सदस्यों ने लिखित रूप से दिया था कि प्रदेश का विभाजन किया जाये और इसे 5 हिस्सों में बांटा जाये मान्यवर, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ उसके सदस्य श्री के0 एम0 पानेकर ने अलग से एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बंटवारा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वहां के विकास के लिये यह आवश्यक है।

मान्यवर, 1977 में जनता पार्टी में बहुत से सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, थे जो उन्होंने घोषणा-पत्र दिया था उसमें छोटे राज्यों के निर्माण की बात कही गयी थी। मान्यवर, 1978 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व0 चौधरीचरण सिंह जी ने प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटने की योजना बनायी थी। इसमें एक उत्तरांचल था जो अब अलग बन गया है हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश, बुन्देलखण्ड और मध्य उत्तर प्रदेश लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चली इसलिये वह योजना वहीं की वहीं रह गयी और प्रदेश का विभाजन नहीं हो पाया। अगर उनकी सरकार थोड़े दिन और चल गयी होती तो प्रदेश का विभाजन हो गया होता । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा-पत्र में नये छोटे राज्यों की सृजन की बात कही है। यह नीतिगत बात है कि वह छोटे राज्य के पक्ष में हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है मान्यवर, उसके पुनर्गठन के बाद राज्य बनेंगे तो कहा जा रहा है कि बहुत छोटे प्रदेश हो जायेंगे और उसकी बायबिल्टी पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। मान्यवर, लेकिन यह कहना उचित नहीं है। बायबिल्टी उत्तरांचल प्रदेश की नहीं थी। मान्यवर, हरित प्रदेश पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। जो प्रस्तावित है हरित प्रदेश उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले और 7 मण्डल होंगे और उसका एरिया 70 हजार वर्ग कि0मी0 होगा। मान्यवर, 5 करोड़ की आबादी होगी। मान्यवर, वह गुजरात और पंजाब से बड़ा प्रदेश होगा। इसी तरह से पूर्वांचल प्रदेश 27 जिलों को मिलाकर बनाया गया है जिसका एरिया 85 हजार वर्ग कि0मी0 होगा और जिसकी आबादी 6 करोड़ की होगी। मान्यवर, यह कोई छोटा प्रदेश नहीं होगा यह जरूर है कि जो आज इतना बड़ा विशाल प्रदेश है वह छोटा हो जायेगा प्रशासनिक सुविधा हो जायेगी, अधिकारियों पर अंकुश लग जायेगा। मान्यवर, आज मुख्य मंत्री जी को डी0 एम0 और एस0 पी0 के नाम सभी के याद नहीं होंगे। वहीं छोटे प्रदेश होने से अधिकारियों पर अंकुश रहेगा। भ्रष्टाचार पर लगाम होगी, और सक्षम प्रशासन मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। मान्यवर, जो हमारा प्रस्ताव हरित प्रदेश का है वह भारतवर्ष और दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदेश होगा (कुछ थपथपाहट की आवाजें) सबसे स्वालम्बी प्रदेश साबित होगा।

मान्यवर, वहां के लोग आन्दोलित हैं उनका विश्वास है कि हमारे विकास का मुद्दा हरित प्रदेश का निर्माण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की धैर्य की परीक्षा न लें क्योंकि लोगों का मानना है कि जब तक आन्दोलन उग्र नहीं होगा तब तक सड़कों पर लाठी गोली नहीं चलेगी, खून नहीं बहेगा तब तक हरित प्रदेश का निर्माण नहीं होगा। मान्यवर, वहां के लोग बुजदिल नहीं हैं वह हर प्रकार की कुरबानी करने को तैयार हैं इसलिये कहता हूं कि उनके धैर्य की परीक्षा न लें। अगर उनके सब्र का पैमाना टूट गया तो कुछ भी हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होगी। इस सदन में बैठे हुए लोगों की होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है हरित प्रदेश के निर्माण का, पूर्वांचल के निर्माण का, बुन्देलखण्ड के निर्माण का इस पर आप लोग बहस करें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री किरनपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर अभी जिस संकल्प पर चर्चा हुई उसमें माननीय समरपाल जी ने कुछ बातें रखी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में सौतेला व्यवहार और वहां विकास कम है। मैं उनकी इस भावना से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, लोकदल एक छोटा दल है और आज इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुए थोड़ा और छोटा नजर आ रहा है। प्रस्ताव पर दस्तखत पूरे लोगों के नहीं हैं जो कल लोकदल के नेता विधान सभा के अन्दर थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं लोक निर्माण मंत्री वह भी हाउस में थीं। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा हो रहीं है, सारा प्रदेश देख रहा है। इस प्रस्ताव पर चर्चा, संकल्प पर चर्चा के बाद यह सरकार रहेगी या गिरेगी, इतना महत्वपूर्ण सवाल है ऐसे सवाल के ऊपर हम लोग संजीदगी से सुन रहे हैं लेकिन जिस दल ने यह प्रस्ताव रखा है उस दल के नेता यहां मौजूद नहीं हैं और शायद मैं अनुमान लगा सकता हूं कि जब तक इस संकल्प पर चर्चा रहेगी वह सदन में आयेंगे भी नहीं। सदन चाहता था कि जिस दल के हमारे माननीय सदस्य ने अपने दल की आवाज यहां सदन में रखी है उनके नेता को, सदन में जो नेता हैं उनके विचार क्या हैं क्या वह वही कहना चाहते हैं, क्या उनके नेता के विचार भी वहीं हैं जो उनके दल के एक माननीय सदस्य ने अभी रखा है। मेरा कहना है कि इस संकल्प पर लोकदल के जो विधान सभा के नेता हैं वह भी बोलें उनकी राय आनी चाहिये कहीं ऐसा तो नहीं कि इस छोटे दल के दो दल बन रहे हों कुछ लोग इसके विरोध में हों और कुछ लोग इसके समर्थन में हों ऐसा प्रतीत हो रहा है।

मान्यवर, जब चुनाव चल रहे थे सबको पता है कि इनके मैनीफेस्टो की जानकारी है अखबार से जानकारी सब लोगों को मिली है। लोकदल ने अपना सबसे पहला प्रस्ताव रखा था जनता के सामने कि जो भी दल हरित प्रदेश की मांग का समर्थन करेगा उसका निर्माण करेगा, लोकदल उसी को समर्थन देगा। माननीय समरपाल जी मैं बड़े अदब के साथ, फागू चौहान साहब आप हम एक दल में रहे हैं, माननीय समरपाल जी हमारे छोटे भाई हैं मैंने बड़े अदब के साथ उनको सुना है मैं यह कह रहा था कि जब जनता से यह वायदा किया था कि जो हरित प्रदेश का निर्माण करेगा, जो इसका समर्थन करेगा, हम उसका साथ देंगे तो आपने क्या किया है। जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, अच्छा सलूक नहीं किया है। क्या जनता के हितों से खिलवाड़ करेंगे। मै स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से आता हूं उस इलाके की खुशहालियत व तरक्की के लिये जरूरत पड़ेगी तो खून से भी सींचना पसन्द करूंगा लेकिन जो तर्कसंगत बाते हैं वह सुननी पड़ेगी,

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप भी आते हैं मै भी आता हूं जनता कह रही है कि जो जनता से वायदे किये हैं लोकदल ने वह पूरे नहीं किये उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई दल सत्ता का सुख भोगे और उसकी सरकार में रहते-रहते विरोध भी करे, यह कौन सा चलन आप पैदा कर रहे हैं। आपके दल के लोग लालबत्ती लगाकर सड़कों को रौंद रहे हैं और उन्हीं सड़कों में गड्ढे भी कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समर्थन नहीं देती है तो आप किस मुंह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सारे प्रस्ताव पास हो गये हैं सारे बजट पास हो रहे हैं। सिंचाई विभाग का बजट ले लें, पी0 डब्लू0 डी0 का बजट ले लें। इसलिये मैं कहना चाहूंगा इस मांग के बारे में कि यह कोई मामला नहीं है सिर्फ लोगों के वोट के लिये लोगों के जजबात को भड़काने के लिये आप इसको मुद्दा बनाये हुए हैं। आज मैं कहना चाहूंगा कि आपके नेता का आधार होना चाहिए था यदि आपकी बात सरकार नहीं मानती, बहुजन समाज पार्टी के नेता बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य सहयोगी दल। आज तक विधान सभा की कार्यवाही में दोनों दलों के नेताओं ने आपके दल का एक भी बार नाम नहीं लिया। मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ठीक है आपने जो मांग रखी है क्या आपके कार्य भी ऐसे हैं। इसी विधान सभा सत्र में जिस इलाके की आपने बात की है। आपने सारे प्रदेश का जिक्र कर दिया है। मिजोरम का भी कर देते, मेघालय का भी कर देते आप केवल वही मांग कर रहे हैं। केवल हरित प्रदेश की मांग करना चाहिए।

मैंने इस सदन में कहा है जब आपको उस इलाके के लोगों से इतना लगाव है तो जो भी विषय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस सदन में आये हैं, हमने उठाये हैं आपने किसी का साथ दिया है। बुलन्दशहर में ठाकुरों को जो पुलिस अधिकारी थे उनके तबादले हो गये। आप मंत्री थे, आपका समर्थन था। आपने कितना साथ दिया। इतना ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास निधि की बात करते हैं क्या आप दोनों मंत्रियों की कलम उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास निधि को घटवाने में नहीं लगी है। आप मांग रहे हैं, राजा बनते हैं और भिखारी की तरह मांग रहे हैं। आप कलम चलाइये और अलग हो जाइये। मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक सवाल आया था हमारे छपरौली के साथी का, सवाल था विधान सभा में अभी परसों यह सवाल आया था। सवाल था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि स्व0 चौधरी चरण सिंह की स्मृति में क्या सरकार प्रदेश में चरण सिंह ग्राम्य विकास योजना चलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका जो जवाब था जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। इतना बेदर्दी से सरकार का जवाब आया और आप इनके साझीदार बने बैठे हैं।

श्री अजय कुमार-

यहां पर प्रदेश के पुनर्गठन की. मांग की जा रही है न कि किसी पार्टी विशेष पर बात हो रही है। आप यह कह सकते हैं कि हमें पुनर्गठन चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन दूसरे दलों पर अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे दल का लक्ष्य पवित्र हैं। आप कह सकते हैं कि हम पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी-व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय सदस्य ने मेरे जज्बातों को नहीं समझा। हम सभी लोगों का चौधरी चरण सिंह से लगाव रहा है यह प्रश्न जिसका मैंने जिक्र किया यह द्वितीय सत्र 2002 के चौथे सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या-6 के रूप में आया था। इस प्रश्न का जो जवाब आया, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। लागू नहीं होता। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, आपको नहीं आया तो मैं क्या करूं ? आप मदद करते रहे उनका समर्थन करते रहे। मुझें याद है माननीय समरपाल सिंह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेन्च का सवाल किया था। मैं भी सदन में कई बार आया हूं और मैंने भी इस सवाल को कई बार उठाया है। आन्दोलन हुए हैं और पिछले वर्ष जब चुनाव थे तब सबसे बड़ा आन्दोलन शुरू हुआ था। इस मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों की हड़ताल रही, सारा उत्तर प्रदेश बन्द रहा। छः महीने यह आन्दोलन चला उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेन्च की स्थापना की घोषणा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के दबाव में, जो इलाहाबाद वाले हैं तथा दिल्ली में बैठे हैं, छः महीने आन्दोलन चलने के बाद जब यह पूरे शबाब पर था और हाई कोर्ट की बेंच बनने वाली थी आन्दोलन वालों की पीठ में छुरा भोंका ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बड़े अदब से बातें कह रहा हूं मैं तो सिर्फ हो चुकी बातों को याद दिला रहा हूं, मैं आपसे कम पढ़ा-लिखा नहीं हूं, आप सरकार से इस प्रस्ताव को पास कराइये, मैं साथ देने के लिये खड़ा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि.....

(व्यवधान)

जिस समय पर यह चर्चा चल रही है, उसके लिये अगर आप पसीना बहायेंगे तो मैं उसको अपने खून की एक-एक बूंद से सींचने के लिये तैयार हूं । आपने हमारे नेता के बारे में कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चाहे कोई भाषण हो, कोई प्रेस कान्फ्रेन्स हो, कोई वक्तव्य हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोसे बिना, गाली दिये बिना, कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी कोई अपशब्द नहीं कहा, उनकी शान में कभी कोई गुस्ताखी नहीं की।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं जब बोलता हूं तो यह उछल जाते हैं। मान्यवर, इन्होंने जनता से जो वादा किया था हरित प्रदेश के वादे पर यह चुनाव जीत कर आये, मैं वादा करके नहीं आया और आपने जिस दिन से चुनाव जीता उसी दिन से हरित प्रदेश एक कोने में पड़ा है। हरित प्रदेश और आपके बीच में जो कुर्सी पड़ी है उसे ठोकर मारो और हमारे साथ आ जाओ। आप समझते हैं कि मंत्री बड़ा होता है, हमारे दृष्टिकोण से मंत्री नहीं नेता बड़ा है। आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाओ तो बहुत से मामले परे हो जायेंगे। मंत्री की कुर्सी देखी टूट पड़े, लाल बत्ती गाड़ी देखी उछल पड़े, आप इन बातों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भला कर पायेंगे नहीं कर पायेंगे। आप सारा बजट का भाषण देख लें, उसमें कुछ भी तो नहीं है। अभी गन्ना का बकाया भुगतान का सवाल है, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र के किसानों के गन्ना भुगतान के लिये कहा, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में कभी कुछ सरकार से कहा या भुगतान को लेकर सरकार पर कभी कोई दबाव बनाया ? माननीय समरपाल जी मेरे भाई आपने किसानों की चर्चा

कभी की। ओम प्रकाश सिंह जी कभी उन किसानों की हिमायत की, लेकिन आप तो कुर्सी के चक्कर में हो, वरना गन्ना बकाये का पेमेण्ट एक ही महीने में हो सकता है, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं की और न ही उम्मीद है कि ऐसी हिम्मत दिखाओगे। मान्यवर, पौने 800 करोड़ बकाया है, जो यहां बोला गया उसी के बारे में बोल रहा हूं। किसान भूखों मर रहे हैं, उनकी कुर्की हो रही है, रिकवरी हो रही है। जो दर्द है क्या आप उस दर्द को देने वाले नहीं हैं, दवा भी आपके हाथ में है, अब आपको फैसला करना है कि आप जनता को दर्द देते हैं या दवा देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक हित के लिये अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूं, पश्चिमी उ0 प्र0 के हर एक हित के लिए, उसकी भलाई के लिये सदैव तत्पर हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका लाख-लाख आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बड़े भाई समरपाल सिंह जी का जो प्रस्ताव आया है मैं उसका हृदय से समर्थन और स्वागत करता हूं। क्योंकि ये सत्ता के घटक दल हैं इसलिये सत्ता दल के नेता की तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए था, सरकारी प्रस्ताव आना चाहिए था फिर भी किसी न किसी रूप में हमारे साथी ने जो हरित प्रदेश/पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल की बात रखी, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। साथ ही साथ किरनपाल सिंह जी का समर्थन करता हूं कि बड़े बहादुरी के साथ उन्होंने जो बातें कही उसको दोहराऊंगा नहीं। जो बातं उन्होंने कही हैं वह शत प्रतिशत ठीक हैं। हमारे लोकदल के साथी जो सत्ता में भागीदार हैं अगर वह वोटिंग करायें तो समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं होगी और हरित प्रदेश का मुद्दा पास हो जायेगा। हम लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं हमारे आदमी उनके साथ खड़े होंगे। मैं चाहूंगा कि हरित प्रदेश के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं उनसे हाथ उठवाये जायं हमारे साथ अपने-आप उठ जायेंगे और स0पा0 के साथियों की जरूरत नहीं होगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेन्च स्थापित करने के बारे में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट काफी दिनों पहले सम्मिट हो चुकी है लेकिन इलाहाबाद से चुने हुए जो नुमाइदे चाहे यहां बैठते हैं या दिल्ली की सरकार में बैठते हैं उन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर आन्दोलन चला उसमें मैं 15 दिन तक जेल में रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने 6 महीनें तक आन्दोलन किया, उनकी मांग थी कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा या मेरठ में बने, कोई झगड़ा नहीं था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया बल्कि आन्दोलन को दबाने का काम किया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक जाग चुका है। अब हमें हाईकोर्ट से ऊपर उठकर हरित प्रदेश की मांग पर आना पड़ा। अब हम हरित प्रदेश बनवाकर रहेंगे। अभी समरपाल सिंह जी ने बच्चों के लिये स्कूलों की बात कही मान्यवर, मैं गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, मां-बाप अभिभावक भिखारी की तरह स्कूलों में जाते हैं लेकिन उनके बच्चों को स्कूलों में जगह नहीं मिलती। जो अध्यापक इण्टरमीडिएट कालेज या डिग्री कालेजेज से रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह भर्ती नहीं हुई है।

मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग करायें। तमाम नेता यहां पर उपस्थित हैं। प्रदेश के पुनर्गठन के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाये ताकि कोई सीमा विवाद न रहे जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में हो रहा है।

मान्यवर, एक तरफ अजीत सिंह जी हैं जो केन्द्र सरकार में बैठे है। मैं उनका आदर करता हूं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी मेरे पिता जी के साथ हाकी खेला करते थे और उन्होंने हमारे बाबा के बस्ते से वकालत शुरू की थी। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आदर करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब की मूर्ति यहां पर स्थापित करवाई। मैं इस बात के प्रति मुलायम सिंह का अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेर माननीय चौधरी चरण सिंह जी की इज्जत रखते हुए, सम्मान करते हुए उनकी मूर्ति की स्थापना करवाई।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा का समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मैं समरपाल जी की बात का समर्थन करता हूं। मैं इसी तरह समरपाल जी से कहना चाहता हूं कि इस्तीफा देकर सरकार से अलग हो जायें। उनको अपनी खुद मुखतारी का एलान करना चाहिये। मैं उनकी खुद मुखतारी को चैलेन्ज करता हूं। बुलन्दशहर काण्ड हुआ था। माननीय प्रमोद तिवारी जी न वह लड़ाई लड़ी। मैं समरपाल जी से कहना चाहता हूं कि दोहरा चरित्र अपनायें, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उनको सरकार से इस्तीफा देकर वह लड़ाई लड़नी चाहिये।

प्रदेश के पुनर्गठन विषयक नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री कृपया प्रस्ताव लायें।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

*संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये आधा घण्टा समय और बढ़ा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश का पुनगर्ठन कर तीन भागों में विभाजित करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने विषयक श्री समरपाल सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, आज नहरों में पानी नहीं आ रहा है लेकिन जब नहर विभाग का बजट आया है तब यह लोग दोनों हाथों से तालियां और तबला बजाने लगते हैं। मैं इनकी खुद मुखतारी को जगाना चाहता हूं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश चाहते हैं तो कुर्बानी दें बिना कुर्बानी दिये कोई चीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं मिलती। हमारे देश को आजादी मिली उसके लिये बहुस से लोगों ने कुर्बानियां दीं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, अब्दुल हमीद, लाला लाजपत राय जैसे लोग शहीद हुए, अपनी कुर्बानी दी तब हमें आजादी मिली। अगर हरित प्रदेश चाहते हैं तो कुर्बानी दें और इस्तीफा देकर इधर आ जायें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब नाव चलती है तो उसका कोई माझी होता है तो लोकदल का माझी कौन है ?

श्री सुखदेव राजभर-

हम लोग ही पार कर देंगे। हमें ही मांझी मान लें।

श्री प्रमोद कुमार-

ऐसा मांझी हो तो जरूर पार कर पायेंगे। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर हर दल के नेता अपने विचार रखें जिससे पता लग जाय कि इन दलों के विचार क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि टण्डन जी को बुला लिया जाय, मायावती जी को बुला लें व अन्य दलों के नेताओं के विचार सुन लें अगर भा0ज0पा0 और ब0स0पा0 नहीं समर्थन करती हैं इसके प्रस्ताव का तो नैतिकता का ताकाजा यह है कि चुपचाप जाकर अपना समर्थन प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री शाहिद मंजूर-

अधिष्ठाता महोदय, चौधरी समरपाल सिंह जी के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे साथी लोकदल के इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। मैं कहता हूं कि आप इस्तीफा देकर इधर आ जाइये। लोकदल के साथियों को यह तब करना होगा कि इसके लिये लड़ाई लड़नी है या सत्ता का सुख भोगना है। यह उनको तय करना है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नेतागण हैं कौकब साहब हैं हुकुम सिंह हैं, अनुराधा [x x x] हैं, रवि गौतम हैं ...

श्री अधिष्ठाता-

[x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

*श्री शाहिद मंजूर-

चाहे अनुराधा चौधरी हों।

रवि गौतम जी हैं। अभी हमारे आदरणीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी हैं, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हैं, हमारे हाजी याकूब साहब थे। सारे के सारे सत्ता पक्ष में बैठे हैं। यह सब जितने पश्चिम के साथी हैं यह तय कर लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बारे में हरित प्रदेश के बंटवारे के बारे में जो भी इनके दल के नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सब तय कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री शाहिद मंजूर-

एक तरफ मान्यवर, यह सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। एक तरफ सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा देकर उनके मान और सम्मान को बेचना चाहते हैं। आज हमको यह तय करना होगा कि यह इधर बैठना चाहते हैं या उधर बैठना। एक शेर सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने लोक निर्माण मंत्री के लिये अनुराधा [x x x] बुलाया। अनुराधा [x x x] के बारे में आप नहीं जानते हैं वह विश्व प्रसिद्ध गायिका हैं। अनुराधा चौधरी हमारी सम्मानित मंत्री हैं और इस तरह की बात करते हैं। गम्भीरता से नहीं लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

[x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री शाहिद मंजूर-

बड़े भाई चौधरी समरपाल जी को खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में एक शेर सुनाना चाहता हूं।

परख सके ना मोहब्बत के,
आबगीनो को।
मिली जो फुर्सत तमकीने गम।
कमीनों को ।।
ना पल रहे हो कहीं इनमें।
सांप जहरीले ।।
झटक के देख तो लो अपनी
आस्तीनों को।।

* श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भाई समरपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, कुछ मेरे समझने में कमी आ रही है। विपक्ष के साथी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। क्या आपकी कृपा इधर ही रहेगी, कुछ उधर भी होगी ?

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

जो लिस्ट मेरे पास आई है उसी से बुलवा रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम जो लिस्ट आपको भेजते हैं आपके लिये वह लिस्ट बाध्यता नहीं है। आप अपनी पीठ से, आप अपने जेहन से, सोचकर फैसला करेंगे कि किसे बुलवाना है किसे नहीं। हमारी लिस्ट आपके लिये बाध्यता नहीं हैं एक बात। दूसरी बात यह कि सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों को बुलायें यह बाध्यता नहीं है। हम यह चाहेंगे कि इतनी कृपा जो हमारे ऊपर आपकी हो रही है इसमें थोड़ी सी कमी कर दें, आज और थोड़ा उधर से भी बुलवायें।

श्री अधिष्ठाता-

जब उधर से कोई बोलना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती थोड़ा बुलवाया जायेगा।

श्री विजेन्द्र सिंह-

भाई समरपाल जी ने प्रस्ताव नहीं पीड़ा व्यक्त की है "समझ-समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है" मैं जानता हूं नये प्रदेश के सृजन की मांग उठती है तब क्यों पीड़ा होती है ? जब कोई न कोई स्थिति पैदा होती है हो सकता है निवर्तमान सरकारें रही हों। कहीं नया सुधार हुआ हो मान्यवर, इन्होंने कहा होगा भेद-भाव हो रहा है वहां की जनता की भावनाओं से सौदा किया हो कि चाहे जो सरकार हो हम हरित प्रदेश बनवा देंगे। मान्यवर, लोकतंत्र में मूल्यों को पैदा करने के लिये बहुत लोग देश में कुर्बानियां देते हैं और उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है कि हमें यहां बैठने को मिला है। यह एक व्यवस्था है कि जनता ने अपने दुख दर्द के लिये हमें यहां चुनकर भेजा है उस दायित्व की पूर्ति के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जो सदन में प्रस्ताव लाया गया है यह सरासर धोखा है। आप सदन के बाहर और सदन के अन्दर क्या कहते हैं मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ आपने बार-बार आगरा मथुरा मेरठ की बात कही है मैं इस वस्तुस्थिति का उल्लेख करना चाहता हूँ मान्यवर, जो सरकार में मंत्री बने बैठे हैं लोकदल के नेता, उनको चाहिए था कि आज बहस के समय सदन में मौजूद रहते। समरपाल जी जो प्रस्ताव लाये हैं उसमें दोनों मंत्रियों के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

जब वोट लेना था तो कहा गया यह हमारे घोषणा पत्र में है पहले नम्बर पर है जनता से कहा गया कि हरित प्रदेश बनवायेंगे, बसपा के खिलाफ जनमत मांगा गया जब इनके नेता बड़ी-बड़ी विशाल जनसभाओं में जाते थे तो इस बात को कहते थे। मेरे क्षेत्र में 14 फरवरी को विशाल जनसभा हो रही थी उसमें अजीत सिंह ने कहा था इस सूर से दूर रहना, हाथ हिलाकर उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि डा0 अम्बेदकर का हाथ जहां तक जा रहा है वहां तक की जमीन लेकर यह गरीबों में आवंटित करा देंगे उन्होंने घोषणा की थी कि किसी कीमत पर बसपा से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया प्रस्ताव ला रहे हैं इनके मंत्री नहीं हैं और बार-बार आपके नेता दिल्ली से प्रस्ताव वापस लेने के लिये फोन कर रहे हैं। इसके बावजूद कि आपके मंत्री इस सरकार में बने हुए हैं तो दोनों काम नहीं हो सकते हैं या तो वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें या फिर प्रस्ताव वापस लें। इसी कीमत पर जनता ने समर्थन दिया है आप सरकार से कहें और सरकारी प्रस्ताव लायें । अगर यह प्रस्ताव

सरकारी प्रस्ताव होता तो पूरे प्रदेश की जनता आपकी तारीफ करती कि सरकार लोकदल को कीमत देना चाहती है, जिसका समर्थन लिया हैं लेकिन जनता का शोषण हो रहा है शोषण के बदले जनता को हरित प्रदेश मिल जाता तभी भी ठीक था । 2.5 वर्ग में प्रदेश फैला है इस प्रदेश की जनता 17 करोड़ है, तो यह 17 करोड़ जनता की बात है नीयत साफ होनी चाहिए क्योंकि आपने इनके खिलाफ जनमत मांगा है। भाजपा के लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह जी हैं उनके सामने फरवरी के पहले सप्ताह में आगरा में प्रधान मंत्री की जनसभा हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन का मामला आपके यहां विचाराधीन है तो माननीय प्रधान मंत्री श्री बाजपेयी जी ने घोषणा किया था कि हमारे घोषणा-पत्र में किसी ऐसे प्रदेश का गठन विचाराधीन नहीं है। आप विभिन्न घोषणा-पत्र में चुनकर आये हैं। विचार आपके अलग-अलग हैं, उद्देश्य अलग हैं, नियम अलग हैं इसके बावजूद सरकार चला रहे हो। यदि वास्तव में हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं तो सरकार का साथ छोड़ दीजिये और यदि सरकार का साथ देना चाह रहे हैं तो सरकारी प्रस्ताव लेकर आयें। हम आपका साथ देंगे। अभी 25 अगस्त को भाई अजीत सिंह जी अलीगढ़ में व्यापार सम्मेलन में आये थे। उन्होंने कहा कि जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एम0 एल0 ए0 हरित प्रदेश का समर्थन नहीं करेगा उसे हम तनखैया घोषित करेंगे आप समर्थन दे रहे हैं, सहयोगी दल है। तो क्या सरकार को तनखैया घोषित करेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सिद्धान्त, रीति रिवाज, नीति, भाव यह स्पष्ट होने चाहिए। बेहतर होता आज यहां पर बहन कुमारी मायावती होती, टंडन जी बैठे हैं वह बता देंगे।

मान्यवर, जनता ने अपनी भावनाओं से ओत प्रोत होकर इनको भेजा है और आप क्या कर रहे हैं ? यह जनता के साथ धोखा हैं या तो आप सरकारी प्रस्ताव लायें या फिर सरकार से इस्तीफा दें। मान्यवर, यदि यह सदन प्रस्ताव नहीं करता है तो संविधान के अनुच्छेद 4 में दिया है कि भारत सरकार को अधिकार है कि वह बिना किसी प्रस्ताव के गठन कर सकती है। उसी सरकार में अजीत सिंह जी बैठे हैं, प्रस्ताव पास हो या न हो, हरित प्रदेश का गठन करा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हम इस घोषणा-पत्र में चुनकर नहीं आये हैं, आप आये हैं। हम तो अपने दम पर आये हैं उसके बावजूद भी जनता की भावनाओं का आदर कर रहे हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो तीन रंग की पगड़ी आप पहनते हैं।

(व्यवधान)

जब आपकी पगड़ी हरी होती है तो हरित प्रदेश के बारे में कहते हो, जब आपकी पगड़ी पीली होती है तो दिल्ली में होते हैं और जब आप सदन में बैठते हैं तो आपकी पगड़ी नीली हो जाती है। मान्यवर, हमारी पार्टी का सिद्धान्त रहा है कि हम जनता की भावनाओं का आदर करते हैं। आप अगर सरकारी प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्गठन आयोग का गठन हो, भौगोलिक, खान-पान, रीति-रिवाज, आर्थिक श्रोत के आधार पर इसका मूल्यांकन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्याण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और प्रस्ताव पर पूरे प्रदेश की जनता की निगाह लगी हुई है कई विद्वान सदस्य बोल चुके हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इसमें दल के सभी नेताओं को बोलना चाहिये, अपना दृष्टिकोण रखना चाहिये। मान्यवर, अच्छा यह होता कि आज इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के समय माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी सदन में होतीं। आज किसी का इम्तिहान नहीं हो रहा है। हमारा इम्तिहान इसलिये नहीं हो रहा है क्योंकि विधान सभा के गत चुनाव में हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। सपा ने भी नहीं उठाया था और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। भाजपा ने भी नहीं उठाया था। बसपा ने भी नहीं उठाया था। इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय लोकदल ने। इसलिये यहां आज राष्ट्रीय लोकदल का इम्तिहान हो रहा है। यह प्रस्ताव एक नहीं है। इस प्रस्ताव के पक्ष में दो फाड़ हो गये हैं। एक राष्ट्रीय लोकदल का है और दूसरा राष्ट्रीय लोकल दल का है। यह प्रस्ताव लोकदल द्वारा लाया गया है। हम यह कैसे मान लें कि लोकदल यह प्रस्ताव पारित कराने में गम्भीर है। यदि आप गम्भीर होते तो यह प्रस्ताव आपकी सरकार की तरफ से आता।

जब मैं मुख्य मंत्री था तो उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था और दूसरी बार भी वह प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था यदि आप इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से लाते हैं तो यह सदन आपका समर्थन करेगा। इस सरकार के पास 217 का बहुमत है। प्रस्ताव प्रस्तुत करके हां या ना कहकर भी पारित करवा सकते हैं। आप इस सरकार में हैं आप बसपा से कहिए, भाजपा से कहिए कि वे इस प्रस्ताव के समर्थन में अपना वोट दें। अगर यह आपकी मांग को नहीं मानते हैं तो छोड़ दीजिये इस सरकार को। रालोद ने घोषणा की थी कि जो दल हरित प्रदेश का समर्थन करेगा हम उसी को समर्थन देंगे। इसलिये अब यह आपका इम्तिहान है। आपको उस वायदे को निभाना है।

श्री प्रमोद कुमार-

श्री लालजी टण्डन जी चल दिये। यह तो लड़ाई के पहले ही मैदान छोड़ दिये।

श्री कल्याण सिंह-

मैं कहना चाहता हूं कि आपके लोकदल के जो असली नेता हैं वह यहां पर हैं नहीं। वह यहां पर होने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि वह खुद नहीं चाहते कि यह प्रस्ताव पारित हो। श्रीमन्, प्रस्ताव पारित करने के लिये आपके पास बहुमत है बशर्ते यह आपकी बात को मानने के लिये तैयार हों, श्रीमन्, अगर यह पास नहीं हुआ तो क्षमा कीजियेगा जनता यह समझेगी कि माननीय समरपाल सिंह जी के द्वारा रखा गया प्रस्ताव केवल एक दिखावा था जनता के साथ धोखा था। यह सुनने के लिये आप तैयार रहियेगा। आपके नेता ने कहा है कि जो प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा वह तन्खइया घोषित कर दिया जायेगा तो क्या मायावती जी को आप तन्खइया घोषित करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को, मा0 टण्डन जी को हमारे पुराने विश्वासपात्र मा0 हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं और क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को आप तन्खइया घोषित करेंगे और अगर तन्खइया घोषित नहीं करेंगे और आपका समर्थन जारी रहेगा तो आप तो तन्खइया के भी दास तन्खइया हो गये।

मान्यवर, एक छोटी सी कहानी याद आती है।

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन विषयक नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

इसका समय समाप्त हो रहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसका समय बढ़ा दिया जाय।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधे घण्टे का समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है सदन सहमत है।

उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर तीन भागों में विभाजित करके हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किये जाने विषयक श्री समरपाल सिंह आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, जब तक प्रत्येक सदस्य न बोल लें तब तक इस पर चर्चा जारी रखी जाये यह मेरी प्रार्थना है।

मान्यवर, कहानी है एक सेठ जी के यहां एक नौकर काम करता था बहुत दिन से काम करता था। एक दिन सेठ जी खाना खाने बैठे तो उसने कहा कि महंगाई बढ़ गयी है, तन्ख्वाह बहुत ही कम है या तो तन्ख्वाह बढ़ा दें वरना..... सेठ जी ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर अगले दिन जब सेठ जी खाना खाने बैठे तो नौकर ने कहा कि क़ल मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा था, आपने जवाब नहीं दिया आज दूसरी बार कह रहा हूं। आप तनख्वाह बढ़ा दे वरना..... फिर सेठ जी ने हाथ मुंह धोया और चल दिये फिर तीसरे दिन जब सेठ जी खाना खाने बैठे तो उसने कहा कि मैंने परसों आपसे कहा था, कल दुबारा कहा और आखिरी बार कह रहा हूं कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें वरना,.....। तो सेठ जी ने कहा वरना तू क्या कर लेगा। उसने कहा जितनी आप दे रहे हो उतने पर ही काम करता रहूंगा। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) तो श्रीमन्, समरपाल जी की हालत और पूरे लोकल दल की हालत तो ऐसी है कि या तो हरित प्रदेश दो वरना, फिर कहेंगे हरित प्रदेश दो वरना फिर कहेंगे कि हरित प्रदेश दो, वरना और फिर यह कहेंगे कि वह कहेंगे कि वरना क्या, तो फिर यह कहेंगे कि हुजूर मैं आपकी ही शरणागत होकर मैं आपका समर्थन करता रहूंगा। अगर आप ईमानदारी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चाहते हैं वहां सड़क, सिंचाई, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा हो, कुछ काम हो इस सब का इन्तजाम होना चाहिए किससे कह रहे हैं आप। आपके पूरे भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना है, तीन चौथाई भाषण आपने सरकार की आलोचना में लगाया है और उस सरकार की आलोचना में लगाया है जिसमें लोकदल शामिल है।

(स्वामी ओइमवेश के टोकाटाकी पर व्यवधान)

श्रीमन्, मैं माननीय स्वामी जी की बात का उत्तर देना चाहता हूं। यहां इसी विधान सभा के अन्दर इधर से माननीय समरपाल जी का प्रस्ताव था और जो भाषण आज इन्होंने दिया है वैसा ही इन्होंने लगभग तब दिया था और उसमें अध्यक्ष पीठ से यह आदेश हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों को बुलाकर बात कर ली जाय। मान्यवर, हुकुम सिंह जी हमारे साथी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे। वह बैठे, हम बैठे और लोग बैठे और उनकी बात सुनी, प्रदेश के अन्दर जो असन्तुलन है उसको दूर होना चाहिए और इसी नाते बुन्देलखण्ड की 50 करोड़ विकास निधि पूर्वांचल की 150 करोड़ की विकास निधि का प्राविधान है मान्यवर, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के असंतुलन को दूर करने के लिये अपने जमाने में 1149 करोड़ की विकास निधि बना दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि हम चले गये, राम प्रकाश जी आये उसमें क्या किया। उसके बाद राजनाथ सिंह जी आये उन्होंने क्या किया 1149 करोड़ के पैकेज पर पैकेज की कहां पर आवाज उठायी लोकदल ने मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के बारे में हमने वादा किया था आज वह बना हुआ है। मैंने 1149 करोड़ रुपये को पैकेज स्वीकार किया था ऐसे पोलिटिकल हालात पैदा हुए कि हम हटा दिये गये मैं कहना चाहता हूं आपने क्या किया। 1149 करोड़ का पैकेज तैयार किया था हमने चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लियें लेकिन आपने क्या किया ? आज भी कह रहा हूं कि क्या कोई मांग इसके बारे में की है ? आप यहां भी सरकार में हैं और केन्द्र में भी हैं। आप हरित प्रदेश बनाने के इस प्रस्ताव को सरकार में रहते हुए पास करायें कि पहले सत्ता पक्ष के हाथ उठवायें आप फिर हमसे अपेक्षा करें। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक डवलप समस्या है। इसका समाधान टुकड़ों में सोचने के बजाय इसके लिये एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाय। भौगोलिक इकाई, प्रशासनिक दक्षता और विकास और संसाधन, निर्भरता आत्मनिर्भरता इन चार बातों को लेकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बने।

श्रीमन्, पहले भाषा के आधार पर प्रान्तों की संरचना हुई थी लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं रहा। मान्यवर, हमने तो उत्तरांचल बनाया, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना हम आपकी भावनाओं के विरोध में नहीं हैं। लेकिन कुछ करो तो आज यहां खड़े होकर कह दो कि हमने समर्थन वापस लिया। सच कहता हूं हरित प्रदेश बनाने के मुद्दे को बड़ी भारी ताकत मिल जायेगी। मुद्दा केवल इतना सा है कि भाई अगर प्रस्ताव लाये हो तो फिर सरकार से उसका समर्थन कराइयेगा और अगर सरकार में बैठे हुए लोग बसपा या भाजपा आपके प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते और श्रीमन्, कोकब हमीद और अनुराधा चौधरी आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं तो ईमानदारी का जरा भी कोई हल्का अंश है तो इसी सदन में प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद कह देना कि मैं समर्थन वापस लेता हूं। मैं लम्बा नहीं जाना चाहतां इस प्रस्ताव की भावनाओं का मैं आदर करता हूं परन्तु अभी आपकी नीयत पर हमको यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस प्रस्ताव को ईमानदारी के साथ लाये हो। अरे, आप हीरो बन जाओंगे, क्या बात करते हो। प्रमोद तिवारी जी अभी आपको हीरो मानने को तैयार हैं वहां तो पुराने-पुराने लोग लाइन में लगे है। कम से कम भाजपा के लोगों को तो बात उठानी चाहिए। भाजपा ने एक प्रयोग करके देख तो लिया।

भाजपा ने जिस दिन हमको अपमानित करके निकाला मैंने उसी दिन कह दिया था कि भा0 ज0 पा0 ने अपनी मौत के वारण्ट पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम तब भी हीरो थे आज भी हीरो हैं। कोई पद हीरो नहीं बनाता है हीरो उसकी योग्यता बनाती हैं मेरे अच्छे-अच्छे भाजपा के मित्रों आप 176 थे और इस समय 88 हैं, बड़ी तरक्की की है आपने। आज हमारी भविष्यवाणी नोट कर

ली जाये कि अगले चुनाव में 88 से भी नीचे 28 पर आ जाओगे। मैं समूचे विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि आओ, इकट्ठे आओ, साझे की लड़ाई लड़ो, प्रदेश बचाना है और भारत की जो फासिस्ट सरकार है उससे देश का बचाना है देश को मुक्त कराना हैं छोटी-मोटी बातों को छोड़कर एक मंच पर आओ।

(स्वामी ओइमवेश के बोलने से व्यवधान)

श्रीमन्, हम अपने परम श्रद्धेय स्वामी जी का बड़ा सम्मान करते हैं लेकिन जो वस्त्र-आभूषण आपने पहन रखे हैं, उनका लिहाज रखकर बोला जाये तो अच्छा है।

(दोनों पक्षों से टोका-टाकी पर व्यवधान)

* स्वामी ओइमवेश-

जिनके शीशे के मकान होते हैं, वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते।

श्री कल्याण सिंह-

हम तो श्रीमन्, समझ ही नहीं पाये और हमको याद आता है, बुजुर्ग हमसे यह कहा करते थे कि बहुत जरूरी नहीं है, जिन्दगी में, हर उलजुलूल बात का जवाब देना इसलिये मैं उसी सीख को मानकर जवाब नहीं देना चाहता हूं।

श्रीमन्, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये,, भाई समर पाल सिंह जी ने जो कहा, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि चाहे बुन्देलखण्ड का सवाल हो, पूर्वांचल का सवाल हो, पश्चिमांचल का सवाल हो और चाहे मध्य उत्तर प्रदेश का सवाल हो, क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये, उसके विकास के लिये अगर हमारे खून की आखिरी बूंद की भी आवश्यकता होगी तो मैं आखिरी बूंद तक देने के लिये तैयार हूं और अन्त में पुनः यह दोहराते हुए भाई समर पाल से कहना चाहूंगा कि इसको पास कराकर दिखाये अन्यथा यूं ही नौकरी करते रहोगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न हैं श्रीमन्, यह नियम-103 में चर्चा चल रही है और चर्चा के सम्बन्ध में सूची सुविधा के लिये आपके पास भेज दी जाती है। पीठ का विवेक होता है, चाहे अधिष्ठाता बैठे हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, जिसको उचित मानते हैं, उसको बुलवाते हैं अथवा सूची का प्रयोग करते हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस चर्चा में क्या भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कोई भी सदस्य विचार नहीं रखना चाहते हैं। क्या आपके पास इन दलों के नेताओं ने सूची भेजी है अथवा किसी सदस्य ने इस चर्चा में भाग लेने के लिये इच्छा या अनुमति प्राप्त नहीं करना चाहा हैं सदन को यह अवगत हो जाय उसके बाद आप दूसरी सूची को ले लें।

वैसे भी कभी एक ही दल के सदस्यों को बुलवाने की परम्परा नहीं रही है।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हां तो मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा था कि चर्चा में भाग लेने के लिये माननीय पीठ की सुविधा के लिये सूची भेज दी जाती है लेकिन पीठ का विवेक होता है मान्यवर, जिसको बोलवाना चाहें,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको बोलवा दें, लेकिन जो हो रहा है, यह परम्परा नहीं हैं आज नियम 103 की चर्चा में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों की ओर से कोई सूची हो तो उनको बोलवा लें, कोई अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहे तो बोलवा लें। मान्यवर, एक ही दल को बोलवाना ठीक नहीं है, इस पर श्रीमन्, आपकी व्यवस्था आ जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, बहुत चर्चा हो गई, अब इस प्रस्ताव पर वोटिंग करा दी जाय ?

श्री कल्याण सिंह-

यह जो प्रस्ताव आया है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रदेश की जनता यह जानना चाहेगी कि कौन-कौन सदस्य इसके पक्ष में बोले और किस-किस ने इसका विरोध किया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हां या नहीं के बजाय अगर हाथ उठवा लिया जाय जो पता चल जायेगा कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं?

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय समरपाल जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उस प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करते हुए सदन के समक्ष सभी साथियों से, पूरे सदन से और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ जो प्रदेश के पुनर्गठन का मामला है और पुनर्गठन की जो समस्या है यह बड़ी महत्वपूर्ण है। यह पूरे प्रदेश के जन-जन से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रदेश के हर व्यक्ति का हित समाहित है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जो आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक स्थिति है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव है, उसकी आर्थिक तंगी को देखते हुए जनसंख्या के दबाव के कारण उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय विकास में भी बाधक बना हुआ है और इसी वजह से हमारे साथियों ने चर्चा की। भाई समरपाल सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह सभी जानते हैं कि उ0 प्र0 परकैपिटा इन्कम बहुत कम है, हमारा सूबा ऐसा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम हैं आज जो हमारे प्रजातंत्र का स्तम्भ है।

मान्यवर, चाहे प्रदेश सरकार का कार्यालय हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू हो, चाहे माननीय बोर्ड आफ एजूकेशन हो, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो हमें अफसोस इस बात से होता है कि जनता और शासक के बीच में दूरी इतनी बढ़ गयी है कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति को न्याय पाने के लिये हाईकोर्ट जाना हो या राजधानी के कार्यालयों में जाना हो, तो वह उसकी पहुंच से बाहर हो गया है और जब मान्यवर, जनता और शासक के बीच दूरी हो जाती है तो उस स्थिति में प्रबन्धन और शासन की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जब हम जायेंगे तो कम से कम सात सौ आठ सौ किमी0 का सफर तय करना पड़ता हैं बलिया से लेकर गाजीपुर तक जो बिहार से लगा हुआ है, 24 घण्टे का सफर रेल से होता है। इतना बड़ा प्रदेश और इतने बड़े प्रदेश में सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये जिस हरित प्रदेश की मांग को लेकर के हम प्रस्ताव लेकर आये हैं और हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं। आज जो लोग पश्चिम के हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या हाईकोर्ट की है, इसके लिये इलाहाबाद और लखनऊ जाना पड़ता है, बोर्ड आफ रेवेन्यू की है, लखनऊ

और इलाहाबाद जाना पड़ता है, बोर्ड आफ एजूकेशन के लिए भी इलाहाबाद जाना पड़ता है, यह बहुत बड़ी समस्या हैं अगर ईमानदारी से सोचें और सुलभ प्रशासन और शासन उपलब्ध कराना है तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता हो गयी है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना चाहिए, यह नई मांग नहीं हैं फजल अली कमीशन की बात हमारे साथियों ने कही हैं 50 के दशक में फजल अली कमीशन बना और माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी जिसमें हृदय नाथ कुंजरू और के0 एम0 पाणिक्कर भी सदस्य थे। जो समिति की रिपोर्ट आयी उसे दबा दिया गया। उनके शब्दों को मैं उसी रूप में पढ़ना चाहूंगा- "50 के दशक में गठित राज्य पुनर्गठन की के0 एम0 पाणिक्कर की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेशों और संघीय इकाइयों के बीच में स्वस्थ पारम्परिक सम्बन्धों तथा छोटे प्रदेशों द्वारा प्रशासनिक एवं विकासात्मक प्रक्रियाओं के अधिक प्रभावशाली प्रबन्धन के लिये आवश्यक है कि छोटे-छोटे प्रदेशों का सृजन किया जाय।"

आगे फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के हितों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रदेश के बंटवारे से प्रदेश के निवासियों को कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी वस्तुतः प्रदेश के निवासियों का यह फायदा होगा कि उन्हें मौजूदा अत्यधिक आकार वाले अनियंत्रित प्रशासन से छुटकारा मिल जायेगा और परिणामस्वरूप उन्हें और अधिक कुशल प्रशासन प्राप्त हो जायेगा।" अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आज जिस उत्तर प्रदेश का हमारे साथियों ने जिक्र किया वह सबसे ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग देते हैं और सबसे ज्यादा कमाकर देने वाले ही आज सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, यह कहां का न्याय है ? यह न्याय इसलिये नहीं है कि एक बाप के अगर 4 बेटे हैं और उसमें एक बेटा कमाऊ पूत है तो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होगा कि वह जीवनभर कमाकर सबका पेट भरता रहे और उसमें मूलभूत आवश्यकताओं से उससे दूर कर दिया जायेगा और तीन बेटों पर बाप का प्यार भरी नजर रहेगी। तो मान्यवर, एक न एक दिन वह बेटा जो अलग-थलग है अपने हक हकूक के लिये, अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिये आगे आयेगा। हम हरित प्रदेश की मांग को लेकर आये हैं तो किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। हरित प्रदेश के लिये जगह-जगह आन्दोलन, प्रदर्शन, संघर्ष हो रहे हैं। मान्यवर, आपको बता देना चाहता हूं कि इसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा और राजस्थान से लगा हुआ है, हम जानते हैं कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, सबसे ज्यादा परेशानी हमें उठानी पड़ती है जिसकी सीमा हरियाणा से लगता है। हरियाणा नया प्रदेश जिसकी जमीन भी हमसे अच्छी नहीं है लेकिन हमसे बहुत अधिक तरक्की कर गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, समय हो गया है।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, पंजाब का बंटवारा हुआ, पंजाब से हिमांचल और हरियाणा प्रदेश अलग हुए, हिमांचल प्रदेश की धरती हमसे अच्छी नहीं लेकिन हिमांचल प्रदेश की भी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है। मान्यवर, मैं इस बात को बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे साथी कहते हैं कि बिजली दो घण्टे आती है, चार घण्टे आती है लेकिन मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि

हिमांचल प्रदेश जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर बसा हुआ है वहां दो हजार फिट की उंचाई पर कोई झोपड़ी बनी है तो भी उसमें एक बिजली का लट्टू चौबीस घण्टे जलता हुआ दिखाई देगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये। बढ़ा हुआ समय समाप्त हो गया।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। डा0 भीमराव अम्बेडकर हमारे जननायक रहे हैं उन्होंने कहा था कि बड़े हिन्दी भाषी राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिये और उनका बंटवारा होना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों तथा बिहार और मध्य प्रदेश को दो-दो राज्यों में बांट देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, राजनीति में मधुलिमये जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने और जय प्रकाश नारायण जी ने भी छोटे राज्यों की बात कही। मान्यवर, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता की माननीय किरनपाल सिंह जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1996 के लोक सभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र था उसमें प्रदेश के पुनर्गठन की बात रखी गयी थी। आज मुलायम सिंह उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

समय समाप्त हो गया है।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं वह हरित प्रदेश का विरोध कर रहे हैं जबकि आपके नेता ने 1996 के घोषणा-पत्र में इसका समर्थन किया है उसके समर्थन में हैं इसलिये जो आप हमारे नेता पर कीचड़ उछालने का काम न करें।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करें और लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने इस चुनाव के समय जनता से कहा था और वायदा किया था कि अगर हम चुनाव जीत कर आयेंगे तो हरित प्रदेश का निर्माण करने में लोकदल का साथ देंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, चर्चा समाप्त न करें।

(शोर)

श्री तेजपाल सिंह-

आप लोग मेरी बात सुनें, सुनने का मादा रखिये। सभी पार्टियों के पश्चिम के साथी इसी मुद्दे पर जीत कर आये हैं यहां विरोध कर रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

हमारे कांग्रेस के साथी पश्चिम उत्त प्रदेश से चुनकर आये हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जितेन्द्र प्रसाद जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे हैं। उन्होंने भी उ0 प्र0 पुनर्गठन की हिमायत की थी।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यहां किसी की आलोचना नहीं हो रही है। इससे तो चर्चा का रुख ही बदल जायेगा। आप शांत रहें।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य कार्यवाही में देख लें। 14 जुलाई, 1995 में यह प्रस्ताव मैं खुद लाया था व हरेन्द्र मलिक जो राज्य सभा में हैं ।

अध्यक्ष-

अब समय समाप्त हो गया है। क्या किया जाए ?

श्री समर पाल सिंह-

श्री किरन पाल सिंह जी ने, श्री कल्याण सिंह ने, श्री विजेन्द्र सिंह ने अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा कि यह जो समर पाल जी द्वारा प्रस्ताव यहां लाया गया है। हम उससे सहमत हैं, अपने आप को उससे जोड़ते हैं लेकिन शब्द फिर लगा दिया तो लेकिन की क्या बात हैं लेकिन उनकी नीयत पर संदेह है। मैं कहता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो चाहे उधर बैठकर बात करे यह इधर बैठकर बात करे।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। कृपया शांत रहें।

श्री किरन पाल सिंह-

यह बी0 जे0 पी0 के साथ हैं। साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें।

श्री समर पाल सिंह-

इनको हमारी नीयत पर संदेह है। मैं वह व्यक्ति नहीं जो उधर बैठकर दूसरी बात करूं और सत्तारूढ़ दल के साथ होने पर दूसरी बात करूं। हम सत्ता में शामिल हैं, सत्तारूढ़ दल के साथ हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि पश्चिम में जाकर जनता के बीच कहें कि हम हरित प्रदेश की मांग से सहमत हैं और यहां असहमति व्यक्त करें। आपको यह कहना चाहिए कि जो प्रस्ताव मेरे द्वारा पेश किया गया उससे अक्षरशः आप सहमत हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्षेत्र में जाकर हरित प्रदेश जिन्दाबाद कहते हैं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चर्चा के लिये 5.30 तक का समय बढ़ा देते हैं।

श्री समरपाल सिंह-

माननवर, और लोग हरित प्रदेश के नाम पर जीत कर आते हैं और जब यह प्रस्ताव आया है तो कहते हैं कि नीयत में संदेह है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से विचार-विमर्श नहीं होता है। बिजेन्द्र सिंह जी आप बैठ जायं। आप बोल चुके हैं। सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। एक दूसरे की व्यक्तिगत बातों का उत्तर नहीं देते हैं। जो विषय , उस पर बात की जाती है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

कृपया बैठ जायं। इस तरह से तो नहीं होगा। यह किुछ लिखा नहीं जायेगा। मैं सदन को 5 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(श्री समरपाल सिंह के भाषण के दौरान सत्तापक्ष एवं विपक्ष में नोंक-झोंक होने के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 15 मिनट पर 5 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 5 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, कल से नियम-103 में 'बांटों' का प्रस्ताव सदन के सामने है। हमारी पार्टी और हमारे नेता की सोच सबको मालूम है । सदन में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारी सोच आ गई है। हमें तो हैरत इस बात की है कि लोकदल के जो साथी बांटो में यकीन रखते हैं, वह समझें बन्दर बांट में यकीन रख रहे हैं। सरकार का सुख भी भोगेंगे, दिल्ली की सरकार में शामिल रहेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल रहेंगे और एक ऐसे हाथी की सवारी करना चाहेंगे जिसका महावत नहीं होगा, जिस हाथी का महावत नहीं होगा वह खतरनाक होगा, लोग उससे कुचलकर मर जायेंगे। प्रदेश के बंटवारे के बाद देश ही बंटवा दें। बंटवारे में एक प्रदेश हरित प्रदेश आये। जो नियम-301 का नोटिस है इसमें केवल हरित प्रदेश की बात नहीं है और भी नाम दिये गये हैं, मैं उन नामों को दोहराना इसलिये नहीं चाहता हूं कि हमारी पार्टी बंटवारे में भरोसा नहीं रखती है। इसका यह

मतलब नहीं है कि किसी एक जाति एक विरादरी किसी एक धर्म के नाम पर बंटवारे की पक्षधर हो हमारी पार्टी । मैं कुछ बातों को खुलकर नहीं कहना चाहता हूं।

कुछ मांगें ऐसी उठती हैं जिनको देखकर हैरत होती है। जैसे घर में हाथ घुमाकर कान पकड़ने की कोशिश करें। नाम तो हरित प्रदेश है लेकिन इसके पीछे छिपी कड़वी सच्चाई है उसको प्रदेश के लोग नहीं समझ रहे ऐसा नहीं है, उनकी आंखों पर परदा पड़ा है ऐसा नहीं हैं हरित प्रदेश की मांग करने वाले यही समझते हैं कि इस हिस्से में रहने वाले तमाम लोग उनकी साजिश से बेखबर हैं, तो यह उनकी नादानी है, उनको समझ लेना चाहिए कि सरकार पूरी हैसियत में है, मैजोरिटी में हैं, ताकत में है, बहुमत में है, सरकार चाहे हरित प्रदेश को या इस प्रदेश को जितने हिस्से में बाँटना चाहती है बांट सकती है, रेजोलूशन ला सकती है, लेकिन सत्तापक्ष से किसी साथी का समर्थन न करना बादआईन सबूत है, एलान है, जिसका चन्द लोगों को छोड़कर यदि किसी खास वजह से प्रदेश को बंटवाया जाता है, उसको प्रदेश के शत-प्रतिशत लोगों ने नकार दिया है। जो दो नाव में पैर रखकर तैरते हैं, सत्ता की नाव और नाटकबाजी की राजनीति में एक खास वर्ग को बचाने के लिये, कि तुम्हारी बात वहां रख दी है काफी नहीं है उसके लिये कुर्बानी देने की जरूरत है। शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों की अदालत में जान लेवा बम नहीं मारा था, वह आवाज का बम था। लेकिन वह आवाज का बम पूरी अंग्रेजी साम्राजियत को हिला देने वाला था। उस आवाज के बम ने हिन्दुस्तान की आजादी का ही रास्ता नहीं खोला था हिन्दुस्तान से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिये थे और शहीद भगत सिंह को उस आवाज का बम फेंकने की सजा में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। इस आवाज के बम ने अंग्रेजी साम्राजियत को यह अहसास दिलाया था कि अब हमारे जो शासक हैं हम उनके हुक्मरानी को नहीं बरदास्त करेंगे। भगत सिंह को फांसी हुई और जब फांसी की सजा से पहले उनको तोला गया और बाद में तोला गया तो उनका वजन बढ़ा ही था क्योंकि उनको भगत सिंह नहीं रहना था। उन्हें तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक भगत सिंह के नाम से जाना जाय यह होना था। आज जो शहीद होना चाहते हैं उन्हें सत्ता की मोटर से नीचे उतरकर आना होगा। मान्यवर, हम शरीर के बंटवारे के कायल नहीं हैं। बहुत सी कमियां हो सकती हैं उसके लिये विचार किया जाता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जब उत्तरांचल या उत्तराखण्ड का प्रस्ताव आया था तो एक आवाज से उठाया गया था। एक भी व्यक्ति ने इसकी मुखालिफत नहीं की थी। तो यह माहौल बने। सबकी राय एक जैसी हो। आज चन्द लोग किसी खास दिलचस्पी की वजह से ऐसा करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम-103 के बारे में जो चाहे फैसला लें, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जो उसूली बंटवारा होता है तो उसूली बंटवारे में चन्द साथियों की राय ही काफी नहीं है। अफसोस है कि लोकदल की तरफ से नियम 103 का नोटिस आया है और लोकदल के नेता सदन से गायब हैं। उनके अन्दर अखलाके हिम्मत नहीं है कि वह इसमें शरीक होते। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि सेक्यूलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन उनके साथ बैठते हैं जो हाई कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक गुजरात के मुजरिम हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहिये।

ो मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-103 के नोटिस पर मैं आपसे हाथ उठाकर विभाजन की मांग रता हूं।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्री कल्याण सिंह जी ने कहा कि उत्तरांचल के बनने का ो प्रस्ताव आया था वह सरकार की ओर से ही आया था। यह सही है कि यह प्रस्ताव सरकार की ोर से आया था और पूरे सदन ने इसका समर्थन किया था। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं ; अगर यह प्रस्ताव लाये जाने की मंशा थी तो यह प्रस्ताव सरकार की ओर से आना चाहिए था।

श्री मुलायम सिंह जी की प्रशंसा करता हूं कि वह राष्ट्रीय मसलों पर हिम्मत के साथ बोलते हैं। न्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश सारे देश की राजनीति को नियंत्रित करता है। इस ःश ने इस देश को कई प्रधान मंत्री दिये हैं। मान्यवर, इस प्रदेश के टुकड़े कर देने से यह समाप्त जायेगा जैसे कि हमारे टुकड़े कर देने पर हम जीवित नहीं रह सकते। जहां तक हमारी पार्टी का ाल है तो हमारा रवैया स्पष्ट है हम तो चाहते हैं कि सारा उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश हो जाए। हम हते हैं कि कृषकों का इतना उत्थान हो जाये कि चारों तरफ हरित-हरित हो।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह मिलीजुली सरकार है मिलीजुली सरकारों में जो लग-अलग दल होते हैं उनके अलग-अलग घोषणा-पत्र होते हैं। लेकिन मिलीजुली सरकार में न्यूनतम झा कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलती हैं अगर किसी दल की कोई अपनी भावना होती है तो उसे रख सकता है। मान्यवर, यह निजी संकल्प है। इसे कोई भी सदस्य रख सकता है। इसके र चर्चा हो चुकी है। आप प्रस्ताव पढ़ लें उसमें उत्तर प्रदेश के विभाजन में तीन राज्यों के गठन का ला है। यह निजी संकल्प है यह अग्राह्य है। इसलिये मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इसे समाप्त । विपक्ष की भी यही राय है और इधर के लोगों की भी यही राय है कि सरकारी प्रस्ताव नहीं है। एक माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह अपनी बात को सदन में रख सकता है। अब स्थिति क है अब इसमें हाथ उठाने या न उठाने से कोई लाभ नहीं है।

प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री लालजी टण्डन जी से पूछना चाहता हूं कि मैं पके माध्यम से मान्यवर, सीधा सा प्रश्न पूछ लेता हूं टण्डन जी से कि वे हरित प्रदेश के पक्ष में हैं नहीं।

लालजी टण्डन-

मैं सारे उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश देखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रताप चौधरी-

मान्यवर, मेरे दल के नेता मा0 चौधरी अजीत सिंह ने लोक सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश बंटवारा होना चाहिए और हरित प्रदेश बनना चाहिए। माननीय लाल कृष्ण अडवानी जो आज उप

ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान मंत्री जी हैं, ने गृह मंत्री के रूप में लोक सभा में बयान दिया था । मैंने श्री अजीत सिंह का भाषण सुना तर्क पूर्ण भाषण था।

श्री अध्यक्ष-

वह पढ़ा नहीं जाता है।

(व्यवधान)

श्री प्रताप चौधरी-

उनकी बात में वजन है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। उस प्रदेश का 3 हिस्सों में बंटवारा होना चाहिए आप प्रदेश से पारित करा लें तो हम हरित प्रदेश बनाने के लिये तैयार हैं। मान्यवर, यह बी0 जे0 पी0 के सीनियर मेम्बर, उप प्रधान मंत्री जी का बयान है और मा0 टण्डन जी कहते हैं कि हमारी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती है।

"कोई साथ दे, न दे हमारा चलना हमें आता है
हर आग से बाकिब हैं हम जलना हमें आता है।"

श्री महबूब अली-

मान्यवर, शेर है-

"वो नुमाइन्दे जिन्हें परवाज से फुर्सत न मिली।
आज कुर्सी के लिये उनके कदमों में जा बैठे हैं ।।"

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हमारा संविधान फैडरल है, यह कोई भी केन्द्र में अगर राज्य से संबंधित विषय होगा तो कोई नेता यही कहेगा कि आप राज्य से पास करा लीजिये। हमारा स्टेट है हम बांटने के लिये तैयार हैं ? अगर हमारा स्टेट तैयार है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी मान्यवर, इसके साथ ही वह भी कहा है कि जब उत्तरांचल का यह राज्य बना था उस समय भारत सरकार का यह भी स्टैंड है कि आगे अगर विभाजन की बात आयेगी तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जायेगा और यही नहीं देश में जहां भी इस तरह की मांगें होंगी उन सब पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर वह आयोग बनेगा। मान्यवर, इसके बाद कुछ नहीं रहा है। हम लोग एक घण्टे की चर्चा के बजाए इस पर 5-6 घण्टे बोल चुके हैं। सदन में और भी काम हैं बजट है विधेयक है, आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 समरपाल जी, अभी मा0 विजेन्द्र सिंह जी की चर्चा मैं सुन रहा था उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि सदन का प्रस्ताव हो या न हो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा वह विचार हो सकता है, आपका प्रस्ताव हो या न हो, तब भी वह कर सकते हैं यह संवैधानिक मामला है आप का प्रस्ताव है, कि "यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए उसे 3 भागों में विभाजित कर हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किया जाय।" यह नियम 105 के उप नियम (1) में यह कैसे आयेगा ?

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, अभी बहुत देर तक बहस चली प्रदेश के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर माननीय कल्याण सिंह जी, किरनपाल जी, विजेन्द्र सिंह जी, सबने कहा कि आपके प्रस्ताव से शतप्रतिशत सहमत हैं आपकी बात से अपने को जोड़ते हैं आपकी बात सही है। लेकिन आपकी नियत पर संदेह है साथ में उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहबूदी के लिये, विकास के लिये अपने खून से भी सींच सकते हैं। लेकिन मान्यवर, आज सदन में इन लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं इन सारे लोगों की नियत पर संदेह है अगर किसी की नियत साफ हो तो हमारी नियत भी साफ है। (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, इन्होंने सदन का समय बर्बाद किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे किरनपाल जी रहे हों चाहे विजेन्द्र सिंह जी रहे हों यह सारे लोग हरित प्रदेश के पक्षधर हैं। क्षेत्र में जाकर कहते हैं कि उनके नेता का बयान आ रहा है और अभी नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि हम इसके खिलाफ हैं तो [x x x] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहिये, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यहां किसी के प्रति यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन उसका भी कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं होता है। अब आप नियम-105(1) का उत्तर दे दीजिए।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, अभी उन्होंने कहा कि आपके प्रस्ताव से सहमत हैं उसके बाद प्रमोद तिवारी जी ने हाथ लगा दिया तो उन्होंने कहा कि आयोग के समर्थक हैं। मान्यवर, पिछले साल यही प्रस्ताव इस सदन के अन्दर लाया गया था और बहुजन समाज पार्टी ने उसका समर्थन किया था और साथ में मतदान किया था लेकिन इस समय नकार दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इधर के तमाम लोग, ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने चुनावी सभा में हाथ उठाकर कहा कि विधान सभा में जाकर हरित प्रदेश का समर्थन करूंगा। पिछले साल बहुजन समाज पार्टी ने हमारा समर्थन किया था आज विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐजेण्डे में था कि छोटे राज्यों के पक्षधर हैं और अडवानी जी का भाषण पढ़कर सुनाया, कोई भी आदमी सही नहीं है। यहां कुछ कह रहे हैं और बाहर कुछ कहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :-[x x x] यह अँश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिए, काफी लम्बी चर्चा हो गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, मुझे समरपाल जी पर बहुत तरस आ रहा है। काफी दयनीय स्थिति में हैं। बहुत परेशान हैं और उस दयनीय स्थिति का अंदाजा सब लगा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि मन की बात अगर न हो तो कोसना शुरू कर देते हैं, जैसे महिलाओं की आदत होती है, मुझे महिलाएं माफ करेंगी।

(सत्ता पक्ष की ओर से मा0 सदस्यों द्वारा टोका-टाकी-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बैठ जइये, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अंचल जी, माननीय किरनपाल जी आप भी बैठ जाइये। सदन के ऊपर नहीं तो कम से कम मेरे ऊपर रहम कीजिए। (सत्ता पक्ष के दो सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर) आप यह बतायें कि आपको इंगित किया जाये। बैठ जाइये, जब आप नहीं बैठेंगे तो मुझे इंगित करना पड़ेगा। अब अगर आपने व्यवधान डाला तो मुझे इंगित करना पड़ेगा और इंगित करने का परिणाम आप जान रहे हैं। अतः इंगित करने का अवसर मत आने दीजिये।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैंने एक बिन्दु पर आपकी व्यवस्था चाही थी कि यह अगर हरित प्रदेश के बारे में होता लेकिन यह तो 3-3 प्रदेशों के बारे में है। इसलिये इसे अग्राह्य करें। हमेशा आपने बड़प्पन दिखाया है। चार घंटे लग गये हैं अब इसे समाप्त कर दीजिये। कल कितना समय लग गया और आज भी कितना समय लग गया।

(श्री रणवीर राणा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री रणवीर राणा जी, आप शान्त हो जाइये अन्यथा मैं सदन त्याग करने के लिये निर्देश दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी अभी उधर से एक साथी ने हमारे साथी किरनपाल सिंह के बारे में कुछ कहा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देश दे दिया वह लिखा नहीं गया। मैं सुन रहा था और मैंने तुरन्त ही कह दिया ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नियमों के बारे में सिखाने की हैसियत नहीं रखता। चूंकि बहुत लम्बी बहस हुई है और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमें आगे आने वाले दिनों में कुछ मदद मिलती

है। मान्यवर, आप इसे अग्राह्य मानकर इसको यहीं खत्म कर दें लेकिन उन चार लोगों को, जिन चार लोगों ने सदन का समय खराब किया है, सत्ता पक्ष से बार-बार यह बात आयी है कि एक मिनट का 44 हजार रुपया लगता है और हमेशा उधर से यही कहा जाता रहा है, जिस सत्ता का मजा यह लूटते रहे हैं कि विपक्ष सदन का समय खराब करता है। हमारी तरफ से सूखे की मांग को लेकर, अकाल की मांग को लेकर, गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर, बेरोजगारी के संवाल को लेकर, कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर व्यवधान हुआ है। इसको मैं मानता हूं लेकिन यह इसलिये हुआ है कि गरीब जनता के लिये हम उसके हकों की लड़ाई लड़ने के लिये यहां बैठे हुए हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी कोई राय नहीं आयी है। मैं बहुजन समाज पार्टी से दरख्वास्त करूंगा और आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनकी भी राय आ जानी चाहिए कि वह नियम-103 की इस नोटिस के पक्ष में हैं या नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ऐसे ही अग्राह्य न माना जाय बल्कि हाथ उठाकर मतदान कराया जाय ताकि केवल वह चार लोग जिन्होंने कल से आज तक समय खराब किया है, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए।

(श्री तेजपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इधर भी अनुमति नहीं दी और यह भी निर्देश दिये कि एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा।

यह जो प्रस्ताव माननीय समरपाल सिंह और अन्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है इसमें तीन प्रदेशों का मामला प्रस्तावित है, पूर्वांचल बुन्देलखण्ड और हरित प्रदेश। प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं अलग हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं वहां की रीति रिवाज भिन्न है वहां का नियोजन, कार्यशैली, वहां की जलवायु, वहां का रहन-सहन, बोली सब भिन्न है। आप एक ही प्रस्ताव में तीनों को ले आये हैं। नियम 105 के उप नियम (1) में यह दिया है कि सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा अतः यह नियम 105 के उप नियम (1) के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये उसको मैं अग्राह्य कर रहा हूं और इस पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन †

* डा0 अशोक वाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1), जो भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या-3 में उल्लिखित पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट :- † छपे नहीं गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन †

*डा0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन जो नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आजमगढ़ मेहनगर में बीकापुर राजभर मार्ग पर बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री नल्ली राजभर आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(1) जनपद आजमगढ़ के तहसील मेहनगर में पसिका पिच से बीकापुर राजभर मार्ग पर बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री नल्ली राजभर तथा श्री सुभाष राम निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जनपद आजमगढ़ में नोनरा एवं कुआं मतवा मार्ग स्थित लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचन चौहान आदि निवासीगण जनपद-आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(2) जनपद आजमगढ़ में धिरजीपुर से नोनरा मार्ग एवं कुआं मतवा मार्ग स्थित लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचन चौहान तथा श्री लालता चौहान निवासीगण जनपद-आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जनपद लखनऊ, मलिहाबाद में कन्या डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने विषयक श्री हरी राम यादव आदि निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

* श्री कौशल किशोर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद में कन्या डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने विषयक श्री हरी राम यादव तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

जनपद फैजबाद के ग्राम दुर्गन से घोडवल तक सड़क निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज किशोर शुक्ल आदि निवासीगण जनपद-फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

*श्री कौशल किशोर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फैजबाद के ग्राम दुर्गन से घोडवल तक सड़क निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज किशोर शुक्ल तथा श्री शंकर बक्श यादव निवासीगण जनपद-फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापे नहीं गये।

† छापी नहीं गयीं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पीलीभीत में आसाम-बस्ती मार्ग को चौड़ीकृत कराये जाने विषयक श्री त्रिलोक सिंह आदि निवासीगण जनपद-पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत से खुटार तक के आसाम-बस्ती मार्ग को चौड़ीकृत कराये जाने विषयक श्री त्रिलोक सिंह तथा श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

जनपद पीलीभीत में पूरनपुर के अधिकांश ग्रामों में शारदा नदी के कटान से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने विषयक श्री नसीब आदि निवासीगण जनपद-पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में पूरनपुर के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश ग्रामों में शारदा नदी के कटान से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं कटान को रोके जाने विषयक श्री नसीब सिंह तथा अजायब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मेरठ नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर स्थित पशु वधशाला को बाहर स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री पंकज कतीरा आदि निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद मेरठ महानगर निगम की सीमा के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर स्थित पशु वधशाला को क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री पंकज कतीरा तथा श्री विजय गुप्ता निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ तथा

मेरठ नगर निगम में कासिमपुर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु ट्यूबवेल बोरिंग एवं टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री संजय त्यागी आदि निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से

(2) जनपद मेरठ महानगर के नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत कासिमपुर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु ट्यूबवेल बोरिंग व टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री संजय त्यागी तथा श्री प्रताप थापा निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में रूधौली मार्ग पर खोरिया रघुवीर सिंह आदि सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री जावेद अहमद आदि निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रूधौली मार्ग पर अमौना पाण्डेय से अजगरा, डिड़ई, जमुनी, भग्गोभार, खोरिया रघुवीर

---

†† छापी नहीं गयीं।

सिंह सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री जावेद अहमद तथा श्री अख्तर अली निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज एवं इटवा के सिंगार जोत से जानकी नगर तक राप्ती नदी के किनारे बन्धा निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंगीलाल आदि निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज एवं इटवा के सिंगार जोत से जानकी नगर होते हुए नावडीह के आगे तक राप्ती नदी के किनारे बन्धा निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंगीलाल तथा श्री अख्तर अली निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद एटा के धर्मपुर नगला वैस मार्ग पर बदौला बाईपास की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री रुकमंगल सिंह राठौर आदि निवासीगण जनपद-एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

* श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद एटा में धर्मपुर नगला वैरू मार्ग पर बढौला बाईपास की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री रुकमंगल सिंह राठौर तथा श्री वीरेन्द्र सिंह गौर निवासीगण जनपद-एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला ताड़ोवाली बगिया की गली नं0 1 से 20 तक नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अखलाक खां आदि निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका0††

*श्री अजीम भाई-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद शहर की नई आबादी वाले मोहल्ल ताड़ोवाली बगिया की गली नं0 1 से 20 तक गलियों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अखलाक खां तथा श्री परवेज खां निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के ग्राम सुनखेड़ा में मॉट ब्रांच नहर के टूटे पुल को बनवाये जाने विषयक श्री नैन सिंह आदि निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री वेद राम भाटी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के ग्राम सुनखेड़ में मॉट ब्रांच नहर के टूटे हुए पुल को बनवाये जाने विषयक श्री नैन सिंह तथा धर्मवीर सिं निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सहारनपुर की ढमोला एवं पांवछोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय मल्होत्रा आदि निवासीगण जनपद-सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

*श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सहारनपुर नगर की ढमोला एवं पॉवछोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय मल्होत्रा तथा श्री हाजीरसीद अहमद निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मैनपुरी इटावा मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश सिंह आदि निवासीगण जनपद-मैनपुरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

*श्री अशोक सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मैनपुरी इटावा मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश सिंह तथा श्री रामपाल सिंह निवासीगण जनपद मैनपुरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-22, 23 एवं 24 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-25 ले रहा हूं।

कल मैंने सदन में माननीय सदस्यों से कहा था कि कल के जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव रह गये थे उनमें एक तिवारी जी और पाल जी का है दूसरा अवधेश प्रसाद जी का है, एक अजीम भाई और राम करन आर्य जी का है तथा एक राम गोविन्द चौधरी जी का है।

श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको कल लिखकर दे दीजिएगा। यह मैंने उन लोगों के नाम लिये हैं जिनकी सूचनाएं कल रह गयी थीं और जिनके बारे में अधिष्ठाता ने घोषणा की थी उसका अनुपालन तो होना चाहिए।

*श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कल हम लोग एक बजे तक बैठे, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पारित होने वाला है यह हम सब लोगों के हित में होगा यदि आप इसको उदारता पूर्वक कल सुन लेंगे क्योंकि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं माननीय सदस्य की भावनाएं जुड़ी होती हैं उस पर बल देना चाहते हैं इसलिए इसे कल के लिए रख लिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, श्री दद्दू प्रसाद जी का आग्रह है कि काफी समय हो गया है इसलिए ये सूचनाएं कल उदारता पूर्वक ले ली जायं।

ठीक है आपकी सूचना कल ले लेते हैं।

श्री राकेश सचान-

मान्यवर, आपने कहा था कि आज आपकी सूचना ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नहीं आ पाई थी, यह तो मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो कल आई थीं। समय के अनुसार विनियमन होता है। आप कल सूचना दे दीजिएगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरी नियम-56 की सूचना आप कल नं0-1 पर ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो आपके सामने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा है वह बड़ा ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है, सुनिश्चित विषय पर है और बहुत ही दमदार प्रस्ताव है। बलिया दुग्ध संघ बन्द करने का आदेश एम0डी0 ने दे दिया। बलिया जनपद इस प्रदेश का और पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है। 1978 में माननीय चन्द्रशेखर जी ने बलिया के विकास के लिए पूरे हिन्दुस्तान के एक्सपर्ट लोगों की बैठक बुलाई थी उसमें तय हुआ था कि बलिया में जो मटीरियल उपलब्ध है उससे वहां पर एक दुग्ध उद्योग, दाल मिल, कार्ड-बोर्ड का कारखाना लगाया जा सकता है। बड़ी मेहनत से वहां पर दुग्ध संघ की स्थापना हुई जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी ने किया था। वहां पर भवन का निर्माण हुआ और दूध को ठण्डा करने के लिए मशीन लगाई गयी। इस दुग्ध संघ के अंतर्गत 300 समितियां कार्य कर रही थीं और 25 हजार लोग दूध देते थे और अगर एक परिवार में पांच व्यक्ति मान लिये जायें तो डेढ़-दो लाख लोग दुग्ध संघ बन्द होने के कारण भुखमरी की कगार पर आ गये हैं। दुग्ध संघ बलिया पर आज भी 35 लाख रुपया दुग्ध उत्पादकों का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो बलिया जनपद हिन्दुस्तान का ऐसा जनपद है जिसने सन् 1942 में अपने को आजाद घोषित कर दिया था। वह जनपद जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे था विकास में सबसे पीछे चला गया है यह न्याय की बात नहीं है। यह बलिया जनपद का एक मात्र उद्योग था और जिसके सहारे डेढ़-दो लाख लोगों का जीवन चलता था दुग्ध संघ को बन्द किये जाने से उनके सामने संकट उत्पन्न हो गया है। इस दुग्ध संघ को बनारस से जोड़ दिया गया है।

मान्यवर, सन् 1997 में इस दुग्ध संघ के मैनेजर संजीव श्रीवास्तव थे। उन पर भ्रष्टाचार और अनाप-शनाप पैसे का दुरुपयोग करने से दुग्ध संघ घाटे में चला गया। जो पैसा आया उसका इस्तेमाल जीप की जगह कार में चला गया और पैसा गलत तरीके से खर्च करने के कारण दुग्ध संघ 1997 से आज तक घाटे में चला आ रहा है। अगर इसकी जांच करवाई जाये तो पता चलेगा कि कौन से बेईमान अधिकारी और कर्मचारी के कारण दुग्ध संघ घाटे में चला गया। पहले यह दुग्ध संघ

सबसे अधिक लाभ में था वह घाटे पर कैसे पहुंच गया ? 1978 से लेकर आज तक माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करें। आप बलिया के आजादी के गौरवमयी इतिहास को देखते हुए और उसके पिछड़ेपन को देखते हुए इसको चालू किया जाये और जो इसको बनारस से जोड़ा गया है उससे अलग किया जाये और जो 35 लाख रुपया बकाया है उसका तत्काल भुगतान करवाया जाये। यह लोक महत्व का निश्चित और अविलम्बनीय विषय है। वहां के किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवायें।

श्री शारदा नन्द अंचल-

वहां पर रसड़ा चीनी मिल के अलावा कोई दूसरा उद्योग नहीं है। इस समस्या का निदान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नहीं है।

चौधरी जी दुग्ध संघ कब बन्द हुआ ? नियम 56 की सूचना अविलम्बनीय होनी चाहिए। यह किस सन् में बन्द हुआ ? कब से 35 लाख रुपये बाकी हैं ?

श्री ओम प्रकाश-

चौधरी जी ने यह बात नहीं कही। जो बकाया राशि 35 लाख रुपये की है उसका भुगतान करा दिया जाए।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

यह तत्कालिक सूचना नहीं है। जहां तक चौधरी जी ने इस बात को इंगित किया है। निश्चित तौर पर इसको दिखवा लेंगे। वैसे भी इस तरह के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी को बता देंगे।

प्रस्तुत सूचना पर श्री राम गोविन्द चौधरी व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री ओम प्रकाश-

जो दुग्ध संघ पर किसानों का 35 लाख बकाया है उसको दिलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

दुग्ध संघ बन्द हो गया है। 35 लाख किसानों का उस पर बाकी है। यह बहुत दिनों से बकाया है। इसको दिखवा लीजिए कि भुगतान हो सकता है कि नहीं।

श्री सुखदेव राजभर-

इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब अगली मद ले रहे हैं।

श्री विजय कुमार मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जान को गम्भीर खतरे के प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विजय कुमार मिश्र भदोही से चुनकर आये हैं। इनकी जान को अचानक गम्भीर खतरा हो गया है। इन्होंने सूचना दी है कि विधान सभा के अन्दर इनकी हत्या करने वाले लोग प्रवेश कर गये हैं। यह इनकी जानकारी है। इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह इनके जीवन का प्रश्न है। इनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्देश दें।

* श्री विजय कुमार मिश्रा-

अध्यक्ष जी कल साढ़े आठ बजे से 11 बजे तक यहां पर 10-15 लोग मेरी जान लेने के लिए घूम रहे थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नाम मालूम है।

श्री विजय कुमार मिश्रा-

नाम रिंकू है। यहां पर 8-10 लोग रात तक सपा पार्टी कार्यालय तक घूमते रहे।

श्री अध्यक्ष-

उस समय आप सूचना देते। उसी समय परिसर में पकड़ा जाता।

श्री विजय कुमार मिश्रा-

मुझे सूचना सुबह मिली। भदोही का जिला प्रशासन और यह सरकार हमारी विरोधी है। यह हमारी हत्या कराना चाहते हैं। अगर हमारी बात असत्य मानते हैं तो हम सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हैं। मान्यवर, आप उसकी जांच करा लें जिनसे 10 लाख रुपया बी0एस0पी0 विधायक ने दिया है मान्यवर, मैंने चिट्ठी मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री जी को पहले ही भेज दी है आपको भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जहां भेजनी है वहां भेजिए हमको न दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मेरी जान को खतरा है, कल दस-पंद्रह लोग विधान सभा तक आ गए थे।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री को अवगत करा दिया है। उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है।

श्री विजय कुमार मिश्रा-

एक बार गैंग्स्टर लगाया, दो बार लगाया, तीन बार लगाया। कितने दिन लगायेंगे, कितने दिन रासुका चलेगा ? एक साथ 100, 200 मुकदमें लगा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यही आदेश करना होता तो आप यहां आये न होते। ऐसी बात कहा करिये जो सदन के समझ में आये। आपकी समस्या थी सदन में माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दी है। अपनी सफाई की बात अदालत में कहियेगा।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवम् वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह अधिनियम, 1955 में बना। इसमें गो वंश में बैल, सांड़ और उनके बछड़ों के लिए एक आयु सीमा तय कर दी थी कि उस आयु सीमा तक के जो होंगे उनका वध किया जा सकता है। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो दुधारू पशु हैं उनको पकड़कर काटा जा रहा है। केवल इतनी ही बात है।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(इस समय 6 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' पीठासीन हुए।)

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने मांग की है कि इसके लिए समय दिया जाये। मान्यवर, गोवंश के पशुओं को मैं स्वयं पालता हूँ मेरे घर पशु हैं उनको मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ उनकी देखभाल करता हूँ, उनको सजाता हूँ, संवारता हूँ। उनकी सुरक्षा करता हूँ, उनके नींद जागता हूँ, उन्हीं के नींद सोता हूँ,। मेरा उन पशुओं के साथ ऐसा लगाव है। गो-वंश के पशुओं को पालने वाले प्रदेश के किसान को उनसे लगाव है। यह मैं नहीं जानता। मान्यवर, मंत्री जी बैठे हैं कि उनके घर गो-वंश के पशु हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन मान्यवर, मैं इतना जानता हूँ कि पूरे प्रदेश के शहरों में, कस्बों में जो गाय दूध देती हैं वह जब

दूध देना बन्द कर देती है तो उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है उन सड़कों के हवाले कर दिया जाता है। और यह जानवर देश की सड़कों पर, प्रदेश की सड़कों पर घूमा करते हैं। मैं गो-वंश के पशुओं की पूजा करता हूं। उनको क्या कहूं जो, इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर गाय घूमती हैं। उनका कोई पूरसाहाल नहीं उनको देखने वाला कौन है ? मंत्री जी ने इस पर कोई नीति बनाने की घोषणा नहीं की है, न इस प्रकार की कोई व्यवस्था है। पूरी सड़क पशुओं के आवागमन से अवरुद्ध रहती है, कोई घटना किसी समय हो जाती है उस घटना में हम घायल हो जाते हैं तो हम इलाज करा लेते हैं लेकिन पशु घायल होकर बहुत दयनीय अवस्था में पहुँच जाते हैं और मर जाते हैं यह स्थिति है हमारे यहां गो-वंश की। मैं निवेदन करूँगा आप इस पर गौर करें। देहाती क्षेत्रों में भी आम बैल, सांड़ और गायों को कोई पालता नहीं है सबको छोड़ दिया जाता है।

मान्यवर, आप गो-वध निषेध के कार्यक्रम को अपेक्षित बताते हैं लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह जो विधेयक लाया गया है यह जल्दबाजी में लाया गया है इस पर विचार करें। पूरा देश और हमारा प्रदेश में इनकी छवि हमारे खेतों और खलिहानों को चारागाह बनाने वाला बन गई है। आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें।

इससे यह लगता है कि आप गम्भीर और संजीदा नहीं हैं। गाँधी जी की तस्वीर हर थाने पर लगा रखी है उनके बताए रास्ते पर कोई नहीं चलता सिर्फ पैसा लेने के लिए लगा रखी है हमारे एक साथी ब्लाक प्रमुख हैं उनकी माता जी बीमार थीं एक महीना हुआ और उनको गोदान करने की सलाह दी। दो हजार में अनब्याही गाय लेकर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा वह मैं बता दूँ। उन्होंने कहा कि पैसा दे दो। तो यह कहा गया मुझे गाय के बदले पैसे ही देवें गाय नहीं चाहिये। आधा ही दें। फिर कहा कि पाँच सौ ही दे दो, फिर दो सौ और फिर कहा कि सौ ही दे दो परन्तु गाय नहीं चाहिए तो उन्होंने 100 रुपया पंडित जी को दे दिया और वह गाय भी दे दी। गाय को घर पहुँचा दी। पँडित जी के साथ आदमी लगा दिया कुछ दूर चले तो उन्होंने उस व्यक्ति को दस रुपये दिये और कहा कि हम चले जायेंगे तुम यह गाय छोड़कर चले जाओ। वह गाय उन्होंने छोड़ दी। तो, मान्यवर, पूरे देहाती क्षेत्र में यही दुर्दशा है। इस यंत्रों के युग में बैल, सांड़ और गाय की उपयोगिता कम हो गई है। इस पर आप विचार करते लेकिन आप निषिद्ध कर रहे हैं। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनायी।

मान्यवर, पशुओं का मेला लगा करता है। लोग अपने जानवरों को तैयार करके बाजार में ले जाते हैं और बेचते हैं। जो लोग बाजार में ले जाकर बेंचने जाते हैं तो पुलिस के लोग खड़े रहते हैं या तो वे उसे थाना ले जाते हैं नहीं तो उनका पैसा लेते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि इस पर विचार करके इस विधेयक को पेश करें इसलिए हमने यह संशोधन पेश किया। मान्यवर, ऐंसा न करें इस पर विचार कर लें। इस अधिनियम के पीछे हमारे देश और प्रदेश में लूट मची है उसको देखें। थाने में पकडकर ले जाते हैं और फिर हमारे पास लोग आते हैं और हम चिट्ठी लिखकर देते हैं कि छोड दीजिए। तो, इस पर विचार कर लें यह पहलू है। आपने इसमें भैसों को निषिद्ध नहीं रखा गया है। जो उनका माँस बिक्री होता है इस पर विचार हो जाता। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो अण्डा छूना तक वर्जित था। मुर्गियां अगर धान और गेहूँ पर खड़ी हो जाती थीं तो झगड़े होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है। अण्डे बिक रहे हैं, अण्डों की दुकान लगी है और आज करीब सभी के पेट में अण्डा है। तो इस तरह से विधेयक न बनायें इस पर विचार कर लें। सारे

पहलुओं पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त इसे लायें। इसमें यह लिखा है कि वह प्रजाति नष्ट होने के कगार पर है। यह प्रजाति नष्ट हो रही है न ही इसके पीछे मंशा बचाने की कम है, मतलब की ज्यादा दिखायी दे रही है इसमें लिखा है कि हां, सरकारी व्यवस्था साकार कर सकते हैं तो करें भी सही। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक के जरिए कोई दूसरी बात सिद्ध करना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी मंशा साफ नहीं है मैं तो यह कहूंगा कि आने वाले दिनों में जो गौ माता के साथ व्यवहार की सारी होने वाली उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए मेरी माँग है कि समय रहते विचार कर लिया जाय। उसके बाद विधेयक लाया जाय इसलिए मैं इस प्रस्ताव को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने पर बल देता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, श्री श्याम नारायण तिवारी जी ने इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द रखने का जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है। हम लोग गौ-वंश को पालने वाले लोग हैं और हम नहीं चाहते कि गाय, बैल, साँड़ को काटा जाय। मान्यवर, इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने एक विषय को छोड दिया है वह विषय है भैंसे/भैंस को काटने की एक तरह से पूरी छूट दे दी है। ऐसा लगता है कि आपने भैंस को काटने के लिए फ्री कर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मँशा साफ होती तो इसमें आपने भैंस को भी रखा होता। इस तरह से तो लगता है कि एक तरह से यह इसको कटवाने के पक्ष में भी हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि गौ-वंश को एक खास उम्र तक न काटा जाय और उसके बाद काट दिया जाय। कहने का मतलब यह है कि अगर बैल चलने में असमर्थ हो जाय तो उसे काट दिया जाय, गाय दूध देना बन्द कर दे तो उसे काट दिया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बैल जो हमारे खेतों में काम करता है और किसान के परिवार का पेट भरता है अगर वह काम करना बन्द कर दे या बीमार हो जाय तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। गाय दूध देती है और उससे परिवार का पेट पलता है अगर वह दूध देना बन्द कर दे तो उसे मारा न जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए इसके लिये फण्ड की व्यवस्था चाहे जहां से करनी पड़े।

मान्यवर, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता किसान है वह खेती पर निर्भर है उसके पास गाय, बैल और भैंस होते हैं इनको बेचकर वह अपनी आमदनी निकालते हैं जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसान अपने गाय या बैल को एक मेले से दूसरे मेले में बेचने जा रहा होता है तो या नये खरीद कर ला रहा होता है तो पुलिस वाले उससे भारी रकम वसूलते हैं। अगर वह नहीं देता है तो उसकी गाय भैंस को या उसको, थाने में बन्द कर देते हैं इससे गाय, बैल भूंखे प्यासे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। पशु जो कि मेले में ले जाये उनको मारने के लिये मजबूर कर दिया। मान्यवर, कुशी नगर में विशुनपुरा में 103 गाय पकड़ी गयी वह दूध देने वाली थीं वह मेले में ले जा रहे थे वहां की पुलिस के लोगों ने रोक लिया और जब पैसे देने के लिए सक्षम नहीं हो पाये एक दूसरे गौशाले वाले को दे दिया और 5 दिन के अन्दर एक खास बीमारी दिखाकर उन 103 गायों को देहात के एक डाक्टर से फर्जी पोस्टमार्टम कराकर मृत दिखा दिया जब कि वह शहर में रखी गयी थीं और इस तरह से उनको बेच दिया गया

प्रश्न यह है कि क्या उस क्षेत्र में वह बीमारी किसी और पशु को लगी। या केवल सारी बीमारी पकड़ी गयी गायों में ही उत्पन्न हो गयी। मान्यवर, इस तरह से जो पशुओं का व्यापार करने वाले गरीब लोग हैं उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है। थानों में यह इन्कम का सहारा हो गया है। मान्यवर, गरीब लोग इसका व्यापार करते हैं अगर वह ले जाते हैं तो निश्चित कर दें कि एक ट्रक में 5 भैंस, 10 बैल ले जा सकते हैं, परमिट लेना पड़ेगा। यह कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है। आप प्रतिबन्ध लगा कर कोई व्यवस्था करायें। मान्यवर, यह ताकि एक मेले से दूसरे मेले में ले जाकर व्यापार कर सकें और रोजी-रोटी चला सकें। मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, जो गाय बछड़े जनरली कुछ जाति विशेष के लोगों के यहां रहते हैं और चिक्वों के यहां कभी-कभी गाय कट जाती है जिससे तनाव हो जाता है। जो गांव वाले गाय भैंसों को छीन लेते हैं वह पुलिस वाले किसी को दे देते हैं। आखिर कहां दिया जाये ? अगर मवेशीखाना में करते हैं (व्यवधान) मान्यवर, कभी-कभी गांव में इनको लेकर हिन्दू-मुस्लिम में तनाव पैदा होता है, अगर किसान को पालने के लिये बात करते हैं। तो मान्यवर, वह जाकर एफ0आई0 आर0 दर्ज करवा लेते है। मान्यवर, विभाग ने छोटा सा संशोधन किया है आप को गौमांस वाला करना चाहिये था, बन्द डिब्बा आये लंदन से, तो कोई बात नहीं होगी और हमारे गौमांस पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया है। इसमें आपने नहीं किया है। मान्यवर, बहुत बड़ा संशोधन आया था 1955 में इस सदन में पेश हुआ था। इसको बन्द करना चाहिये था बहुत अच्छा आप बना रहे हैं टण्डन जी, मैं तारीफ कर रहा हूं। मान्यवर, 1860 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत आप दे रहे हैं प्राइवेट आदमियों को आप दे रहे हैं कहां रखेगा ? बूढ़ी गायों को रखने के लिये आप संस्था बनाये। संस्था वाला प्राइवेट होगा वह कैसे लेगा। इसको पूर्ण रूप से सरकार वहन करे।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं भ्रम में था कि मैं बिना पढ़े हुए किसी विषय पर बोल लेता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे योग्य चौधरी साहब हैं जो इनकी शंकाऐं हैं वह इसमें शामिल हैं। बैल, सांड़ एक निश्चित आयु के बाद काट देने की व्यवस्था थी। वह समाप्त की जा रही है। वह कभी नहीं कटेंगे। दूसरी बात यह है कि गौशालों को मजबूत करके वहां पर ऐसी गायों को रखने की व्यवस्था की जायेगी जिनकी व्यवस्था नहीं है। तीसरा यह कि कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं विभाग को कि अगर कोई भी जानवर लावारिस है और कोई लेने वाला नहीं है तो उसको विभाग लेगा और उसके लिये सरकार व्यवस्था करेगी। उनको मरने नहीं दिया जायेगा। एक और बात है पशुधन के ऊपर खूब विस्तार से चर्चा हुई थी उसमें मैंने कहा था कि गाय आदि किसी भी समय अलाभकारी नहीं है। यह भावनाएं लोगों को विचार करने के लिये जरूरी है। क्योंकि अब गौमूत्र 5 रु0 लीटर और गोबर 2 रु0 लीटर बिक जाता है। तो जो आज छोटी गायें हैं दूध देती है वहां उनका भी प्रोडक्शन होगा उससे उनके खाने भर को मिल जाता है। उसका ठीक से उपयोग किया जाये। क्योंकि यह अधिनियम पुराना है इसमें हमने संशोधन किया है। अगर सदस्यों की राय होगी तो उस पर भी प्रतिबन्ध लगाना है तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि दुधारू पशु राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उनको एक बार काट कर पूरा हमेशा के लिये समाप्त कर देना किसी तरह से उचित नहीं है। आपकी शंकाएं इसमें शामिल हैं।

मूल अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (3) में ऐसे निबन्धनों और शर्तों, ऐसी रीति और ऐसे प्रभार को विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिन पर, जिससे या जिसका भुगतान करने पर कोई गोशाला या संस्था किसी गाय, सांड़ या बैल को जिसे पुलिस या अन्य व्यक्ति द्वारा उसे स्थायी रक्षा के लिए दी गई उसके स्वामी को वापस कर सकती है। इसके द्वारा बढ़ाये जाने वाले मूल नियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड-(घ) और (घघ) में राज्य सरकार को नियमों द्वारा गायों, सांड़ों और बैलों का अभ्यर्पण, उनको स्वीकार करने, उनकी अभिरक्षा करने और उनको निर्मुक्त करने की प्रक्रिया तथा गायों, सांड़ों और बैलों को निर्मुक्त करने की निबन्धन और शर्तें विहित करने की शक्ति दी जा रही है।

मान्यवर, इसके अन्तर्गत जो नियमावली बनेगी उसमें वह सारी जितनी सम्भावना हो सकती है गोवंश को नुकसान पहुंचाने की वह रोकेगी क्योंकि पहले यह आर्डिनेन्स आ चुका था, लेकिन जिस दिन पशुधन पर बहस हो रही थी मैंने देखा कि सदन की आम राय थी गोवंश को बचाने के लिये सब चिन्तित थे किसी ने विरोध नहीं किया उससे हमें प्रोत्साहन मिला।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, देहातों में पशुपालक ऐसे होते हैं जो पशुओं की खरीद एवं बिक्री करते हैं विभिन्न पशुओं को मेलों में, बाजारों में ले जाते हैं। तो पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है अगर वह सुविधा शुल्क दे देते हैं तो उनको छोड़ देती है। नहीं तो थाने ले जाकर चालान कर देती है। केवल पुलिस इस काम को करती है तो पुलिस से मुक्ति दिलाने का काम करें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इसे नियमावली में शामिल किया जायेगा कि जो व्यापारी जानवरों को लिये जा रहे हैं उनको कोई परेशानी न हो। उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है।

श्री नारद राय-

मान्यवर, बिहार से जितने जिले जुड़ते हैं जो मेला जानवरों का लगता है जहां पर व्यापारी जानवर ले जाते हैं। उस मेले में ले जाने पर हर थाने पर रोक कर पुलिस के लोग पैसा वसूल करने का काम करते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहेंगे कि जिलाधिकारी या किसी आफीसर को इसके लिए अँथराइज करें और जो लोग जानवरों को मेले में ले जाना चाहते हों या मेले से घर लाना चाहते हों उसको पुलिस बिना वजह परेशान न करें। जो नियम बनाने हों बना लें लेकिन यह प्रताड़ना गाँव के लोगों को, छोटे-छोटे रोजगार करने वालों को जो अपना जीविकोपार्जन जानवरों को खरीद या बेचकर करते हैं, उनको नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड 9 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

(एक) खण्ड (क), (ग) और (गग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(क) 'गोमांस' का तात्पर्य गाय के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो ;

(ग) 'गोशाला' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गोशाला से है ;

(गग) 'संस्था' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित किसी संस्था से है"

(दो) खण्ड (च) निकाल दिया जायेगा।

धारा 3 का प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

गोवध का प्रतिषेध

"3-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई

व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय, सांड़ या बैल का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा, न तो उसे वध के लिए प्रस्तुत करेगा और न वध के लिए प्रस्तुत करवायेगा।"

धारा-4 का निकाला जाना

4-मूल अधिनियम की धारा-4 निकाल दी जायेगी।

धारा 5-क का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 5-क में, उपधारा (2) में शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 5-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

संस्थाओं की स्थापना

"6-राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसे विहित किये जायें-गायों, साड़ों या बैलों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित की जायेंगी।

धारा 7 का प्रतिस्थापन

7-मूल अधिनियम की धारा-7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

गायों आदि का रख-रखाव

"7-(1) कोई व्यक्ति अपनी गाय, सांड़ या बैल को किसी गोशाला या संस्था को अभ्यर्पित कर सकता है जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार ऐसी गाय, सांड़ या बैल को स्वीकार करेगा। इस प्रकार से अभ्यर्पित गाय, सांड़ या बैल उस व्यक्ति को वापस नहीं जायेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी गायों, सांड़ों या बैलों की देखभाल के लिए ऐसी अन्य वैकल्पिक और अतिरिक्त व्यवस्था कर सकती है जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) कोई गोशाला या कोई संस्था किसी गाय, सांड़ या बैल को पुलिस या अन्य व्यक्ति से अभिरक्षा के लिए स्वीकार कर सकती है जो उसके स्वामी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और ऐसी रीति से और ऐसे प्रभार का भुगतान करने पर जैसा विहित किया जाय, निर्मुक्त किया जा सकता है।"

धारा 8 का प्रतिस्थापन

8-मूल अधिनियम की धारा-8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"8-(1) जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डित किया जायेगा। शास्ति

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती है, और ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, दण्डित किया जायेगा।"

धारा 10 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में,--

(क) खण्ड (क), (कक), (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे :--

"(घ) गायों, सांड़ों और बैलों का अभ्यर्पण, उनके स्वीकार करने, उनकी अभिरक्षा और उनको निर्मुक्त करने, की प्रक्रिया;

(घघ) गायों, सांड़ों और बैलों को निर्मुक्त करने की निबन्धन और शर्तें।"

खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 9 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवम् वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग एवं अनुदान सं0-43 परिवहन विभाग

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास एवम् निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,86,64,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,21,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, जहां तक आबकारी विभाग का संबंध है तो यह सर्वविदित है कि आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में सरकार को व्यापार कर के बाद दूसरे नम्बर पर राजस्व देने वाला विभाग है। इसका अर्थ मान्यवर, यह नहीं है कि यह विभाग इसलिए चल रहा है कि केवल राजस्व ही अर्जित करना है। सरकार को चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता है ही लेकिन मान्यवर, राजस्व के साथ-साथ हमें दूसरी तरफ भी ध्यान देना है इसलिए मैंने यह बात कही है। कुछ माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आज आये और बोले कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे कि आबकारी विभाग ही समाप्त कर दिया जाये। मान्यवर, इसलिए मुझे यह कहना पड़ा कि विभाग का मकसद केवल राजस्व प्राप्त करना ही नहीं है। मान्यवर, देश के कुछ प्रान्तों में ऐसा कदम उठाया गया और कुछ दिनों के लिए यह विभाग समाप्त कर दिया गया उसके बाद नतीजा क्या हुआ ? घर-घर बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनने लगी, अवैध मदिरा का इस्तेमाल होने लगा, दूसरे प्रान्तों से मदिरा आने लगी और जहरीली मदिरा का सेवन शुरू हो गया परिणाम स्वरूप लोग बीमार होने लगे, लोग मरने लगे और अपराध को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला, अवैध कारोबार को बढ़ावा मिला। इस प्रकार जिन प्रान्तों ने यह कदम उठाया था वह प्रान्त कुछ दिन बाद लौट कर आबकारी विभाग की तरफ चले आये। अपराध को रोकने के उद्देश्य से। हमारा मकसद राजस्व अर्जित करना तो है ही, लेकिन राजस्व के साथ-साथ दूसरी तरफ भी ध्यान देना है इसलिए यह बातें कहनी मैंने उचित समझीं।

जहां तक राजस्व की बात है चालू वित्तीय वर्ष में 2698 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2002 से लेकर अगस्त, 2002 तक 1165 करोड़ के लगभग हमने राजस्व अर्जित किया है। जबकि इन्हीं दिनों में पिछले वर्ष 2001 में अप्रैल से अगस्त तक 951 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया गया था। इस प्रकार मान्यवर, पिछले साल की अपेक्षा हमने लगभग 209

करोड़ अधिक राजस्व अर्जित किया है और जो हमारा लक्ष्य अप्रैल से अगस्त के बीच का निर्धारित किया गया था उसके हिसाब से भी हमने 2 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त किया है इन पाँच महीनों में। मान्यवर, इसके अलावा इसमें कुछ और अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे विभाग का जो खर्च है, कुल व्यय लगभग 27 करोड़ रुपये है, जो हमारी आमदनी है जो अर्जित होती है, जो उसका लगभग एक प्रतिशत है। कोई विभाग उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जिसकी कम से कम तीन प्रतिशत से अधिक न हो। मान्यवर, एक विशेष योजना शुरू होने वाली है, मान्यवर, पेट्रोल में 5 प्रतिशत एल्कोहल मिलाकर के गाड़ियों में इस्तेमाल करने की योजना है। यह योजना 1-1-2003 से प्रारम्भ होने वाली है। इस योजना के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, शीरा से जो एल्कोहल बनता है, उसके लिए क्षमता भी निर्धारित कर दी गई है, उसको भी बता देना उचित समझता हूं, उत्तर प्रदेश को 480 लाख लीटर इस्तेमाल करना है और पंजाब को लगभग 350 लाख लीटर का इस्तेमाल करना है और हरियाणा को 200 लाख लीटर और चण्डीगढ़ को 40 लाख लीटर इस्तेमाल करना है। एल्कोहल शीरा से बनेगा। इस समय शीरा काफी तादात में हमारे पास में मौजूद है। मान्यवर, जब यह पेट्रोल में इस्तेमाल होने लगेगा तो इससे गन्ना किसानों को काफी आमदनी होगी, इसलिये यह योजना काफी लाभदायक है।

मान्यवर, दुकानों के व्यवस्थापन के बारे में बता दूं, मान्यवर गत वर्ष जो है अगस्त तक पूरे प्रदेश में लगभग 88 प्रतिशत व्यवस्थापन हुए, इस वर्ष बढ़कर 93.6 प्रतिशत तक ले गए हैं यह देशी शराब के बारे में है और अंग्रेजी मदिरा के व्यवस्थापन की बात है मान्यवर, पिछले वर्ष इस समय 77 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 97.4 प्रतिशत तक ले गए हैं। बीयर का 78 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर के 96 प्रतिशत हम ले गए हैं तो मान्यवर, दुकानों के व्यवस्थापन से राजस्व प्राप्त हुआ है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2698 करोड़ रुपये का, हमें उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मान्यवर वह बात अलग है कि सूखा के कारण कुछ प्रभाव भी पड़ रहा है क्योंकि सूखे के कारण क्रय क्षमता लोगों की कम हुई हैं क्योंकि आमदनी कम हुई है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो मिनिमम गारण्टी कोटा है, उसको कम करके हम दुकाने उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त हैं, हमारे विभाग के अधिकारी और पुलिस के सहयोग से मान्यवर, दुकानों का व्यवस्थापन बड़े पैमाने पर चल रहा है।

मान्यवर, जहां तक क्षमता का सवाल है तो हमने इस पर भी ध्यान दिया है, इसमें फिर गन्ना की बात आती है गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, गन्ना की बात कई माननीय सदस्य अक्सर सदन में उठाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, विशेष तौर पर शीरा जो है कच्चे माल के रूप में हमारे पास पर्याप्त रूप में है। 40 आसवनियां हैं, जिनमें 16 मिश्रित की, 6 पेय मदिरा की हैं, 18 एल्कोहल की हैं, का निर्माण किया जाता है। तो यह क्षमता है। वर्ष 2002-2003 में 7 डिस्टलरियां जो औद्योगिक अल्कोहल निर्माता हैं, उनका विस्तार किया जाना है जिसका निर्यात किया जाता है। शीरे की बात आयी है, शीरे को मैंने किसी भी तरीके से कण्ट्रोल से मुक्त कर दिया है ताकि किसानों को उनके गन्ना मूल्य सही और समय पर मिल सके। इसलिए मान्यवर, अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जिसमें अभी तक जो राजस्व प्राप्त हुआ जुलाई, 2002 तक वह 5.75 करोड़ रुपया रहा। इसके साथ ही साथ प्रवर्तन कार्य को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं, समय-समय पर जाकर चेकिंग किया जा रहा है।

वर्ष 2002-2003 में आबकारी के कितने अभियोग पकड़ा है, वह मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। हमने सरप्राइज चेकिंग शुरू कर रखी है। मान्यवर, दूसरे प्रान्तों से शराब की स्मलिंग होती है और अवैध व कच्ची मदिरा बनायी जाती है जिसमें जहरीला शराब भी आ जाता है। कुछ ऐसे मामले आते हैं जैसे राजस्थान से कोई ट्रक मदिरा लेकर चला उसने बिल्टी ले रखी है बिहार की और उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाकर मदिरा उतार दिया, ऐसे केसेज भी पकड़े हैं, ऐसे केसेज में जो शराब पकड़ी है वह है एक लाख, इक्हत्तर हजार दो सौ सोलह ब्लक लीटर, भांग 637 किलोग्राम तथा गांजा 11 किलोग्राम पकड़े हैं और 10 वाहन पकड़े हैं जो बन्द किये गये हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है। सीमित संसाधन होते हुए भी अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। हमारे पास स्टाफ की कमी है प्रवर्तन दल है, उसमें मुख्य भूमिका आबकारी सिपाहियों की होती है। 273 आबकारी सिपाहियों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जो वर्तमान आबकारी नीति है उसके तहत एक अभियान चलाकर कई स्थानों में कई मण्डल के हेडक्वार्टर पर, कमिश्नरी हेड क्वार्टर पर हमारे चीफ सेक्रेटरी ने जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों की मीटिंग ली, विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली और निर्देश दिये कि हर हाल में जो नई नीति है पारदर्शी नीति है वह हू-बहू लागू होनी चाहिए। पारदर्शी इसलिए कहा है कि किसी दुकान को मान लीजिए 100 लोग लेना चाहते हैं तो उन सौ लोगों के नाम लाटरी में डाल दिये और किसी बच्चे को बुलाकर उसमें से एक पर्ची निकलवा ली, जिसका नाम निकल आया उसे दुकान आवंटित कर दी गयी। लेकिन इस नीति का विरोध कुछ लोगों ने किया और माननीय उच्च न्यायालय में चले गये। माननीय उच्च न्यायालय ने 5-7-2002 को जो फैसला दिया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह नीति बिल्कुल पारदर्शी और उचित है इससे पारदर्शी और कोई नीति नहीं हो सकती है। यह माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया। इसके अलावा दूसरे प्रांतों की नीतियां हैं, वह भी बतायेंगे।

हमारे मन में विचार आया कि जो दूसरे प्रांत हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश, जो हमारे स्टेट से दो, ढाई, तीन गुना छोटे हैं लेकिन छोटे होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त करते हैं और कोई कैजुअल्टी नहीं होती है, हम विचार कर रहे हैं और माननीय सदस्यों का सहयोग भी चाहते हैं कि एक टीम बनाकर इन प्रान्तों में भेजें। इस टीम में हर दल के एक-एक माननीय सदस्य हों, हम वहां जाकर देखें कि दूसरे प्रान्तों के लोग क्या कर रहे हैं और जो सबकी राय हो उसके हिसाब से आगे की नीति तय करेंगे।

हम डार्क में कोई चीज नहीं रखना चाहते हैं। शायद इसी महीने या अगले महीने जाना होगा। यह अभी विचार आया है। मान्यवर, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र की अपेक्षा हमारे यहां दुकाने 2 गुनी चाहिये। अब हम बीच में दुकानों को बढ़ा नहीं सकते है इसलिये हम उप दुकानें खोलने पर विचार कर रहे हैं। हम इसलिये विचार कर रहे हैं कि कई जगहों पर जैसे बिजनौर में माझा का इलाका है। बीच में नदी है। जिनको शराब पीने की आदत है वह 10 कि0 मी0 पैदल या सायकिल से शराब लेने जाते हैं ऐसी जगहों पर उप दुकानें खोलने पर विचार कर रहे हैं।

*डा0 वकार अहमद शाह-

आप उनके घर भिजवा दीजिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि घर भिजवा दीजिये वह अपनी च्वाईस बता दें मैं भिजवा दूंगा। मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं जिस दिन चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बजट चल रहा था माननीय अम्बिका चौधरी ने कहा था कि दवा और दारू का बड़ा अच्छा संबंध है। मैं बताना चाहता हूं कि सैकड़ों दवाइयां ऐसी हैं जिनसे जीवन दान मिलता है उसमें दारू का प्रयोग किया जाता है और घर-घर में वह दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें दवा का इस्तेमाल न होता हो और अनेक दवाईयां ऐसी हैं जिनमें दारू मिली होती है तो जैसा मैंने पहले कहा था कि लोग 10-10 कि0मी0 दूर दारू खरीदने आते हैं और जब आ नहीं पाते हैं तो कच्ची शराब उतारते हैं, नाजायज भट्टियां चलाते हैं और जहरीली शराब पीने से ऐसी जगहों पर लोग मर भी जाते हैं तो ऐसी ही जगहों पर उप दुकानें खोलने पर विचार किया जा रहा है ताकि मरने के चान्सेज कम हों।

हम यह भी सोंच रहे हैं कि जो लोग नाजायज शराब बनाने का काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को यह दुकानें दे दें ताकि वो नाजायज की जगह जायज काम करें और नकली शराब पीने से होने वाली कैजुअलटीज को रोका जा सके। हमारे प्रदेश के बार्डर पर मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि हैं वहां से बड़े पैमाने पर शराब की स्मग्लिंग होती है। हम बार्डर पर चेक पोस्ट बनाने पर विचार कर रहे हैं और यह जो प्रवर्तन का कार्य है इसको तेज करके स्मग्लिंग बन्द करने पर विचार कर रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए हमने विभाग के संबंध में बेवसाइट की व्यवस्था की है। विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए डब्लू डब्लू यू पी इक्साइज डाट काम, नाम की बेवसाइट की शुरुआत की है। जिससे हम एक ही जगह बैठे हुए इन्टर-काम के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। सारा उसमें दे रखा है। एक्साइज विभाग से एक हैण्ड बुक निकाली है इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जो आबकारी विभाग से संबंधित हो व जो इसमें रह गया हो। कोई ऐसा टेलीफोन नहीं है जो मंत्री से लेकर अधिकारी तक है उसमें न हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो उस हस्तपुस्तिका में न हो। हमारा प्रयास है हम हर माननीय सदस्य को वह हैण्ड बुक उपलब्ध करा देंगे। शुद्धता की परख के लिए हमने होलोग्राम की व्यवस्था की है। होलोग्राम हमारे आयुक्त कार्यालय इलाहाबाद के कैम्पस में है जो शुद्धता की परख करता है।

कुछ माननीय सदस्यों की यह जिज्ञासा होगी कि मद्य निषेध होना चाहिए। यह विभाग भी हमारे पास है इसका बजट आप लोगों ने विधान सभा में पास कर दिया है। समाज कल्याण मंत्री इस विभाग का बजट रख चुके हैं। लेकिन मैं कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूं। मद्य निषेध के माध्यम से कुछ योजनाएं चल रही हैं। जिन लोगों को गलत लत पड़ गई है, उनकी शराब छुड़ाने के लिए या जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उसको भी छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाता है। 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन विशेष जागरुकता के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर लोगों को अवगत कराया। गांव-गांव में मेलों में सब जगह जाकर एक फिल्म बनवाई गई है उसको दिखाया गया यह प्रयास लगातार किया जाता है। जिनकी लत पड़ गई है उनकी लत छुड़ाने का हम प्रयास करते हैं। मैंने आपके सामने यह बातें रख दी। इसमें कटौती जैसी बात नहीं है। मैं विपक्ष में बैठे हुए साथियों से अनुरोध करता हूं कि इसको आप ध्वनि मत से पारित करवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वंशीधर राज कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री वंशीधर राज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय सदस्य आपका क्या नाम है ?

श्री अधिष्ठाता-

अभी हमने नाम पुकारा था, क्या सुनाई नहीं पड़ा ?

श्री वंशीधर राज-

मान्यवर, आबकारी विभाग है और समय भी ऐसा है। कैसे सुनाई पड़ेगा ? अभी माननीय मंत्री जी ने आबकारी विभाग को एक बहुत बड़ा राजस्व अर्जित करने वाला विभाग बताया है। मंत्री जी ने कहा कि व्यापार कर के बाद अगर कोई विभाग है तो वह आबकारी विभाग है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करता है। यह भी मंत्री जी ने बताया कि इस विभाग में व्यय कम है केवल एक प्रतिशत और वाकी 99 प्रतिशत बचत रहती है। जो उत्तर प्रदेश में संभवतः विकास कार्यों में लगाते होंगे यह माननीय मंत्री जी ने कहा। मान्यवर, जो आबकारी विभाग का आय-व्ययक पेश किया गया है उसकी प्रस्तावना में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 का उन्होंने हवाला दिया है और उसके अधीन उन्होंने शराब के प्रचार और प्रसार की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद-47 में स्पष्ट यह उल्लेख किया गया है "राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।" यह स्पष्ट व्याख्या है अनुच्छेद-47 में। इसी संदर्भ में मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हम अशिक्षा बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम शराबी और शराब को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इसी संदर्भ में महात्मा बुद्ध जी का यह कथन है कि उसको भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम शेर से लड़ने से मत घबराना क्योंकि यह पराक्रम की निशानी है, आग से जलने से मत घबराना क्योंकि यह तप की निशानी है, पहाड़ से कूदने से मत घबराना क्योंकि यह साहस की निशानी है परन्तु शराब के सेवन से अवश्य घबराना क्योंकि यह मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है और पाशविक व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। जहां तक संविधान के अनुच्छेद-47 का उल्लेख है माननीय मंत्री जी ने कहा है मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आजकल बी0एस0पी0 का शासन है और डा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यह विशेष अनुयायी बनते हैं। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी घोषित करते हैं। अगर इस पर विचार किया होता तो संविधान के अनुच्छेद-47 की मूल आत्मा और विश्वास में भी विचार किया होता तो

गांव-गांव में नगर-नगर में, डगर-डगर में शराब की दुकानें नहीं खोली जातीं और उनका प्रचार और प्रसार इस तरह से नहीं किया जाता।

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने कुछ अच्छी बातें भी कही हैं। एक अप्रैल से जो एक नयी योजना बनाई है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय 2001-2002 में भी अपनी नयी नीति की बड़ी घोषणा की। उस नयी नीति का कारण उद्देश्य यह दिया था कि हम शराब के ठेके में माफियाओं को खत्म करेंगे और छोटे-छोटे जो बहुउद्देश्यीय उद्योग करने वाले लोग हैं उनको यह दुकानें देंगें जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। आज उसके कारण कोई गांव शायद ऐसा नहीं होगा जिसके आस-पास कोई शराब की दुकान न हो। कोई नगर-डगर ऐसी नहीं होगी जहां शराब की दुकानें न हों। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह गरीब आदमी जो दिन भर रोटी कमाने के लिए मजदूरी कर पैसा अर्जित करता है शाम को उस पैसे से पड़ोस में खुली दुकान जो होती है उससे जाकर शराब पीता है तो उसकी रोजी-रोटी का प्रश्न पीछे चला जाता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नई नीति के संबंध में कहा है ।

मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, गांव-गांव में जो दुकानें खुल गयी हैं, शराब का प्रचार किया जा रहा है, शराब की बढ़ोत्तरी की गयी अन्य दुकानें खुल गयीं उसको भी अभी बता दूंगा। मुझे लगता है गांव में गरीबी, बेरोजगारी से आदमी तंग है कोई साधन उसकी आर्थिक उन्नति का नहीं दिया जा रहा है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की जा रही है कि शिक्षा का स्तर सुधरे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जायेगी कि उनका आर्थिक उत्थान हो लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए गांव-गांव में शराब की दुकान खोलने का काम किया गया है। मान्यवर, आप देखें भाषण में मंत्री जी ने कहा है इस मद में 6828 देशी शराब की दुकानें हैं, 1939 विदेशी शराब की दुकानें खुल चुकी है। 1639 बियर की दुकानें खुल चुकी है, 1974 भांग की दुकानें थीं इसके अलावा मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह संख्या कम है इसको बढ़ायें जाने की व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, कौन सा संदेश देना चाहते हैं ? क्या यह बाबा साहब के संदेश के विपरीत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था उसके विपरीत नहीं है, मनु महराज ने यह कहा था इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है, इससे बड़ा कलंक कोई नहीं है तो क्या आप इन महापुरुषों की आत्मा के विपरीत काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा और बसपा की यह मिली-जुली सरकार है मैं कहना चाहता हूं आप महात्मा बुद्ध जी को ध्यान में रखते हुए इसको प्रचार और प्रसार का काम शिथिल करें। दूसरी तरफ देखें ताकि जनता की मूल समस्याओं का निदान हो सके। जहां इतनी बड़ी आय अर्जित करते हैं तो उनके आर्थिक उत्थान शैक्षिक उत्थान की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गांव में दुकानों का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो वह गांव के दलित और शोषित परिवारों पर पड़ रहा है। क्यों उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं ? वह शराब पी-पीकर अपने परिवार को बर्बादी की कगार पर पहुंचा रहे हैं।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम शराब को शुद्ध करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 2000-01 में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 59 थी और आपके विभाग के ही यह आंकड़े हैं, 2001-02 में 38 व्यक्ति मारे गये। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा 28 व्यक्तियों की मौत गौतम बुद्धनगर में हुई। यही नहीं बरेली का

तालाब के पास, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां भी दो व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अनेकों लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं जिनकी सूचना शासन और प्रशासन में नहीं होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जहरीली शराब को भी बन्द करने का उपाय करें और आपने कहा कि हम परख कराने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दवाओं की परख तो आप करा नहीं पाये दवाओं की परख की बात देखें, 2822 नमूने लिये गये जिसमें 544 नमूने की जांच हो सकी और शेष 2278 नमूने की जांच आज भी नहीं हो पायी है। तो इस जहरीली शराब के मिलावट की जांच कैसे करायेंगे जब उत्तर दें तो यह बताने का कष्ट करें।

मान्यवर, अपराधों के बारे में कहा गया, अपराधों के कई कारण हुआ करते हैं लेकिन उसके मूल उद्देश्य में जायें तो उसमें एक कारण यह भी है कि शराब का नशा भी हैं। शराब के कारण भी अपराधों में वृद्धि होती है और आपके आंकड़े बता रहे हैं, 2000 की तुलना में 2001 में, आपने गांव में विस्तार कर दिया, इसलिए कहना चाहता हूं कि हत्या में 1.94 प्रतिशत, फिरौती और अपहरण में 63.44 प्रतिशत और बलात्कार में 6.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह स्थिति हो रही है। अपराधों पर रोक नहीं लग पा रही है यह कैसे नियंत्रण लगायेंगे यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नई आबकारी नीति का ढिंढोरा पीट दिया कि नयी नीति में वह लाभ देने वाले हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपने इसमें लाभ देने का काम नहीं किया है। मान्यवर, आपने जो प्रार्थना-पत्र देने की व्यवस्था की है उसमें पहले प्रार्थना-पत्र दे करके दुकान लेने के लिए एक हजार रुपये फीस थी अब नियम यह बना दिया गया है कि उसमें अब 10 प्रतिशत पैसा जमा करना पड़ेगा। आपने कहा था कि हम नई नीति में ठेकेदारों का वर्चस्व कम करेंगे।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अभी कहा है कि नई व्यवस्था में 2001-02 में निर्धारित लक्ष्य आपका था 2300 करोड़ रुपये था परन्तु सरकार को 995 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। इस तरह लगभग 1305 करोड़ रुपये की हानि हुयी। आपने यह भी कहा कि 2002-2003 में 2696 करोड़ रुपये का लक्ष्य है जिसके अगेन्सड 1165 करोड़ रुपये मिले। अभी भी कई दुकानें उठने को बाकी रह गयी हैं। मैं चाहूंगा कि जब आप उत्तर दें तो यह भी बतायें कि कितनी दुकानें उठने को बाकी रह गयी हैं। मेरी जानकारी में 625 दुकानें अभी उठनी बाकी हैं। आपने कहा था कि शीरा इकाईयों को भारी हानि हो रही है। घाटे में जाने की संभावना लग रही है। अगर आप अल्कोहल को बढ़ाने का काम करें तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्राजील की तरह से जिस तरह ब्राजील में अल्कोहल से गाड़ियां चलती हैं, वहां की गाड़ियों में अल्कोहल इस्तेमाल होता है अगर वैसा यहां पर हो जाये तो पेट्रोल और डीजल की बजत होगी। अगर आप व्यावसायिक रूप में शीरा उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि उसमें कौन सी नीति बनायी जाये। जिस तरह से ब्राजील में गाड़ियां चल रही हैं मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी शीरे की इसी तरह से खपत हो और हमारे यहां भी अल्कोहल से गाड़ियां चलें। इससे गन्ना का सही मूल्य भी किसानों को मिल सकेगा और शीरे का उत्पादन भी बढ़ेगा।

मान्यवर, इस समय भी चीनी मिलों पर 869 करोड़ रुपया बकाया है अगर चीनी मिलों को अल्कोहल से संबंधित कोई उद्योग लगाना पड़े तो उन्हें आप कुछ सहूलियत देंगे। मान्यवर, अल्कोहल की इन्डस्ट्री बनेगी तो शीरे की खपत होगी और चीनी मिलों को लाभ होगा। मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में,

119 वैकयूम पैन वाली चीनी मिलें थी। जिनमें 19 चीनी मिलें बिल्कुल नहीं चली अब 2002-2003 में और भी भयावह स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। शीरे की नीति के अन्तर्गत केवल 10 प्रतिशत का ही निर्यात कर सकते हैं। 90 प्रतिशत प्रदेश में ही बेचना होता है। अगर शीरे के निर्यात की व्यवस्था कर दें और निर्यात में छूट दें तो इससे किसानों को भी लाभ होगा शीरे व अल्कोहल के ज्यादा निर्यात से विदेशी पूंजी भी अर्जित होगी और गन्ना मिलें भी लाभ में चलेंगी।

मान्यवर, जहां तक शीरे के उत्पादन की बात है। मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में अवशेष 19.73 लाख कुन्टल, उत्पादन 220.51 लाख कुन्टल, उपलब्धता 240.24 लाख कुन्टल, गृह खपत 207.95 लाख कुन्टल, निर्यात 10.80 लाख कुन्टल, कुल खपत 228.75 लाख कुन्टल थी। मान्यवर, वर्ष 2001-2002 में अवशेष 9.99 लाख कुल उत्पादन 213.99 लाख कुन्टल उपलब्धता 223.98 लाख कुन्टल, गृह खपत 123.88 लाख कुन्टल निर्यात 5.70 लाख कुन्टल तथा कुल खपत 129.66 लाख कुन्टल थी। उक्त आंकड़ों से विदित है कि उत्पादन घट रहा है। मान्यवर, इस प्रकार निर्यात भी गिरता जा रहा है अगर निर्यात को विशेष बढ़ावा नहीं देंगे तो शीरे का उत्पादन कम हो जायेगा और उद्योग बन्द हो जायेगा और गन्ना किसान भी बर्बाद हो जायेगा। अगर आप अल्कोहल से आय पैदा करना चाहते हैं तो गन्ना उत्पादन, शीरा, अल्कोहल के उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा। मान्यवर, जो आबकारी दुकानों के सृजन की जो प्रक्रिया है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है आपने 63 हजार बोतल बिक्री, 5000 बोतल बिक्री, 7000 हजार बोतल बिक्री इनकी फीस रख दी है 3 से 15 लाख रुपये 10 प्रतिशत प्रार्थना-पत्र के साथ जमा कराते हैं तो आप कैसे यह उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मंशा है कि छोटा उद्यमी, गरीब आदमी व्यवसाय करना चाहता है तो वह इसका कैसे ठेका ले सकेगा और उसका निराकरण कैसे करेंगे। जो आपकी मंशा है आप चाहते हैं कि इस पेशे से माफिया लोगों को हटाये और इसीलिये 2001 में नई नीति जो आपने लागू कर दिया है अगर आप यही करते रहेंगे तो इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें आप जब यह कह रहे हैं कि लोगों को अच्छी शराब मिले लोग ठीक से पी सकें। लेकिन आप तो दाम बढ़ा रहे हैं। कम से कम इस पर तो सोचा होता देशी शराब में 60 रु0 वल्क लीटर से बढ़ाकर 82 रुपया कर दिया इसी तरह से देशी शराब और विदेशी शराब के पव्वों के दाम बढ़ा दिये तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप इसी तरह से दाम बढ़ाते चले जायेंगे और राजस्व अर्जित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। 625 दुकानें शेष रह गयी हैं उनको नहीं उठायेंगे तो आपके राजस्व पर भी असर पड़ेगा और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, धार्मिक स्थलों पर आपने कहा है कि धार्मिक स्थलों से यह दुकानें व उनके ठेके दूर किये जायेंगे। इस संबंध में वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट, मिश्रिख, नीमसार, कलियर, देवा शरीफ, देवबन्द आदि धार्मिक स्थानों पर पूर्ण निषेध लागू करने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि धार्मिक स्थल किसी समाज के हों, किसी वर्ग के हो, किसी भी प्रकार के हों या किसी भी प्रकार की शैक्षिक संस्था हो शिक्षा की जहां पर संस्थायें हैं, जहां पर धार्मिक स्थल हैं उनसे कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर ही दुकानें रखी जायें और दो किलोमीटर की परिधि के अन्दर वह कदापि न रहें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक शैक्षिणिक संस्था जो आप ही के यहां है। श्याम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसके साथ ही एक हरिजन छात्रावास भी है। क्या माननीय मंत्री

जी वहां से शराब की दुकान को हटवायेंगे। उसके और भी डिटेल्स हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता हूं। जो सुझाव है वह मैंने कह दिया है। मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने सुझाव इस कटौती के प्रस्ताव पर दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं बजटीय आकड़ों में नहीं फंसना चाहता। मैं 2-4 सुझाव देना चाहता हूं। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सिद्दीकी साहब इतने अच्छे मंत्री हैं और शराब पीने पिलाने की बात कर रहे हैं। यह बजट किसी और से रखवाना चाहिए था। इसलिए मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूं पहली यह कि जो माननीय मंत्री जी ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया। हमारे राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत आबकारी विभाग है। सबसे पहला विभाग सेल्स टैक्स है। व्यापार कर के बाद यह आबकारी विभाग है। जिससे इस प्रदेश के राजस्व की सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती हैं, यह हमारी आय का स्रोत है। लेकिन हम लोग महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले रहे हैं यह देश उनके आदर्शों पर चल रहा है।

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसका बहुत व्यापक प्रसार नहीं होना चाहिए। उनका वश चलता तो इसे बिल्कुल बन्द कर देते। उन्होंने सम्पूर्ण बन्दी की बात की थी लेकिन हमारी कमी है कि राजस्व के लालच में हम इस बढ़ाते चले आ रहे हैं। ऐसे-ऐसे गांवों में दुकानें खुल गयी हैं जहां इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके कारण गांवों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। परिणाम क्या हुआ कि विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इसकी जहां आवश्यकता हो वहीं चलाना चाहिए। इन्टीरियर इलाकों में नहीं चलाना चाहिए। सब जगह दुकानें खोल करके जो नहीं पीना जानते थे उन्हें भी आपने पियाऊ बना दिया है। अपने भाषण में आपने कहा कि यह दवा के काम में आता है और इसी बहाने हर आदमी कहीं न कहीं पीता है। अगर यह बता दिया जाये कि इसमें शराब है तो बहुत आदमी दवा न खायें। आपने जीवन को बरबाद करने के लिए कई जगह दुकानें खुलवा दी हैं।

मैं चाहता हूं कि आप आबकारी के बजाय दूसरे अन्य स्रोतों से राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करें। आबकारी में भी दो विभाग हैं दूसरा है मद्य निषेध विभाग। एक विभाग पिलाता है दूसरा विभाग मना करता है।

फिर जिलों में देख लीजिए, जो जिला आबकारी अधिकारी है, वहीं मद्य निषेध अधिकारी है। उसी आदमी से कहते हैं शराब बिकवाओ और उसी से रोकने को भी कहते हैं। एक ही आदमी पर दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था करिये कि जिस तरह आप मेहनत करके शराब बिकवा कर राजस्व अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह इसको रोकने का भी प्रयास करें। मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में नदी के कछारों में शराब बनाने की परम्परा बढ़ गई है, इसको रोकने की जरूरत है। आपने दुकान किसके लिये खोली है, जो 500 कमाता है, वह 100 रुपये की पी लेता है तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक रिक्शा वाला जो 20 रुपये कमाता है, वह 20 रुपये की पी लेता है तो उसका तो सारी कमाई ही चली जाती है, इसलिये क्योंकि छोटी दुकानों पर गरीब आदमी ही जाता है। बड़ा तो आराम से बैठकर एयरकंडीशंड में पीता है, इसलिये छोटी दुकानों

को आप हतोत्साहित करें, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा गांव में जो शराब बनाने की परम्परा है इसको भी रोकने की आवश्यकता है। हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में मिसरौली थाने में 50 हजार रुपया शराब बनाने का हफ्ता आता है। एक दिन एक आदमी मेरे पास भागा आया और बोला कि पहले तो 10 रुपया लेते थे, अब 30 रुपये लेते हैं, क्या कोई नया कानून बन गया है, वह लोग नहीं जानते क्योंकि जनजाति के लोग हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किस तरह इसको बढ़ावा मिल रहा है, इसको रोकने के लिये आप प्रयास करिये। जहां तक राजस्व की बात है, हम कुछ कह देंगे तो आप नाराज हो जायेंगे। शिक्षा विभाग के बजट पर बोलते हुये मैंने कहा था कि बड़े लोगों पर टैक्स लगाया जाय, यदि आपको राजस्व बढ़ाना है। माननीय मंत्री जी, आप भी कुरान-शरीफ पढ़ते होंगे, हम गीता को पढ़ते हैं, जो भी धर्म और मजहब को मानते हैं, उस पर विचार करते हुये बिक्री कम करके आय के लिये दूसरे स्रोतों को ढूंढना चाहिए। जब मैं पहले विधान सभा का सदस्य था, उस समय जशपाल सिंह ने इसकी घोषणा की थी और मैंने तब भी इसका विरोध किया था। आज इंटरमीडिएट कालेज या जूनियर हाईस्कूल के लड़के हों, वह सब नशे में चूर हैं, इसका नतीजा यह है कि जगह-जगह नशा छुड़ाने के लिये स्कूल खुल रहे हैं। आपने कहा हमने इसका वीडियो बनवा लिया है लेकिन आप राजस्व की प्राप्ति के लिये लोगों को बरबादी के रास्ते पर मत ले जाइये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान शराब माफियाओं की तरफ ले जाना चाहूंगा। सरकार इसके लिये चिन्तित है, सरकार दुकानें आवंटित करती है। सरकार अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिये डाल-डाल चलती है और यह शराब माफिया पात-पात चलते हैं। माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा शराब माफियाओं के बारे में कि यह शराब के ठेके ले लेते हैं और अपने घरों पर भट्टियां खोलते हैं और उसमें अल्कोहल डालते हैं, तमाम विषाक्त विषैली चीजों को डालकर शराब तैयार करते हैं और दो नम्बर की शराब को बाजारों में बेचते हैं। इसको तमाम लोग पीते हैं और काल के गाल में चले जाते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खासतौर से यह शराब की दुकानें गरीब लोगों की, अनुसूचित जाति की बस्तियों के किनारे ज्यादा खोली जाती हैं, मैं मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इनकी दुकानों को वहां पर खोला जाय जहां पर गरीब की बस्तियां न हों और खासतौर से जहां तमाम जन-जीवन के लोग न हो। शराब माफियाओं पर कार्यवाही करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा। मान्यवर, एक और अनुरोध माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा कि शराब की दुकानों के आवन्टन का तरीका कुछ ऐसा अपनाएं जिससे गरीब लोगों को भी दुकानें मिल सकें, ताकि वह व्यवसाय करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। मान्यवर, शराब मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल होती है, वैसे तो मैंने कई अधिकारियों को पी करके मरते देखा है लेकिन दवा के रूप में भी उसका प्रयोग होते देखा है तो मान्यवर, ये शराब की जो दुकानें हैं, खासतौर से उनके वितरित करने का जो तरीका है, वह ऐसा हो कि गरीबों को भी दुकान मिल सके, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसमें भी आरक्षण का कोटा हो, ऐसी

व्यवस्था की जाय ताकि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। आपकी लाल बत्ती जल गई, मैं माननीय मंत्री जी के बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पारसनाथ यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो बड़े ध्यान से हम लोग सुन रहे थे, इन्होंने कहा आबकारी विभाग से राजस्व की ज्यादा आमदनी होती है वहीं पर इन्होंने यह भी कहा कि राजस्व ही हम इससे नहीं प्राप्त करते बल्कि उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि मद्य निषेध इस देश के कुछ प्रान्तों में जहां लागू किया गया था वहां लोगों ने गलत ढंग से भट्ठियां खोल ली और गलत ढंग से शराब बनाने लगे और दूसरे प्रदेश से भी मदिरा आने लगी, उसके बाद में चल करके पुनः वहां मद्यनिषेध खत्म किया गया।

मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग उस देश के इन्सान हैं जहां गंगा-यमुना संस्कृति है और जो दुनिया को शांति का संदेश देता है, जिसे देखने के लिए विदेशी तरसते हैं, जहां मानवता और इन्सानियत वास करती है। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूं कि प्रदेश की हालत जर्जर है, भुखमरी और बीमारी है। विकास के लिए 50-56 साल आजादी के बाद जो कार्य होने चाहिए वह नहीं हुए उसके पीछे केवल आर्थिक तंगी थी। राजस्व बढ़े, हम इसके पक्षधर हैं, विकास हो, लेकिन गलत ढंग से राजस्व बढ़ा करके हमारी मानवता एवं इन्सानियत पर ठेस पहुंचाई जाय यह गलत है। यदि इन्सान का चरित्र ठीक नहीं है तो उसका कुछ नष्ट हो जाता है। चरित्र निर्माण के लिए हम गलत काम करके धन अर्जन करके देश का विकास करें, आगे आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश दें, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। माननीय माता प्रसाद जी ने बड़ी नीति संगत बात कही कि हम को अन्य तरीकों से अन्य विभागों के जरिये राजस्व बढ़ाने की बात करनी चाहिए। लेकिन दोहरा चरित्र है, एक तरफ हम मद्य निषेध की बात करते हैं और फिल्म बनाकर उसे गरीब, झुग्गी-झोपड़ियों में ले जाकर दिखाते हैं और दूसरी तरफ गांव-गांव में दुकानें खुलवाने की बात करते हैं इसलिए कि हमारा राजस्व बढ़ेगा। हम इस दोहरे चरित्र का सदैव विरोध करते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए। (सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा चल रही है, अच्छा होगा कि इसको सुना जाये।

श्री पारसनाथ यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी से स्पष्ट तौर से पूंछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि शराब का ठेका हुआ, भांग का ठेका और बीयर का ठेका होता है लेकिन मान्यवर, शराब की दुकानें व्यवहारिक रूप से देखेंगे बगैर गांजा के नहीं चलती हैं। गांजा की बिक्री और तस्करी काफी मात्रा में पूरे प्रदेश में हो रही है और यहां तक हो रही है कि हमारे पुलिस भी किसी शरीफ आदमी को पकड़ लेती है तो नाजायज ढंग से गांजा में चालान कर देती है। पुलिस कहां से 4-5 किलो गांजा लाकर चालान करती है, अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के नीचे जमानत नहीं होती है। अगर गॉजा बेचवाकर राजस्व मिलता है तो मैं नम्र निवेदन करना

चाहता हूं कि इसका भी लाइसेन्स बनवा दिया जाये क्योंकि बहुत से पीने वाले हैं। जहां गरीबी है वहीं शराब खोरी और नशाखोरी है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जो 100-50 रुपया कमाता है उसे अपने बच्चों के रोटी के लिए न खर्च कर पाऊच खरीदता है और उसका पैसा उस पाऊच में चला जाता है। इस प्रकार के संस्कार को आप बढ़ावा दे रहे हैं, चरित्र बना रहे हैं ? अगर चरित्र बनाना है तो राजस्व का इंतजाम करिये, राजस्व की व्यवस्था बढ़ाईये। शराब से राजस्व बढ़ाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को विकृति न करिये। यदि यह चरित्र बनता चला गया तो किसी दिन निश्चित रूप से हमारा समाज इतना विकृति हो जायेगा कि मानवता व इंसानियत का पता नहीं चलेगा। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि गांजा की तस्करी बन्द करने के लिए लाइसेन्स देने का काम करिये। अगर आप लाइसेन्स देना चाहते हैं तो खुले मन सें एलान करिये। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आबकारी के बाद परिवहन और खाद्य एवं रसद विभाग का बजट है इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखिये क्योंकि आगे के बजट में भी आप अपने विचार रखना चाहेंगे।

श्री राम इकबाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, यह एक ऐसा बजट है कि गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठकर कलेक्टर शराब की नीलामी कराता है। महोदय यह राम, कृष्ण और गांधी का देश है। भगवान राम के समय शराब नहीं बिकता था, कृष्ण के समय शराब नहीं बिकता था और हिन्दुस्तान दुनिया में सुखी देश था राम राज्य की कल्पना गांधी जी भी करते थे। महोदय शराब बन्द करके हिन्दुस्तान के गरीबों को एक नई दिशा दी जा सकती है। आय का साधन, शासन चलाने का साधन बताकर यह बात उचित नहीं है कि आने वाली पीढ़ी को और गरीबों को मौत के कुंए में ढकेल दिया जाय। आज पूरी युवा पीढ़ी पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। दुनियां वास्तव में एक विलेज हो गयी है, पूरी युवा पीढ़ी प्रभावित हो गयी है। शादी व्याह में देख लीजिए शराब पीकर युवा लोग डांस करते हैं। गीत गाते हैं जो हमारी संस्कृति है उसमें पिता के सामने पुत्र चारपाई पर नहीं बैठता था। आज पिता पुत्र से शराब मंगवाता है और पिता है जिसके कारण गांव के गांव बरबाद हो रहे हैं। चाहे प्रधान का इलेक्शन हो चाहे एसेम्बली का इलेक्शन हो बड़ी भारी तादात में शराब के आधार पर मत बेचने का काम होता है जो अपना मत बेच सकता है वह अपनी इज्जत भी बेच सकता है। समाज में यह जो चरित्रहीनता फैल रही है इसको रोका जाना चाहिए। गरीब आदमी भट्ठी पर चोरी-छिपे शराब बनाता है। पुलिस के लोग नम्बर दो का धंधा करवाते हैं। एक तरफ आप मद्यनिषेध की बात करते हैं दूसरी तरफ शासन चलाने के लिए शराब बिकवाने का काम करते हैं।

मान्यवर, हम पत्नी पुत्र से नहीं कह सकते हैं कि शराब पियो। अगर यह बुरा है, मान्यवर, यदि शराब बेचकर ही राजस्व कमाना है तो ऐसे राजस्व से क्या फायदा जो देश और समाज को गलत दिशा देता है। आज स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति शराब पीकर अपनी किडनी खराब कर लेता है। शराबी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्ति घर में पीटा-पाटी करता है और बर्तन तोड़ता है। महात्मा गांधी ने कहा था अगर राज्य के लिए धन की जरूरत है तो क्या धन के लिए वेश्यावृत्ति करवायेंगे। आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं ने शराब मूवमेन्ट चलाया था और शराब को बन्द करवाया था। गुजरात में शराब नहीं बिकती है। गुजरात देश का सबसे धनी राज्य बनने जा रहा है। इसलिए शराब बिकवाने पर रोक लगानी चाहिए। सत्ता पक्ष का होने के नाते मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि इस बजट पर बोलने का मौका दिया मैं भुक्तभोगी हूं मेरे परिवार की दो मौतें शराब पीने के कारण हुई हैं। पिछले वर्ष नोयडा-गौतमबुद्ध नगर में निठारी गांव में आठ व्यक्तियों की मौतें हुयी और बुलन्दशहर में दो व्यक्ति अन्धे हो गये। मान्यवर, ओलिना-धमेड़ा गांव में जांच दल गया तो पता चला कि जिन्दल पालीमर्स फैक्ट्री गुलावटी में मिथाइल अल्कोहल के टैंकर ड्राईवर लेकर जाते हैं जिसको होटलों या ढाबों पर रास्ते में पैसा 5 रुपया प्रति लीटर लेकर बेचते हैं। मिथाइल अल्कोहल जहर होता है। एक लीटर मिथाइल अल्कोहल में 5 लीटर पानी मिलाने से शराब बनती है। अगर तीन लीटर पानी मिलाया जाय तो जो शराब बनेगी उसको पीने से व्यक्ति अंधा होता है।

इसी प्रकार से जनपद कुशीनगर मे 7 लोगों की मौत हुयी। वहां जांच करने पर यही तथ्य प्रकाश में आया कि लोगों ने मिथाइल अल्कोहल मिली शराब पी थी जिससे उनकी मौत हुयी है। मिथाइल अल्कोहल विष है। इसे अन्य जगह पर ले जाने पर विष अधिनियम के तहत जिला प्रशासन को परमिट देने का अधिकार है। इस जनपद में शराब घर चल रहा है। प्रत्येक पखवारे जिला प्रशासन को राशि जाती है। दो तीन हजार रुपये में परमिट दिए गए हैं। इसी तरह से जिन्दल पालीमर्स फैक्ट्री गुलावटी बुलन्दशहर में 19 अक्टूबर, 2001 में अधिकारियों ने छापा मारा और 202 एडवांस परमिट पाए गये। यह 26 अप्रैल के अखबार की कटिंग है। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने शराब की रोकथाम के उपाय किये हैं इस बजट में कहा है और संविधान धारा 47 में भी प्राविधान है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य/राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। राज्य विशिष्ट तथा मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिबद्ध करने का प्रयास करेगा।

इस शराब से गरीबों के झोपड़े में चूल्हा नहीं जलता है इसके प्रयोग से गरीबों को रोटी नहीं मिलती आवास नहीं, शिक्षा नहीं, सम्मान नहीं होता है। इज्जत नहीं होती है। राजनीतिक लोग उन गरीबों को जो बेसहारा होते हैं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक होते हैं उनको प्रलोभन देकर उन्हें न्याय और सम्मान नहीं देते हैं। जिस समय चुनावों में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का शराब के लालच में वोट देगा उस वक्त वह अपने जीवन को गर्त में करेगा जीतने पर राजनीतिज्ञ अनैतिक काम करेगा! उस गरीब को पट्टे नहीं मिलेंगे, मकान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि खर्चा निकालेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, भांग, चरस, गांजा, धतूरा आदि चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। हमारे यहां गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर का नारा

लगाने वाले बहुत लोग हैं आदर्शों पर कम लोग चलते हैं चूंकि मंत्री जी ने शराब की रोक थाम के बारे में लिखा है इस नाते मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[1] श्री अमरमणि-

मान्यवर, साढ़े आठ बज रहा है दो और महत्वपूर्ण बजट हैं। इसलिए अब इसको पास कराने की कार्यवाही की जाए। जिनको इसमें विशेषाधिकार प्राप्त है वह इसमें बोलना चाहें तो बोल लें। मेरे ख्याल से इसमें सारे विचार आ गए हैं। पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को सुन लिया है। दूसरे और जो जनहित से जुड़े बजट हैं उसमें भी समय चाहिए। क्योंकि परिवहन और खाद्य एवं रसद दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसलिए अब इसको पास कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री पूर्णमासी देहाती-

अधिष्ठाता महोदय, आपने दारू के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर मद्य निषेध की घोषणा कर दें तो अच्छी बात हो। मैं जानता हूं कि यह करेंगे नहीं। एक निवेदन है हमारे जनपद कुशीनगर में शाही जी जब मंत्री थे तो बिहार की शराब सेवरही में आ गई। दर्जनों लोग पीकर मर गए। आज भी बिहार की शराब आ रहीं है। मंत्री जी ने इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की दूसरा माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि आपने जहां अपनी दुकानें खोल ली वह तो हैं ही, लेकिनं मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आपके दुकानदार साईकिल में शराब लेकर गांव-गांव बिकवा रहे हैं यह लोगों की शिकायत है। आपके जो अधिकारी हैं वह तो बिल्कुल भंगुवाये रहते हैं उनको तो कुछ पता नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मणि जी हैं इनको यहां नेपाल का शराब आकर लोगों को बर्बाद कर रहा है। आप इस पर व्यवस्था करें कि नेपाल बार्डर से जो शराब हिन्दुस्तान में आती है वह न आने पाये। इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपकी यह जो दुकानें हैं शराब की, वह चौराहों, धार्मिक स्थलों, मन्दिर मस्जिद से काफी दूर होनी चाहिए। मान्यवर, आज भी इन्टीरियर में कच्ची भट्ठियां चल रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने विभाग से छापा डलवायें। दो तीन साल में कहीं न कहीं घटनायें हो जाती हैं और दो तीन दर्जन लोग मरते हैं। आज आपका बजट है लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि आबकारी का बजट है। आप माननीय सदस्यों को कुछ सेंट ही बंटवा देते।

श्री अधिष्ठाता-

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा है कि अभी परिवहन और खाद्य एवं रसद का बजट बाकी है। इस पर भी लोगों को विचार रखने हैं। अतः अब इस पर काफी हो गया है।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, मैं आबकारी बजट के कटौती के पक्ष में बोल रहा हूं जब बात दारू की होती है तो वह दवा हो जाती है। जब आबकारी की बात हो तो उसमें गांजा, भांग भी रहता है। दारू इतनी बुरी नहीं है, अगर बुरी होती तो उससे दवा कैसे बनती। दारू शीरे से बनती है, संतरे से बनती है, महुआ से बनती है, अंगूर की बेटी कहलाती है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शीरे से दारू बनाने में गन्ना किसानों को लाभ होता है, बात बिल्कुल सही है। शीरे से दारू बनायी जायेगी तो गन्ना

---

[1] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों को दाम अच्छा मिलेगा। शीरे का दाम फैक्ट्री को मिलेगा तो गन्ने का दाम शक्कर पर नहीं जायेगा। 119 गन्ना मिलें हैं जिसमें से 18 बन्द हो गयी कुल 101 रह गयीं। बाकी आपका जो खाण्डसारी उद्योग है उसमें भी शीरा बनता है, शुगर काम्प्लेक्स लगाया जाये तो गन्ने का दाम शुगर में न जाकर बाई प्रोडक्ट में जायेगा। शीरे से पावर अल्कोहल, अल्कोहल, मेथीनाल स्प्रिट और इण्डस्ट्रियल स्प्रिट बनेगी। इससे मोटर गाड़ियां चलती हैं। 27 टन खोई से प्लाईबोर्ड हाईबोर्ड बनता है। बचे हुए खोई से परफ्युरल से कपड़ा बनता है मई से रबर, गोंद, मोम बनता है और बची हुई खाई से खाद बनती है। जहां आपकी चिंता गन्ने के शीरे से दारू बनाने में हैं। शुगर काम्प्लेक्स में हो तो निश्चित रूप से गन्ने का दाम शुगर पर न जाकर उसके बाई प्रोडक्ट में जायेगा। मान्यवर, दारू को पीना अच्छी चीज नहीं है यह खराब चीज है। मैं इसकी कतई सलाह नहीं देता हूं। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध और डा0 भीमराव अम्बेदकर ने दारू को बहुत खराब बताया है। अम्बेदकर के अनुयायी जो दारू पीते हैं वे डा0 अम्बेदकर के अनुयायी नहीं हैं। दारू को सुर और असुर सभी ने पिया है। मैं बार-बार कहूंगा कोई शख्स दारू न पिये। जिसने दारू बनायी होगी वह महान व्यक्ति रहा होगा। दारू पी जाये तो उसका समय निश्चित होना चाहिए। क्योंकि "वैन वाइन इज इन ट्रूथ इजआउट" दारू को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए इसके साथ खाद्य पदार्थ अवश्य होना चाहिए। दारू खाली पेट पीने से बहुत नुकसान होता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, परेशानी हो जाता है इसलिए दारू जब पियें तो खाली पेट न पिये उसके साथ खाद्य पदार्थ जरूर रखें। दारू का मान्यवर, ग्रेड होना चाहिए। यह लोग अपने को राम का भक्त कहते हैं, भीमराव अम्बेदकर का अनुयायी कहते हैं अगर ये वास्तव में अम्बेदकर के अनुयायी हैं तो ये दारू पीना छोड़ दें। मान्यवर, बांदा जिले में दारू बेचते हुए एक व्यक्ति को सी0 ओ0 ने एस0 पी0 ने पकड़ा था उनको ट्रान्सफर किया जा रहा है क्योंकि जो दारू का व्यवसायी था वह मंत्री जी का सगा भाई है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

जिस तरह से महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी ने शराब को मना किया था उसी तरीके से डा0 भीमराव अम्बेदकर जी ने भी उसका विरोध किया था। उनके अनुयायी कहना ठीक नहीं है। अम्बेदकर जी ने शराब पीने की बात नहीं कही है।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मैं आबकारी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वैसे आबकारी विभाग के जो असली मर्मज्ञ हैं उसका चर्चा से पता लग रहा है। इस बजट को क्या आप चुपचाप पास कराना चाहते हैं ? आबकारी विभाग सबसे ज्यादा समाज को प्रभावित करने वाला बजट है जो सदस्यगण चुनकर आये हैं जिसकी चुनाव में उपयोगिता नहीं सिद्ध हुई है लेकिन जो उसके मर्मज्ञ इसपर विचार करने से कतरा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अगले साल से अल्कोहल को पांच प्रतिशत पेट्रोल में मिलाने की घोषणा की है। यह कहा गया शीरे का बहुत बड़ा स्टोर है। इसको जनहित में लगाना अच्छा कदम होगा। इसपर ध्यान देने की सरकार को आवश्यकता है मैं इसीलिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले वर्ष उन्होंने क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। सिंडिकेट को समाप्त करना और उसको अब भी समाप्त कर रहे हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि यह तोड़ पायेंगे लेकिन इस सरकार ने क्रान्तिकारी

निर्णय लिया है और यह हिम्मत का काम है, मैं इसमें बधाई देना चाहूंगा। इसमें जो छोटे व्यवसायी हैं वह अपना स्थान बना रहे हैं। उसमें जिले के लोगों को महत्व मिले और जो सिंडिकेट अभी भी थोड़ी मात्रा में आ रहे हैं उसको रोकने के लिए जिले का निवास प्रमाण-पत्र दिया जाय जिस समय लाइसेंस देते हैं। सिंडिकेट चाहते हैं कि यह व्यवस्था फेल हो जाय। वह कह रहे हैं कि इससे राजस्व का घाटा हो रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अप्रैल से अगस्त तक जो वसूली हुई है वह 209 करोड़ हुई है पिछले वर्ष से तो इसको लगातार बनाये रखें।

नकली और जहरीली शराब की बात भी कही गयी। मैं अपने जनपद गौतमबुद्धनगर, नोयडा के रिठाली और सैठली के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर 200 मौते हुई हैं। जो असली मुजरिम हैं उनका यह कुछ नहीं कर पाये हैं और छोटे-छोटे लोगों को घसीटा जा रहा है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रहीं है। मेरी मांग है कि जो असली मुजरिम है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दुकानों को शहर से बाहर रखने का विचार रखा है मैं इस पर बल देते हुए यह कहना चाहूंगा कि धार्मिक स्थलों और आबादी से भी दूर रखने की आवश्यकता है। यह आबादी से एक किलोमीटर दूर होनी चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है कि सिंडिकेट से बचने के लिए इस व्यवस्था को लगातार चालू रखने की आवश्यकता है और जो लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जाय पहली व्यवस्था कर दी जाय तो उसको संज्ञान में न लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, आज आबकारी विभाग की महत्वपूर्ण कटौती, जो माननीय वंशीधर राज जी ने रखी है, पर बल देता हूं ... धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आबकारी विभाग राजस्व इकट्ठा करने के संबंध में कदाचित् प्रदेश सरकार की आय के श्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश की वार्षिक आय व्ययक के सूत्र में जब हम इस विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण सबसे यह है कि यह राजस्व इक्ट्ठा करने का साधन है और मैं एक बात अपने माननीय साथियों से सहमत होते हुए, वह सिर्फ सैद्धान्तिक पक्ष नहीं रखेंगे बल्कि पूरी तरह से इस राजस्व की प्राप्ति के विकल्पों को अगर हम समर्थ ढंग से नहीं रख सकें तब यह सुझाव देना कि शराब बन्द कर दी जाय इससे विकृति दूर हो जायेंगी, निश्चित तौर से व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करता हूं।

यह आग्रह माननीय मंत्री जी से नहीं करूंगा। मान्यवर, यह सैद्धान्तिक पक्ष बहुत स्पष्ट है लेकिन व्यावहारिक पक्ष से देखा है हरियाणा, आंध्र प्रदेश में देखा है, जहां-जहां प्रयोग हुए हैं, देखा है, वहां पीड़ादायी स्थिति होती है। एक कदम आगे जाते हैं और दो कदम पीछे जाना पड़ता है। सैद्धान्तिक पक्ष को ऊपर रखकर व्यावहारिक पक्ष का बंदोबस्त नहीं करते हैं तो परिणाम निकलता है यह देश के लिए सकारात्मक नहीं होता और वहां कठिनाई पैदा हो चुकी हैं। दीर्घकालिक नीति बनाकर शनैः-शनैः विकल्प पैदा करके जो इसके विभागों का काम किया है। आबकारी और मध्य निषेद्ध के समय संतुलन की स्थिति हो, अगर प्रतिशत देखा जाय तो यह 99 और एक का है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रतिशत को दीर्घकालिक नीति बनाकर धीरे-धीरे बढ़ाते रहें और मद्य निषेध को ऊपर ले जाने का काम करें और आबकारी विभाग से होने वाले राजस्वों के लिए दूसरे विकल्प तैयार करें

और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर अगर योजनाएं बनायी जाएं तो यह एक सकारात्मक पहल होगी। हम यह मांग नहीं करते बल्कि हम तो यह कहना चाहते हैं इसको करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मुझे दो बातें और कहनी हैं। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे लेकिन अगर हम सच्चाई को इस सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे ? कोई दूसरा स्थान नहीं है।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अब समाप्त करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में इस प्रदेश में एक नई आबकारी नीति शुरू हुयी थी और जब परिवर्तित हुयी तो ऐसा नहीं था कि नीति बदल गयी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस सदन में बड़े जोरदार ढंग से अपनी उपलब्धियों को इस सदन में गिनाया था और यह कहा था कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस सरकार ने शराब माफियाओं के सिंडीकेट को तोड़ने में कामयाबी पायी है। एक ऐसी शराब नीति जिसमें प्रदेश में शराब माफिया से मुक्त हो गयी है। यह कहकर उस सरकार ने वाहवाही लूटने का काम किया। वह नीति चलती रही। माननीय आबकारी मंत्री जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो फिर दूसरा खेल शुरू हुआ। हालांकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें साझा था। मैं राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। यहां पर अभी तक सिर्फ किंताबी बातें ही कही गयी हैं। मान्यवर, जब सरकार ने आबकारी नीति परिवर्तित करने की घोषणा अपनी प्राथमिकताओं में की तो उसमें यह भी था कि हम उस आबकारी नीति को परिवर्तित करेंगे और दूसरी व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, यह विभाग सर्वाधिक राजस्व बटोरता है।

मान्यवर, हमारे आबकारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री के सर्वाधिक निकटतम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिक स्नेह प्राप्त है। अपने नेता का सर्वाधिक स्नेह पाना भी अपने आप में एक गौरव की बात होती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से उसी पुराने सिंडीकेट को और माफिया को मिलाकर और 100 करोड़ से ऊपर का सौदा उसके साथ करके उस नीति को परिवर्तित करने की पूरी-पूरी कसरत की गयी है और वह कसरत संबंधी बात में मैं नहीं जाना चाहूंगा वह कहीं जाकर निष्फल हो गयी। आपने कहा कि उस नीति को परिवर्तित करेंगे। एक खेल शुरू हुआ। एक खेल ,बन्द और दूसरा खेल चालू। मान्यवर, 13 डिस्टलरीज जो पाऊच में शराब बनाती हैं और जिस शराब की सान्धरता 46 प्रतिशत वाल्यूम बाई वाल्यूम होती है उसको 32 प्रतिशत कर दिया गया। एक पाऊच पर ढाई रुपये कम कर दिया गया। डिस्ट्रलरीज को कम देने का काम किया गया। मान्यवर, आंकड़े मंत्री जी बात देंगे। एक करोड़ पाऊच आपके प्रदेश में रोज बिकता है तो ढाई करोड़ रुपये रोज इसमें आ रहा है। इस ढाई करोड़ रोज में कितनी हिस्सेदारी कहां-कहां है राजस्व मदों को छोड़कर और इस ढाई करोड़ में मूल्य में कमी का क्या बन्दोबस्त हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से यह खेल बन्द होना चाहिए। किसी भी स्तर पर पारदर्शिता कह देने से काम नहीं चलेगा।

मान्यवर, आबकारी आयुक्त के कमरे में कौन-कौन लोग जाते हैं और भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। कौन दो महीने भ्रष्ट नहीं करता है तो एक महिला के खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़

जाता है। कौन उस महिला के कक्ष में जाता है और उसकी कैसी स्वीकारोक्ति होती है। मान्यवर, यह सिर्फ राजस्व वसूली का मामला नहीं है। मान्यवर, इन परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल होती है। शराब ऐसा महकमा है इस महंकमें में चाहे जितनी भी कोशिश करें। मुंह से आने वाली बदबू शराब की होगी। मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं (व्यवधान) मान्यवर, वह जो महिला का मामला है वह गंभीर है। जिन कक्षों में चालें होती रहीं महीनों, महीनों खेल चलता रहा उसका पर्दाफाश हो इस तरीके से यह खेल नहीं चलना चाहिए और ढाई करोड़ रुपये रोज का जो यह खेल जारी है उस चीज को माननीय मंत्री जी आप नियंत्रित करने का काम करें। डिस्ट्रलरीज को रियायत देने का काम आपके अधिकारियों ने कर दिया है लेकिन उसका लाभ आपके अन्तिम ग्राहक पर जाना चाहिए। छूट होनी चाहिए तो राजस्व के माध्यम से उसे लेते। मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, इस गंभीर स्थिति में जहां पूरी तरह से शराब माफिया को बढ़ाने की साजिश हो। डिस्ट्रलरीज के आगे अपनी अस्मिता को गिरवी रखने की साजिश हो और उच्च स्तर पर शामिल लोगों ने सारी चीजों की मटियामेंट करके एक महिला जिसके साथ क्या-क्या खेल चालू हुआ है एक झूठे मुकदमें में 506 का मुकदमा। मान्यवर, कोई चोरी-डकैती नहीं और पुलिस रिमान्ड और सारी जांच उसके भी आगे आप कुछ चलाये तो मैं सहमत हूं। आप चाहे जो कीजिए यहां यह खेल बन्द होना चाहिए शराब का खेल चलता है उसके साथ दूसरा खेल जारी है। यह खेल बन्द होना चाहिए उसके साथ ही मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वंशीधर राज-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव में देहातों में जो छापा डाला जाता है जो कर्मचारी छापा डालने जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। वह जब छापा डालने जाते हैं तो ठेकेदार से वह मिल लेते हैं और ठेकेदारों के आदमी उनके साथ छापा डालने चले जाते हैं और उसमें फर्जी सिरका आदि दिखाकर महान दलित आदि को गिरफ्तार करते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि 2001-2002 में कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें दलितों की संख्या क्या है ? दूसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके विभाग में कुल कितना स्टाफ है और उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा पूरा है या नहीं, यदि नहीं पूरा है तो कब तक पूरा करेंगे यह मैं जानना चाहता हूं। इसके साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती का प्रस्ताव जो माननीय बंशीधर राज जी ने रखा है उनके सुझावों को मैंने गम्भीरता से सुना है जो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, वह भी सुना है और लिखा है। माननीय अन्य सदस्यों ने जो अन्य सुझाव रखे हैं। सबसे पहले जो माननीय राज साहब ने स्पष्टीकरण मांगा है उसको स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, कोटा के संबंध में जब मैं अपनी बात रख रहा था उस समय मैंने यह बात रख दी थी कि इस पर कार्रवाई चल रही है। इतने प्रर्वतन सिपाही कोटा के तहत चाहिए और जो बैकलाग पूरा करना है उससे संबंधित भी और आवश्यकता के अनुसार भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। बाकी जो दूसरे कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है लेकिन जो बात आई है। किसी महापुरुष का उदाहरण दिया है, मैं हर महापुरुष का सम्मान करता हूं और माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उन महापुरुष ने यह कहा था कि शराब और शराबी को बरबाद कर

दो। तो मान्यवर, शराब को बरबाद करने की बात पर तो कदम उठाया जा सकता है लेकिन शराबी को बरबाद कर दो यह बात मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मद्य निषेध जो हमारा डिपार्टमेन्ट है। माननीय सदस्य ने कहा कि मद्य निषेध का भी आज बजट रखा गया तो मद्य निषेध का बजट नहीं रखा गया। जो दो विभागों का बजट आज हैं उसमें एक आबकारी है और दूसरा परिवहन। मद्य निषेध डिपार्टमेंट मैं देखता हूं लेकिन मद्य निषेध का जो बजट है वह समाज कल्याण मंत्री जी रख चुके हैं। मान्यवर, जहरीली शराब के संबंध में माननीय सदस्यों ने बात कही है। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि प्रर्वतन में हमने अपने कर्मचारी लगा रखे हैं। इतने अधिकारी गये जो भी है उसका हवाला मैं दे चुका हूं। गौतम बुद्ध नगर में मरने वालों की बात हैं। माननीय सदस्य ने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि इसकी जांच करा दें। मैंने तुरन्त आदेश कर दिया। जो मुझे जानकारी मिली, जो कि माननीय सदस्य ने बताया वह जहर से मर गया। जैसा कि उसमें इतने लीटर पानी मिलाया जाये तब उसका जहर कम होता है। अगर कोई जहर पी लेगा तो हम क्या करेंगे। इधर एक बात आई है कि बख्शी का तालाब में दो लोग मर गये हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वहां भी शराब से नहीं मरे हैं जहर से मरे हैं।

दूसरी तरफ एक माननीय सदस्य का सुझाव आया है कि ब्राजील में जिस तरीक़े से एल्कोहल को चेन्ज करके इस्तेमाल किया जाता है। जो 2003 से हम शुरू करने जा रहे हैं यह वही तकनीकी है उसी तकनीकी पर हम चल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ बातों को आपने स्वीकार किया है। कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि मद्य निषेध विभाग में वही अधिकारी जिलाधिकारी हैं और वही मद्य निषेध अधिकारी हैं। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। जहां पर दूसरे अधिकारी नहीं होते हैं वहां पर समाज कल्याण अधिकारी देखते हैं। आपने कहा कि फिल्में चलाई जा रही हैं। मैंने कहा था कि शराब को पिलाने के लिए फिल्में नहीं चलाई जा रही हैं बल्कि उसे रोकने के लिए फिल्में चलाई जा रही हैं। नागर जी ने माफियाओं की बात की है। माफियाओं से बचने के लिए ही यह नयी नीति चलाई गयी थी। अम्बिका चौधरी ने एक बात कही कि नयी नीति को बदलने की घोषणा कर दी है तो अम्बिका जी ही बता देंगे कि कहां कर दी है मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जायेगा। केवल राजस्व ही हमारा मकसद नहीं है मैं पहले ही अपनी बातें कह चुका हूं कि आबकारी विभाग से केवल राजस्व इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। व्यापार कर के बाद राजस्व इकट्ठा करने वाला यह दूसरे नम्बर का विभाग है। हम इसको बन्द कर देंगे लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं यह जो नयी आबकारी नीति है इसमें 46 प्रतिशत और 32 प्रतिशत की जो बात है मेरी जहां तक जानकारी है जब से मैंने यह विभाग संभाला है मुझे जानकारी है कि यह 46 प्रतिशत और 32 प्रतिशत की श्रेणी न है और न कभी थी। उससे पहले का मुझे नहीं मालूम है जो मुझे जानकारी हुई है न पिछले वर्ष थी और न इस वर्ष है। अब आपको पता नहीं यह जानकारी कहां से मिल गयी।

आपने कहा कि एक करोड़ पाउच प्रदेश में बेचे जाते हैं माननीय सदस्य का फिर से ज्ञान वर्धन कर दूं कि पाउच जो हैं वह पिछले वर्ष भी कहीं नहीं बिके और न इस वर्ष सरकार पाउच बेच रही है। पिछले साल भी पर्यावरण की दृष्टि से रोक लगा दी गयी थी और इस वर्ष भी। फिर यह एक करोड़ कहां बिक रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि अगर आप बता दें कि कहां बिक रहे हैं तो मैं कार्यवाही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं भले ही वह आपके घर में क्यों न हों। आप विद्वान सदस्य हैं मैं आपका

सम्मान करता हूं। तो अपने छोटे भाई से ही पूछ लेते जो चीज चल ही नहीं रही है उसके बारे में कहने से क्या फायदा। अनर्गल बात करने से कोई बात नहीं बनती है। इसलिए इसमें कोई कटौती का आधार नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसको ध्वनिमत से पास करवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बंशीधर राज-

मान्यवर, मेरे कटौती प्रस्ताव पर चाहे पक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के सदस्य हों, सभी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखा-अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,86,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-28(2) पर माननीय मंत्री जी का विचार सुना जा चुका है इसलिए माननीय संजय गर्ग जी कटौती प्रस्ताव रखें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट को आबकारी के साथ काकटेल करके रखने का काम किया। मुझे समझ नहीं आया कि इस महत्वपूर्ण विभाग को आबकारी के साथ तालमेल करके लोगों की आंख में और इस सम्मानित सदन की आंख में धूल झोंकने

का काम क्यों किया गया ? मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रयास के लिए दाद देना चाहता हूं। वास्तव में परिवहन की महत्ता मानव सभ्यता से लेकर 21वीं सदी में और बढ़ गई है। किस तरह से दास-प्रथा से लेकर कबीलाई समाज से लेकर पूंजीवादी समाज के इस क्रांति युग में जब पहिए का आविष्कार हुआ, तब से परिवहन के जरिए इंसान उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक न केवल मेल-मिलाप बल्कि भावनात्मक जरूरतों के साथ-साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम करता रहा है। अगर परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सुव्यवस्थित होगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का काम करेगी। कल और आज के सत्र में प्रदेश विभाजन की चर्चा करके समय को व्यर्थ करने का काम किया गया। राजनैतिक, भौगोलिक आधार पर लोगों के बीच में देश में प्रेम, सौहार्द और सामंजस्यता का माहौल और भाई-चारे के माहौल में इस तरह की बात का अनुपालन होता है परिवहन की दुर्व्यवस्था से मेल-मिलाप, संवादहीनता समाप्त होता है, सार्थक संवाद के अभाव में भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन के खतरनाक स्वर उठते हैं।

झांसी, इलाहाबाद, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में और बुन्देलखण्ड में आने-जाने के लिए परिवहन की सुविधा की कमी है। देश और दुनिया के आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक एवं पर्यटन के मानचित्र पर वही देश चमकता है जिसकी परिवहन व्यवस्था स्वस्थ, सुदृढ़, त्वरित सुरक्षित एवं सुविधाजनक होती है। यह सत्य है कि पहिये का आविष्कार मानव के सर्वोत्तम महत्व के आविष्कारों में से एक है और बैलगाड़ी का पहिया अपने व्यापक अर्थ में आर्थिक प्रगति का पहिया भी था। हमारे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का पहला साक्षात्कार हमारी परिवहन व्यवस्था से होता है, यदि हमारी व्यवस्था सुविधाजनक त्वरित, सुरक्षित और अनुशासित नहीं है तो इससे नकारात्मक छवि बनती है और पर्यटन उद्योग हतोत्साहित होता है। ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर मैं समझता था कि इस सरकार की गम्भीरता और उसकी चिन्तनशीलता नजर आएगी और जनता को और ज्यादा सुविधा देने के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, कुछ नई योजनाओं की घोषणा करने का काम किया जाएगा, पर बड़ी अजीबो-गरीब बात हुई, मैं उनकी काबलियत पर बधाई देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने तीनों विभाग का बजट एक ही साथ पेश कर दिया। आबकारी के साथ परिवहन को जोड़ दिया। परन्तु आबकारी का राजस्व बढ़ाने के लिए ज्यादा लोगों को शराब पिलायेंगे तो एक्सिडेन्ट तो होगा ही, लोग आपस में भिड़ने का काम करेंगे।

"यह किससे सीखा है, एक वक्त में दो काम करो,
ट्रांसपोर्ट चलाओ या शगल-ए-जाम करो,
दुल्हा भी तुमही बनों और खुद ही तुम दुल्हन,
खुदा के वास्ते दस्तुर यह न आम करो।।"

माननीय अध्यक्षता महोदय जी, उस सबके बावजूद भी जो भी बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है उसमें कोई नई योजना का अनुपालन सरकार द्वारा सदन के सामने नहीं रखा गया। मान्यवर, परिवहन के चार साधन है, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और जल परिवहन। जिनमें रेल परिवहन, वायु परिवहन भारत सरकार के द्वारा कन्ट्रोल होता है और सड़क परिवहन और जल परिवहन का

कन्ट्रोल प्रदेश की सहायता के द्वारा होता है। मान्यवर, उ0 प्र0 का भौगोलिक क्षेत्रफल-2,40,928 वर्ग किमी0 है जिसमें 17 मण्डल, 70 जनपद, 300 तहसील, 683 नगर एवं नगर समूह, 809 विकास खण्ड, 52029 ग्राम पंचायतें हैं तथा 17 करोड़ की आबादी है, किस तरह से सबको परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी ? जल परिवहन पर भी सरकार गंभीर नहीं है। पिछले कई वर्षों से जल परिवहन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है प्रदेश में यंत्रचालित जलयानों के पंजीकरण के लिये पिछले वर्ष बजट साहित्य में इण्डियन स्टीम बेसेल्स एक्ट, 1917 के अन्तर्गत नियमावली तैयार करके मंत्रिमण्डल की स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन इस नियमावली के प्रख्यापन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं तो समझ रहा था कि माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे और जल परिवहन की उन योजनाओं के जरिये सस्ती परिवहन व्यवस्था कम से कम इस प्रदेश की गंगा और यमुना नदियों का इस्तेमाल करते हुए देने की योजना कुछ दे पायेंगे परन्तु इस तरह की कोई भी योजना मंत्री जी द्वारा घोषित नहीं की गयी।

भारत सरकार ने गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग बनाना घोषित किया है। मान्यवर, इलाहाबाद से लेकर बलिया तक का हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। केन्द्र सरकार से इस विषय में बात करके कोआर्डिनेशन करके जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसको जोड़कर उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को जल परिवहन की सुविधा व माल वाहन या यात्री वाहन की व्यवस्था कराते परन्तु इस तरह की बात नहीं हुई। इसी तरह से घाघरा नदी में अयोध्या से लेकर बलिया तक जहां गंगा और घाघरा की संगम स्थली है, माण्डवी घाट तक जल मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन मा0 मंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। राइट्स संस्था (रिल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज) नई दिल्ली के माध्यम से 1999-2000 में इस योजना पर सर्वे के लिए इस संस्था को 15 लाख रुपये दिये गये, वर्ष 2001 में 7 लाख और वर्ष 2002 में 3 लाख रुपया दिये गये लेकिन अभी तक योजना लागू नहीं कर पाये। यह आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप अपने प्राकृतिक साधनों का इस रूप में उपयोग नहीं कर पाये तो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाने का काम करता है कि राज्य की जनता की परिवहन समस्या के प्रति आप संवेदनशील नहीं है।

पथ परिवहन में अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पथ परिवहन के माध्यम से एक तो यात्रियों को सुविधा देने की बात है दूसरे माल वाहन की सुविधा देने की बात है, एक लाख सात हजार दो सौ तीस ट्रकों के माध्यम से और 198 राजकीय ट्रकों के माध्यम से माल वाहन का काम कर रहे हैं। आज जो स्थिति है आप ट्रांसपोर्टरों से पूछिये किस तरह से पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। मोटर व्हीकिल ऐक्ट धारा-207 के अन्तर्गत केवल आर0 सी0 सीज करने की बात कही गयी है लेकिन उनके वाहन को निरुद्ध करने का काम आपकी सरकार के माध्यम से चल रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, 70 जनपद हैं लेकिन 70 फीसदी जनपदों में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, उसको सुविधा नहीं है, न आपके कोई चिन्ता है, न कोई योजना है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि ट्रांसपोर्ट नगर को बनाने के लिए प्रदेश की ट्रांफिक व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए निश्चित रूप से परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग एवं पी0डब्लू0डी0 की संयुक्त बैठक बुलाकर प्रयास करना होगा।

मान्यवर, यात्री परिवहन के मामले में जो बजट साहित्य में दे रखा है और जो बजट साहित्य उपलब्ध कराया है, 40 फीसदी जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है और वह कम्युनिटी परिवहन पर आश्रित है। आम जनता बसों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का काम करती है लेकिन उसकी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की बात मंत्री जी ने नहीं की। निजी परिवहन के जरिये जो अपर श्रेणी के लोग हैं वह अपने-अपने कारों के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से या मोटर साइकिलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का काम करते हैं परन्तु कम्युनिटी परिवहन को बढ़ावा देने की साफ नीयत इस बजट में परिलक्षित नहीं हो रही है। मान्यवर, मोटरेबुल पक्की सड़कों की लम्बाई 1 लाख कि0 मी0 है और राष्ट्रीयकृत मार्ग 22 हजार 223 किमी0 उसे आपने अनुबन्धित कर दिया कि राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसें चलेंगी। दूसरे प्रदेशों के साथ ताना-बाना और जाल बुनने वाला एकाधिकार तो ले लिया लेकिन राज्य सड़क परिवहन निगम की क्या हालत है ? आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि राजकीय परिवहन के माध्यम से 6293 बसें 17 करोड़ की आबादी को सुविधा दे रहे हैं जबकि 25 हजार 397 निजी क्षेत्र की बसों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को परिवहन की सुविधा दिलायी जा रही है बसों की सुविधा लोगों को देने के लिये बस अड्डों की भी जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुये बस अड्डा प्राधिकरण के बनाने की घोषणा की गयी थी। यह 17 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और इसमें 70 जनपद हैं पर इतनी आबादी के लिए केवल 410 बस अड्डे हैं और इनमें केवल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें खड़ी हो सकती हैं। निजी बसों को इन अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। न इन अड्डों पर पंखों की व्यवस्था है और न ही प्रकाश की व्यवस्था है। इन बातों की व्यवस्था करने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो बस अड्डे हैं यह शहरों के बीच में आ गये हैं। अगर यह आपकी सम्पत्ति है तो किसी भी रूप में विकास प्राधिकरणों से मिलकर या अन्य विभागों से मिलकर और उनकी सहायता से बस वर्कशापों और बस अड्डों को शहर के बाहर स्थापित करने का काम करें ताकि जनता को बेहतर सुविधायें मिल सकें।

मान्यवर, हरियाणा,पंजाब और आसपास के राज्यों में निगम की बसों के लिए और प्राइवेट बसों के लिये एक ही अड्डे का प्राविधान होता है। इसी नीयत से 1999 मे जापान सरकार की सहायता से ओवरसीज इकोनामिक कंजार्शियम फंड के जरिये से और केन्द्र सरकार के 10 लाख रुपये के अंशदान से काम शुरू किया गया था और राइटस ने रिपोर्ट तैयार की थी जिसके अन्तर्गत 266 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से 77 बस अड्डों के निर्माण की बात थी। परन्तु यू0पी0 एच0आर0टी0सी0 की यूनियन के लोगों की धमकी के कारण बजट में किसी योजना या किसी नये अड्डे के बारे में बात नहीं कही गयी है। हमें उम्मीद है कि बस अड्डों के माध्यम से लोगों को सुविधा दिलाने का काम किया जायगा। प्रदेश सरकार ने परिवहन की तमाम परेशानियों और दिक्कतों का समाधान करने के लिये समय-समय पर केन्द्र सरकार के संगठन राइटस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत राज्य परिवहन अनुसंधान एवं नियोजन स्केप का गठन

करने का काम किया गया था। जिससे समस्याओं का निदान वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना था परन्तु यह योजना अभी लम्बित है और छोटे-छोटे कामों के लिये केन्द्र सरकार के संगठन रेल राइट इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज पर निर्भर है।

लखनऊ की ट्रेफिक व्यवस्था के समाधान के लिये, गाजियाबाद की ट्रेफिक व्यवस्था के समाधान के लिये, कवाल टाउन्स के ट्रेफिक की समस्या के समाधान के लिये हमारा अपना संगठन होना चाहिये। हम केन्द्र सरकार के संगठन से सर्वे कराने के लिये मजबूर हैं। लेकिन वर्तमान बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी है। अधिष्ठाता जी, सड़क सुरक्षा समितियों की बात बार-बार की जाती है लेकिन सड़क सुरक्षा समितियां सुदृढ़ बनाने के लिये कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है तो हम कैसे ट्रैफिक रूल्स की जानकारी जनता को दे पायेंगे। पूरे प्रदेश में मोटर व्हेकिल अधिनियम, की धारा 129 में यह व्यवस्था की गयी है कि दोपहिया वाहन पर हेल्मेट पहनना जरूरी है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है जिससे लोग एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी जान गवां देते हैं। माननीय मंत्री जी ने सड़क सुरक्षा समितियों के गठन का प्राविधान नहीं किया है। मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से विभाग की प्राप्तियों की तरफ संक्षेप में ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री जी का ध्यान, मेन टारगेट की ओर निश्चित रूप से ले जाना चाहता हूं। हमारे आय के प्राथमिक स्रोत व उनका क्या वार्षिक लक्ष्य स्थापित किया उसमें कितनी प्राप्ति की इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मार्ग कर का वार्षिक लक्ष्य था 201.40 करोड़ हमने प्राप्त किया 205.99 करोड़ यानी 102.2 प्रतिशत की प्राप्ति हुई। परिवहन विभाग को-कारपोरेशन इकाई है मैं, पीठ के माध्यम से विभाग की प्रशंसा करता हूं कि विभाग में फीस में 97.16 करोड़ का लक्ष्य था कुल प्राप्ति 154.58 करोड़ 162.18 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई। मालकर 174.08 करोड़ का लक्ष्य था प्राप्ति हुई 142.87 करोड़ यानी 82.07 प्रतिशत। निजी बसों के संचालन में यात्री कर 137.12 करोड़ का लक्ष्य रखा गया प्राप्ति की हमने 117.64 करोड़ यानी 85.7 प्रतिशत हमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार औसतन 101.86 प्रतिशत की प्राप्ति हुई। उसके बावजूद इस पूरे बजट को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कुएं में ले जाकर डुबो दिया गया।

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं परिवहन निगम में यात्री कर के रूप में 154.43 करोड़ का लक्ष्य रखा था उसके अगेंस्ट 28.19 करोड़ की प्राप्ति हुई यानी 18.86 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसमें आपके पूरे विभाग के आंकड़ों की तस्वीर को बदलने का काम किया। उसके बावजूद इस बजट का मुख्य कार्य राज्य सड़क परिवहन निगम का रह गया है। आप किस तरह से प्रदेश की जनता को एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था देने का काम कर पायेंगे। किस तरह से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहां जो निजी बसों के मालिक हैं तो यहां पंजीकरण शुल्क की व्यवस्था इस तरह की है कि पड़ोसी प्रदेशों से वाहनों का पंजीकरण करवा लेते हैं। इसमें एनोपोली है। हमारे यहां जो वाहन परचेज किए जाते हैं वह यहां इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन दूसरे प्रदेश में उसका पंजीकरण कराने का काम करते हैं। यह आपके बजट साहित्य में भी प्रदर्शित होता है।

मैं पिछले दो वर्षों के आंकड़े रखना चाहता हूं। वर्ष 2000 में 4 लाख 6 हजार 216 मोटर साइकिलों का रजिस्ट्रेशन हुआ वर्ष 2001 में 3 लाख 64 हजार 839 मोटर साइकिलों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यानी 41 हजार 371 मोटर साइकिलों का रजिस्ट्रेशन कम हुआ। जनसंख्या बढ़ी है लेकिन उसके बावजूद यह रजिस्ट्रेशन क्यों कम हुए क्योंकि दूसरे प्रदेशों से करा लिये। इसी तरह से मोटर बसों के बारें में है वर्ष 2000 में 1456 बसों का पंजीकरण हुआ वर्ष 2001 में 738 बसों का रजिस्ट्रेशन हुआ यानी 720 बसों का रजिस्ट्रेशन कम हुआ। इसी तरह से ट्रकों का रजिस्ट्रेशन 2000 में 7 हजार 202 ट्रकों का रजिस्ट्रेशन हुआ वर्ष 2001 में मात्र 3 हजार 619 ट्रकों का रजिस्ट्रेशन हुआ यानी 3 हजार 583 ट्रक मालिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कम कराया। इसी तरह से 2000 में 46,141 ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन हुआ वर्ष 2001 में 38,750 ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन हुआ यानी 7 हजार 391 ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन कम हुआ। आटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन 2000 में 11,933 हुआ वर्ष 2001 में 6,927 आटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें 5,006 आटो रिक्शा का कम रजिस्ट्रेशन हुआ। बसों के पंजीकरण शुल्क में जो एनामली है इस दिशा में क्या करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये बजट साहित्य को देखने की कोशिश करने का काम किया है। जो आंकड़े दिये गये हैं वह सम्वैधानिक परम्पराओं को भी लांघने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 22,323 किलोमीटर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपनी बसों का संचालन करता है। मान्यवर, 1972 में इस निगम का गठन हुआ था। आज इसमें बसों की संख्या 6186 रह गयी हैं 1,186 बसें बेड़े की हैं और 1008 प्राइवेट अनुबन्धित हैं। जो अनुबन्धित बसें हैं वे किस तरह से अनुबन्ध को तोड़ने का काम करते हैं, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं 12 रुपये 40 पैसे की दर से अनुबन्ध होना चाहिए और आप साढ़े सात रुपये से 8 रुपये तक पर करने का काम करते हैं। इस पर भी यह पता नहीं कि निजी बस संचालक उस तरह से काम करेंगे कि नहीं। आपका निगम यही कारण है कि घाटे में जा रहा है। 1999 में 6905 का घाटा था जो कि 2000 में 6543 रुपये हो गया। 2001 में 2623 और 2002 में यह 6203 हो गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम 800 नई बसों को बेड़े में समावेश करने जा रहे हैं जिससे जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इन 800 बसों को शामिल कर देने से हम कितना लाभ प्रदेश के यात्रियों को देने का काम कर पायेंगे। जब निश्चित रूप से यह तमाम चीजें हमारे सामने हों तो हम समझ सकते हैं कि परिवहन निगम की क्या स्थिति होगी ? यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की 2000-2001 में कुल आय 202.33 लाख थी और उसका व्यय 229.14 लाख रुपये था मतलब 26.81 लाख रुपये प्रतिदिन का घाटा यह निगम उठा रहा है। 2001-2002 में आय 199.18 लाख और व्यय 232.45 लाख यानी 33.27 लाख का प्रतिदिन का घाटा यह उठा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निगम के रूप में इस सफेद हाथी को अपने पास में रखकर उसको साफ करके झाड़ने पोंछने का काम करेंगे और रख कर देखेंगे तो इस तरह से इसको सुदृढ़ नहीं कर पायेंगे। यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 ने 2001-2002 में यात्रीकर लक्ष्य से कम प्राप्त किया और उसमें से 128.44 करोड़ रुपया वसूल किया परन्तु राज्य के राजस्व में मात्र 28.19 करोड़ रुपये जमा किया यानी 100.25 करोड़ यात्रीकर इस वर्ष

का बकाया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष का 275.25 करोड़ पहले से ही बकाया था। इस तरह से कुल मिलाकर परिवहन निगम पर 375.50 करोड़ रुपये अभी तक बकाया है।

मान्यवर, इस सदन की सम्वैधानिक परम्पराओं में हम आज रात के इतने बजे यहां पर बैठकर परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा करके इसको स्वीकृत कराने का काम कर रहे हैं जबकि माननीय मंत्री जी का विभाग बजट स्वीकृति के बिना 100.25 करोड़ के यात्री कर को अपने ढंग से अपने विभाग में खर्च कर सकता है। आपने इसके भुगतान के लिये कोई योजना नहीं बनाई। आपके विपरीत निजी बस संचालकों पर मात्र 4.67 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले साल 3.61 करोड़ रुपये था। जिसमें 7.80 करोड़ रुपया बकाया है उसके अगेन्स्ट भी वसूली की मांग पत्र दे दी है। जिलाधिकारी को आर0 सी0 और तमाम तरह से रिकवरी लेने के लिये मैथड एडाप्ट करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता जी, इन तमाम चीजों के साथ-साथ राज्य सड़क परिवहन निगम अपने लक्ष्य जितने भी तय करेगा उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ संवेदनशील आंकड़े हैं, संक्षेप में सदन के सामने रखना पड़ता हैं ताकि परिवहन की लचर व्यवस्था को किसी तरह से सुदृढ़ कर सकें। पूरी की पूरी आबादी की निगाह सम्मानित सदन की तरफ है। इस प्रदेश के बारे में इन आंकड़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूं इस नजरिये से कि मंत्री जी इन प्रभावशाली आंकड़ों को सामने रखकर जनता के बहबूदी के लिये क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकें। मान्यवर, यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 के 848.46 करोड़ के कुल व्यय में 398.12 करोड़ रुपया केवल वेतन एवं भत्तों पर खर्चा हो रहा है। मान्यवर, आलोच्य वर्ष में मात्र 88% बसें आन रोड रहीं, मंत्री जी ने 93 प्रतिशत आन रोड रखने की बात कही है। 93 प्रतिशत आन रोड बसें रही हों ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। 258 किलोमीटर प्रति बस, पिछले आलोच्य वर्ष में अर्जित की। मंत्री जी ने 276 कि0मी0 का लक्ष्य रख दिया। आप हसीन सपने दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। अगर झूटे फर्जी आंकड़ों से बजट पेश करने की बात करेंगे तो तमाम चीजों में सफलता हासिल होने की आशा नहीं है।

मान्यवर, आक्यूपेंसी अनुपात 57 प्रतिशत प्राप्त किया गया था टारगेट 58 प्रतिशत रखा गया निगम को 121.45 करोड़ की हानि व 67.31 करोड़ की नकद हानि हुई जो पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा है । कुल संचित घाटा परिवहन निगम का 831.28 था। यात्री कर बकाया है, यात्रीकर जो वसूल किया गया वह घाटे में जुड़ा नहीं है। मान्यवर, 1206.78 करोड़ का घाटा होगा यदि संचित व्यय और यात्री कर का बकाया जोड़ लिया जाए। 2001-2002 में वर्ष के प्रारम्भ में बसों की संख्या 6293 थी। निष्प्रयोज्य बसों की संख्या 330 थीं बस बेड़े में सम्मिलित नई बसों की संख्या 142 थी वर्ष के अन्त में बसों की संख्या 6105 है बसों की माध्य संख्या 6186 है। वर्ष के अन्त में ओवरएज बसों की संख्या 3046 है ओवरएज बसों का प्रतिशत 49.89 है और यह सस्ते और सुलभ सुविधा देने के हसीन सपने दिखा रहे हैं। परिवहन निगम पर कई कमेटियां गठित हुई। अधिष्ठाता जी, मैं बताना चाहता हूं उन रिपोर्टों को निकालकर दिखवायें ।

पामोला कमेटी, करनैल सिंह कमेटी वजाज कमेटी का गठन किया गया। 10-11-96 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी बनी। 23-7-98 को प्रमुख सचिव न्याय की अध्यक्षता वाली कमेटी बनी। पाण्डेय कमीशन बना, आपने इसका अध्ययन कराया होता तो शायद इस लचर व्यवस्था में सुधार कर सकते थे । निश्चित रूप से आप इनका अध्ययन करेंगे और परिवहन व्यवस्था ठीक

करायेंगे। प्रदेश के पड़ोसी प्रदेशों से समझौते होते हैं। यह मोटर व्हैकिल अधिनियम 1939 की धारा 63 के अन्तर्गत होते हैं। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश का हमारे प्रदेश से 18 वर्ष पहले समझौता हुआ, राजस्थान का 10-3-89 में 14 वर्ष पहले, चंडीगढ़ से 23-7-93 में 10 वर्ष पहले, दिल्ली से 1985 में 18 वर्ष पहले हुआ था यह 3-3-2000 को विखंडित भी हो चुका है। हरियाणा और पंजाब से 24-10-83 को 20 वर्ष पहले हुआ था। अब तमाम नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग, सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका है और न जाने कितनी जनसंख्या की बढ़ोत्तरी हो चुकी है तो इन सबके अनुसार टैक्स लिया जाना चाहिए था उनका पुनरीक्षण होना आवश्यक था लेकिन वह नहीं हुआ है। यह गैर जिम्मेदारी का परिचायक है। दूसरे प्रदेशों के लोग अपने यहां राजस्व ले जाने का काम कर रहे हैं परन्तु उन समझौतों के पुनरीक्षण के प्रति इन्होंने कोई रुचि नहीं दिखायी।

तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिये 16 किमी0 मार्ग है, मुख्य सचिव की एक कमेटी ने सुझाव देने का काम किया निजी बस संचालकों को कि जो दूसरे मार्ग हैं उसमें अनुमति देने का काम करेंगे परन्तु इस प्रकार की नयी नीति को लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। आपने घोषणा किया कि तेइस सौ मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ेंगे, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है, तहसील और जिला मुख्यालय में आता है वह दूसरे परिवहन के तहत नहीं जा सकता, हम परिवहन की सुविधा नहीं दे सकते तो निजी संचालकों को इजाजत दे देते तो वह व्यक्ति वहां पर आकर अपना जीवन यापन करने का काम करता। एक बात और कहना चाहूंगा कि निजी बस संचालकों को समय सारिणी देना अनिवार्य किया जाय। परन्तु उन्हें कोई समय सारिणी नहीं दी जाती। समय सारिणी के न लगने के कारण जो निर्धारित ट्रिप हैं वह एक बार की ट्रिप न लगाकर अंधाधुंध फेरे लगाने का काम कर रहे हैं। आपके जो परिवर्तन दल के लोग हैं यात्री कर जो लगता है वह मिलीभगत के कारण जो राजस्व में जमा होना चाहिए था वह राजस्व में न जमा होकर आपके अधिकारियों की जेब में जा रहा हैं तो इस बात के निर्देश देना चाहिए कि उन निजी बस संचालकों को समय सारिणी अनिवार्य कर दी जाय जिससे वह समय सारिणी के अनुरूप चेकिंग करने का काम करें।

मान्यवर, जहां-जहां आर0टी0 ओ0 के आफिस हैं वहां दलाल लोग हैं। आपके वाहन का पंजीकरण होना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना है इसमें दलालों का कमीशन है, ए0 आर0 टी0 ओ0 और आर0 टी0 ओ0 घेरे रहते हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार में यह डूबा हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा उम्मीद की गयी थी कि स्मार्ट कार्ड की योजना चालू करेंगे ताकि इसमें बैन लग सके। मान्यवर, इस बजट में इसको दर्शाने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मोटर वाहन अधिनियम-207 में चालान के बारे में व्यवस्था है कि केवल आर0 सी0 सीज की जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 49561 गाड़ियों को निरुद्ध करने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मोटर वाहन अधिनियम 207 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि--

"प्रोवाइडेड दैट व्हेअर एनी सच आफीसर आर परसन हैज रीजन टू बिलीव दैट ए मोटर व्हेकिल हैज बीन ऑर बीन यूज्ड इन कन्ट्रावेन्शन आफ सेक्शन 3 आर सेक्शन 4 आर विदाउट परमिट रिक्वायर्ड बाइ सबसेक्शन (1) आफ सेक्शन 6, ही मे इनस्टीड आफ सीजिंग द व्हेकिल, सीज

द सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन आफ द व्हेकिल एण्ड सैल इश्यू एन एकनालेजमेन्ट इन रिस्पेक्ट देअर आफ."

अधिष्ठाता महोदय, इसमें निश्चित रूप से साफ तौर से कहा गया है कि अगर मोटर गाड़ी का चालान होता है तो उसकी केवल आर0 सी0 सर्टिफिकेट सीज करने का काम होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा है उसे हिन्दी में बोल दें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मोटर वाहन अधिनियम में यह प्राविधान है कि आर0 आई0 अपनी मर्जी से कान्फिडेंस रिपोर्ट देगा जिसकी सही नहीं होगी उसकी कान्फिडेंस रिपोर्ट नहीं देगा। आज स्थिति यह है कि अगर आपकी बस सही भी होगी तो भी आर0 आई0 आपको कान्फिडेंस रिपोर्ट नहीं देगा। आपका विभाग आज बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आपके विभाग को बेचने का काम आर0 आई0 द्वारा किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की सघन चेकिंग करने का काम आपके विभाग द्वारा नहीं किया गया है। मान्यवर, निगम की आय में वृद्धि के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, महत्वपूर्ण स्थानों पर निगम के फैक्टर हैं, बस अड्डे हैं उसमें जिस तरह की व्यवस्था है उन्हें दूसरे विभाग के साथ समायोजित करके एक सही योजना बनायी जाये तो निश्चित रूप से आपके विभाग को लाभ होगा। मान्यवर, एक शिकायत प्रकोष्ट की स्थापना अपर परिवहन आयुक्त के यहां की गयी। बड़े अफसोस की बात है कि जब 2001-02 में एक हजार 13 मामले लम्बित थे और इस वर्ष में 234 शिकायतें प्राप्त हुई व केवल 295 का निस्तारण इनमें किया गया है और 952 शिकायतें अभी भी पड़ी हैं।

मान्यवर, आपके विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा। मान्यवर, परिवहन आयुक्त के अन्तर्गत श्रेणी (क) का एक उप परिवहन आयुक्त का पद रिक्त है और 6 सम्भागीय अधिकारियों के रिक्त पद हैं। मान्यवर, श्रेणी-ख में 10 पद सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के, 21 पद यात्रीकर अधिकारियों के रिक्त हैं, श्रेणी-ग में 29 पद वरिष्ठ सहायक के और 18 वरिष्ठ लिपिक के पद रिक्त हैं, और 42 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। मान्यवर, नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध हैं लेकिन जो पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर नियुक्ति की जानी चाहिये। उससे सुदृढ़ व्यवस्था के संचालन करने में मदद मिलती है। मान्यवर, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इस सफेद हाथी को अपने सिर पर चढ़ा कर एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित और अनुशासित व्यवस्था सुलभ कराने हेतु जो सही भी होगी वह सड़कें परिवहन निगम की पीठ पर चढ़कर नहीं हो सकती हैं। उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर इस प्रदेश की 17 करोड़ जनता को सुव्यवस्थित ढंग से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये और उसका ताना-बाना बुनने के लिये यह जिम्मेदारी निश्चित रूप से मंत्री जी की है। मान्यवर, जब इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आपके बस बेड़े की पूरी संचालन क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से वहां परमिट दिये जाने की जरूरत है ताकि उन परमिटों को देकर गरीब जनता को परिवहन के मामले में न्याय दिलाने का काम हो सके।

मान्यवर, मा0 उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया उस निर्णय के तहत नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट रोड पर संचालन का प्राविधान किया गया और व्यवस्था पर आपत्ति प्रकट करने का काम मा0 न्यायालय में हुआ आप अपील में गये जो खारिज हो गयी। मान्यवर, लोगों को सुलभ सुव्यवस्थित और सस्ती परिवहन सुविधा दिलाने की जो बात है उसमें परिवहन निगम सक्षम नहीं है। तब निश्चित रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर, मार्गान्शों पर निजी बस संचालाकों को संचालन की सुविधा देने के निमित्त, जो तादाद का आपने एक सर्वे कराया है, उतने परमिटों को शीघ्र आप अनुंमोदित कराने का कष्ट करें। मान्यवर, इस प्रदेश का बजट इस रूप में रखा गया है उससे ऐसा लगता है कि जिस समय इस विभाग के बजट का नियोजन हो रहा था तो नशे की हालत में मा0 मंत्री जी आबकारी का बजट देख रहे थे और इस प्रदेश का राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे थे। मान्यवर, जो कार्य योजना इसमें आप जैसे योग्य मंत्री के माध्यम से परिलक्षित होनी चाहिये थी वह छवि नहीं दिखाई दी है। दूरदर्शिता नहीं दिखाई दी है। मान्यवर, आपकी व्यवस्था इतनी लचर हो गयी है कि पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पर कम्पटीशन कराया जाये तो हमारे प्रदेश को जो प्राप्तांक मिलेगा वह तीसरी श्रेणी में आने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। गम्भीर चिंतन के साथ और बजट की इस आने वाली चर्चाओं को सामने रखते हुए इस भू-भाग की राष्ट्रीय एकता, अखण्डता को ध्यान में रखते हुए और उसके पूरब-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के परे न जाए। मान्यवर, आज सांइस के जमाने में जब आदमी चांद पर पहुंच गया है उस समय हम ग्रामीण नागरिक को मजबूर कर दें कि वह रेल का इंजन देखने से भी महफूज रहे और परिवहन व्यवस्था का सुलभ रास्ता नाप न सके तो जो स्थिति है वह अत्यन्त शोचनीय है। इसी के साथ मैं कटौती के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैडम लारी को मैं बुला रहा हूं।

(कई आवाजें कि मंत्री जी का उत्तर भाषण करा दें)

मा0 मंत्री जी आपने दोनों बजट एक साथ रखे हैं आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं परिवहन पर नहीं बोला हूं, आवश्यकता नहीं समझते हैं तो नहीं बोलता हूं। उत्तर चाहिए तो मैं दे देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह आप पर निर्भर करता है, आप बोलना चाहें बोलें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय गर्ग साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसमें बहुत सी बाते रखी हैं। कुछ सुझाव भी दिये हैं और उनमें से अधिकांश ऐसे हैं कि जहां पर या तो कार्रवाई हो गयी है या हो रही है अथवा विचाराधीन है। मान्यवर, आपने यह भी कहा कि पूरा विवरण दे दें। मैं संक्षेप में 5-7 मिनट में आपकी अनुमति हो तो विवरण दे दूं। आपको बता दूं मैंने पिछले वर्ष जो योजना बनाई थी यू0पी0एस0आर0टी0सी0 को नकद घाटा 67 करोड़ का था। आप यह बिलकुल सही कह रहे हैं कि यू0पी0एस0आर0टी0सी0 में गत वर्ष यात्री कर तो ले लिया गया। लेकिन जितना जमा कराया गया वह विभाग का ट्रांसपोर्ट, परिवहन आयुक्त संगठन के आफिस में जितना जमा होना चाहिए वहां उतना नहीं

जमा कराया गया। जो सुझाव है उसके संबंध में जो कमियां हैं उनको स्वीकार करता हूं और सुधार करने का पूरा प्रयास करता हूं। मान्यवर, दलालों की बात कही गयी है दलालों की बात भी स्वीकार करता हूं। आरटीओ, एआरटीओ के आफिस के बाहर जो चाय की दुकानें बनी हुई हैं आपको याद होगा अखबारों में छपा था हालांकि अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन जब छपा है तो लोग पढ़ेंगे भी यह बात नेता प्रतिपक्ष ने भी कही थी। लखनऊ का ही ले लीजिए। मैं वहां अपनी प्राइवेट गाड़ी में गया पूरी सिक्योरिटी हटा दी गयी तो जैसे देखा एक आध पहचान वाले मिल गये मैं एक विन्डो में खड़ा हो गया जब पूरी लाइन क्लियर हो गई मैं सारी कारगुजारी देखता रहा और लाइन में लगा रहा फिर दूसरी लाइन में लगा, फिर तीसरी लाइन में लगा। फिर पांचवीं लाइन में खड़ा रहा तो मेरे एक जान पहचान वाले मिल गये उन्होंने कहा मंत्री जी नमस्कार तो सब हड़बड़ा गये मैंने इस तरह से खुद वहां जाकर चैकिंग करी है। मैं इस मामले में काफी गम्भीर हूं। मैंने सड़कों पर रुककर खुद चैकिंग की है और 33 सवारियां बिना टिकट के मिली हैं। आज कई-कई करोड़ का क्यों घाटा है इसका कारण यही है। लेकिन मैंने जो किया है वह मैं बताना चाहता हूं जो वर्षों का घाटा था आज हम उस घाटे से उबर आये हैं। पांच माह की बात करता हूं। पांच माह में उभर कर प्लस में आये हैं। मान्यवर, आपने बस अड्डे की बात कही है जो कई चीजें कही हैं वह पढ़ देता हूं मैंने आपको बताया कि 67 करोड़ का नकद घाटा था। उसे हर हाल में इस वर्ष पूरा करेंगे। उसके लिये पूरा अपना लक्ष्य बनाया जा रहा है और 2001-2002 में जो पांच माह हैं अगस्त, 2001 तक हमारा 4.55 करोड़ का घाटा था इसके बाद 2002 में यह जो घाटा है 4.55 से उभर कर हम 14.37 करोड़ नकद उसके लाभ में पहुंच गये। इस तरह से 18.92 करोड़ पिछले साल की अपेक्षा हमने नकद लाभ ज्यादा कमाया और कब ज्यादा कमाया तब कमाया जब पिछले वर्ष की अपेक्षा 55 बसें कम हैं। संसाधन कम होने के बाद कमाया। मान्यवर, पिछले 10 वर्षों का देंगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा। एक चीज मैं और बता दूं जो बसों की स्थिति है पिछले वर्ष अनुबंधित बसें 1113 थीं इस वर्ष 781 हैं। इस वर्ष कम हैं हम इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 800 बसें हमें खरीदनी थीं जिनमें से 200 हम खरीद चुके हैं तथा 600 और खरीदने जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रति बस की आमदनी 3613 थी उसको बढ़ा करके हमने प्रतिदिन प्रति बस की आमदनी 3997 रुपये की है। इस तरह से 384 रुपये प्रतिदिन की आमदनी हमने बढ़ाई है। इस तरीके से जो एवरेज आया है इसमें तेल-वेल के बढ़ने के बाद 167 रुपया है, जो मुनाफा बच रहा है। प्रतिवर्ष हमें इसका लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष जो उत्पादकता है उस पर भी आधा मिनट में प्रकाश डालना चाहूंगा। सन् 2001-2002 में बस का जो औसत था वह 261 किलोमीटर प्रतिदिन चलने का था इस वर्ष यह 266 किमी0 प्रतिदिन का है। पांच किमी0 बढ़ा है और 277 तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। यह गत वर्ष 257 था।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इसका सेंट्रल मानक क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

हर वर्ष लक्ष्य बनाकर दे दिया जाता है इसका कोई मानक नहीं होता है। लोड फैक्टर अगस्त, 2001 में 59 प्रतिशत था यह बढ़कर अब 63 प्रतिशत हो गया है यह 4 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य परिवहन निगम की जो दूसरी योजनाएं हैं। यह जो हम यात्रियों को पास देते हैं, मन्थली पास देते

हैं। इसमें एक दिन में एक व्यक्ति एक महीने में 60 बार यात्रा करता है। तो इसमें 60 प्रतिशत रियायत दे करके केवल 25 सिंगिल ट्रिप्स का पैसा लेकर यह योजना चालू की है। माननीय सदस्य ने जो कहा कि बस अड्डा जहां पर हैं वहां अधिक भीड़ है। भीड़ वाले रास्तों से निकल कर बाहर ले जाना चाहिए। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जो हमने बजट की सामग्री दी है उसमें भी दर्शाया है कि निर्णय ले लिया गया है और काम शुरू कर दिया गया है। गाजियाबाद में दो जगहों पर, हापुड़ मार्ग पर और साहिबाबाद के निकट और मेरठ है, मुरादाबाद है, बरेली है, कानपुर है, लखनऊ में एक बस अड्डा बन करके तैयार है आलमबाग में, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, आदि जगहों पर या तो कार्य शुरू हो गया है अथवा शुरू होने वाला है। आपने कहा कि सारा बजट परिवहन निगम में उगल दिया है। परिवहन निगम का बजट हमने पेश ही नहीं किया यह तो पूरा परिवहन विभाग का बजट है, इसमें ऐसी बात नहीं है। जहां तक इन्होंने जल परिवहन की बात की है तो गोमती में बैराज के पास विचाराधीन है जल मार्ग का कार्य शुरू करने के लिए। घाघरा नदी में भी विचाराधीन है। जहां तक इन्होंने बलिया से होते हुए पटना और बिहार मार्ग की बातें की हैं, गंगा नदी में पानी न होने के कारण हम यह योजना नहीं चला सकते। यह भारत सरकार की योजना है। जहां तक परिवहन आयुक्त संगठन की बात है। आप लोग बात खत्म करने को कह रहे हैं तो मैं अन्त में यही अनुरोध करूंगा कि गर्ग साहब अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें। कई वर्षों के बाद हमने घाटा ही पूरा नहीं किया है, बल्कि यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के घाटे को रोका है और हम उसे प्लस में ले आये हैं। जब से यह ट्रांसपोर्ट विभाग बना, तब से अब तक यह कभी प्राफिट में नहीं था। लगभग 100 दशमलव कुछ परसैन्ट माइनस में पहुंच गया था, इस साल इसको फायदे में लाने का काम किया गया है, मुझे उम्मीद थी कि इसके लिये हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले 11 साल-15 साल से जो घाटे में था, उसको फायदे में ले गये, अतः आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे ध्वनिमत से पास करवा दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मोटर व्हैकिल एक्ट के अर्न्तगत जिन मार्गों को आपने बसों के लिये नोटीफाई कर दिया, उसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। जहां आप बस चलाने में सक्षम नहीं हैं, वहां आप इसको डिनोटीफाई करने पर विचार करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अनुबंधित बसें चलाने पर निर्णय लिया जा चुका है, साथ ही अनुबंधित बसों के रेट्स भी बढ़ाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री किरन पाल सिंह-

हमारे बुलन्दशहर का बस अड्डा बहुत कंजेस्टेड एरिया में है, क्या इसको प्राथमिकता पर दूसरी जगह बनवाने का आदेश देंगे, वहां हर समय जाम लगा रहता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं दिखवा लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

गर्ग जी, कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी चिन्ता केवल इस बात पर है कि जो यात्रीकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों से वसूल कर लिया है, लेकिन उसको राजस्व में जमा नहीं किया गया है, इस वर्ष अभी भी 100.25 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि संविधान के अनुरूप खर्च करने से पहले सदन में उसको बजट में रखा जाना चाहिये था। सदन में रखे बिना यात्री कर वसूल कर, खर्च कर लिया गया, उसके संबंध में निगम की क्या योजना है, यह माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,21,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-21, खाद्य एवं रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबूराम, एम0काम0)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,51,37,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय 10 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, मान्यवर, इसमें कुछ निर्णय हमने इस बार लिये हैं जिनसे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, सूखे की स्थिति को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन की दुकाने खुलवाई जायेंगी, दूसरा आपको अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय समिति की नई आरक्षण नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित थी समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले इसलिये नई आरक्षण नीति जो 1994 में प्रभावी थी उस नीति के तहत हमने सब जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, कोटा की दुकानें, पेटी डीजल डीलर्स की नियुक्ति इसी आरक्षण के तहत करें।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस आरक्षण नीति में अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ देते हुए, दुकानें आवंटित की जायं।

मान्यवर, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये आम शिकायतें हमारे ग्राम क्षेत्र की जनता की रहती थीं कि चीनी का बंटवारा शहरों में ज्यादा और गांवों में कम होता है, इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। कार्ड धारकों को 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट दी जा रही है, और जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारक हैं, इस बार हमनें निर्णय लिया है कि उनकी पुत्रियों की शादी में उनको 75 कि0ग्रा0 चीनी दी जायेगी पहले 50 कि0ग्रा0 दी जाती थी। मेरा विभाग किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले इसलिये हमने समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान और गेहूं की खरीद की और गेहूं का कोई ऐसा भुगतान नहीं है जो शेष हो। इस विभाग के अन्तर्गत दो निगम भी हैं, एक राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जो राज्य कर्मचारियों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु बाजारू मूल्य से कम दामों पर हम उनको सामान उपलब्ध कराने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। मान्यवर, इस निगम ने 2000-2001 में 95 लाख का लाभ कमाया और अब 2001-2002 में एक करोड़ 38 लाख का लाभ कमाया है। अब केवल 13 लाख का संचित घाटा बचा है। आवश्यक वस्तु निगम विभिन्न कार्य में लगा है। पिछले वर्ष इसमें केवल 254 लाख रुपये कमाया था इस वर्ष इस निगम को अनुमानित लाभ 864 लाख रु0 है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग की कमियों को इंगित करें तो ऐसे रचनात्मक सुझाव भी दें ताकि उन कमियों को दूर करके इस विभाग को अधिक पारदर्शी और जनोन्मुखी बना सकें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खाद्य एवं रसद विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है, मैं आपका आभारी हूं, इस सरकार में खाद्य और रसद मंत्री के रूप में आसीन श्री बाबूराम एम0काम0 जी से आशा थी कि वह वर्तमान सरकार दलितों और पिछड़े और गांव की सरकार कही जाती है और यह एक ऐसा विभाग है जिसका प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक घर से किसी न किसी रूप में संबंध होता है। चाहे गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हों या ऊपर के लोग हों, चाहे बड़े-बड़े महलों में रहने वाले लोग हों किसी न किसी माध्यम से यह विभाग संबंध रखता है। माननीय मंत्री जी ने कुछ बातों का उल्लेख किया हैं मैं उन पर अपनी तरफ से प्रकाश डालना चाहता हूं जो सुझाव के रूप में होंगे। मंत्री जी ने कहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका विभाग केन्द्र सरकार से पोषित विभाग है इस विभाग से कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है इसके बावजूद भी यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में कैंसर होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। खाद्य एवं रसद विभाग में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह व्याप्त है। मैं चाहता था कि मंत्री जी योजनाओं के तहत प्रकाश डालेंगे लेकिन बुकलेट में जो

तालिका दी है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो तालिका में दर्शाया गया है उसमें कहीं भी नीतिगत तरीके से कोई जन कल्याणकारी योजना/नई चीज नहीं दर्शायी गई है चाहे भारत सरकार द्वारा पोषित हो, जनकल्याणकारी हो, आवश्यक वस्तुओं के माध्यम से हो या क्रय केन्द्रों के माध्यम से हो। इस विभाग में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये प्राविधान नहीं किया गया है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस विभाग की स्थापना 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ति के लिये की गई थी उस समय यह संस्था के रूप में था, 1941 में नियंत्रक के रूप में इसकी स्थापना हुई और 1943 में पूर्ण विभाग का रूप दिया गया ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा विभाग का इतिहास न बताकर अपनी बात शीघ्र रखने का अनुरोध करने पर शोर/व्यवधान)

इस पर आप 10 मिनट का समय बोलने के लिये तो दें ही। मान्यवर, इस विभाग के मुख्य रूप से तीन काम हैं। प्रदेश की जनता के लिये खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना, केन्द्रीय पूल का गेहूं और चावल खरीदकर किसानों के लिये निर्धारित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और तीसरा उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिये खाद्यान्न और रसद क्रय करना है। मान्यवर, मैं मूल्य समर्थन योजना के तहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़ा अहम सवाल है मान्यवर, जितने भी माननीय सदस्य हैं चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों कहीं न कहीं किसानों से संबंध रखते हैं। अभी जो रबी की फसल हुई थी उसको बेचने की बात आई थी। उस समय गेहूं की खरीद में अनेक अव्यवस्थायें हुई थीं गेहूं की खरीद 7-0 संस्थायें करती है। जिसमें से है खाद्य एवं रसद विभाग, विपणन विभाग, खाद्य एवं भण्डारण निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, पी0सी0डी0एफ0 आदि संस्थायें पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय करने का काम करती हैं पूरे प्रदेश में 47 हजार क्रय केन्द्र खोले गये थे लेकिन एक जनपद में तो केवल 7 ही क्रय केन्द्र खोले गये थे। पिछले रबी के मौसम में जो गेहूं की खरीद की गई उसमें सरकार संवेदनशील नहीं थी इसी सदन में बार-बार चर्चा होती रही है कि किसानों का गेहूं सड़ रहा है और किसान परेशान हो रहा है लेकिन गेहूं की खरीद में जो समस्यायें थीं उनको दूर नहीं किया गया। वर्ष 2002-2003 में यही समस्यायें आयेंगी। पी0सी0डी0एफ0 ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उतने क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं जो भी केन्द्र खोले गये उनमें बहुत सारी अव्यवस्थायें थी जिनको दूर नहीं किया गया आप के जो पी0सी0डी0एफ0, विपणन विभाग या एग्रो हैं उनमें कहीं पर बोरी नहीं थी तो कहीं पर पेमेंट नहीं था। अगर कहीं पर बोरी और पेमेंट था तो वहां पर स्टाफ नहीं था। इस विभाग में गेहूं की खरीद के लिये समय से पहले अव्यवस्थायें दूर करने के लिये कदम नहीं उठाये थे जिसकी वजह से गेहूं खरीद में समस्यायें पैदा हुईं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो गेहूं का निर्यात किया जाता है वह भी घट रहा है। वर्ष 2000-01 में 7 लाख 23 हजार 50 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया गया लेकिन 2001-02 में निर्यात कम किया गया। आप दूसरे प्रदेशों को गेहूं निर्यात करने के संबंध में संवेदनशील नहीं रहे इसलिये आपकी क्षमता गिरी है। उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश हैं यहां दो फसलें मुख्य रूप से होती हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की फसल होती है लेकिन धान की खरीद में भी किसान को वाजिब मूल्य नहीं मिला। धान की खरीद के लिये समयबद्ध व्यवस्था नहीं की गई जिससे किसानों को परेशानी हुई। मान्यवर, 70 जनपद ऐसे हैं जहां पर डी0एस0ओ0 कार्यरत हैं इनमें से 27 डी0एस0ओ0 ऐसे हैं

जिन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है। उन्होंने एक रैकेट बनाया हुआ है यह सभी लोग गाजियाबाद, कानपुर आदि जगहों पर कार्यरत हैं। मैं इस सम्बन्ध में 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं इनमें से एक करुणा शंकर मिश्र हैं जो कानपुर में तैनात हैं, गोबर्धन अलीगढ़ में, एस0के0 सिंह गाजियाबाद में हैं। मैंने अपने कानों से सुना है कि उसने 75 लाख रुपये दिये। इस तरह से भ्रष्टाचार नस-नस में व्याप्त है। गरीब और मजदूर लोगों के लिये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी के तेल की व्यवस्था करती है। मिट्टी के तेल में बड़ा भ्रष्टाचार है। मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कानपुर में 42 लाख लीटर का कोटा है। वहां 19 हजार ड्रमों की सप्लाई होती है एक ड्रम पर 30 रुपये डी0एस0ओ0 लेता है इस तरह से पांच लाख 70 हजार रुपए प्रति माह उसको मिलता है। इसी तरह से 600 रुपए प्रति दुकान के हिसाब से तीन लाख रुपए प्रति माह डी0एस0ओ0 को मिलते हैं। टोटल एक माह में डी0एस0ओ0 को लगभग 14 लाख से 18 लाख रुपए मिलता है।

वर्ष 77-78 में सूखे के समय किसानों को डीजल देने के लिए पैट्री डीलरों की व्यवस्था की गई थी ताकि गांव के किसानों को डीजल उपलब्ध हो सके व किसान अपनी खेती कर सकें। इसके बाद पैट्री डीलरों की जो नई व्यवस्था की गई है मंत्री जी ने बताया कि नई आरक्षण नीति के तहत हम लोगों ने 32 पैट्री डीलरों की व्यवस्था की है खाली व्यवस्था करने से आपका दायित्व पूरा नहीं हो जाता है पैट्री डीलर कहां से तेल उठा रहे हैं यह आपके संज्ञान में होना चाहिए। पैट्री डीलर पांच कि0मी0 अन्दर जो पेट्रोल पम्प हो उसी से डीजल लें यह व्यवस्था आपने की है लेकिन निर्धारित पेट्रोल पम्पों से कोई डीजल नहीं उठा रहा है क्योंकि मिट्टी के तेल के जो बड़े डीलर होते हैं यह उनसे लेकर बेच देते हैं। जिससे किसान पर दोहरी मार पड़ती है एक तो उसे डीजल में मिट्टी का तेल मिला हुआ मिलता है दूसरे गरीबों का मिट्टी का तेल इंजनों व ट्रैक्टरों में फुंक जाता है। यह सरकार दलितों, मजदूरों के प्रति प्रतिबद्धता की बात करती है लेकिन गरीबों के मिट्टी के तेल को इंजनों व ट्रैक्टरों में डाला जा रहा है। इससे सरकार को क्या लाभ होगा। प्रदेश की आबादी लगभग 17 करोड़ है पूरे प्रदेश का कोटा लगभग 14 हजार 449 मी0 टन के करीब है इस तरह से प्रति व्यक्ति के शेयर में एक लीटर मिट्टी का तेल आता है।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

अगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो चलता रहेगा चाहे रात के 2 बज जायें।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, चाहे रात के दो बज जायें। दो बजे कोई खास बात है। दो बजे कोई विशेष खेल दिखाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं उसके लिए।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

आबकारी का मतलब है पियो, परिवहन का मतलब है चलो, खाद्य का मतलब है खाओ।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर एक निवेदन करना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बी0पी0एल0 योजना जिसने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा चीनी, तेल और चावल दिये जाने का जो प्राविधान है एक तो वह ठीक से लागू नहीं है। बहुत से गरीबों के कार्ड ग्राम पंचायतों की दुकानों पर जमा हैं और तमाम डीलर, जो सक्षम व्यक्ति होते हैं दो तीन महीने के बीच में कहीं भी आपकी सप्लाई नहीं देते हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं आम जनता के लोग शासन की शिकायत करते हैं। वह पैदल चलकर अपना पैसा खर्च करके आपके अधिकारियों के पास जाता है और घपला करने वाले डीलर के बारे में बताता है लेकिन आप कुछ नहीं करते। आपके डीलर जनता के हक को मारकर उसका खून पीते हैं। हाईकोर्ट और तमाम कार्यवाही के बाद उसको राशन नहीं मिलती है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

आपका जो रोस्टर है तेल उठाने के लिए वह स्वयं में बेईमानी है। आपने लिखा है. एक से पंद्रह तारीख तक कितना कोटा होगा, पंद्रह से तेइस तक इतना कोटा होगा और तेइस से सत्ताइस तक इतना कोटा होगा। तब तीन बार में कोटा उठेगा मिट्टी के तेल का। जो डीलर तेल लेकर जायेगा वह स्वतः अपने में बेइमान सिद्ध हो जायेगा। एक अच्छा रोस्टर नियत करें कि इस दिन डीलर कोटा उठायें। इससे जन प्रतिनिधि और जनता को भी पता चलेगा और गबन की आशा भी कम होगी। मान्यवर, मेरा एक निवेदन आपसे यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमावली में सुधार करें और आम जनता की भावनाओं को समझें। चीनी और तेल समय पर नहीं मिलेगा और उसको यह लोग बेचकर खा जायेंगे। गरीब और दलित को सरकार क्या दिलायेगी ? ऐसे डीलर, दुकानदार जिनकी दो, तीन बार जांच हो गई है उनको सस्पेन्ड ही न करें बल्कि उनकी दुकानें निरस्त कर दी जायें और ग्राम पंचायत से सहमति लेकर नये डीलर नियुक्त करने का काम करें। मान्यवर, आपकी आरक्षण नीति में....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, विभाग के कार्य को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए आपके विभाग में बहुत से स्थान रिक्त हैं.....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नई नीति जिला खाद्य नियंत्रण की लागू की है और इसका शासनादेश भी लागू कर दिया गया है वह लागू नहीं हुई है तो जो आपने लेटेस्ट नीति बनाई है उसको लागू करें। जो स्थान रिक्त हैं उन रिक्त स्थानों पर प्रमोशन दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, कुछ लोगों के कार्ड खो गए हैं पूरे प्रदेश में उन कार्डों को तत्काल बनाने की व्यवस्था करायें आपके जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन्हीं के कार्ड खो जाते हैं, और लोग उनका फायदा उठाते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सीमित करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

जो मिट्टी के तेल के डीलर हैं जो पूरे तहसील में नियुक्त हैं उन्हें कितना कोटा आवंटित है प्रत्येक ग्राम पंचायत की दुकानों के लिए कोई कोटा आवंटित नहीं है इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को दिए जाने के आप निर्देश दें।

(व्यवधान)

इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बाबूराम, एम0काम0-

मान्यवर, मैंने सभी सम्मानित सदस्यों की राय मानकर संक्षेप में अपनी बात कही। अगर पूरी बात कहता तो आपकी समस्याओं का आधे से अधिक समाधान हो जाता। आपने जो सुझाव दिए हैं उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे। बहुत सी बातों से आपसे सहमत हूं। मैं प्रयास करूंगा यह भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। आपके सुझावों को स्वीकार करके आपसे निवेदन करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कई माननीय सदस्य-

इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

तीन माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी बात रख लें।

(व्यवधान)

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट 2002-2003 के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, माननीय

मंत्री जी हमारे जनपद रायबरेली दौरे पर गये थे। वहां उनसे संवाददाता सम्मेलन में एक बात कही गयी थी सभी संवाददाताओं ने एक प्रश्न किया था कि बी0पी0एल0 कार्ड के अन्तर्गत जो गेहूं और चावल देने का काम किया जाता है तो यह सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी से आवंटित हुआ था, वह गेहूं और चावल रायबरेली में नहीं पहुंचा और वह बार्डर पर ही बेच दिया गया....

(व्यवधान)

मान्यवर, वह सीतापुर की बाजार में, लखीमपुर की बाजार में और बाराबंकी की बाजार में बेचा गया है। जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि लखनऊ पहुंचकर इसकी जांच करायेंगे लेकिन जांच नहीं करायी गयी और जिला पूर्ति अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया और फिर पता नहीं किसके दबाव में आकर जिला पूर्ति अधिकारी, रायबरेली को वहीं रोकने का काम किया। मान्यवर, रायबरेली जनपद में जो सस्ते गल्ले की दुकान है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। मेरी मांग है कि रायबरेली जनपद के सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाय। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इनका प्रतिनिधित्व कितना है और दूसरा जो जिला पूर्ति अधिकारी है इनका स्थानान्तरण क्यों रोका गया इसका उत्तर दे दें ?

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, आपने मुझे 2002-2003 के खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, खाद्य तथा रसद विभाग आज प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मान्यवर, जहां तक गेहूं क्रय केन्द्र खोलने का सवाल है, कई बार इसमें कहा गया। पिछली बार भी इसे उठाया था। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस समय प्रदेश में किसानों का गेहूं खरीदने के लिए समर्थन मूल्य 610 रुपया घोषित करने का काम किया था, प्रदेश में क्रय केन्द्र खोलने का काम किया तो कितने क्रय केन्द्र खोले गये और कितने में गेहूं क्रय करने का काम किया गया। मान्यवर, यह बिचौलिये द्वारा ही खरीदा गया। इतनी दूरी पर क्रय केन्द्र थे कि जहां किसान अपना गेहूं लेकर नहीं जा सकता था। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जैसे बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय योजना हो इसमें आप जानते हैं, यह उन लोगों के लिए थी जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे उन्हें दो रुपया प्रति किलो गेहूं तथा तीन रुपया प्रति किलो चावल मिलना था। लेकिन वह सारा गेहूं और चावल दुकानदारों को बेचने का काम किया गया है। मान्यवर, जो दुकानें हैं उसे बन्द करने का काम किया जाता है। मान्यवर, आज स्कूलों में पुष्टाहार योजना की बड़ी बुरी हालत है, मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि वह यह है कि आज सचिवालय कैन्टीन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है आज तक उनको 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान लागू नहीं किया गया। आपसे अनुरोध है कि उनके साथ इंसाफ करें। इसी के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य रसद विभाग सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ

विभाग है और इतने महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर सत्ता पक्ष के लोग कितने सीरियस हैं यह आप देख चुके हैं। मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन की दुकानों से गरीब जनता को सस्ते मूल्य पर जो गेहूं, चीनी और गल्ला मिलता था और मिट्टी का तेल मिलता था वह अब मिलना बन्द हो गया है। जिस गरीब के घर में बिजली नहीं है, गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं है वहां केवल मिट्टी के तेल से रोशनी होती है, वह मिट्टी का तेल राशन की दुकानों से मिलना बन्द हो गया है। सस्ती चीनी मिलनी बन्द हो गयी है। मान्यवर, 80 रु0 की मजदूरी में 56 रु0 का गल्ला दिया जाता है। मान्यवर, यही चीज जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको भी अगर काम के बदले अनाज के हिसाब से पैसा दिया जायेगा तो उनको उसका एहसास होगा। मान्यवर, जो डीजल लाइसेंस विचाराधीन थे वह मामले कोर्ट में चले गये उनकी पैरवी सही तरीके से की जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा सुझाव है कि बजटों को आखिरी में पेश किया जाता है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि बजट शुरू में पेश किये जायें, बाकी चर्चा उसके बाद हो मान्यवर, मैंने भी 20 साल तक सदन चलाया है। आपसे थोड़ी छोटी कुर्सी मेरे पास थी। खाद्य एवं रसद विभाग का बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है। मान्यवर, एक-एक दिन में 4-4 बजट पेश किये जाते हैं, मैं चाहता हूं कि बजट पहले पेश किये जाये और चर्चा बाद में हो, इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट प्रस्ताव के अवसर पर मैं मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने मा0 विधायकों के लिये कैन्टीन की जो व्यवस्था कैफेटेरिया में करने का काम किया है और इसमें वैसे पूरे बजट सत्र में रात्रि का भोजन नहीं मिल पा रहा है लेकिन नाश्ता, चाय, दोपहर के भोजन की जो उन्होंने व्यवस्था की है मैं इस अवसर का इस्तेमाल उनको इस बात के लिये बधाई देने में करना चाहता हूं और इन माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस कर्मचारी कल्याण निगम से संबंधित जितने कर्मचारी हैं और जो माननीय सदस्यों की सेवा में समर्पित भाव से लगे हुए हैं उन सब को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। खाद्य एवं रसद विभाग का बजट माननीय मंत्री जी रख रहे हैं उसमें सैकड़ों खामियां हैं समयाभाव के कारण बहुत सारे सुझाव नहीं दिये जा सके हैं जो प्रबन्ध सरकार का संबंधित विभाग करता है जानकारी देने का बजट भाषण के माध्यम से उसकी जानकारी भी मंत्री जी नहीं करा सके हैं। मान्यवर जो आप समस्याओं से रूबरू होते हैं वह आई ओपनर का काम करती हैं। कई नयी चीजें आपको दिखाने का काम करती हैं जो हम नहीं करा सकते हैं। माननीय खाद्य मंत्री जी से आग्रह है कि आप पत्र के माध्यम से माननीय सदस्यों से जानकारी कर सकेंगे और उन सुझावों पर क्रियान्वयन करने का काम भी आप करेंगे।

मान्यवर, जो कर्मचारी कल्याण निगम से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको शत्-प्रतिशत राज्य सरकार वेतन देती है। अब जब सभी राज्य कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल गया है तो इस कैण्टीन के लोगों को उस पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों से जो भी उनके यहां लागू नहीं हुई है, उनको उससे वंचित किया जाना ठीक नहीं है। बाकी जो कटौती के प्रस्ताव हैं बाद में

आप स्वीकार करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मंत्री जी कृपया अपने भाषण द्वारा यह घोषणा करने का काम करेंगे कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ हम इन कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को दे रहे हैं और उसे लागू कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री विजेन्द्र सिंह जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री बाबू राम, एम0काम0-

मान्यवर,मैं स्पष्ट कर दूं कि कर्मचारी कल्याण निगम की कैण्टीन और कर्मचारी कल्याण निगम के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों-इन दोनों को शत-प्रतिशत वेतन का भुगतान हमारे द्वारा होता है उनको पंचम वेतन आयोग के दायरे में लाया जाये यह सरकार के विचाराधीन है और बहुत शीघ्र इस पर निर्णय हो जाने की सम्भावना है। इसका निर्णय मंत्रि-परिषद करेगी यह अधिकार मंत्रि-परिषद को है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विजेन्द्र सिंह जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ? आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र सिंह-

मैं बल देते हुए एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बाबू राम एम0काम0-

मान्यवर, जिन माननीय विधायकों द्वारा हमें जो भी सुझाव प्राप्त होंगे और उनके द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिलेंगी उन पर समुचित जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, मैं अपनी पूरी बात यहां पर नहीं कह सका क्योंकि आप लोग यह अपेक्षा कर रहे थे समय को दृष्टिगत रखते हुए नहीं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान मेरे बजट भाषण से हो जाता।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,51,37,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

इसे 6 सितम्बर, 2002 तक के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता-

मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में सदन को दी गयी सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 2002 के क्रम में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :--

जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने अपने फैक्स संदेश संख्या-एसटी/कैम्प/शासन 90/2002, दिनांक 2 सितम्बर, 2002 जो इस सचिवालय में दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हुआ है, में सूचित किया है कि श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा, रायबरेली को थाना कोतवाली नगर, रायबरेली, में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-311/2002 भा0द0वि0 की धारा 395/302/120 बी व धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट के सम्बन्ध में दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

2-जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने अपने पत्र संख्या-358/यूटी/2002, दिनांक 3 सितम्बर, 2002, जो इस सचिवालय में दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हुआ है, में सूचित किया है कि उन्होंने श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को जिला जेल रायबरेली से जिला जेल, लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये हैं।

मा0 सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को सदन में दी जा चुकी है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री शिवकुमार बेरिया की जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर में 13200 कि0वा0 विद्युत केन्द्र की स्थापना के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री कैलाश यादव की जनपद गाजीपुर के थाना नन्दगंज में एग्रोप्रिएट टैक्नालाजी डेवलेपमेन्ट एसोशिएशन द्वारा डीसेन्ट्रलाइज रिपेयरिंग एण्ड सर्विस सेण्टर, कुसमीकला की जमीन का कब्जा किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में आगामी दुर्गा पूजा एवं दीपावली पर्व पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

चौथी सूचना डा0 विनोद तिवारी की ललित हरी राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य प्रो0 जयराम यादव द्वारा छात्रों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ जनपद के सआदतगंज क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा उचित व्यवस्था न किए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

छठवीं सूचना श्री रामइकबाल सिंह की जनपद बलिया में नगरा मार्ग से रेकुआ उरैनी मार्ग का बन्द पड़ा निर्माण कार्य चालू कराए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की हिन्दू महासभा द्वारा गोरखपुर, कुशी नगर एवं महराजगंज जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

आठवीं सूचना श्री बलराम यादव की जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में सिंचाई खण्ड टांडा के अन्तर्गत आने वाली नहरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

नौवीं सूचना श्री योगेन्द्र कुमार की ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी, भ्रष्टाचार तथा कनिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

दसवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद सहारनपुर के ए0 आर0 टी0 ओ0 द्वारा अवैध रूप से चलवाई जा रही प्राइवेट बसों एवं उनके भ्रष्टाचार के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

ग्यारहवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पैथालॉजी विभाग के कर्मियों द्वारा कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

बारहवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री आदित्य विक्रम सिंह एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद बस्ती के ग्राम सगरा निवासी अशोक सिंह के अपराधी प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

तेरहवीं सूचना डा0 पी0 के राय, श्री राधेश्याम सिंह एवं श्री पूर्णमासी देहाती की गोरखपुर मेडिकल कालेज में रेजिडेन्ट डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

चौदहवीं सूचना चौधरी बाबूलाल की जनपद आगरा के थाना कागारौल के ग्राम वैमन में जूनियर हाई स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

पन्द्रहवीं सूचना श्री राम किशुन की वाराणसी के मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड में अनधिकृत रूप से कायम जिलेदारी के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सोलहवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की जनपद जौनपुर की तहसील सदर के ग्राम गौरा में सार्वजनिक भूमि पर फर्जी ढंग से नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सत्रहवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी में सड़क सम्पर्क मार्ग एवं पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

अट्ठारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जनपद फैजाबाद के परिवहन निगम के प्रभारी सेवा प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

उन्नीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के नवसृजित ब्लाक मदनापुर को तुरन्त चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

बीसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

इक्कीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार तीन पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

बाईसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश सरकार के प्रवेश कर की नीति के कारण पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

तेईसवीं सूचना श्री उदयराज यादव की जनपद उन्नाव के शुक्लागंज के मोहल्ला कंचन नगर में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

चौबीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ की चीनी मिल के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने से उतपन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

पचीसवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद महानगर में जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु द्वितीय वाटर वर्क्स के निर्माण के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

छब्बीसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नवगढ़ में सूखे की स्थिति को देखते हुए विद्युत आपूर्ति की समय-सीमा बढ़ाये जाने सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सत्ताईसवीं सूचना श्रीमती अरुणा तोमर की ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन लगने वाली बाजारों की आय कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

अट्ठाईसवीं सूचना श्री छोटे लाल यादव की जनपद बाराबंकी की रूदौली में जामिया अरबिया मदानातुल उलूम नामक संस्था के शिक्षकों को जम्मू कश्मीर चुनाव में भेजे जाने से रोकने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

उन्तीसवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री नूर मोहम्मद की जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्र में ए0 सी0 सी0 प्लान्ट लगाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण से ग्राम वासियों में बीमारी के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिज़वी की जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के ग्राम गोरा मदनपुरा में श्रीमती कमला देवी की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

इक्तीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की जनपद मैनपुरी में पल्स पोलियो विशेष अभियान में उपलब्ध कराये गये धन के दुरुपयोग एवं गबन के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

बत्तीसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद गाजियाबाद जे0 पी0 नगर में गढ़ एवं बाबूगढ़ तथा गजरौला में चांदनी ढाबा पर परिवहन निगम की बसों के रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

तेंतीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की प्रदेश के नट समाज को अनुसूचित जाति में शामिल न किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

चौंतीसवीं सूचना श्री सिद्धगोपाल साहू की जनपद महोबा में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन कर अपने तैनाती स्थलों पर न जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

पैंतीसवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के ग्राम कवलपट्टी से सेखनपुर रोड के पास नाले तक ड्रेन खुदवाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

छत्तीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

सैंतीसवीं सूचना श्री राकेश सचान की जनपद कानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

अड़तीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर हरौड़ा क्षेत्र स्थित मेसर्स फोरमोस्ट इण्डस्ट्रियल लि0 कैलाशपुर के मालिकों द्वारा फैक्ट्री बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

उन्तालीसवीं सूचना श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव की जनपद बदायूं के महाबा नदी का जल गजरैला नगर की बाम आरोनक्स फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित व बदबूदार पानी को तुरन्त रोकने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

चालीसवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की जनपद लखनऊ के अलीगंज के मेंहदीटोला में नाली के निर्माण में हुई धांधली के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

इकतालीसवीं सूचना श्री गंगा प्रसाद पुष्कर की जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सतौली तहसील एतमादपुर को जनपद आगरा में शामिल करने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

बैयालिसवीं सूचना श्री किरन पाल कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन में बदमाशों द्वारा की जा रही डकैती एवं एस0 एस0 पी0 के द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

तेंतालीसवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के करनैलगंज तहसील के हडिया गाडा गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

चौवालिसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन के कालपी स्थित आयातित मशीनरी से युक्त हाथ कागज अनुसंधान केन्द्र/प्रयोगशाला को तुरन्त चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

पैंतालीसवीं सूचना श्री घूरा राम की उत्तर प्रदेश साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों को निगम का कर्मचारी की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

छियालीसवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज के अन्तर्गत पशुधन सेवा केन्द्र रायगढ़ बेहड़ा बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

डा0 वकार अहमद शाह, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री रामजीत राजभर, श्री छोटे लाल यादव, श्री पीतम राम, श्री रामवीर सिंह यादव, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री प्रेम सिंह दरोगा, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, ठा0 राजेन्द्र सिंह राणा, श्री नारद राय, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री शिव तपस्या पासवान एवं श्री अनार सिंह दिवाकर।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-31 से मद संख्या-58 तक के वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

जनपद वाराणसी में जल संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं से विधि विरुद्ध अधिभार वसूल किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[श्री श्याम देव राय चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा ने नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की है :-

"वाराणसी जल संस्थान द्वारा जल कर, जल मूल्य तथा सीवर टैक्स वसूल किये जाने हेतु उपभोक्ताओं को उक्त का वार्षिक बिल निर्गत किये जाते हैं । स्वाभाविक रूप से उक्त बिल पहली अप्रैल से 31 मार्च तक समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिये निर्गत किये जाते हैं वसूली हेतु निर्गत किये जाने वाले बिल का भुगतान एक निश्चित समयावधि तक कर देने पर संस्थान द्वारा उपभोक्ता को छूट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ही भुगतान प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं को छूट देकर प्रोत्साहित किया जाना विधि संगत एवं परम्परागत भी है।

ज्ञातव्य हो कि छूट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि चालू वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कई माह पूर्व की होती है। उदाहरण स्वरूप भुगतान में छूट प्राप्त करने की संस्थान द्वारा निश्चित अन्तिम तिथि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 4-5 माह पूर्व ही समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि बीत जाने के बाद देय धनराशि पर अधिभार जोड़ दिया जाता है अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति की आखिरी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तिथि से कम से कम 4-5 माह पहले ही उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि पर अधिभार जोड़कर भुगतान हेतु बाध्य किया जाता है जो किसी भी तरह से न तो न्याय संगत है और न ही विधि संगत है ज्ञातव्य है यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा वार्षिक बिल पर अधिभार लगाया भी जाता है तो उस पर जो उक्त वार्षिक देय राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च तक भुगतान करने में असफल रहने पर/उपरोक्त परिस्थिति से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने की आखिरी तिथि से पहले ही देय बिल पर अधिभार दण्ड का लगाना किसी तरह से न तो विधि संगत है और न ही परम्परा है।

अतः नियम-51 के अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा वाराणसी जल संस्थान द्वारा विधि विरुद्ध एवं नियमों के विपरीत वित्तीय वर्ष समाप्ति की तिथि से पहले उपभोक्ताओं से अधिभार की वसूली और लगाना तत्काल रोके जाने हेतु शासन द्वारा वाराणसी जल संस्थान को लोकहित में निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।"

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में महाप्रबन्धक, वाराणसी जल संस्थान से प्राप्त की गयी सूचनानुसार अवगत कराना है कि वाराणसी जल संस्थान द्वारा उ0 प्र0 जल सम्भरण, तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 25 की उपधारा 2(6) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी गजट उत्तर प्रदेश संख्या 2103/9-2-94-57(106)-91, दिनांक 24 नवम्बर, 1994 में प्रकाशित जल परिव्यय की दरों के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। उक्त गजट में छूट व सरचार्ज के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान हैं :--

(क) बिल के निर्गम तिथि के 30 दिवस के अन्दर भुगतान करने पर जल मूल्य धनराशि का 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल चालू वर्ष मांग पर अनुमन्य होगी।

(ख) बिल निर्गम के 30 दिवस के अन्दर भुगतान न करने पर 10 प्रतिशत अनुमन्य नहीं होगी।

(ग) बिल निर्गम के 60 दिवस के उपरान्त किन्तु उक्त वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान करने पर बिल की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत ही वाराणसी जल संस्थान द्वारा बिलिंग/कार्यवाही ही जा रही है। उदाहरणार्थ--

1-यदि किसी उपभोक्ता के बिल निर्गम की तिथि 1 सितम्बर है तो 1 अक्टूबर तक भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

2-यदि उपभोक्ता 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच भुगतान करते हैं तो उन्हें न छूट दी जायेगी और न ही सरचार्ज लिया जायेगा।

3-यदि उपभोक्ता द्वारा 31 अक्टूबर (साठ दिन) के बाद भुगतान करते हैं तो उनसे 10% सरचार्ज लिया जायेगा।

इस प्रकार वसूली की उपरोक्त प्रक्रिया विधिक रूप से मान्य होने के कारण उसमें किसी हस्तक्षेप का अवसर नहीं प्रतीत होता है।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर में विद्युत व्यवस्था जर्जर होने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[देवी पाटन मण्डल, गोण्डा के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विद्युत व्यवस्था सामान्यतः ठीक है। यह सही है कि 33/11 के0 वी उपकेन्द्र मनकापुर से निकलने वाले फीडरों में 11 के0 वी0 मोतीगंज फीडर जिसकी लम्बाई लगभग 185 कि0मी0 है तथा 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र मसकनवां से निकलने वाले फीडरों में 11 के0वी0 बगदर फीडर जिसकी लम्बाई लगभग 205 कि0मी0 है, लम्बाई अधिक है। विद्युत आपूर्ति दैवी आपदा, आंधी तूफान आदि कारणों से यदा कदा बाधित हो जाती है, जिसे उपलब्ध संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा दिया जाता है। मोतीगंज फीडर जो 33/11 के0वी0 मनकापुर उपकेन्द्र से निकलता है के कुछ गांव को 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र डुमरियाडीह से निकलने वाले 11 के0वी0 खोरहंसा फीडर से जोड़ा जा सकता है। इसके जोड़ने के लिये लगभग 2.00 कि0मी0 के 11 के0 वी0 लाइन का निर्माण करना पड़ेगा जिस पर लगभग 2.25 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा। 33/11 के0 वी0 मसकनवां से निकलने वाले 11 के0 वी0 बगदर फीडर जिसकी लम्बाई लगभग 205 कि0मी0 है, मुख्य फीडर लकड़ी के खम्भे से ही पूर्व में निर्गत किया गया था। इस फीडर के लगभग 80 लकड़ी के खम्भों को जो छोटे हो गये थे पूर्व में बदला जा चुका है। इस फीडर के लगभग 80 अन्य लकड़ी के खम्भे जिनकी लम्बाई छोटी हो गयी है, बदलने के लिये विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है इस समय 11 के0वी0 बगदर फीडर से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। पूर्व में आंधी तूफान के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इन उपकेन्द्रों से क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति प्रणाली नियंत्रण द्वारा निर्धारित 8 घंटे ही की जा रही है। यह सत्य नहीं है कि विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर से निकलने वाले 11 के0वी0 मोतीगंज फीडर तथा विद्युत उपकेन्द्र मसकनवां से निकलने वाले 11 के0वी0 बगदर फीडर पर जो धन व्यय किया गया है वह कागजों पर दर्शा कर उनका दुरुपयोग किया गया है बल्कि इन फीडरों की लाइनों के अनुरक्षण पर आवश्यकतानुसार ही व्यय किया गया है जो सही है।]

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1988-89 से केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा वर्तमान में 35 पाठ्यक्रम चयनित विद्यालयों में संचालित हैं। विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु अतिथि विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। जिसके लिये संस्था के प्रधानाचार्य

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकृत हैं। इन अतिथि विषय विशेषज्ञों को रु0 50/- प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय का भुगतान संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है, जो कि अधिकतम 1500-/ प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है, मानदेय की मद में 75% भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि 25% भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के लिये कच्चा माल/फील्ड विजिट/वर्कशेड का निर्माण तथा उपकरणों के क्रय आदि में व्यय होने वाली धनराशि पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। तद्नुसार यह योजना पूर्णतया भारत सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 12-7-2000 के माध्यम से इस योजना के विस्तारीकरण में 400 पूर्णकालिक एवं 400 अंशकालिक पदों का अनुमान दिया गया था।

यह योजना भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे 75% मानदेय से चल रही है तथा बीच में भारत सरकार ने वर्ष 1998 में यह योजना बन्द कर दी, तब उत्तर प्रदेश में भी यह योजना कुछ समय के लिये बन्द हो गयी। इसके उपरान्त भारत सरकार से योजना पुनः प्रारम्भ करने की सहमति प्राप्त होने पर इस योजना को पुनः संचालित किया जा सका। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति एवं सीमित संसाधनों को देखते हुए उक्त योजना का पूर्णतया वहन किया जाना कठिन है। यदि 400 अतिथि विषय विशेषज्ञों के पदों को सृजित किया जाता है तो इन पदों का उत्तरोत्तर दायित्व भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किये जाने की स्थिति में प्रदेश सरकार का होगा। जिसे प्रदेश सरकार वहन करने में असमर्थ है। अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय की कुल धनराशि रु0 1500/- अधिकतम से बढ़ाकर रु0 5000/- की सीमा तक किये जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा भी बल दिया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध भी किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार का निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार का निर्णय प्राप्त होने पर तद्नुसार प्रदेश सरकार द्वारा भी अग्रिम कार्यवाही कर ली जायेगी।]

प्रदेश में स्थापित धन्वन्तरि आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने यह सूचना दी है कि 1998 में प्रस्तावित धन्वन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण एवं सम्यक् रूप से कार्य प्रारम्भ हो सके, इसके लिये तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है क्योंकि नया परिसर बनाने तथा डाक्टरों को नियुक्त करने, अधिनियम बनाने के बाद ही यह विश्वविद्यालय कार्य प्रारम्भ कर पायेगा। मा0 सदस्य ने यह भी सूचना दी है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के0 जी0 एम0 सी0, लखनऊ को उच्चीकृत करके की जा रही है तो प्रदेश के समस्य मेडिकल कालेजों को इससे सम्बद्ध किया जाय तथा धन्वन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय से प्रदेश के समस्त आर्युवेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया जाये जिससे प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पर भी कार्य हो सके। मा0 सदस्य ने धन्वन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक अधिनियम, भूमि भवन और परिसर के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि तत्काल अवमुक्त करने एवं इसके लिये पूर्णकालिक विशेष कार्याधिकारी की मांग की है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि के0 जी0 एम0 सी0, लखनऊ को "सेन्टर आफ एक्सीलेन्स" के रूप में उच्चीकृत करके छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा शिक्षा, उपचार एवं प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था होगी।

धन्वन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 10.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रु0 25.00 लाख की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-9522/71-3-98-347/87, दिनांक 15 जनवरी, 1999 में यह निर्णय लिया गया है कि "इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के पश्चात् प्रदेश में कार्यरत चिकित्सा एवं एलाइड क्षेत्र की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली सभी शिक्षण संस्थाओं के इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो संस्थायें पूर्व से संचालित हैं तथा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उन्हें भी एक निश्चित तिथि के बाद पुराने विश्वविद्यालय से सम्बद्धन समाप्त करके इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करना होगा। किन्तु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कालेज/संस्थाओं तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के घटक किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिये इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय को प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं को भी अपने विवेकानुसार सम्बद्धन देने का अधिकार होगा।]"

जनपद लखीमपुर में जनुवारी नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण को तत्काल शुरू कराने के संबंध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज्य मंत्री कां वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य ने अपने नियम-51 की सूचना में यह कहा है कि विकास खण्ड लखीमपुर में जमुवारी नदी पर पुल बनाने का कार्य जिला पंचायत द्वारा प्रारम्भ किया गया था परन्तु पूर्व अध्यक्ष के हट जाने के बाद नये अध्यक्ष द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है जिससे जनता में आक्रोश है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 20-10-99 को सम्पन्न हुई निर्माण समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाय। निर्माण समिति के इस प्रस्ताव की पुष्टि जिला पंचायत की बैठक दिनांक 26-10-99 में की गई। तत्पश्चात् पुल के निर्माण हेतु मु0 9,98,635/- रुपये का आगणन तैयार किया गया जिस पर तत्कालीन मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिनांक 17-2-2000 को यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पुल का निर्माण जिला निधि से करा दिया जाय और बाद में अनुदान प्राप्त होने पर इस व्यय का समायोजन कर लिया जाय तदोपरान्त दिनांक 19-2-2000 को प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये। दिनांक 18-3-2000 को मु0 10,75,795/- रुपये का टेण्डर स्वीकार किया गया और दिनांक 17-4-2000 को निविदादाता (ठेकेदार) के साथ इकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया और दिनांक 17-4-2000 को ही कार्यादेश जारी किया गया ।

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर कुछ निर्माण सामग्री की आपूर्ति की गयी परन्तु नींव की खुदाई करके ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 14-6-2000 को कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यालय से नोटिस दी गयी। दिनांक 18-8-2000 को जिला पंचायत के अवर अभियन्ता ने अपनी आख्या में यह अवगत कराया है कि नदी में बाढ़ का पानी आ गया है जिसके कारण वर्षा उपरान्त कार्य में प्रगति आयेगी ।

दिनांक 16-3-2001 को ठेकेदार ने नहर से पानी आ जाने एवं बरसात होने के कारण कार्य अवरुद्ध होने की बात स्पष्ट की ठेकेदार द्वारा यह कहा गया कि कार्य योजना में धन उपलब्ध नहीं है, इसलिये उसके द्वारा स्थल पर गिरायी निर्माण सामग्री का मूल्य एवं जमानत की धनराशि वापस की जाय।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1985 के प्रविधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। नियमावली के नियम-4 में परियोजनाओं को तैयार करने के संबंध में यह स्पष्ट प्राविधान है कि किसी परियोजना को स्वीकृत करने के पूर्व जिला पंचायत द्वारा यह विचार किया जायेगा कि निर्माण कार्य करने और उनकी अनुरक्षण के लिये निधि उपलब्ध होने की सम्भावना है या नहीं ? और संकल्प में यह उल्लेख करेगी कि निधि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष के बजट से, चालू वर्ष के लिये पुनरीक्षित या परिवर्तित बजट में या अगले वर्ष के बजट में की जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य कराने के लिये वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कोई बजट की व्यवस्था नहीं की गयी और न ही आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ही कोई व्यवस्था की गयी। इस प्रकार नियमानुसार जिला पंचायत के बजट में बिना किसी वित्तीय व्यवस्था के ही प्रश्नगत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी जबकि नियमानुसार निर्माण समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने और जिला पंचायत द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम जिला पंचायत के बजट में इस निर्माण कार्य के लिये बजट प्राविधान किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि रुपये 10 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त किये जाने का प्राविधान निर्माण कार्य नियमावली, 1985 में है, परन्तु इस प्रकरण में मु0 10,75,795/- रुपये का टेण्डर स्वीकार करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अर्थात् शासन की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी है।

जिला पंचायत के बजट में प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये कोई वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं पाया गया। जिसके फलस्वरूप यह परियोजना सही अर्थों में प्रारम्भ नहीं हो सकी। सम्प्रति जिला निधि में इस कार्य के लिये अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 के जिला पंचायत के मूल बजट में इस परियोजना के लिये कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है।]

मेरठ के कंकडखेड़ा में अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से हो रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मेरठ नगर निगम के कंकरखेड़ा क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की फैक्टरी से निकले पानी से हो रही बीमारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना दी गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2-मान्यवर, मेरठ नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत कंकरखेड़ा मेरठ कैन्ट में मै0 सेन्ट्रल डिस्टलरी एण्ड ब्रीवरीज लि0 नामक अल्कोहल उत्पादन करने वाली इकाई वर्ष 1936 से स्थापित व संचालित है उद्योग में ब्रीवरीज इकाई में बीयर का उत्पादन किया जाता है तथा आसवनी इकाई में शीरे से पोटेबेल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। दोनों इकाइयों से प्रदूषणकारी उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में दोनो इकाइयों के शुद्धिकरण हेतु वांछित पृथक उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है व जिनका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग को जल अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001 व 2002 की सशर्त जल सहमति स्वीकृत है। उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र में आसवनी इकाई में प्री सेटलिंग टैंक, होल्डिंग टैंक, इक्वैलाइजेशन टैंक, एनरोबिक रीएक्टर (बायोगैस प्लान्ट) एरीएशन टैंक व क्लेरीफायर (प्रथम) डाइल्यूशन विद डिफ्यूज्ड एरीएशन टैंक व क्लेरीफायर (द्वितीय) तथा स्लज ड्राइंग बेड स्थापित है। ब्रीवरीज इकाई हेतु इक्वैलाइनेशन टैक, एरीएशन टैंक क्लेरीफायर तथा स्लज ड्राइंग बेड स्थापित है। उत्प्रवाह डाइल्यूशन के बाद मानकों के अनुरूप ही निस्तारित किया जाता है। उत्प्रवाह का निस्तारण आबू नाले के माध्यम से काली नदी पूर्वी में किया जाता है जो कि अन्तिम रूप से गंगा नदी में मिलती है। आबू नाले में उक्त उद्योग के अतिरिक्त नगरीय मलजल बिना किसी शुद्धीकरण के निस्तारित होता है। उद्योग का उत्प्रवाह अधिकांशतः निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से स्टीम की आपूर्ति हेतु उद्योग में दो ब्वायलर प्रयोग में लाये जाते हैं जिसमें से एक में 3 टन प्रतिघंटा स्टीम जनित करने वाला ब्वायलर व एक 18 टन प्रतिघंटा स्टीम जनित करने वाला ब्वायलर प्रयोग में लाया जाता है। दो ब्वायलर क्रमशः 2 व 6 टन प्रतिघंटा स्टीम जनित करने वाले अब प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं। उक्त दोनों प्रयोग में आने वाले ब्वायलरों में ईंधन के रूप में क्रमशः डीजल व फरनेश आयल के साथ बायो गैस प्रयोग में लाये जाते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण की उचित ऊंचाई की चिमनी (क्रमशः 58 व 30 मीटर ऊंची) सहित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की गई है तथा उत्सर्जन के अनुरूप पाया गया है। उद्योग को वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001 व 2002 हेतु सहमति स्वीकृत है।

3-जहां तक उद्योग से होने वाली खारिश इक्जीमा आदि बीमारियों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

4-मा0 विधायक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की सूचना में वर्णित सोने के आभूषण व पीतल के बर्तन काले होने के सम्बन्ध में यह कहना है कि इस प्रकार के प्रकरण की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। उद्योग में स्थापित एनरोबिक रीएक्टर (बायो गैस प्लान्ट) ऊपर से पूर्ण रूप से बन्द है। बायो गैस को ब्वायलर में उपयोग कर लिया जाता है। यह गैस सामान्यतः सभी नालों व ठहरे हुए जल में दूषित पदार्थों के अपघटन से अवमुक्त होती है। उल्लेखनीय है इस तत्व के व्यापक वायु में गुणवत्ता के मानक के बारे में कोई मानक निर्धारित नहीं है। एनरोबिक रीएक्टर (बायो गैस प्लान्ट) सहित पूरे उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का नियमित संचालन किया जाता है तथा इसकी नियमित जांच की जाती है। उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के आस-पास पर्याप्त वृक्षारोपण किया गया है जिससे प्रदूषक तत्वों का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े॥

जनपद हरदोई के डी0एफ0ओ द्वारा वन प्रभाग में करोड़ों रूपये के सरकारी धन की हेराफेरी के सम्बन्ध में सुश्री ऊषा वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में इंगित, कथित अनियमितताओं यथा श्री आर0 एस0 मिश्रा द्वारा अग्रिम मृदा कार्य हेतु निर्धारित मदों में अधिक व्यय आहरित कर दुरुपयोग करने, डी0 आर0 टी0 ए0 से प्राप्त धनराशि निर्धारित ब्लाकवार खर्च न करके एक ब्लाक का धन दूसरे ब्लाक में खर्च करने, बिलग्राम रेंज के ईदलापुर वन ब्लाक में 75 हेक्टेयर अग्रिम मृदा कार्य करने एवं वृक्षारोपण न करने, बिलग्राम रेंज के तेरवा कल्ली वन ब्लाक में सरकारी वृक्षों का भारी मात्रा में हुए अवैध कटान तथा सरकारी धन का हड़पने गगोली वन ब्लाक में हुए अवैध कटान/शासकीय क्षति आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय जांच वन संरक्षक, अवध वृत्त, लखनऊ से कराई जा रही है। जांचोपरान्त यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद रामपुर के रुद्रविलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में श्रीमती बीना भारद्वाज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा रुद्रबिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल रामपुर के अन्तर्गत पेराई सत्र 2001-2002 का बकाया गन्ना मूल्य 75.327 लाख रुपये का भुगतान न किये जाने से गन्ना किसानों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है एवं तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान की मांग की गई है।

2-इस संबंध में यह अवगत कराना है कि रुद्रबिलासपुर सहकारी चीनी मिल लि0, जिला रामपुर द्वारा पेराई सत्र 2001-2002 में अपना कार्य दिनांक 24-11-2001 को प्रारम्भ किया गया था और दिनांक 3-4-2002 को पेराई कार्य बन्द कर दिया गया था। चीनी मिल द्वारा सत्र 2001-2002 में 22.08 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी थी। सहकारी क्षेत्र की रुद्रबिलास चीनी मिल, जनपद-रामपुर के गन्ना मूल्य बकाया/भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :--

(दिनांक 2-9-2002 की स्थिति के अनुसार) (लाख रुपये में)

इकाई का नाम	देय	भुगतान	अवशेष	अवशेष प्रतिशत
रुद्रबिलासपुर (रामपुर)	2074.41	1326.49	747.92	36.06

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3-उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुल गन्ना मूल्य बकाये के लगभग 63.94 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है केवल 36.06 प्रतिशत भुगतान अवशेष है। उक्त मिल के कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने के कारण मिल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रश्नगत मिल बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान अपने संसाधनों से करने में असमर्थ है।

4-सहकारी चीनी मिल संघ की कमजोर इकाइयों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शासकीय ऋण सहायता की व्यवस्था के लिये वित्तीय वर्ष 2002-2003 में बजट व्यवस्था कराई गयी है। शासन गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराने हेतु प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत् है।

5-यह कहना सही नहीं है कि रुद्रबिलासपुर सहकारी चीनी मिल, जिला-रामपुर द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न् होने के कारण गन्ना किसानों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है।]

प्रदेश के मध्यांचल एवं पश्चिमांचल विकास के लिये धन का पैकेज स्वीकृत किये जाने की मांग के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना 2001-2002 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के विकास के लिये केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वन टाइम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रु0 210.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसमें मध्य क्षेत्र के जनपदों के लिये 25.00 करोड़ एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों के लिये रु0 35.00 करोड़ की धनराशि, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु अनुमोदित की गई थी। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा अनुमोदित योजनायें एवं धनराशि को संबंधित प्रशासकीय विभागों को शासनादेश नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2001 में निर्गत कर दिये गये थे। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कतिपय कारणोवश प्रशासकीय विभागों द्वारा रु0 84.54 करोड़ का ही व्यय किया जा सका। शेष अप्रयुक्त रु0 125.46 करोड़ की धनराशि के पुर्नवैधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया था जिसकी सहमति दिनांक 8 अगस्त, 2002 को प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में अप्रयुक्त धनराशि को प्रयुक्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है। नियोजन विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि पैकेज में स्वीकृत की गयी धनराशि का प्रयोग इसी वित्तीय वर्ष में करना सुनिश्चित करे। सम्प्रति इस वर्ष मध्यांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास हेतु इस प्रकार की कोई धनराशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विकास कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन और संवैधानिक हकमारी के संबंध में श्री शारदानन्द अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा विकास कार्यों में क्षेत्रीय असन्तुलन और संवैधानिक हकमारी के संबंध में बिन्दु उठाया गया है और प्रदेश के समस्त क्षेत्रों को समान रूप से विधायक निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि तथा जिला योजना में धनराशि स्वीकृत करने की मांग की गयी है। ग्राम्य विकास विभाग केवल विधायक निधि योजना से सम्बन्धित है। अतः इस संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है।

विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में यह व्यवस्था है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यगण संबंधित मुख्य विकास अधिकारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष रु0 75.00 लाख की धनराशि तक विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव देंगे। मुख्य विकास अधिकारी स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित करायेंगे अर्थात मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। इससे स्पष्ट है कि विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य मा0 विधायकगण के प्रस्ताव के अनुसार ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्पादित कराये जाने की बाध्यता है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिनांक 19-7-2002 को शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि वर्ष 2001-2002 और उसके पूर्व विधायक निधि में अवमुक्त एवं अप्रयुक्त पड़ी धनराशि में से उतनी धनराशि को छोड़कर जो चालू कार्यों में उपयोग हेतु आवश्यक है तथा जो वचनबद्ध व्यय के अन्तर्गत है, शेष धनराशि पर विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप 14वीं विधान सभा के नवनिर्वाचित मा0 सदस्यों से परामर्श करके अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर उपयोग/व्यय करना सुनिश्चित किया जाय। इस शासनादेश का स्पष्ट रूप से यह आशय है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं सड़क निर्माण हेतु 14वीं विधान सभा के मा0 सदस्यों के परामर्श से ही अप्रयुक्त पड़ी धनराशि का उपयोग/व्यय किया जाय अर्थात् इस शासनादेश में कहीं ऐसी बाध्यता नहीं है कि मा0 विधायक उक्त कार्य के लिये प्रस्ताव देने के लिये बाध्य हैं। यह मा0 विधायकों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या-2381/38-2002, दिनांक 31 जुलाई, 2002 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों द्वारा चयनित स्थलों पर 50-50 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन किये जाने संबंधी निर्गत शासनादेश में यह प्राविधान किया गया है कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही किया जाय, जिसमें हैण्डपम्पों की कुल लागत मूल्य का 10 प्रतिशत तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी का भार लाभार्थी समूहों पर डाला जायेगा।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में मा0 जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न जनपदों से प्राप्त अधिकारियों के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में जहां कहीं ग्राम पंचायत यह पाये कि अमुक लाभार्थी समूह अत्यन्त गरीब हैं और 10 प्रतिशत धनराशि नहीं दे सकता है, तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके अपने संसाधनों से 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान का योगदान कर सकते हैं। जहां कहीं ग्राम सभा कतिपय कारणों से उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत का योगदान करने पर मत स्थिर नहीं कर पाती, परन्तु मा0 सदस्यगण विधान सभा/विधान परिषद् इन मामलों में जिन्हें वे अत्यन्त गरीब समूह पाते हैं, और हैण्डपम्प लगाया जाना अति-आवश्यक समझते हैं, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान के भुगतान का योगदान नियमानुसार अपनी सहमति से विधायक निधि से कर सकते हैं।

इस प्रकार विधायक निधि से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग से जो भी आदेश जारी किये गये हैं उसमें यह व्यवस्था है कि मा0 विधायकगण के परामर्श से ही उपरोक्त कार्य करायें जायें अर्थात उक्त शासनादेशों में कहीं ऐसी बाध्यता नहीं है कि मा0 विधायकगण उक्त कार्यों के लिये प्रस्ताव देने के लिये बाध्य हैं। यह मा0 विधायकगण के विवेक पर छोड़ दिया गया है।]

जनपद चन्दौली में नक्सलियों द्वारा बसन्त लाल की हत्या तथा एक युवा का अपहरण कर कई लोगों की फायरिंग कर घायल करने के संबंध में श्री परमेश्वर दयाल, श्री राम किशुन तथा श्री रामजीत राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[जनपद चन्दौली के थाना नौगढ़ में दि0 27-8-2002 को 7.30 बजे रात्रि ग्राम तेंदुआ नौगढ़ में एम0 सी0 सी0 के कुछ नक्सलवादियों द्वारा कुछ लोगों को मारकर घायल कर दिया गया है तथा तीन आदमी सोमारू पुत्र जोखू, रविन्दर उर्फ पिन्टू पुत्र राम चन्दर व बसन्त पुत्र बचनू (तीनों अनुसूचित जाति) के लोगों का अपहरण कर ले गये थे जिसमें सोमारू पुत्र जोखू वापस आ गया है तथा बसन्त पुत्र बचनू की लाश गांव के पश्चिम की तरफ पांच सौ मीटर की दूरी पर पड़ी मिली। शवं को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । रविन्दर उर्फ पिन्टू को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। पिन्टू पूर्व में नक्सली अपराधी रह चुका है और वह मु0 अ0 सं0-27/2001 में जमानत पर था। इस प्रकरण के संबंध में थाना नौगढ़ पर मु0अ0सं0-50/2002 धारा-364/302/307/504/506/427/452 भा0 द0 वि0 व 7 क्रि0 लॉ0 ए0 ऐक्ट पंजीकृत करके विवेचना हो रही है। नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु सघन काम्बिंग की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी, चन्दौली, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी क्षेत्र द्वारा किया जा चुका है।

नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली में प्रभावी अंकुश हेतु एक पुलिस अधीक्षक, आपरेशन जिसका मुख्यालय मिर्जापुर में है,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की नियुक्ति की गई है और तीन अन्य थाना रामपुर, बिण्टमपाल एवं मंगली तथा 7 रिपोर्टिंग चौकियां जनपद सोनभद्र में खोली गयी हैं। नक्सली प्रभावी क्षेत्रों में अत्यधिक हथियार जैसे एस0 एम0 आर0 303 गन मशीन ग्रेन, ए0 के0-47 एवं बुलेट प्रूफ वाहन एवं दंगा नियंत्रण वाहन प्रदान किये गये हैं और नियुक्त पुलिस बल को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर उनकी संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया हैं इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 शासन के अम्बेडकर ग्राम विकास के शासनादेश संख्या-332/अ0ग्राम0वि0वि0/2002, दि0 06 जुलाई, 2002 को प्रदेश के नक्सल प्रभावति छः जिलों के 297 ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए इन गांवों में समग्र अवस्थापनाओं के विकास के लिये निर्गत किया गया है जिससे निवासियों पर नक्सली प्रभाव निश्चित रूप से कमजोर पड़ेगा और उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद लखनऊ के थाना नगराम में हुई हत्या के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में सर्वश्री आर0के0 चौधरी व श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[दिनांक 29-8-2002 को सर्वश्री आर0 के0 चौधरी एवं दीनानाथ कुशवाहा, मा0 सदस्यगण विधान सभा द्वारा लखनऊ जनपद के थाना नगराम में हुई हत्या के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार घटना के बारे में तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :--

दिनांक 21-8-02 को थाना नगराम पर श्री रामआसरे चौकीदार बलसिंह खेड़ा थाना नगराम ने सूचना दी कि मेरे गांव के श्री रामहर्ष (उम्र 32 वर्ष) पुत्र श्री बराती लाल, रघुवीर उम्र 20-22 वर्ष पुत्र श्री रामबली जो चचेरे भाई हैं व संजय (उम्र 12 वर्ष) पुत्र राजनारायन कल शाम को अंधेरा होने पर मछली पकड़ने हेतु इन्द्रानहर पर गये थे तथा वहीं पर नहर में जाल लगाकर रखवाली कर रहे थे। आज प्रातः 6 बजे ये तीनों उपरोक्त मरे पड़े मिले। इनके मुंह व चेहरों पर धारदार हथियार की चोटें हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

उपरोक्त घटना के बारे में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री रामहर्ष पुत्र श्री बराती लाल, रघुबीर पुत्र रामबली तथा श्री संजय पुत्र राजनारायन जो सभी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, की दिनांक 20/21-8-2002 की रात्रि में ग्राम बलसिंह खेड़ा थाना नगराम जनपद लखनऊ में अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गयी। यह तीनों व्यक्ति अपने गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर बड़ी नहर के किनारे बहने वाले बरसाती नाले में रात्रि के समय जाल

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लगाकर मछली पकड़ रहे थे। सायंकाल लगभग 6 बजे जाल लगाकर यह तीनों व्यक्ति अपने घर खाना खाने चले गये तथा खाना खाकर पुनः रात्रि में लगभग 10 बजे घटनास्थल पर अपना मछली का जाल देखने गये थे। जाल देखकर उन्हें वापस अपने घर आना था किन्तु घर वापस नहीं आये। दिनांक 21-8-2002 को प्रातः काल जब इनके घर वाले घटनास्थल की ओर इनकी तलाश करने के लिये गये तो वहां पर इन तीनों व्यक्तियों को मरा हुआ पाया। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाना पुलिस/क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज/पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ/जिलाधिकारी, लखनऊ तथा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण एवं तीनों व्यक्तियों के शव के परीक्षण से प्रथम दृष्टया इनकी हत्या धारदार एवं नोकीले हथियार से गर्दन, मुंह, कान, आंखें, सिर एवं कन्धों पर गम्भीर चोटें पहुंचाकर की गयीं। स्थानीय जनता ने अधिकारियों से शिकायत की कि रात्रि के समय इस क्षेत्र में कच्छा बनियान गैंग की उपस्थिति की जानकारी दी गयी है तथा कुछ अज्ञात लोग रात्रि के समय नहर की पटरी पर घूमते देखे जाते हैं तथा कुछ अज्ञात लोग मारुति/टाटा सूमो जैसी गाड़ियों पर नहर की पटरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सड़क पर रात्रि को भ्रमण करते देखे जाते हैं जिनके बारे में छानबीन कर सत्यापन किया जाने की आवश्यकता है।

घटना स्थल के निरीक्षण के बाद पुलिस महा निरीक्षक, लखनऊ जोन ने यह मत व्यक्त किया है कि इन व्यक्तियों की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा क्षेत्र में आतंक फैलाने, स्थानीय पुलिस सहित जनपद की पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने तथा जनता के मन में भय व्याप्त कराने के उद्देश्य से की गयी है। पूछताछ करने पर वादी पक्ष द्वारा किसी से अपनी दुश्मनी होने की कोई स्पष्ट बात नहीं बतायी है। इन लोगों के पास ऐसा कोई सामान भी नहीं था जिसे लूटा जा सकता हो। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना नगराम, जनपद लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या-71/2002 अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा मृतकों के परिवार जनों को तत्काल राहत हेतु रु0 10-10 हजार की धनराशि प्रदान की गयी।

ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र के बाहरी इलाकों में अवस्थित कालोनियों/मोहल्लों तथा सीमावर्ती जनपदों से लगे थाना क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने तथा सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी गश्त/पिकेट व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 21-8-2002 को विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। थाना नगराम में पी0 ए0 सी0 की अतिरिक्त टुकड़ी उपलब्ध करा दी गयी है। थाना नगराम तथा आसपास के थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय पुलिस व पी0 ए0 सी0 की गश्त बढ़ा दी गयी है तथा गांव में सुरक्षा समिति गठित कर स्थानीय लोगों का पहरा व गश्त लगवाने हेतु कार्यवाही की गयी है। श्री ओम प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष, नगराम को पुलिस लाइन के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है।

अपराध के त्वरित अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गयी हैं तथा उक्त दोनों अधिकारी क्षेत्र में रहकर घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास कर रहे हैं। घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की पहचान करने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अप्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री शाकिर अली, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राधेश्याम सिंह, डा0 पी0के0 राय व श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[शासनादेश संख्या 742/15-13-94-1499(8)/1977, दिनांक 6-9-94 उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालकों/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट दिये जाने अथवा उनके सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी :--

1-जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की अनवरत सेवा दिनांक 1-9-94 को 10 वर्ष हो गयी हो किन्तु उनकी सेवानिवृत्ति में मात्र दो वर्ष रह गये हों उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण से मुक्ति के आदेश सम्बन्धित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

2-कार्यरत एल0 टी0/बी0 एड0 परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापकों/अध्यापिकाओं को बीस-बीस दिन के दो फेरों में कार्यरत प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रशिक्षण अवधि को उनकी कार्यवधि माना जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में उन्हें वही वेतन अनुमन्य होगा जो प्रशिक्षण से पूर्व प्राप्त कर रहे थे। सेवारत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की जायगी तथा परीक्षा की व्यवस्था रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा की जायगी।

3-शेष अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को दो वर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिया जायगा तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान अनुमन्य किया जायगा। पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तथा परीक्षा की व्यवस्था रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी।

2-शासनादेश संख्या 507/15-13-96-1499(8)/77, दिनांक 18 मार्च, 1996 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पत्राचार द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण की सुविधा केवल परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही दी जाय। अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के केवल उन अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा दी जाये जो शासन अथवा विभाग के आदेश के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अप्रशिक्षित रूप से नियुक्त किये गये हों, अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमानुसार प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3-शासनादेश संख्या : 563/15-5-95-19/93, दिनांक 13 जून, 1995 द्वारा पत्राचार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी बी0 टी0 सी0 (संस्थागत प्रशिक्षण सामान्य) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की भांति प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह माना गया। इसके उपरान्त शासनादेश संख्या : 591/15-11-98-1300(5)/97, दिनांक 27 मार्च, 1998 द्वारा शासन के सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अब भविष्य में बी0 टी0 सी0 पत्राचार की व्यवस्था न रखी जाय।

4-बी0 टी0 सी0 पत्राचार प्रशिक्षण व्यवस्था समाप्त होने से पूर्व उक्त दिनांक तक जो अभ्यर्थी पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत कर लिये गये थे अथवा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके परीक्षा दे दी है किन्तु उक्त दिनांक तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया, उनकी परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की गयी। कुछ रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कराने तथा परीक्षाफल घोषित करने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे जिनमें रिट याचिका संख्या : 10161/1998 रेखा देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा 12972/98 पत्राचार विशिष्ट प्रशिक्षण समिति कुशीनगर एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य भी सम्मिलित हैं और जिन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 20-10-96 व 16-9-98 को आदेश निर्गत हुए।

5-माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में दिये गये ओदश के अनुपालन में शासन ने नीतिगत निर्णय लेते हुए शासनादेश संख्या : 1002/15-11-99-1499(67)/98, दिनांक 3 जुलाई, 1999 में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 27 मार्च 1998 तक जो अभ्यर्थी पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत कर लिये गये थे कि उनका पत्राचार प्रशिक्षण पूरा करा दिया जाय तथा जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा करके परीक्षा दे चुके हैं उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में शासन को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई कि जो अभ्यर्थी पत्राचार प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत किये गये हैं उनमें से कुछ अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार पात्र नहीं हैं अथवा उनके द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में निम्न प्रकार से एक कमेटी का गठन करके उक्त तिथि तक पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है अथवा परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, को बुलाकर उनके प्रमाण-पत्र देख लिये जायें तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत पात्र हैं। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार पात्र नहीं थे उनके द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र फर्जी हैं तो उनके मामले में कारण बताते हुए आदेश पारित कर अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जायें। कमेटी का प्रारूप निम्नलिखित होगा :--

(1) सम्बन्धित प्राचार्य, डायट	अध्यक्ष
(2) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(3) प्राचार्य डायट द्वारा नामित अधिकारी (जो प्रवक्ता के स्तर से कम न हो)	सदस्य

6-उपर्युक्त की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में परिषदीय तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 12192 अभ्यर्थी पत्राचार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत किये गये थे। शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1999 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 27 मार्च, 1998 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को बुलाकर उनके प्रमाण-पत्र तथा अभ्यर्थन की जांच की गयी। जांच आख्या के आधार पर परीक्षाफल समिति द्वारा विचारोपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया तथा अनर्ह अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करके परीक्षा रद्द कर दी गयी। रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों को सूचना भेजी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में शासनादेशों का अनुपालन करके नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

7-शिक्षा निदेशक, बेसिक के पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 2001 में उल्लिखित तथ्यों व बिन्दुओं का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या : 1002/15-11-99-1499(67)/98, दिनांक 3 जुलाई, 1999 में गठित समिति द्वारा अनर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण या परीक्षा कराकर परीक्षाफल घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। भविष्य में इस प्रकार के बी0 टी0 सी0 पत्राचार प्रशिक्षण न कराये जाने का भी निर्णय लिया जा चुका है तथा शासनादेश संख्या : 2615/15-11-2001-1499(67)/98, दिनांक 16 फरवरी, 2002 में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।]

लोकनायक जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस को लोकतंत्र दिवस मनाने के संबंध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी लोकतंत्र के पक्षपाती थे। स्मरणीय है कि सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना के बाद लोकतंत्र को तोड़-मरोड़कर विकृत किये जाने के कारण वे साम्यवाद के विरुद्ध हो गये थे। वे मार्क्स को तत्वतः लोकतांत्रिक मानते थे लेकिन उन्होंने साम्यवाद को सर्वाधिकारी शासन की संज्ञा दीं। मार्क्स के समर्थक होते हुए भी वे समाजवाद के लिये खूनी क्रान्ति के समर्थक नहीं थे। वे लोकतांत्रिक समाजवादी थे। लोकतंत्र के पृथक समाजवाद की वे कल्पना ही नहीं करते थे।

पाश्चात्य लोकतंत्र की उन्होंने तीव्र आलोचना की है। दलीय व्यवस्था के कुप्रभाव के कारण वे सहभागी लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं। दलीय व्यवस्था के कारण जनता का शासन नहीं रह जाता। निर्वाचन के बाद विधायक जनता की अपेक्षा, दल के प्रति भक्ति व्यक्त करते हैं। दल मतभेदों एवं परस्पर विवादों को जन्म देते हैं। दलीय व्यवस्था के कारण नेतागिरी का प्राधान्य होता है, राजनीति का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पतन हो जाता है, निर्वाचन निष्पक्ष नहीं होते और शक्ति, राजनीति एवं भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है। दल एकता की अपेक्षा विघटन को जन्म देते हैं। अतः उन्होंने निर्दलीय लोकतंत्र का समर्थन किया है।

लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिये उन्होंने व्यवहारिक सुझाव दिये हैं। उदाहरणार्थ दल बदल को रोकने के लिये प्रत्यावर्तन की व्यवस्था, मताधिकार की आयु 18 वर्ष हो, एवं निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय हो। निर्वाचनों में सुधार हो एवं भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो।

जयप्रकाश लोकतंत्र को शासन की पद्धति ही नहीं मानते थे। वे उसे जीवन दर्शन मानते हैं वह सहिष्णुता, समानता, स्वतंत्रता एवं "जीयो तथा जीने दो" के सिद्धान्त पर आधारित है। जयप्रकाश का यह विचार बड़ा क्रान्तिकारी और मौलिक है कि लोकतंत्र एवं अधिकाधिक भौतिक वस्तुओं की अतृप्त इच्छाओं का सह-अस्तित्व सम्भव नहीं है। दूसरे लोकतंत्रीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था के अधीन नहीं होनी चाहिए। तीसरे साधन भी साध्य की भांति पवित्र होने चाहिए। उनके अनुसार देश में लोकतंत्रीय नैतिकता का अभाव और सार्वजनिक नैतिकता के ह्रास ने लोकतंत्र के आधार को ही हिला दिया।

अतः लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस को "लोकतंत्र दिवस" के रूप में मनाया जाना औचित्यपूर्ण है। सदन के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।]

जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में विद्युत आपूर्ति के संबंध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[पूरनपुर तहसील मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति 33/11 के0 वी0 (8+5) एम0 वी0 ए0 पूरनपुर उपकेन्द्र से की जाती है तथा इस तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 2×3 एम0 वी0 ए0 धुंधचाई, (8+5) एम0 वी0 ए0 माधोटांडा तथा (3+1.5) एम0 वी0 ए0 शाहगढ़ उपकेन्द्र से की जाती है। इन सभी 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्रों को 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र पीलीभीत से 33 के0 वी0 पोषकों द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। पूरनपुर तहसील मुख्यालय पीलीभीत से 40 कि0मी0 दूर स्थित है तथा सम्बन्धित 33 के0 वी0 पोषक 33/11 के0 वी0 गजरौला एवं शाहगढ़ उपकेन्द्र के बाद 33/11 के0 वी0 पूरनपुर उपकेन्द्र पर विद्युत आपूर्ति करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह 33 के0 वी0 पूरनपुर पोषक गजरौला 4 कि0मी0 जंगल से होकर गुजरता है। इस घने जंगल में लाइनों के अनुरक्षण हेतु पेड़ों की टहनियां जल्दी-जल्दी कटवानी पड़ती है। जिसके लिये कभी-कभी वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिल पाती है। स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर पेड़ों आदि की टहनियां काटने के उपरान्त जंगल में लाईन का अनुरक्षण रखा जाता है।

पूरनपुर तहसील क्षेत्र में लो वोल्टेज तथा विद्युत आपूर्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए पूरनपुर नगर में 20 एम0 वी0 ए0 क्षमता का एक 132 के0 वी0 ए0 उपकेन्द्र स्वीकृत हो चुका है जिसके निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु विद्युत परिकल्पना मण्डल, लखनऊ द्वारा पी0 एफ0 सी0

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिये पूरनपुर क्षेत्र में 4 एकड़ जमीन प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है। भूमि एवं ऋण उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

अग्रेत्तर, अवगत कराना है कि पूरनपुर तहसील क्षेत्र में सुचारु विद्युत आपूर्ति देने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।]

जनपद सहारनपुर के केलेक्ट्रेट अधिष्ठान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना में यह अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-50464/2000, अनूप सिंह आदि बनाम कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर आदि में पारित आदेश दिनांक 10-5-2002 का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी, सहारनपुर के अधीनस्थ कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में 1996 से पूर्व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत 35 कर्मचारियों को नियमानुसार सेवा में नियमितीकरण कर दिया जाये तथा इनका एक-एक दिन का सेवा में जो व्यवधान किया गया है, वह सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा। इस प्रकार सेवा में एक-एक दिन का व्यवधान न मानने के फलस्वरूप उक्त कर्मचारी 240 दिन के नियमितीकरण के शासनादेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारियों का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तत्काल नियमित करना अति आवश्यक बताया गया है।

2-उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा यह सूचित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 10-5-2002 के उपरान्त याचीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर अधिकारियों की समिति गठित की गयी हैं गठित समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकरण के निस्तारण हेतु दो बैठकें योजित की जा चुकी हैं एवं कुछ बिन्दुओं पर विधिक मत भी प्राप्त किया जा रहा है। समिति का निर्णय अन्तिम चरण में है। समिति नियम/कानून/माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कार्यवाही से अवगत करायेगी, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज एवं इटवा तहसील के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजनाओं की नहरों के ऊपर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कमाल युसूफ मलिक एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 विधायकगण द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज व इटवा एवं बस्ती जनपद के भानपुर सोनहा तहसील क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों के बगल से होते हुए जो नहरें निकली हैं, से संबंधित कृषि योग्य भूमि दो-दो हिस्सों में होने के कारण कृषि कार्य करने में कठिनाई से अवगत कराया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि यह कठिनाई इन हिस्सों में पुल न होने के कारण आ रही है तथा आम किसानों को दो-तीन कि0मी0 की दूरी तय करके कृषि कार्य के लिये आना-जाना पड़ता है। अतः किसानों के हित को देखते हुए उस स्थान पर पुलिया का निर्माण कराने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज व इटवा एवं बस्ती जनपद की तहसील भानपुर सोनहा के अन्तर्गत गांवों के बगल से होते हुए जो नहरें निकली हैं, उनसे किसानों की भूमि नहर के दोनों ओर पड़ जाना स्वाभाविक है। नहरों पर लगभग एक-एक कि0मी0 की दूरी पर पुलों का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार किसानों को कृषि कार्य हेतु जाने के लिये अधिकतम् एक कि0मी0 की अधिक दूरी चलना पड़ेगा। मा0 विधायकगण द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वे किस गांव अथवा किस नहर पर अतिरिक्त पुल चाहते हैं। यदि किसी नहर पर, किसी विशेष गांव हेतु अतिरिक्त पुल बनाये जाने की समस्या संज्ञान में लायी जाती है एवं परीक्षण में पुल का निर्माण आवश्यक पाया जाता है तब उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद हरदोई में प्राथमिक शिक्षक वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों के देयों का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[माननीय सदस्य द्वारा दी गई नियम 51 की सूचना में यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि जनपद हरदोई में प्राथमिक शिक्षक वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड, हरदोई में हजारों प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों ने अपना-अपना ऋण स्वीकृत कराया अंशदान जमा किया ऋण के सापेक्ष आवर्ती जमा खाता तथा सावधि जमा खाता में धन निवेश कराया अवधि पूर्ण हो जाने पर भी जमा धन का भुगतान नहीं किया गया। जिससे हरदोई जनपद के हजारों प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों में आक्रोश पैदा हो गया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद हरदोई में प्राथमिक शिक्षक वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति लि0 हरदोई के नाम से एक सोसाइटी संचालित है। जिसके अध्यक्ष श्री दिनेश पाल सिंह व सचिव श्री राम किशोर रस्तोगी हैं। उक्त समिति से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। प्राप्त ऋण की कटौती हेतु अध्यापक द्वारा अपने वेतन से अदायगी हेतु स्वेच्छा से किश्तों के आधार पर कटौती प्रत्येक माह किये जाने की सहमति देते हुए अनुवन्ध किया जाता है। जिसके आधार पर उसके वेतन से किश्तों में कटौती करके उपरोक्त समिति के बैंक खातें में जमा किया जाता है। संबंधित समिति की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह अपने स्तर से भुगतान की कार्यवही करें जहां तक ऋण के सापेक्ष आवर्ती जमा खाता तथा सावधि जमा खातें में धनराशि जमा करने का प्रश्न है इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अध्यापक का है। इस संबंध में भुगतान हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद् हरदोई द्वारा अपने आदेश दिनांक 2-9-2002 द्वारा सचिव प्राथमिक शिक्षक वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति लि0 हरदोई को निर्देशित भी कर दिया गया है। इस प्रकार जमा धनराशि के लिये उक्त समिति ही पूर्णतः जिम्मेदार है।]

जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी का पानी विषैला होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[जनपद फैजाबाद के मड़वा नदी (तमसा) का पानी विषैला होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना दी गई है।

2-मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद फैजाबाद के मसौधा क्षेत्र में निम्न दो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं :-

(अ) मै0 के0एम0 शुगर मिल लि0 (चीनी इकाई) मोती नगर, फैजाबाद।

(ब) मै0 के0एम0 शुगर मिल लि0 (आसवनी इकाई) मोती नगर, फैजाबाद।

(अ) मै0 के0 एम0 शुगर मिल लि0 (चीनी इकाई) फैजाबाद।

इस उद्योग द्वारा 2500 टन/दिन गन्ने की क्रसिंग क्षमता पर चीनी का उत्पादन किये जाने की व्यवस्था है। यह उद्योग सीजनल प्रकृति का होने के कारण पिछले कई माहों से बन्द है। इस इकाई में अपने उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु निम्न इकाईयां लगाई गई हैं :-

1-वार स्क्रीन

2-आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप

3-इक्वालाइन्शन टैंक

4-डबल स्टेट एरियेशन

5-सेटलिंग टैंक।

प्रश्नगत उद्योग का उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 10 जून, 2002 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग आगामी पेराई सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र में सुधार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें तथा बिना "बोर्ड" के पूर्व सहमति से उद्योग का संचालन न करें। चीनी इकाई वर्तमान में बन्द होने के कारण उद्योग से किसी प्रकार के प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित कर तमसा नदी को प्रभावित किये जाने की संभावना नहीं है।

(ब) मै0 के0एम0 शुगर मिल लि0 (आसवनी इकाई) फैजाबाद।

प्रश्नगत उद्योग 30 किमी0/दिन क्षमता की आसवनी इकाई है। इस इकाई से उत्पन्न औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु उद्योग में प्रथम एवं द्वितीय चरण की निम्न इकाईयां स्थापित हैं -

1-स्पेन्ट वाश रीसीविंग प्रिंट

2-बायो गैस डाइजैस्टर

3-गैस होल्डर

4-लमिला क्लेयरीफायर

5-एनरोबिक लैगून

6-एरोबिक लैगून (प्रथम) चार एपीरेटर्स क्षमता 25 अश्व शक्ति प्रत्येक एरोबिक लैगून (द्वितीय) दो एपीरेटर्स क्षमता 25 अश्व शक्ति प्रत्येक।

7-सेकेण्डरी क्लेयरीफायर

8-स्लज डाईग बेड्स

उपरोक्त शुद्धिकरण इकाइयों के उपरांत प्रेस मड के साथ शुद्धिकृत उत्प्रवाह को मिक्स कर बायो कम्पोस्ट बनाये जाने का कार्य उद्योग द्वारा इस वर्ष से प्रारम्भ किया गया है। बायो कम्पोस्टिंग के बाद उद्योग में प्रदूषित उत्प्रवाह शून्य हो रहा है। इस प्रक्रिया से जहां एक ओर प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है वहीं दूसरी ओर उपजाऊ बायो-खाद तैयार होती है। जिसका उपयोग निकटवर्ती किसानों द्वारा कृषि की पैदावार बढ़ाने में किया जाता है।

अतः वर्तमान में चीनी इकाई बन्द होने एवं आसवनी इकाई से शून्य उत्प्रवाह निस्तारित होने के कारण तमसा नदी में किसी प्रकार का औद्योगिक विषैला उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में बीमारी फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।]

एलोपैथिक डिस्पेंसरी सचिवालय, लखनऊ द्वारा सचिवालय कर्मियों को सुचारु रूप से इलाज न करने एवं धन का दुरुपयोग करने के संबंध में श्री रामजीत राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[सचिवालय डिस्पेंसरी में सचिवालय में विगत वित्तीय वर्ष में स्थानीय क्रय हेतु दवाओं की मद में केवल 9 लाख 28 हजार चार सौ इक्कीस रुपये व्यय किये गये थे। इस डिस्पेंसरी में कुल क्रय का केवल 25 प्रतिशत ही स्थानीय क्रय हेतु व्यय करने का प्राविधान है। सचिवालय डिस्पेंसरी में कार्यरत प्रत्येक वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय करके दवायें मंगायी जाती

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं तथा उन्हें उपलब्ध कराकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते हैं तथा समय-समय पर इनकी सम्प्रेक्षा करायी जाती है।

सचिवालय डिस्पेंसरी के चिकित्सा प्रभारी को सचिवालय में आकस्मिकता की स्थिति में मरीजों को देखने जाना पड़ता है। विधान सभा/विधान परिषद का सत्र चलने पर माननीय सदस्यों को चिकित्सा प्रभारी द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रभारी को महत्वपूर्ण बैठकों आदि में भी भाग लेना होता है। सचिवालय डिस्पेंसरी में छः चिकित्सक कार्यरत हैं जिनमें तीन महिला एवं तीन पुरुष चिकित्सक हैं। अतः डिस्पेंसरी में चिकित्सक का कभी अभाव नहीं रहता है।

सचिवालय डिस्पेंसरी में फार्मासिस्टों की तैनाती विगत 4 माह पूर्व की गयी है। वर्तमान चिकित्सा प्रभारी की नियुक्ति दिनांक 10-4-2001 को हुयी है, इस प्रकार इनके तैनाती के कुल एक वर्ष चार माह हुए हैं। इससे पहले चिकित्सा प्रभारी लखनऊ में कभी तैनात नहीं रहे हैं तथा ये स्थानान्तरण नीति में नहीं आते हैं।

जहां तक स्थानीय क्रय हेतु उपलब्ध धनराशि के दुरुपयोग का प्रश्न है, इसके संबंध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शासन द्वारा जांच के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शासन स्तर पर जांच को प्रभावित करने की प्रश्न ही नहीं है। नोटिस में लगाये गये अन्य आरोपों का कोई आधार नहीं है।]

वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 1999-2000 में प्रदेश के 30 कन्या इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों में महिला अध्यापिकाओं के वेतन के देयों का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[प्रदेश के 30 कन्या इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों की महिला शिक्षिकाओं के वेतन, मंहगाई भत्ता, बोनस, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता व वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 1999-2000 का तथा पुनरीक्षित वेतनमान की अवशेष राशि (एरियर) के वर्ष 1996 से अभी तक लम्बित रहने का तथ्य प्रस्तुत करते हुए लगभग 300 महिला अध्यापिकाओं के परिवारों की परेशानी के लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 सदस्य द्वारा चर्चा की मांग अपनी उक्त नियम-51 से सूचना के माध्यम से की गयी है।

इस संदर्भ में मा0 अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मा0 सदस्यगण को अवगत कराना है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग (बालिका) में कार्यरत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शिक्षक/शिक्षिकाओं के वेतनादि भुगतान हेतु गत वित्तीय वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी थी/है। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

	<u>वित्तीय वर्ष 2000-2001</u>	
सम्बद्ध प्राइमरी (बालिका)	कुल बजट प्राविधान	13.00 करोड़
	अनुपूरक स्वीकृति	3.00 करोड़
	कुल	16.00 करोड़
	<u>वित्तीय वर्ष 2001-2002</u>	
सम्बद्ध प्राइमरी (बालिका)	कुल बजट प्राविधान	16.00 करोड़
	पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार अवशेष वेतन भुगतान हेतु अनुपूरक स्वीकृति	5.65 करोड़
	योग	21.65 करोड़
	<u>वित्तीय वर्ष 2002-2003</u>	
सम्बद्ध प्राइमरी (बालिका)	कुल बजट प्राविधान	20.00 करोड़
	स्वीकृति	10.00 करोड़

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों के शिक्षिकाओं के वेतनादि देयों के भुगतान हेतु पर्याप्त बजट व्यवस्था की गयी है और निदेशालय द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक मांग के सापेक्ष भी पर्याप्त मात्रा में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है। गत वर्षों की वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष में बजट व्यवस्थाएं भी की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आविधानित बजट के सापेक्ष दो त्रैमासिक किश्तों की वित्तीय स्वीकृतियां, स्वीकृत/निर्गत की जा चुकी है। वर्णित स्थिति में इन शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान में कोई समस्या की स्थिति नहीं प्रतीत होती है। इस संदर्भ में शिक्षा निदेशक (मा0) को निर्देशित भी किया गया है कि वे प्रश्नगत लम्बित वेतनादि देयों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर सुस्पष्ट धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।]

जनपद ज्योतिबा फुलेनगर के क्षेत्र अमरोहा शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में श्री महबूब अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[श्री महबूब अली, मा0 सदस्य विधान सभा ने नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की है :-

"मेरे क्षेत्र अमरोहा शहर, जिला-ज्योतिबा फूलेनगर की तीन लाख की आबादी है, जिसकी सड़कें जर्जर हैं। पानी ठहराव के कारण बहुत सी बीमारियों का फैलने का अन्देशा है। जिसके मोहल्ला कुरैशी, शिवद्वारा, करणपुरा, नई बस्ती में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। गन्दे कूड़े के बड़े-बड़े ढेर (गोला) इन बस्तियों में देखे जा सकते हैं। जिसमें थोड़े पानी पड़ने से भी यह गन्दगी सड़क पर आकर घरों में घुसती है और शहर से बाहर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा कि शहर के पानी की निकासी उत्तर व दक्षिण की साइड में बने सोत्र नदी व बान नदी में डलवाने की व्यवस्था करें और उपरोक्त मोहल्लों के बस्ती के बीच में पड़े गन्दगी (गोले) को शहर से बाहर डलवाने की व्यवस्था करें। जिससे भविष्य में होने वाली गम्भीर बीमारियों से बचा जा सके और पानी की निकासी नदियों में करके शहर को स्वच्छ बनाया जा सके।''

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243 डब्ल्यू के अन्तर्गत 12वीं अनुसूची के बिन्दु संख्या-6 में लोक स्वास्थ्य, सफाई और कूडा करकट आदि से संबंधित दायित्वों के निर्वहन हेतु नगरीय निकाय को उत्तरदायी ठहराया गया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (यथा संशोधित एवं अद्यावधिक) के सुसंगत प्राविधानों में भी उक्त कार्यों हेतु स्थानीय निकाय को उत्तरदायी ठहराया गया है। इसी संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अमरोहा ज्योतिबा फुलेनगर से प्राप्त सूचनानुसार यह अवगत कराना है कि अमरोहानगर की 80% सड़कें सीमेन्ट से बनी हुई हैं तथा अच्छी हालत में है। नगर में कहीं भी जल ठहराव की समस्या नहीं है। भारी वर्षा होने पर भी कुछ समय बाद वर्षा का पानी शहर से नालों द्वारा निकल कर सोत्र नदी में चला जाता है। नगर पालिका परिषद् अमरोहा के प्रत्येक वार्ड में सफाई हेतु सफाई सुपरवाइजर/सफाई कर्मचारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 5 ट्रैक्टर ट्रालियां, 1 लोडर, पानी हेतु 1 टैंकर, एवं कीटनाशक दवा के छिड़काव हेतु एक टैंकर उपलब्ध है। उक्त संसाधनों से नगर को स्वच्छ रखा जा रहा है जिसका प्रतिदिन दो सफाई निरीक्षकों एवं स्थाई नगर स्वास्थ्य अधिकारी, द्वारा निरीक्षण किया जाता है। मोहल्ला कुरैशी, शिवद्वारा, नई बस्ती, बटवाल में प्रतिदिन पूर्ण सफाई करायी जाती है। मोहल्ला कल्याणपुरा नगर पालिका परिषद् की सीमा से बाहर है जो कूड़ा आदि लोगों द्वारा घरों से निकाल कर सड़कों पर डाला जाता है उसे प्रतिदिन उठा लिया जाता है। नगर का गन्दा पानी व वर्षा के पानी का कुछ हिस्सा नालों व पुलियों द्वारा कुछ हिस्सों का राम तालाब से होकर सोत्र नदी में चला जाता है व शेष नगर का गन्दा पानी भी नालों के द्वारा सोत्र नदी में चला जाता है । बांध नदी, नगर के उत्तरी दिशा में लगभग छः किलोमीटर की दूरी पर है तथा गन्दा पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। नगर में किसी गम्भीर बीमारी फैलाने की आशंका नहीं है। सफाई कार्य अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। सफाई के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसी दिन कार्यवाही करके सफाई की व्यवस्था करा दी जाती है। जल निकासी हेतु नालों की सफाई प्रति वर्ष करायी जाती है।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव संवर्ग में प्रोन्नतियों में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य विधान सभा डा0 वकार अहमद शाह ने नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-8-2002 को यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव संवर्ग में जुलाई, 2001 से रिक्त निजी सचिव श्रेणी-एक व श्रेणी-दो के पदों पर चयन हेतु विभाग चयन समिति की बैठक अनेकों बार स्थगित की गई है जब कि माह जुलाई, 2002 में निजी सचिव संवर्ग के निजी सचिव श्रेणी-एक, दो व तीन में आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों पर शासन द्वारा प्रोन्नतियां की गई हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के संदर्भ में यह सूच्य है कि निजी सचिव श्रेणी-एक से निजी सचिव श्रेणी-दो में चयन वर्ष 2001-2002 में घटित/सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष चयन कराने हेतु दिनांक 05-10-2001 को चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। चूंकि निजी सचिव श्रेणी-दो व उससे उच्च स्तर की श्रेणियों के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल है। अतः पत्रावली उच्चानुमोदनार्थ संदर्भित की गई, किन्तु इसी बीच सामाजिक न्याय समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत नया आरक्षण अधिनियम प्रवृत्त हुआ जिसके प्राविधानानुसार नये सिरे से व्यवस्था किये जाने के दृष्टिगत चयन समिति की संस्तुतियों को निरस्त कराते हुये माह अप्रैल, 2002 में केवल सामान्य वर्ग (जिसमें पिछड़ा वर्ग के कर्मी भी सम्मिलित है) के कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चयन समिति की बैठक सम्पन्न कराई गई किन्तु कार्मिक विभाग द्वारा तत्समय सभी प्रकार की प्रोन्नतियों व नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के कारण माह अप्रैल, 2002 में चयन समिति द्वारा संस्तुत कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

3-कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में लगाई गई रोक को हटाये जाने के बाद, चयन समिति द्वारा संस्तुत कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07-08-2002 को पुनः चयन समिति की बैठक आयोजित की गई एवं चयन समिति द्वारा पूर्व में की गई संस्तुति के अनुसार, संस्तुत किये गये कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तर से कतिपय पृच्छाये की गई है, जिनका निराकरण करते हुये प्रकरण उच्चानुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील से जंघई जाने वाली सड़क पर अनुवा गांव के पास वरुणा नदी के जर्जर पुल के निर्माण के संबंध में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील से जंघई जाने वाली सड़क पर अनुवा गांव के पास वरुणा नदी के जर्जर पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कराया जाना।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनपद-इलाहाबाद में अनुवा गांव के पास बारी जंघई मार्ग पर पुराने सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 17-1-89 द्वारा रु0 56.90 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई जिसमें सेतु का अंश रु0 40.72 लाख था।

यह सही है कि प्रश्नगत सेतु का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा दिनांक 24-5-1989 को सम्पन्न हुआ था।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सेतु के निर्माण को प्रारम्भ करने के उद्देश्य से सेतु निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से श्रमिकों को स्थापित करने हेतु अस्थायी व्यवस्था में आवास एवं स्टोर आदि का निर्माण धनावंटन की प्रत्याशा में कराया गया था ताकि धनराशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

वित्तीय संसाधन की अनुपलब्धता के कारण सेतु के निर्माण हेतु धनावंटन सम्भव नहीं हुआ। इसलिए प्रश्नगत पुराना सेतु जो एक लेन का है की मरम्मत कराकर उसे आवागमन हेतु चालू रखा जा रहा है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधन एवं धन की उपलब्धता पर सेतु के निर्माण का कार्य निर्भर है।]

चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के जल संस्थान में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवा नियमावली न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

"मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं, झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के जल संस्थान कर्मचारियों की आज तक सेवा नियमावली न बनने से हजारों कर्मचारियों का भविष्य अधर में पड़ गया है, जबकि महामहिम राज्यपाल जी ने 2-10-1975 को जल संस्थान का गठन किया था, 27 वर्ष बीतने के बाद केवल झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के कर्मचारियों की सेवा नियमावली, पेन्शन मात्र 1000 दी जा रही है जबकि पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली लागू है तथा उन्हें सभी सुविधायें वेतन पेन्शन दी जा रही है तथा झांसी, चित्रकूट मण्डल को छोड़कर पूरे प्रदेश के जल संस्थान के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनी है इस लिए इनका भविष्य अधर में है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तथा एक ही विभाग में दोहरी व्यवस्था लागू करना सौतेला व्यवहार है इस लिए तमाम कर्मचारी भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 की धारा-18 में निहित प्राविधानों के अधीन कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ के महानगरों में नागर जल संस्थान तथा झांसी, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में क्षेत्रीय जल संस्थान गठित किये गये थे। नगर जल संस्थानों में अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों पर सम्बन्धित नगर महापालिका नियमावली लागू की गयी थी तथा क्षेत्रीय जल संस्थानों में उ0प्र0 नगर पालिका

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अकेन्द्रियित सेवा नियमावली लागू की गयी थी। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् गढ़वाल एवं कुमायूं उत्तरांचल राज्य में चले गये तथा राज्य में बचे झांसी डिवीजन जल संस्थान का अधिसूचना दिनांक 24-4-1999 के द्वारा विभाजन करके चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान का गठन किया गया। इसके पश्चात् अधिसूचना दिनांक 9 फरवरी, 2001 द्वारा नागर जल संस्थानों का विलय सम्बन्धित नगर निगमों में हो जाने के फलस्वरूप उन पर सम्बन्धित नगर निगम की नियमावली लागू है। वर्तमान में केवल 02 क्षेत्रीय जल संस्थान (1) झांसी डिवीजन जल संस्थान एवं (2) चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की नियमावली प्रख्यापित की जानी है, जिसके लिए चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान से दिनांक 25-7-2002 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त क्षेत्रीय जल संस्थानों के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की नियमावली पर यथोचित अनुमोदन प्रदान कर दिया जायेगा।]

विधान सभा सदस्य श्री बीजू पटनायक को बदमाशों द्वारा जातिसूचक गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 04-7-2002 को रात्रि करीब 8 बजे अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र बृजराज सिंह निवासी ग्राम वासूचक, थाना करन्डा, जनपद गाजीपुर ने अपने सह अभियुक्त इन्द्र केस सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह, रामहर्ष सिंह यादव पुत्र दुलई उर्फ रजई, सुनील सिंह पुत्र सिंहासन सिंह, संजय सिंह पुत्र दरोगा सिंह, आलोक उर्फ पप्पू सिंह पुत्र राघव सिंह, अखिलेश सिंह पुत्र रंगनी सिंह एवं मुन्ना सिंह पुत्र शिवजी सिंह निवासीगण ग्राम वासूचक, थाना करन्डा जनपद गाजीपुर तथा लादू सिंह पुत्र सारनाथ सिंह निवासी रामपुर माझा, थाना करन्डा, जनपद गाजीपुर के साथ मार्शल गाड़ी से मा0 विधायक श्री बीजू पटनायक के आवास पर गये एवं उन्हें बाहर बुलाया। मा0 विधायक जी के बाहर आते ही सभी व्यक्तियों द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये भद्दी-भद्दी गाली दी एवं जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके संबंध में मा0 विधायक द्वारा थाना सैदपुर पर दी गई सूचना के आधार पर मु0 अ0 सं0-508/2002 धारा 143/504/506 भा0 दं0 वि0 एवं 3(1)(10) एससी/एसटी ऐक्ट विरुद्ध उपरोक्त व्यक्तियों के पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना श्री [illegible] सिंह क्षेत्राधिकारी सैदपुर द्वारा की गई। विवेचनोपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र संख्या-99 दिनांक 27-7-2002 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त लादू सिंह उर्फ तेज नारायण सिंह को दिनांक 07-7-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है एवं शेष अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19-7-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। वर्तमान में यह प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 110"जी" की कार्यवाही भी की गई है। मा0 विधायक जी की सुरक्षा की दृष्टि से उनके गांव एवं घर पर प्रत्येक दिन रात्रि में दो-दो आरक्षी गश्त पर भेजे जा रहे हैं। अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भी इस परिप्रेक्ष्य में सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मा0 विधायक जी की सुरक्षा हेतु एक गनर भी दिनांक 25-2-2002 से ही 9 एमएम स्टेनगन मय मैगजीन कारतूस सहित लगाया गया है।]

लखनऊ जल संस्थान एसोसियेशन उ0प्र0 के प्रशिक्षुओं से सोलह घण्टे काम लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि लखनऊ जल संस्थान एसोसिएशन उ0 प्र0 व लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद उ0 प्र0 के प्रशिक्षुओं से 46 घण्टे तक काम लिया जा रहा है। प्रशिक्षुओं का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है और 12 जनवरी, 1995 के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए अप्रेन्टिशों को विभाग में समायोजित नहीं किया जा रहा है और नलकूपों को ठेके पर देने का क्रम आज भी जारी है। मजबूर होकर उक्त प्रशिक्षुओं को विगत 14 अगस्त, 2002 से विधान सभा पर धरना देना पड़ रहा है। 24 अगस्त से एसोशिएशन के अध्यक्ष, अजय चौरसिया, सचिव, नीरज कुमार, उप सचिव, इकबाल अन्सारी, हरिनारायण, संजय निगम आदि निर्जल भूख-हड़ताल पर विधान सभा के समक्ष धरने पर बैठे हैं। उक्त 125 प्रशिक्षुओं ने मा0 मुख्य मंत्री , उ0प्र0 सरकार, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0, मा0 प्रधान मंत्री, भारत सरकार, चेयरमैन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मण्डलायुक्त, लखनऊ को दिनांक 24 अगस्त को पत्र भेजकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। मान्यवर यह मामला अत्यन्त संवेदनशील है तथा अविलम्बनीय लोक महत्व का है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस सूचना को गृहित करके सदन में अन्य कार्य को स्थगित करके चर्चा कराने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आई0 टी0 आई0 अलीगंज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के अनुरोध पर लखनऊ जल संस्थान में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें निर्धारित स्टाइपेण्ड का भुगतान किया जाता है।

जहां तक प्रशिक्षुओं को संस्थान में समायोजित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशिक्षुओं को कर्मचारी की श्रेणी में नहीं माना गया है तथा उन्हें नौकरी में लिया जाना बाध्यता नहीं है। हां, चयन के समय उन्हें वरीयता अवश्य प्रदान की जायेगी।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद इलाहाबाद शहर उत्तरी के सलोरी एवं कैलाशपुरी मोहल्लों की आबादी को गंगा नदी की कटान से अविलम्ब बचाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा0 सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में गंगा नदी के प्रवाह एवं धारा तथा पानी बढ़ने के कारण इलाहाबाद के शहर उत्तरी के सलोरी एवं कैलाशपुरी आदि मोहल्लों की आबादी तथा बने हुए मकानों के प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए गंगा नदी के कटान से बचाव की मांग की गयी है।

अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के सलोरी एवं कैलाशपुरी मुहल्ले की आबादी गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। फाफामऊ पुल से लगभग 3.5 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में स्थित यह आबादी विगत कई वर्षों में तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण के कारण गंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन में अवैध रूप से हुए अतिक्रमण के कारण विकसित हुई है। स्थानीय क्षेत्रवासियों एवं जिला प्रशासन की मांग पर सिंचाई विभाग द्वारा सलोरी आबादी क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 500 मीटर लम्बे संवेदनशील भाग को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना रु0169.37 लाख की तैयार की गयी है। इस योजना हेतु धनराशि इलाहाबाद नगर निगम/इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर सिंचाई विभाग द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में कार्य कराया जा सकता है।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं दिनांक 05-09-2002 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 10 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 4 सितम्बर, 2002

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

प्रदेश में वर्तमान समय में ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम की सूची तथा उनकी भर्ती क्षमता का विवरण

क्र0सं0	जनपद/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वार्षिक भर्ती क्षमता
1	आगरा	28
2	अलीगढ़	28
3	मैनपुरी	28
4	मथुरा	28
5	इलाहाबाद	28
6	इटावा	28
7	फर्रुखाबाद	28
8	कानपुर	20
9	बहराइच	28
10	फैजाबाद	28
11	गोण्डा	28
12	प्रतापगढ़	28
13	सुल्तानपुर	28
14	लखनऊ (अलीगंज)	28
15	लखनऊ (निशातगंज)	28
16	रायबरेली	28
17	सीतापुर	28
18	लखीमपुर खीरी	28
19	आजमगढ़	28
20	बस्ती	28
21	देवरिया	28
22	गाजियाबाद	28
23	गोरखपुर	28
24	मेरठ	28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	जनपद/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वार्षिक भर्ती क्षमता
25	मुजफ्फरनगर	28
26	सहारनपुर	28
27	बिजनौर	20
28	बरेली	28
29	मुरादाबाद	28
30	पीलीभीत	20
31	रामपुर	28
32	शाहजहांपुर	28
33	झांसी	20
34	बलिया	28
35	मिर्जापुर	28
36	जौनपुर	28
37	वाराणसी (मुफ्तीमगंज)	20
38	वाराणसी (गायघाट)	20
39	बांदा	20
40	हमीरपुर	20
	योग-	1056

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 41 विधान सभा (67)-16-8-2003-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।